षष्ठम् माला, खण्ड 6, अंक 46, शुक्रवार, 5 अगस्त, 1977/14 श्रावण, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. VI, No. 46, Friday, August 5, 1977/Sravana 14, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं / *Vol. VI contains Nos.* 41 *to* 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi]

अंक 46, शुक्रवार 5 अगस्त, 1977/14 श्रावण, 1899 (शक)
No. 46, Friday August 5, 1977/Sravana 14, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 794 से 797 और 799	*Starred Questions Nos. 794 to 797 and and 799	1—14
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 31	Short Notice Question No. 31 .	14—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 798 और 800 से 814	Starred Questions Nos. 798 and 800 to 814	18—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 6290 से 6489	Unstarred Questions Nos. 6290 to 6489.	30—149
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	149—151
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . . . . Minutes	152
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter on Urgent Public Importance . . .	153—154
भूमि के कटाव के कारण पूर्वोत्तर रेलवे लाइन को होने वाली क्षति की आशंका	Reported apprehension of damage to North Eastern Railway line due to soil erosion	153
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri Gyaneshwar Prasad Yadav	153
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhua Dandavate	154
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege . . .	154—159
बेलची घटना के बारे में गृह मंत्री द्वारा दी गई कथित भ्रामक जानकारी	Alleged misleading information given by the Minister of Home Affairs re. Belchi Incident	154
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Flood situation in the Country	154
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala . .	155
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters Under Rule 377 . .	159
(एक) नागरिक अधिकार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव	(i) Proposal to set up Civil Rights Commission	159
(दो) बाढ़ के कारण रेल यातायात के अवरुद्ध होने जाने तथा अन्य हानियों का मामला	(ii) Dislocation of Railway Traffic and other losses due to floods. . .	159

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

गृह मंत्री के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. Conduct of the Home Minister	160–166
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	160
श्री सी० एम० स्टीफन्न	Shri C.M. Stephen	162
बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Continuing Price Rise	166—173
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	166
श्री जी० नरसिंहा रेड्डी	Shri G. Narsimha Reddy	168
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	169
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	170
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	170
श्री गेव एम० अवारी	Shri Gev M. Avari	172
श्रीमती मृणाल गोरे	Shrimati Mrinal Gore	172
श्री आर० के० अमीन	Shri R.K. Amin	173
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolution	173—174
5वां०प्रतिवेदन	Fifth Report	173
युवकों के राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के बारे में संकल्प–वापिस लिया गया	Resolution Re. Participation of Young Men in Nation Building Withdrawn	174—184
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Dev	174
श्री रामजी सिंह	Shri Ramji Singh	175
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	176
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	177
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	177
श्री एस० कुण्डु	Shri S. Kundu	177
श्री युवराज	Shri Yuvraj	178
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	179
श्री मुकुन्द मंडल	Shri Mukanda Mandal	179
श्री ए० के० राजन	Shri A.K. Rajan	180
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	180
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar	181
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	182
श्री पी० सी० चन्द्र	Shri Pratap Chandra Chunder	182
संविधान में संशोधन करने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Changes in Constitution.	183—184
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	183

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 5 अगस्त, 1977/14 श्रावण, 1899 (शक)
Friday, August 5, 1977/Sravana 14, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बज समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को हमारे पुराने मित्र, श्री मोहन लाल गौतम के दुखद निधन के बारे में सुचित करना है। उनका निधन 75 वर्ष की आयु में 3 अगस्त, 1977 को नई दिल्ली में हुआ।

1947--52 के दौरान श्री गौतम संविधान सभा तथा अस्थाई संसद के सदस्य रहे। 1969 से 1972 तक वह राज्य सभा के सदस्य भी रहे है। इससे पूर्व से उत्तर प्रदेश विधान अभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1952—54 तथा 1956—60 के दौरान वे राज्य सरकार के मंत्री भी रहे।

हमें अपने इस मित्र के दुखद निधन पर गहरा शोक है और मुझे आशा है कि शोध संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजने में यह सभा मेरा साथ देगी।

सभा अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मोन खड़ी रह सक्तो है।

तत्पश्चात् सदस्य गण कुछ क्षण के लिए मोन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance to States

*794. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to State :

(a) the priority allotted to each State on the basis of their population and backwardness during 1975-76; and

(b) the kind and amount of assistance likely to be given to them this year ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क और ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्यों को सहायता के संबंध में लोक सभा में 5 अगस्त, 1977 कों पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर में सभा-पटल पर रखा जानें वाला विववरण-पत्र

चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान राज्य आयोनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन समान और उद्देश्यपूर्ण मानदण्ड, जो गाड गिल सूत्र के नाम से जाना जाता है, के आधार पर किया गया था। इस सूत्र के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :—

(क) असम, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैण्ड राज्यों की आवश्यकताओं को तदर्थ आधार पर एकमुश्त रकम देकर पूरा किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सहायता की शेष रकम का वितरण शेष 14 राज्यों में निम्न प्रकार से किया गया था :

(1) 60 प्रतिशत, जनसंख्या के आधार पर;

(2) 10 प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, केवल उन्हीं राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे थी;

(3) 10 प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति कर संबंधी प्रयत्न के आधार पर;

(4) 10 प्रतिशत, जारी रहने वाली मुख्य सिंचाई और बिजली योजनाओं के कारण;

(5) 10 प्रतिशत, राज्यों की विशेष समस्याओं के आधार पर।

2. 1974-75 और 1975-76 में केन्द्रीय सहायता को पांचवी आयोजना की अवधि में राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्णय किये जाने तक 1973-74 के स्तर पर रखा गया।

3. राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सितम्बर, 1976 में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन गाडगिल सूत्र के अनुसार अद्यतन संगणना के आधार पर किया जाए। जिन राज्यों को अब एकमुश्त रकम दी गयी है उनमें जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल हैं।

1977-78 के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन इस विवरण पत्र के अनुबन्ध में दिखाए गए हैं।

अनुबन्ध

1977-78 के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रुपये)

राज्य	राज्य आयोजना के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता	सिंचाई परियोजना के लिए अग्रिम आयोजना गत सहायता	केन्द्रीय सहायता		अन्य अग्रिम केन्द्रीय सहायता	छः सूत्री सहायता	एन० ई०सी० योजनाएं
				जनजातीय उप आयोजना के लिए	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	94.49	3.75		2.08	—		18.00	
2. असम	56.51	0.06		2.57	6.00		—	
3. बिहार	95.99	0.50		7.70	—		—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. गुजरात	31.94	1.30		4.63	—		—	
5. हरियाणा	11.06	0.40		—	—		—	
6. हिमाचल प्रदेश	28.05	0.20		0.90	—		—	
7. जम्मू और कश्मीर	112.37	—		—	—		—	
8. कर्नाटक	37.29	19.50		0.19	1.20		—	
9. केरल	53.17	1.10		0.14	1.44		—	
10. मध्य प्रदेश	70.81	1.60		14.41	—		—	
11. महाराष्ट्र	81.33	0.74		3.28	1.95		—	
12. मणिपुर	14.09	—		1.24	—		—	
13. मेघालय	15.59	—		—	—		—	
14. नागालैण्ड	21.19	—		—	—		—	
15. उड़ीसा	38.25	1.25		7.58	—		—	
16. पंजाब	26.15	0.55		—	—		—	
17. राजस्थान	51.77	3.75		2.59	—		—	
18. सिक्किम	12.17	—		—	—		—	
19. तमिलनाडु	49.30	0.35		0.28	2.87		—	
20. त्रिपुरा	11.07	—		0.83	—		—	
21. उत्तर प्रदेश	159.07	2.50		0.15	27.00		—	
22. पश्चिम बंगाल	72.27	0.70		2.05	3.25		—	
जोड़ सभी राज्य	1143.93	38.25	100.00%	50.62	43.71	146.91%	18.00	28.61
अनावरित	—	—	—	4.00	0.04	—	—	—
कुल जोड़	1143.93	38.25	100.00	54.12	43.75	146.91	18.00	28.61

%राज्यवार आवंटनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I want to know from the Hon. Minister as to what is the place of Bihar so far as backwardness is concerned.

What are the reasons for which advance assistance has not been given for the development projects of chhota Nagpur and Santhal parganas which are hilly areas?

Santhal Pargana is most undeveloped district in Bihar. There is no railway line, no national high way and no industry. I want to know whether the Government have formulated any scheme for the development of such districts;

श्री एच० एम० पटेल : प्रावधान गाडगिल सूत्र के आधार पर किए जाते हैं ।

श्री गौतम छोटी ही आयु में राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे और उन्होंने असहयोग आन्दोलन तथा खिलाफत आन्दोलन में भी भाग लिया । वह कई बार जेल गए और स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने दस वर्ष जेलों में बिताए । कृषि में अत्यधिक रुचि होने के कारण कृषकों की दशा सुधारने संबंधी कई संगठनों से वे सम्बद्ध रहे और 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करवाने

में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । वह बहुत योग्य व्यक्ति थे और उन्होंने कई समितियों तथा आयोगों में काम किया । 1949 में स्टाकहोम में अर्न्तसंसदीय संघ में भेजे गए प्रथम शिष्टमण्डल के वे सदस्य थे। पिछड़े क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि 60 प्रतिशत प्रावधान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और जहां कहीं प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होती है वहां 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दिया जाता है । अतः 70 प्रतिशत प्रावधान किसी निश्चित आधार पर किया जाता है जो कि पिछड़े क्षेत्रों के पक्ष में होता है । इसके अतिरिक्त 450 करोड़ रुपये की राशि पर्वतीय तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से निर्धारित की हुई है । इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1150 करोड़ रुपये की राशि और नियत की गई है । दूसरे शब्दों में कुल प्रावधान में से लगभग 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इस आधार पर किया गया है ।

जहां तक पिछड़े जिलों को विशेष सहायता देने का सम्बन्ध है, इसके लिए पृथक रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है । जहां तक केन्द्र का संबंध है, हम इसी आधार पर प्रावधान कर सकते हैं।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The Hon. Minister said that the allocations are made on the basis of Gadgil formula. I want to remind that the Janta Party has decided to allocate one third of the total budget for the development of villages and backward areas, which perhaps does not consistent with the Gadgil formula. I want to know the differences in budget allocations made by the previous Government and this Government.

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, जिनसे पिछड़े क्षेत्रों को और अधिक सहायता मिलेगी । ग्रामीण सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपये, पीने के पानी के अभाव वाले क्षेत्रों के लिए 40 करोड़ रुपये और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं । पिछड़े राज्यों की सहायता के लिए इस बजट में इतनी ही व्यवस्था करनी संभव है ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I want to know the differences between allocations of both the Governments.

श्री एच० एम० पटेल : हम राज्यों की किस तरह सहायता कर सकते हैं, यह देखने के लिए अब प्रत्येक राज्य के साथ विचार विमर्श किया जायेगा । विभिन्न कारणों से ये कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं । उनमें से कुछ कारण यह हैं कि राज्यों के संसाधनों को निदर्यता से बर्बाद किया गया है । 1977-78 के लिए योजना प्रावधान 1976 के अंत तथा 1977 के आरम्भ में निर्धारित किए गए थे । यह अनुमान लगाया गया था कि 1976-77 के वित्तीय वर्ष में कुछ राज्यों की घाटे की अर्थव्यवस्था होगी । अधिकांश मामलों में ऐसा ही हुआ और वे जितने संसाधन जुटा पाये उन्हीं के आधार पर 1977-78 के लिए राज्य प्रावधान निर्धारित किए गए । तबसे विभिन्न कारणों से हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां संसाधनों को अन्धाधुन्ध रूप से व्यय किया गया । इससे कुछ राज्यों में कठिनाई पैदा हो गई ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : गाडगिल सूत्र क्या है और गाडगिल कौन है ? क्या वह वरिष्ठ गाडगिल है अथवा कनिष्ठ ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरा ख्याल है कि श्री भट्टाचार्य को पता होगा कि गाडगिल सूत्र 1968-69 में तैयार हुआ था । डा० डी० आर० गाडगिल योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे।

श्री हितेन्द्र देसाई : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल सूत्र तैयार किया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सूत्र को उचित समझती और जिन राज्यों को 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की जरुरत है अनकी विशेष समस्यायें किस तरह की हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : गाडगिल सूत्र का अभी भी महत्व है । इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सितम्बर 1976 में निर्णय लिया था । जब यह प्रश्न पूछा गया कि 1977-78 के लिए प्रावधान किस आधार पर किए जायेंगे तो यह निश्चय किया गया कि इस बारे में गाडगिल सूत्र को अपनाया जायेगा ।

विभिन्न राज्यों की विभिन्न समस्याएं हैं । उनकी भिन्न-भिन्न कठिनाइयां हैं । मैं आपको कुछ विशेष समस्याओं के बारे में बता सकता हूं । इसके लिए गुजरात, हरियाणा, तथा राजस्थान के कुछ मरुस्थल क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है । कई अन्य विशेष बातें भी उत्पन्न होती हैं। यह एक विशेष समस्या है जो कि किसी विशेष राज्य में उत्पन्न हुई है और योजना प्रावधान करते समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या यह स्थायी है अथवा तदर्थ ?

श्री एच० एम० पटेल : यह स्थायी नहीं हो सकती । यह तो तदर्थ ही होगी । "विशेष" शब्द से पता चलता है कि ये समस्याएं विशेष रूप से ही उत्पन्न होती हैं ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि विवरण के कालम 2 में दिखाए गए प्रावधान गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों को पूरा कर देते हैं या ये उन प्रावधानों के अनुपूरक हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : राज्य योजनाओं के विकास के सभी सामान्य केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हैं । इसमें जनसंख्या के लिए किए गए 60 प्रतिशत प्रावधान भी आ जाते हैं ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है ।

श्री एच० एम० पटेल : प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता की औसत 84 रुपये है । बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर है । इससे नीचे गुजरात 79, महाराष्ट्र, केरल 112 है । मैं पांच वर्षीय अवधि के लिए दी जाने वाली प्रति व्यक्ति सहायता की बात कर रहा हूं ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : मैं तो यह जानना चाहता था कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है ।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसे राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश हैं ।

डा० कर्ण सिंह : जहां तक गाडगिल सूत्र का सम्बन्ध और जिसे अभी भी प्रयोग में लाया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद् की अंतिम बैठक या मुख्य मंत्रियों की गत बैठक में यह निर्णय किया गया था कि जनसंख्या के लिए 60 प्रतिशत प्रावधान तो रहेगा ही, शेष 40 प्रतिशत में से कुछ प्रतिशत जनसंख्या नियंत्रण उपायों के लिए निर्धारित किया जायेगा ताकि हमारे आयोजना कार्य में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन मिलता रहे । क्या मंत्री जी के वक्तव्य से मैं यह समझूं कि उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : उस सिफारिश को लागू किया जा रहा है और परिवार नियोजन की सफलता प्राप्ति के लिए कुछ राशि का प्रावधान किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चान्दराम, कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

श्री एस० कुन्डु : हमारे राज्य पिछड़े हुए हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आप हमें भी अवसर दीजिए । आपकी मेहरबानी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह भी पिछड़े क्षेत्र के हैं । जो पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं उन्हें अंतिम अवसर मिलेगा।

Shri Chand Ram: I want to know from the Hon. Minister whether Haryana is also one of the backward states ? If so, how much assistance has been given to Haryana ?

श्री एच० एम० पटेल : हरियाणा पिछड़े राज्यों में नहीं आता। पिछड़ेपन के लिए मापदण्ड पहले ही निर्धारित किया हुआ है।

श्री पी० एम० सईद : केन्द्रीय सहायता देने के लिए गाडगिल सूत्र द्वारा निर्धारित मापदंड को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ये उपादान सही नहीं बैठते । क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं । सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए उप-योजना भी तैयार की है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह उन राज्यों के प्रश्न पर पुनर्विचार करें, जिन्हें पहले ही अधिक सहायता दी जा चुकी है और उप योजना में अनुसूति जनजाति क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्री एच० एम० पटेल : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है, किन्तु मैं उन्हें बता दूं कि जिन क्षेत्रों के बारे में उन्होंने सोचा है उनके लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित कर रखे हैं ।

श्री गंगा सिंह : मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार 6 सूत्री सहायता के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 18 करोड़ रुपये दिए गए हैं और किसी अन्य राज्य को नहीं दिए गए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह छः सूत्री सहायता क्या है और इसे अन्य राज्यों को क्यों नहीं दिया गया है । अन्य राज्यों को देकर केवल आंध्र प्रदेश को 18 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है

श्री एच० एम० पटेल : सम्भवतः माननीय सदस्य को पता होगा कि यह छः सूत्री सहायता तैलगांना आन्दोलन से संबंधित है और इस समझौते से प्रति वर्ष कुछ विशेष नियतन करना होगा। इसी छः सूत्री सहायता के आधार पर ही आंध्र प्रदेश को आवंटन किया था। इस वर्ष 18 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है ।

श्री के० एस० वीरभद्रण : कर्नाटक के अनेक जिलों में गत दो वर्ष से वर्षा न होने के कारण गम्भीर सूखा की स्थिति पैदा हो गई है और बहुत से लोगों एवं किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इन क्षेत्रों में नवम्बर 1977 तक राहत कार्यों की व्यवस्था करने की बहुत ही आवश्यकता है । जब तक केन्द्रीय सरकार से तुरन्त सहायता नहीं मिलेगी राज्य के परिव्यय से कर्नाटक राज्य में सहायता कार्यों पर खर्च पूरा नहीं होगा। मेरे जिले बिलारी में 45,000 मजदूर राहत कार्य में लगे हुए हैं । कर्नाटक राज्य ने इस राहत कार्य के लिए 17 करोड़ रुपये की मांग की है । केन्द्रीय सरकार ने केवल 4 करोड़ रुपया दिया है । मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चहता हूं कि क्या अभाव राहत कार्य के लिये शेष धनराशि दी जायेगी अथवा नहीं ।

श्री एच० एम० पटेल]: जहां तक इस प्रकार के राहत कार्य के लिए सहायता प्राप्त करने का संबंध है, माननीय सदस्य जानते ही हैं कि छठे वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि किसी विशेष आधार

के बिना ऐसी सहायता नहीं दी जानी चाहिए । केन्द्रीय दल विभिन्न राज्यों का दौरा करता है; जिसके अनुसार केन्द्रीय दल ने कर्नाटक का भी दौरा किया था तथा इसकी सिफारिश के अनुसार ही 4.75 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इससे अधिक राशि अब नहीं दी जायेगी।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और आशा है मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ।

इन तीस वर्षों के दौरान गाडगिल फार्मूला, तथा छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो सभी सहायता एवं विशेष सहायता दी गई वह सब बेकार गई है तथा पिछड़े राज्यों की समस्या और अधिक खराब हो गई है । छः से अधिक राज्यों में प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय से भी कम है । क्या मंत्री महोदय ऐसी योजना बनायेंगे जिससे वे राज्य जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय से कम है, पांच वर्ष के भीतर उनकी आय राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय के समान हो जायेगी और क्या वह इन पिछड़े राज्यों का विकास करने के लिए कोई विशेष योजना बनाएंगे और इस सम्बन्ध में सभा पटल पर एक श्वेत पत्र रखेंगे क्योंकि जनता पार्टी और हम सभी पिछड़े राज्यों का विकास करने के लिए कटिबद्ध हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : योजना आयोग तथा सरकार इस पर विचार करेगी जो उद्देश्य माननीय सदस्य के मन में है उस उद्देश्य को साकार करने के लिए छठी पंच वर्षीय योजना तैयार की जायेगी। यह बचन देना कठिन है कि किसी अवधि विशेष में पिछड़े राज्य राष्ट्रीय औसत आय के समान उठाये जायेंगे । लेकिन अन्य राज्यों के विकास की गति कम किए बिना विकास कार्य करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे ।

बजट का घाटा कम करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त अनुदान

*795. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने बजट का घाटा कम करने के लिए और योजना संबंधी अपने खर्च को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त अनुदान देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि केन्द्रीय सरकार का विचार घाटे वाले राज्यों को कोई अतिरिक्त अनुदान देने का है तो कितना ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों के सन्साधनों में कमी होने तथा ओवरड्राफ्टों के कारण और प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा आवश्यक हुए खर्चे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी गई है। राज्यों की ओवरड्राफ्टों की समस्या को हल करने के उपायों एवं साधनों पर तथा संसाधनों के क्षय पर जो करसंबंधी रियायतों, कर्मचारियों के लाभों और 1977-78 के लिए आयोजना को अन्तिम रूप देते समय अप्रत्याक्षित अन्य वित्तीय वचनबद्धताओं के कारण हुआ है, राज्य सरकारों से बातचीत करने का हमारा विचार है।

श्री के० मालन्ना : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्यों के संसाधनों में कमी और ओवरड्राफ्टों और प्राकृतिक प्रकोपों के कारण हुए खर्चों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मदद मांगी गई है । इस तथ्य की दृष्टि से कि एक राज्य विकसित है और दूसरा अविकसित, सहायता देने के लिए कौन से आधार अपनाए गये हैं ? सूखा और बाढ़ग्रस्त राज्यों तथा पिछड़े राज्यों को अन्य की तुलना में कितनी सहायता दी गई है ?

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं राज्यों को प्राकृतिक प्रकोपों के लिए सहायता केन्द्र द्वारा भेजे गए दल के प्रतिवेदन के आधार पर दी जाती है। पहले केन्द्र सरकार उदारता से सहायता देती थी परन्तु छठे वित्त आयोग ने, जिसके अध्यक्ष ब्रहमानन्द रेड्डी थे, सिफारिश की कि इस प्रकार सहायता देना फिज़ूल खर्चा है, अतः वह इस प्रकार न दी जाए, वरन् यह केन्द्र में हुई हानि के संबंध में केन्द्रीय दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर दी जाये और वह सहायता भी योजना परिव्यय से दी जाए । और इसी आधार पर कर्नाटक को सहायता दी गई है ।

श्री के० मालन्ना : प्रत्येक सूखाग्रस्त राज्य ने कितनी सहायता मांगी और केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कितनी सहायता दी ?

श्री एच० एम० पटेल : कई राज्यों ने सहायता मांगी थी परन्तु केवल कर्नाटक में ही केन्द्रीय दल गया था। कर्नाटक ने 17 करोड़ रुपये दैवी प्रकोप से राहत के लिए सहायता के रूप में मांगे थे और उसे 4.75 करोड़ रुपये दिए गए ।

जिन राज्यों ने सहायता मांगी थी उनमें से किसी को भी सहायता नहीं दी गई है क्योंकि वहां केन्द्रीय दल नहीं गया है ।

श्री के० मावन्ना : अन्य राज्यों ने कितनी सहायता मांगी थी ?

श्री एच० एम० पटेल : गुजरात सरकार ने सहायता की राशि नहीं बताई है वरन् उन्होंने केवल दैवी प्रकोप के लिए राहत की मांग की थी । मध्य प्रदेश ने कमी को पूरा करने के लिए सहायता मांगी थी पर उसने भी निश्चित राशि नहीं बताई । त्रिपुरा ने दैवी प्रकोपों से राहत के लिए 25 लाख रुपये की सहायता मांगी है।

श्री के० मालन्ना : उसे कितनी राशि दी गई ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि केन्द्रीय दल उस राज्य का दौरा करके अपनी सिफारिश देगा उसी के अनुसार सहायता दी जाएगी ।

श्री चित्त बसु : गाडगिल सूत्र के राज्यों द्वारा उचित न ठहराने और राज्यों द्वारा अपनी मांग प्रतिवर्ष बढ़ाते चले जाने की दृष्टि से क्या राज्यों को वित्तीय सहायता देने के आधार पर फिर विचार किया जाएगा ?

दूसरे, क्या राज्यों और केन्द्र के बीच वित्तीय नियतन के मामलों से सम्बन्धी संविधान के अनुच्छेद 275 में भी संशोधन करने का उनका विचार है ?

श्री एच० एम० पटेल : संविधान में संशोधन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सातवां वित्त आयोग नियुक्त किया जा चुका है और वह इस मामले पर विचार करेगा ।

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मैं पहले बता चुका हूं कि सितम्बर 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने गाडगिल फार्मूले पर विचार किया था । इस मामले पर फिर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया जायेगा ।

श्री चित्त बसु : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् में गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन किया जायेगा?

श्री एच० एम० पटेल : मैं इस मामले पर आश्वासन नहीं दे सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मामले पर विचार किया जायेगा ।

Shri Ramdas Singh : Floods have caused heavy damage in Bihar. Large area has been eroded by floods in Ganga. I want to know from the Hon. Minister whether Bihar State Government has asked for grant from the Centre for relief works in floods and draughts affected areas ?

श्री एच० एम० पटेल : बिहार सरकार ने केन्द्रीय संसाधनों से सामान्य सहायता के लिए अनुरोध किया है और ऐसी किसी सहायता का उसमें उल्लेख नहीं किया है।

Shri Brij Bhushan Tiwari: What kind of assistance is contemplated to be given to those states, who misappropriated their resources during emergency and thereby had to go in for our draft and all their resources were spent away and ran deficit? Has the Government of Uttar Pradesh requested the centre for much an assistance, and if so, what action has been taken thereon ?

श्री एच० एम० पटेल : संसाधनों में भारी कमी होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा करूंगा कि सरकारें अपने संसाधन कैसे जुटा सकती हैं और केन्द्र उनकी कैसे सहायता कर सकता है। निस्सन्देह हम अधिक धन निकालने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि यह घाटे की अर्थ-व्यवस्था का एक रूप है।

श्री एस० ननजेश गौडा : जब कभी राज्य सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता मांगते हैं तो केन्द्रीय दल उन क्षेत्रों का दौरा करता हैं और उनकी आवश्यकता का निर्धारण करता है तथा उन्हें कुछ सहायता दी जाती है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है, अनेक मामलों में धन का दुरुपयोग किया गया है। क्या केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय दल को वहां भेजती है और यह पता लगाती है कि क्या वह धन उचित कार्य पर खर्च किया गया है। जिन मंत्रियों ने धन लूटा है वे सभी मंत्रिमण्डल के मंत्री बना दिए गए हैं।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य मेरी पहली बात को अच्छी तरह नहीं समझे हैं। यह प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुई हानि के कारण ही होता है और वहां केन्द्रीय दल भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य कारण से नहीं ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक दूसरी बातों का संबंध है उनकी राज्य सरकारों से चर्चा की जाती है।

बाल योगी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

*796. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतः घोषित बाल-ईश्वर, 'बालयोगी' के विरुद्ध जो कुछ वर्ष पूर्व अमरीका से एक चार्टर्ड विमान में बहुत सा धन एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं ले कर, विमान भरे अपने अनुयायियों सहित भारत आया था; कुछ मामले विचाराधीन हैं;

(ख) उसके विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम आदि के उल्लंघन के लिए विचाराधीन मामलों का ब्यौरा और स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) श्री प्रेम पाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर अपने अनुयायियों के साथ 7 नवम्बर 1972 को एक चार्टर्ड विमान से पालम हवाई अड्डे पर उतरे। बालयोगेश्वर, उनके सचिव बिहारी सिंह और उनकी एक शिष्या कुमारी जीन एप्टर के व्यक्तिगत सामान में 2.85 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, जवाहिरात तथा घड़िया निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थीं। विदेशी मुद्रा, जवाहिरात और घड़ियां बिल्कुल जब्त कर ली गईं और श्री प्रेम पाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर तथा बिहारी सिंह, दोनों पर, दस-दस हजार रुपये का दण्ड लगाया गया। श्री बालयोगेश्वर तथा बिहारी सिंह ने न्यायनिर्णय आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत की हैं, जो विचाराधीन है।

श्री बिहारी सिंह को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर, तीन मामलों में, कुल मिलाकर सात लाख सात हजार रुपये का दण्ड लगाया। इन मामलों से संबंधित विदेशी मुद्रा को जब्त करने के आदेश भी दिये गये। श्री बिहारी सिंह ने उपर्युक्त न्याय-निर्णयों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड के सामने अपीलें दायर की हैं जो विचाराधीन हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के एक चौथे मामले में, श्री बिहारी सिंह के खिलाफ नई दिल्ली की एक अदालत में इतस्गासे की कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में एक शिकायत दायर कर दी गई है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: क्या जुर्माने का भुगतान करने के लिए उनके पास सम्पत्ति है?

अध्यक्ष महोदय: सबके प्रश्न यह ही करना चाहते हैं?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: ये बालयोगेश्वर 7-11-72 को दिल्ली में उतरे और उन के साथ भारी मात्रा में निषिद्ध सामान था; मंत्री महोदय द्वारा दिए गए प्रश्न के अनुसार पांच वर्ष से भी अधिक अवधि से मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन मामलों का निपटारा करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और बालयोगेश्वर के विरुद्ध मामला बनाने में सरकार असफल क्यों रही है। सचिव बिहारी सिंह के विरुद्ध मामले बनाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में असाधारण विलम्ब क्यों कर रही है और बालयोगेश्वर के विरुद्ध मामले क्यों नहीं दायर किए गए हैं।

श्री एच० एम० पटेल: विलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि संबंधित व्यक्ति इस देश में नहीं है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अपीलें विचाराधीन पड़ी हैं। जहां तक सरकार का संबंध है ऐसे आदेश दे दिए गए हैं कि कितना जुर्माना किया जाये और कौनसा सामान जब्त किया जाये।

जहां तक श्री बालयोगेश्वर का सम्बन्ध है आसूचना तथा अन्य अधिकारियों का यह मत है कि वह स्वयं विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों के घेरे में नहीं आते हैं क्योंकि कई कारण हैं जो सभी तकनीकी कारण हैं। उसने दूसरे लोगों के माध्यम से काम किया है। वही लोग इस गिरफ्त में आये हैं। यही कारण है उसके सचिव पर मुकदमा चलाया गया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: जब इस बालयोगेश्वर के विरुद्ध आपराधिक मामले विचाराधीन पड़े हैं तो उसे सरकार ने देश से बाहर जाने की अनुमति दे दी उसके विरुद्ध वारन्ट जारी होने के बाद उसे पालम हवाई अड्डे से विमान में जाने की अनुमति दे दी गई। क्यों?

दूसरे मंत्री महोदय ने कहा है कि वह विदेशों में हैं, भारत में नहीं है। क्या वह भारतीय राष्ट्रीय हैं? क्या इस बात की जांच की गई थी?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे उसकी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी नहीं है। वह उस समय भारतीय राष्ट्रिक था। मैं इसका कारण बताऊंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास विदेशी मुद्रा हो जो उसे वेतन या इनाम में प्राप्त हुई हो, और वह उसको प्राप्ति के 30 दिन के भीतर प्राधिकृत डीलर को दे दे तो उसे आम अनुमति क्यों दे देता है। इस मामले में श्री प्रेम पाल रावत बनाम बालयोगेश्वर को विदेशी मुद्रा वेतन या इनाम के रूप में प्राप्त हुई थी। इस तरह से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर उसने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसे मामलों में यही शर्त है कि उसे 30 दिन के भीतर जमा कर देना चाहिए था। इसे दृष्टि में रखते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत उस पर मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अभिर्णीत नहीं पड़ा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार को दण्ड अथवा जुर्माना कर अथवा माल जब्त करने से कुल कितनी धन राशि प्राप्त हुई है ?

श्री एच० एम० पटेल : बालयोगेश्वर और बिहारी सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया था। आसूचना निदेशालय ने तीन मामलों में कुल 7.07 लाख रुपये का जुर्माना किया था। मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है कि 2.85 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जवाहरात और घड़ियां पाई गई थीं जिन्हें जब्त कर लिया था।

Shrimati Chandrawati: I want to know whether Government will bring any legislation to effect that such importers and smugglers do not have surname like Yogeshwar, Saint, Mahatma, Bhagwan etc. and do not decieve and lost people ?

श्री एच० एम० पटेल : आवश्यकता पड़ी तो हम अवश्य ही ऐसा कानून बनाने पर विचार करेंगे। लेकिन इससे सभी नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री वसन्त साठे : मैं मंत्री महोय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन तथाकथित और अपने आप को भगवान या ईश्वर कहलाने वाले व्यक्तियों के कार्यों और अंशदान का निर्धारण किया है और यह पता लगाया है कि उन्होंने विदेशों में इस देश की क्या प्रतिष्ठा बनाई है ? सरकार का विचार इस देश की प्रतिष्ठा को कम करने वाले ऐसे व्यक्तियों की असामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को पता होगा कि इस विशेष ईश्वरीय व्यक्ति ने 1970-71 में अपनी गतिविधियां आरम्भ की थीं और वह 1972 में गिरफ्तार हुआ था। अब मैं इस मामले की जांच करूंगा और यह देखूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

Shri Ram Dhari Shastri: The hon. Minister in his reply has stated that the secretary of Balyogeshwar misappropriated and some smuggled things were found from his luggage. But it is all done at the command of Balyogeshwar. I want to know whether Government propose to institute a criminal case against Balyogeshwar ? Will the Government keep in mind that Balyogeshwar can not be brought into trap because many officers are his disciples ?

श्री एच० एम० पटेल : मैंने कहा है कि बालयोगेश्वर इस समय यहां देश में नहीं हैं। हम कानून के अनुसार ही कार्यवाही कर सकते हैं। और ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत उस पर मुकदमा चलाया जा सके।

Opening of Branches of Non-Nationalised Banks in Rural Areas

*797. **Shri Phool Chand Verma :**

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state whether Government propose to encourage the banks, which have not been nationalised, to open their branches in rural areas?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एज० पटेल) : सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा जाल के विस्तार की है । गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय वाणिज्यिक बैंक भी इस नीति को कार्यान्वित कर रहे हैं ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: I want to know from the Hon. Minister whether inspite of Government policy these Commercial Banks are not going in rural areas but either they are confined to urban areas only or open their branches in the rural areas closed to the cities. As a result people living in rural areas and farmers and deprived of banking facilities; if so, whether Government will ensure that these banks open their branches in rural areas ?

श्री एच० एम० पटेल : : वास्तव में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलनी आरम्भ कर दी हैं और वह भी सरकारी बैंकों की तुलना में ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: My question was whether these commercial Banks open their branches in cities or in the rural areas closed to the cities may finance people bring in rural areas. I want to know whether arrangements have been made so that these banks open their branches in rural and remote areas. I also want to know the number of branches opened by Private Sector Commercial Banks in rural areas during 1976-77 and number of such branches proposed to open during 1977-78.

श्री एच० एम० पटेल : : मैं यह तो ठीक से नहीं बता सकता कि 1977-78 में कितनी शाखाएं इन बैंकों की खोली जायेंगी । लेकिन मैंने कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगभग उतनी ही शाखाएं खोली हैं जितनी सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खोली हैं । गत 5 वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 35.4 प्रतिशत शाखाएं खोली हैं ।

भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी 807 शाखाएं खोल दी हैं । गैर-अनुसूचित बैंकों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोली हैं किन्तु स्वाभाविक रूप से वे छोटी हैं और उनकी संख्या काफी कम है।

Dr. Laxminarain Pandeya: My question has not been replied to. I wanted to know how many branches have been opened and how many branches are proposed to be opened. If the Hon. Minister has not information he may place it on the table of the House later on.

श्री एच० एम० पटेल : भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 788 शाखाएं खोली हैं और भारतीय गैर-अनुसूचित बैंकों ने 18 शाखाएं खोली हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमान ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की सहायता के लिए कुछ ही वर्ष पूर्व खोले गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी प्रकार का मूल्यांकन अध्ययन किया है जिससे यह पता लग सके कि ये बैंक अपना उद्देश्य पूरा करने में कहां तक सफल हुए हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : सरकार ने ग्रामीण बैंक इस उद्देश्य से खोले थे कि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों की सहायता कर सकें जिनकी सहायता अन्य बैंक नहीं कर सके हैं। भारतीय रिज़र्व

बैंक ने एक मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की है जो कि यह देखेगी कि ये बैंक कहां तक अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल हुए हैं । साथ वह समिति इनका और विकास करने पर भी विचार करेगी ।

Shri Chaturbhuj: The nationalized banks do not open branches in rural areas and those who have opened their branches there they do not give loans to those person who are at a distance of more than 5 Kilometres from the location of that bank. In such circumstances what arrangements have been made to provide loans to those persons who are at a long distance.

श्री एच० एम० पटेल : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी । अब हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोगों तक पहुंच पाये हैं अथवा नहीं । इस समूचे प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग को ऋण सुविधाएं प्राप्त हों ।

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन और पार्ले कम्पनी द्वारा निर्यात

*799. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन और पार्ले कम्पनी ने कितना निर्यात किया;

(ख) उन कम्पनियों को कितने आयात लाइसेंस (संपूर्ति लाइसेंसों के अतिरिक्त) दिये गए; और

(ग) संपूर्ति लाइसेंसों के अतिरिक्त आयात लाइसेंस देने के आधार क्या थे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	कोका कोला निर्यात निगम	पार्ले कम्पनी
(क)	1,83,969 रु०	कुछ नहीं
(ख)	2,61,000 रु० के सान्द्रण के तत्वों के लिये आयात लाइसेंस ।	40,668 रु० के कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस और 73,145 रु० के कच्चे माल की सप्लाई के लिये राज्य व्यापार निगम को रिलीज़ आदेश ।
(ग)	मैसर्स कोका कोला निर्यात कारपोरेशन को, आयात लाइसेंस उनके 1975-76 के आयात आवेदन-पत्र के आधार पर तीन महीने की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु औद्योगिक विकास विभाग की सिफारिश पर दिया गया था ।	मैसर्स पार्ले कम्पनी को आयात लाइसेंस, आटोमेटिक लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत उनकी हकदारी के अनुसार दिया गया था । यह एक भारतीय कम्पनी है और कोई निर्यात दायित्व नहीं है ।

Shri Dharam Singh Bhai Patel: Mr. Speaker the Commerce Minister has just now stated that M/s. Coca Cola Export Corporation exported worth Rs. 1,83,969 during the year 1976. Before it, the Commerce Minister in his reply to my unstarred question No. 3750 dated 15th July, 1977 has told us that M/s. Coca Cola Export Corporation exported worth rupees 1,45,88,663 in 1971, Rs. 1,45,41,760 in 1972, Rs. 1,88,31,127 in 1973, Rs.1,21,08,754 in 1974 and Rs. 5,43,328 in 1975. It clearly indicates that M/s Coca Cola Export Corporation caused heavy loss to the nation in earning foreign exchange. I want to know whether the Government is thinking to take concrete steps in this regard and whether they propose to cancel the licence of this company ?

श्री मोहन धारिया : श्रीमान कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना इस देश में 1958 में हुई थी। तब से हमने समूची स्थिति का अध्ययन कर लिया है और शायद यह जानकर इस सभा को आश्चर्य होगा कि 1958 से 1974 तक कोका कोला कम्पनी ने 6.87 करोड़ रुपये भेजे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 3.69 करोड़ रुपये रोक रखे हैं जिसका कि वे दावा करते हैं। समूची राशि लगभग 10 करोड़ रुपये होती है। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार ने मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को कहा है कि वे इसे भारतीय कम्पनी में परिवर्तित कर दें जिसमें गैर-रिहायसी भारतीयों के शेयर 40 प्रतिशत से अधिक न हों। अब ऐसा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है और कम्पनी ने अपनी सहमति दे दी है। किन्तु यह सशर्त सहमति है। यह कम्पनी कोका कोला सांद्रणों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सम्पर्क तथा कोई नियंत्रण कार्यालय रखना चाहती है इससे यह नई कम्पनी देश में केवल एक वितरण कम्पनी के रूप में काम करेगी। हम इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए सरकार ने उन्हें अनुमति न देने का निर्णय लिया है। किन्तु अब प्रश्न वर्तमान बोटलिंग कम्पनियों का उठता है और बोटलिंग कम्पनियों में लगभग 6,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुझे सभा को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे केन्द्रीय खाद्य प्रोद्यौगिक अनुसंधान संस्थान ने देश में कुछ परीक्षण किए हैं। अब हम देश में किए गए अविष्कारों के इस नए सांद्रण का परीक्षण कर रहे हैं जिससे कि इन बोटलिंग कम्पनियों का ध्यान रखना संभव हो सके और इस कम्पनी से छुटकारा पाया जा सके जो देश का शोषण करने का प्रयास कर रही है। सरकार को इस बात का पूरा पता है और मैं सभा को पूरा आश्वासन दे सकता हूं कि इस बहु-राष्ट्रीय कम्पनी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जायेगी।

Shri Dharam Singh Bhai Patel: There are so many companies in our country like Parley, Dulee, Rozers, Spencer, Kali etc. producing soft drinks. I want to know from the Hon. Minister what steps have been taken to encourage these companies ?

श्री मोहन धारिया : मैंने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि हम भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देंगे।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 31
SHORT NOTICE QUESTION No. 31

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हड़ताल

*31. **डा० मुरली मनोहर जोशी :**
श्री छविराम अर्गल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री युवराज :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हाल ही में हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप कई करोड़ रुपयों की हानि हुई है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह हड़ताल राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित थी और इसका उद्देश्य इस अत्यधिक महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रम के कार्यकरण को आपदग्रस्त करना था और यदि हां, तो ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में 14 से 26 जुलाई, 1977 तक हुई हड़ताल के कारण लगभग 5 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

(ख) सरकार हड़ताल होने की परिस्थितियों की जांच कर रही है ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में हुई हड़ताल के बारे में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भारतीय सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है और इसके लीबिया, मलेशिया, भूटान तथा साउदी अरेबिया से बड़े-बड़े करार हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भी भाग ले रहा है। सोवियत संघ आदि महाशक्तियों के अनुसार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक जबरदस्त स्पर्धा करने वाला प्रतिष्ठान है। और आप देख रहे हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के औद्योगिक प्रगति में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि विद्युत् परियोजनाओं के लिए सामान की सप्लाई करता है। यदि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में हड़ताल हो जाये तो उसी ढंग से विद्युत् संबंधी वस्तुओं की सप्लाई में कमी हो जायेगी जिसके फल-स्वरूप औद्योगिक उत्पादन घट जायेगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को पता है कि कार्मिक संघों के कुछ वर्ग हड़ताल को जारी रखवाने में दिलचस्पी ले रहे हैं और समाचारपत्रों में जो समाचार छप रहे हैं कि प्रबन्ध व्यवस्था भी हड़ताल को जारी रखना चाहती है, क्या यह भी सच है और इस प्रबन्ध व्यवस्था पर भूतपूर्व सरकार का नियंत्रण है। क्या प्रबन्ध व्यवस्था तथा इंटक से सम्बद्ध कार्मिक संघों के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ है जिन्होंने कि यह हड़ताल करवाई हैं और क्या यह देश की औद्योगिक प्रगति को समाप्त करने की जानबूझकर की गई चेष्टा है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडीस : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में यह हड़ताल अनोखे ढंग से हुई है। यह 14 जुलाई को शुरू हुई जबकि एक कर्मशाला के लगभग 430 कर्मकारों ने नारे लगाए कि हमारी पदोन्नति की जाये। उस दिन उन्हें काम पर वापस जाने के लिए कहा गया और वे वापस काम पर चले गए। अगले दिन सभी कारीगरों ने काम रोको हड़ताल कर दी और उनकी मांग थी कि सभी कर्मकारों की हर तीसरे वर्ष अगले ग्रेड में पदोन्नति की जाये। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रत्येक तीसरे साल के बाद प्रत्येक कर्मकार की अगले ग्रेड में पदोन्नति की जानी चाहिए। जब यह मांग की गई थी तो इसमें किसी भी संघ का हाथ नहीं था। वास्तव में हमारी जानकारी यह है कि सभी संघों को इससे आश्चर्य हुआ। उनके साथ बातचीत करनी संभव नहीं हो सकी क्योंकि वहां कोई प्रवक्ता नहीं था। 15 तारीख से 19 तारीख तक की यह स्थिति है। सभी कर्मकार बाहर रहकर नारे लगा रहे हैं कि उनकी प्रत्येक तीन वर्ष बाद अगले ग्रेड में पदोन्नति की जानी चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 20 कार्मिक संघ हैं। इनमें वर्गवार संघ भी हैं। 19 जुलाई को इन सारे संघों ने एक होकर कार्यवाही की एक संयुक्त परिषद् बनाई। प्रबन्ध व्यवस्था ने 26 जुलाई को संयुक्त कार्यवाही परिषद् के साथ बातचीत करनी आरम्भ कर दी। अन्ततोगत्वा हम एक समझौते पर पहुंच गए लगभग सभी संघों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। किन्तु ऐटक तथा इंटक ने उस दिन उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। किसी

तरह 27 तारीख को सभी कर्मचारी काम पर आ गए और सभी संघों ने अपना सहयोग तथा समर्थन दिया और साथ ही उन्होंने प्रबन्ध व्यवस्था को यह भी आश्वासन दिया कि जो 5 करोड़ की उत्पादन हानि हुई है वह 7 नवम्बर तक पूरी कर ली जायेगी।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या यह हड़ताल राजनीतिक कारण से हुई है या इसमें किसी अधिकारी का हाथ था, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : यदि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के इसी एकक में नहीं वरन् अन्य एककों में भी पदोन्नति के बारे में व्याप्त असंतोष है तो क्या मंत्री जी पदोन्नति नीति के बारे में किसी समिति या आयोग का गठन करेंगे ? क्योंकि उक्त अधिकारियों की तो प्राय: पदोन्नति हो जाती है, किन्तु इन कारीगरों को पदोन्नति नहीं दी जाती ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के सभी एककों में पदोन्नति के बारे में लगभग एक समान नीति है। इस संकट के उत्पन्न होने से पूर्व पदोन्नति नीति में कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई। भोपाल एकक में एक संयुक्त विचार विमर्श करने वाली समिति है जिसकी 28 जून अर्थात् यह संकट पैदा होने से 15 दिन पहले बैठक हुई थी। उस समय भी पदोन्नति के बारे में किसी तरह का प्रश्न नहीं उठाया गया था। अब इस हड़ताल के बाद एक समझौता हुआ है, कि प्रबन्ध व्यवस्था तथा संघों द्वारा एक संयुक्त परिषद् की स्थापना की जायेगी जो कि पदोन्नति नीति की जांच करेगी और मैं समझता हूं कि पदोन्नति संबंधी यह मामला हल हो जायेगा।

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. Speaker there has been a loss of 5 crore of rupees due to strike in B.H.E.L. and later on there has been a settlement between the management and the workers. I want to know from the Hon. Minister as to why there has been so much delay in reaching at this settlement which resulted a loss of rupees five crores. The Central Government should have interfere at a early stage if the demands of the workers were legal so that this loss of 5 crores could be averted and if their demands were not legal then why the strike was not declared illegal and there has been so much delay ?

Shri George Fernandes: Mr Speaker I have already stated that how the strike started on the 14th and how it was not possible to have talks with the workers and their representatives up to the 19th. As soon as the twenty trade unions formed a Joint Council of Action we started negotiations. We talked to the Chief Minister and the Labour Minister of Madhya Pradesh a number of time. Due to their efforts we could reach at this settlement.

Now so far as the question of legal and illegal demands is concerned, I would say that the demands can not be legal or illegal. You can say that every worker should be promoted to the higher next grade after every three years. We can not say that it is legal or illegal demand and it is difficult to discuss this matter. Any body can say that he should be promoted within two years. Another can demand for promotion after 5 years. Therefore it is futile to say whether their demand was legal or illegal.

So far as the loss of rupees 5 crores is concerned, once or twice it so happened that the representatives of the Joint Council of Action did not turn up for negotiations. In fact there was difference of opinion in them and they were not reaching at a consensus. That is why there has been so much delay.

Shri Yuvraj: I want to know what were the demands of I.T.U.C. and I.N.T.U.C. which are the two unions out of the 20 unions ?

Shri George Fernandes : They had no demand. The fact is that on the 14th about 430 workers came out and made slogans for promotion. Next day all the workers came out and demanded promotion in the next higher grade after three years. No particular union

made any demand. On the 19th when they formed a Joint Council of Action they prepared a five point charter of demand. Those five demands are as under:—

1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की पदोन्नति नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पदोन्नति दी जानी चहिए।

2. सभी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. छुट्टी यात्रा रियायतों के बदले में पैसा दिया जाये : चाहे कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायतों का फायदा उठायें या नहीं, इसका नकद भुगतान किया जाना चाहिए।

4. अनुसचिवीय तथा अन्य कर्मचारियों को, जिनके काम करने के घंटे 1974 में 41 की बजाय 48 किए गए थे, प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाये।

5. जिन कर्मचारियों के पास अपना कोई वाहन है, उन्हें अधिकारियों के बराबर वाहन भत्ता दिया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को रियायती तौर पर वाहन भत्ता दिया जाना चाहिए चाहें उन्हें शहर में ही घर दिया हुआ हो अथवा नहीं।

These are the 5 demands made by them on the 19th. In the matter of promotion it has been decided that about 1400 worker will be promoted to next higher grade. The Joint Negotiating Committee will continue to have talks with the unions about other demands. There is a separate committee to review promotion policy and it will give its decision time to time. A.I.T.U.C. and I.N.T.U.C. had not any special demand.

An Hon. Member: Is there any conspiracy in it?

Shri George Fernandes: The settlement took place on the 26th. On the 27th the work was resumed. It oftenly happens that when there are two organisations and one organisation is agreed to reach at any settlement the other organisation tries to show that that is more strong and does not sign the settlement. This may be the reason for A.I.T.U.C. and I.N.T.U.C to not to sign the settlement.

Dr. Laxminarain Pandeya: The Minister has stated that the promotion policy was defective and that is why about 1400 workers will be promoted. What action is being taken against the officer due to whose bad behaviour the worker compelled to go on strike. What steps are being taken to avoid strike in future ?

I want to know from the Hon. Minister whether it is a fact that the management of B.H.E.L. is repeatedly saying that some of the units will be wind up and due to this there is discontentment amongst the workers there ?

B.H.E.L. is a big establishment in Madhya Pradesh. It is a well known establishment and it has contracts with foreign countries. It is exporting heavy machines to foreign countries. But the artisans working there have not been promoted for the last twelve years, whereas the officers have been promoted thrice in five years. I want to know whether this is also one of the reasons for the discontentment there ? The promotion Committee should go in depth in regard of promotion policy so that such situation does not arise again in future. What is the factual position regarding winding up of some units there ?

Shri George Fernandes: Mr. Speaker promotion was the main issue raised during the strike in B.H.E.L. No other matter was raised during the strike period. Now there is a Committee to look into promotion policy and if there will be any lacuna in promotion policy that will be removed. It seems that timely action has not been taken for giving promotion to the workers. There has been delay in it.

At present I have no information about winding up or transfer of any unit of B.H. E.L. I hope we would be able to evolve a suitable policy in regard to promotion.

श्री के० राम मूर्ति : क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि क्या यह सही नहीं है कि आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी० आदि ने दो वर्ष पूर्व पदोन्नति के बारे में कुछ मांगें रखी

थीं ? क्या यह भी सही है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा संघों को समर्थन देने के कारण इस तरह की हड़ताल हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछिये अधिक नहीं ?

श्री के० राम मूर्ति : क्या यह सही नहीं है कि यद्यपि ये मांगे दो वर्ष से की जा रही थी तथापि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पदोन्नति नीति बनाने के लिए आदेश नही दिए ? कार्यकारी निदेशक यह तय करने के इच्छुक नहीं थे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह कहना सही नहीं है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कोई पदोन्निति नीति नहीं थी। वास्तविकता तो यह है कि ए० आई० टी० यू० सी०, आई० एन० टी० यू०सी० आदि सहित 20 संघों द्वारा किए गए समझौते में कहा गया है "यह स्वीकार किया जाता है कि परिषद् द्वारा पदोन्नति में परिवर्तन करने के लिए दिए गए सुझावों पर व्यापक रूप से विचार किया जायेगा..." अन्य शब्दों में यों कहा जा सकता है कि वहां पदोन्नति नीति है । उसमें कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। संघों ने भी कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिए है। यह कहना दूसरी बात है कि वहां पदोन्नति नीति नहीं है। किन्तु ऐसी नीति है और उसमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है।

जहां तक ए० आई० टी० यू० सी० तथा आई० एन० टी० यू० सी० संघों द्वारा पदोन्नति नीति में परिवर्तन करने की मांग का सम्बन्ध है, ये मांगे स्वयं कर्मकारों की है । मैंने यह बात दोहरा दी है कि यह कैसे आरम्भ हुआ और कैसे इसका अन्त हुआ । गत 20 वर्षों में प्रत्येक संघ ने अपना मांग पत्र पेश किया है । संघ निरन्तर अपनी मांगें रखते हैं और मेरा विचार है कि आई० एन० टी० यू० सी० तथा ए० आई० टी० यू० सी० ने भी पदोन्नति तथा कर्मकारों से संबंधित अन्य बातों के बारे में मांग की होगी।

Shri Nathu Singh : Mr. Speaker whenever the workers or employees place their demands before the Government or Industrialists, due sympathy is not given to their demands which lead strikes. When the situation becomes worse and the production is affected, only then the Government pay her attention to that. I want to know whether the Government will formulate any scheme under which the justified demands of workers will be given due consideration before the workers start agitation or go on strike and whether it will be also decided that undue demands will not be accepted even after they go on strike.

Shri George Fernandes : This question relates to Ministry of Labour. However I can say that this matter is under Government's consideration.

Shri Mani Ram Bagri : Mr. speaker one of the important question is that whether there is right to go on strike or not. I want to know whether Janta Government will change the policy of the previous Govt. in respect of workers/what is the difference in Labour Policy of previous Government and this Government. The Labour policy of this Government should be clearly spelt out.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Complaints about Colours and Designs of Controlled Cloth

*798. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

a) whether Government have received complaints from the Super Bazar and other consumer cooperative societies and retailers through the National Consumer Cooperative

Federation that the colours and designs of the controlled cloth are unattractive and outmoded and are not popular among the consumers as a result of which thousands of bales of such cloth are lying unsold; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to improve the situation ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) Government have not received any complaints of largescale accumulation of controlled cloth lying unsold. The total stocks of controlled cloth so far reported by the nominees of 20 States and 8 Union Territories as on 31st May, 1977 was only 1552 bales which has to be considered as pipeline stocks when compared to the monthly allotment of 22,000 bales. No formal complaints regarding unpopularity of colours or designs of controlled cloth have been lodged either with the Textile Commissioner or with the National Cooperative Consumers Federation. In reply to a recent specific inquiry made by the NCCF in June, 1977, however, some nominees of the State Governments have mentioned complaints of a general nature about unattractive designs and unpopular colours, which could not be sustained as the cloth was accepted by them after checking the sample.

2. According to the prescribed procedure, after controlled cloth produced by the mills are allocated to different States by the Textile Commissioner, the sample of each variety of controlled cloth is sent by the mills concerned to the State nominees to enable them to check the quality, colour and design before accepting the allocation and giving instructions for despatch of the controlled cloth to a particular consignee in a district. The State nominees, therefore, have an opportunity to check the colour and design and decide whether these are acceptable to the people of the State before accepting the allotment. Preference for colours and designs vary from region to region and any cloth which is not accepted by a particular State is reallotted to another State where such colours and designs are acceptable. Genuine complaints should, therefore, relate to cases where the cloth actually supplied do not conform to the samples sent by the mills. In such cases, formal complaints have to be filed by the consignees with the Textile Commissioner and the National Cooperative Consumers Federation for further investigation and punitive action against the mills concerned. No such formal complaints have been lodged by any of the consignees since January, 1977, stating that the cloth supplied did not conform to the sample.

गोआ में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

*800. **श्री एडुआर्डो फैलीरा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोआ में निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का सही-सही स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उगाने वाले किसानों को सहायता

*801. **श्री डी० डी० देसाई : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के मूल्यों में अलाभप्रद स्तर तक गिरावट आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों की सहायता करने का है जिससे किसान के पास जो स्टाक है वह वर्षा के दौरान खराब होने से बच जाये तथा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी आर्थिक हानि न हो ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) धुएं से सुखाए गये (एफ० सी० वी०) तम्बाकू की, जो निर्यात की प्रधान किस्म है, कीमतें पिछले वर्षों

के मुकाबले स्थिर या अपेक्षाकृत ऊंची रही हैं। परन्तु प्रमुखतः गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र में उगाए जाने वाले बीड़ी के तम्बाकू और पश्चिम बंगाल में उगाए जाने वाले मोतिहारी तथा खाटी तम्बाकू की कीमतों में इस वर्ष के दौरान कुछ हद तक गिरावट आई है जब कि पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची रही है। उन वर्षों में कीमतें ऊंची होने का कारण उत्पादन में गिरावट था।

एफ सी० वी० तम्बाकू का स्टाक जमा हो जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। बताया जाता है कि गुजरात में बीड़ी के तम्बाकू का स्टाक जमा हो गया है।

बीड़ी के तम्बाकू की निर्यात मांग बहुत सीमित है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्यातित बीड़ी के तम्बाकू की अधिकतम मात्रा 4582 मे० टन थी जिसका 1975-76 में निर्यात हुआ था। राज्य व्यापार निगम ने बीड़ी के तम्बाकू के लिये निर्यात बाजार हासिल करने की सम्भाव्यता का अध्ययन किया किन्तु उनकी राय है कि वह आशावर्द्धक नहीं है और इसे स्वदेशी बीड़ी उद्योग द्वारा खपत के लिये स्वदेश में ही बेचना होगा।

Loans advanced to Scheduled Castes and Scheduled Tribes through Rural Banks

*802. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state;

(a) the amount of loans advanced to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes through rural banking during the emergency period; and

(b) whether Government propose to wind them up or increase their number and if more rural banks are to be opened, by what time that would be done and the outlines of the scheme in this regard ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel): (a) Regional Rural Banks do not maintain separate statistics on the basis of caste of their borrowers.

(b) The Reserve Bank of India have set up a Committee under the Chairmanship of Prof. M.L. Dantwala to review the working of the Regional Rural Banks. The Committee is expected to report in about three months. The future policy frame in respect of the Regional Rural Banks will be determined in the light of the recommendations of the Committee.

विमान परिचारिकाओं की भर्ती

*803. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान परिचारिकाओं की भर्ती के लिये कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समाज के कमजोर वर्गों से महिलाओं की भर्ती के लिये कोई रक्षोपाय किये गये हैं ;

(घ) क्या बम्बई और दिल्ली में केवल अधुनातन समाज से महिलाओं की भर्ती करने के बारे में कोई योजना चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) विमान परिचारिकाओं के पदों पर भर्ती करना इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है।

(ग) जी, हां। सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया को जारी किये गये निर्देश में विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है और यह आरक्षण विमान परिचारिकाओं के पदों पर भर्ती करने के मामले में भी लागू होता है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में कुछ विशेष रियायतें भी लागू होती हैं और परीक्षाओं तथा प्रशिक्षण के संबंध में भी उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में पर्यटक कार्यालयों का पुनर्गठन

*804. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में पर्यटन विभाग के बड़ी संख्या में कार्यालय काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यालयों का उन पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए उपयोगिता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार विदेशों में फैले पर्यटक कार्यालयों को पुनर्गठित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि विदेशों में स्थित अलग-अलग पर्यटन कार्यालयों का कोई औपचारिक लागत लाभ सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (नेशनल काउन्सिल ऑफ एम्प्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च) में माध्यम से भारत में पर्यटन के लागत लाभ अनुपात का एक गहन अध्ययन आयोजित किया था । विदेशी मुद्रा के कुल खर्च की दृष्टि से, जिसमें 1972-73 में पर्यटन कार्यालयों पर हुआ व्यय भी सम्मिलित था, भारत के लिये पर्यटन को बढ़ावा देने की लागत उस वर्ष पर्यटकों से होने वाली कुल आय का 5.1 प्रतिशत थी। इस स्वतंत्र संगठन के जांच परिणामों के अनुसार विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों पर हुआ खर्च पर्यटन से होने वाली कुल आय के 5.1 प्रतिशत का लगभग एक तिहाई था। दूसरे शब्दों में यह खर्च पर्यटन से होने वाली कुल आय के मुकाबले में बहुत थोड़ा था।

(ग) विदेशों में पर्यटन कार्यालयों के स्थान निर्धारण के बारे में सरकार एक बड़ी ही व्यावहारिक नीति अपनाती है। पर्यटन विभाग ने वहां नये पर्यटन कार्यालय खोले हैं जहां पर्यटक सम्भवनाऐं अधिक हैं और वहां कार्यालय बन्द कर दिये हैं जहां पर्यटक संभावनाएं सीमित पायी गयी हैं।

Export of Indian Goods to developing Countries

*805. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether special efforts have been made by Government for promoting export of Indian goods to developing countries; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) The new government is intensifying its efforts to promote exports by opening of offices by public and private sector trade organisations, inviting trade delegations, participation in trade fairs and exhibitions etc.

(b) It is too early to indicate the results.

एकाधिकारवादी गृहों को ऋण सुविधायें

*806 **श्री के० रामामूर्ति :**

श्री वयालर रवि :

क्या **वित्त और राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकारवादी गृहों को मिलने वाली ऋण सुविधाओं में कोई ढील दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योगों तथा निर्यातकर्ताओं के लिए नीति में किस सीमा तक ढील दी गई है।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 मई, 1977 को घोषित ऋण नीति का मूल उद्देशय मुद्रा-विस्तार को रोकना किन्तु साथ ही पूंजी-निवेश का संवर्धन, उत्पादन और निर्यात में सहायता तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ाना है। यद्यपि एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन दर्ज किये गये 69 बड़े उद्योग समूहों के पक्ष में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ऋण नीति में कोई छूट नहीं दी गयी है, किन्तु उनकी वास्तविक उत्पादन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये बैंकों ने उन्हें ऋण सुविधाएं देना उसी प्रकार जारी रखा जैसे कि वे अन्य ऋणकर्त्ताओं के बारे में करते हैं। बैंक इन मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम सावधानी बरतते हैं कि ऋणकर्त्ताओं द्वारा अपनी तत्काल विधिसम्मत आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम राशियां उधार ली जायें और जिस प्रयोजन के लिए ये उधार ली जायें, उसी के लिए खर्च की जायें।

निर्यात और दीर्घावधि पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अपने 27 मई, 1977 के परिपत्र द्वारा बैंकों से नीचे लिखे अनुसार कहा है :—

(i) वे उद्योगों को कम-से-कम तीन वर्ष के लिए, पूंजी निवेश के वास्ते जो मीयादी ऋण दें उस पर (ब्याज-कर समेत) ब्याज दर 12.5 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ii) पुनर्वित्तपोषण की नयी नीति के अधीन बैंक, निर्यात ऋण के 1976 के वार्षिक औसत से अधिक निष्पादन के 50 प्रतिशत तक पुनर्वित्तपोषण का हकदार होगा।

(iii) मार्च, 1978 तक निर्यात ऋण विषयक पुनर्वित्तपोषण केवल 10.5 प्रतिशत की दर से होगा।

अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को गुड़ का निर्यात

*807. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 के मौसम में गुड़ का उत्पादन देश में इसकी मांग से अधिक हुआ;

(ख) यदि हां, तो देश के विपणन केन्द्रों में कितना गुड़ अनबिका पड़ा है;

(ग) क्या गन्ना-उत्पादकों ने सरकार से अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को गुड़ निर्यात करने का अनुरोध किया है; और

(घ) गुड़ उत्पादकों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिये उनकी सहायता करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1976-77 के संबंध में गुड़ उत्पादन के प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें सामान्यतः चीनी मौसम समाप्त होने के बाद संकलित किया जाता है।

(ख) आर्थिक तथा सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय को उनके क्षेत्रीय बाजार एककों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु स्थित उत्पादन क्षेत्रों में भारी मात्रा में गुड़ के भंडार उपलब्ध हैं। तथापि, देश के विभिन्न बाजार केन्द्रों में गुड़ के संचित भंडारों का सही प्राक्कलन देना संभव नहीं है।

(ग) तथा (घ) गुड़ के निर्यात के संबंध में गन्ना उपजकर्ताओं/व्यापारियों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, चूंकि गुड़ आम खपत की वस्तु है और चल रही ऊंची कीमतों तथा आन्तरिक बाजार कीमतों पर इसके निर्यात के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं उन्हें देखते हुए, बहुत थोड़ी मात्राओं को छोड़कर, सामान्यतः इसके निर्यात की अनुमति नही दी जाती है। ऐसी आशा है कि व्यापारियों के पास गुड़ के विद्यमान भंडार, बिना किसी आर्थिक कठिनाई के घरेलू बाजार में बिक जाएंगे।

यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई अग्रिम राशियां

*808. **श्री शंकर सिंह जी बघेला :**
श्री अनन्त दवे :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राष्ट्रीयकृत यूनियन बैंक आफ इंडिया ने बहुत सी पार्टियों को करोड़ों रुपये की जाली अग्रिम राशियां दी थीं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी राशि अग्रिम राशि के रूप में दी गई तथा किन-किन पार्टियों को दी गई;

(ग) क्या इन अग्रिम राशियों की वसूली संदेहपूर्ण है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि उसने करोड़ों रुपये के जाली अग्रिम राशियां स्वीकृत नहीं की हैं। अलबत्ता बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दो प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा की गयी जालसाजी और धोखादेही के परिणामस्वरूप बैंक की भोपाल शाखा से 28,100 रुपये के दो जाली अग्रिम मंजूर हो गये थे। इनके अतिरिक्त मुबारकपुर शाखा के मैनेजर द्वारा 11 पार्टियों का 50,800 रुपये की अग्रिम मंजूर किये गये थे। इन जाली पार्टियों के नाम और उनमें से प्रत्येक पर बकाया रकम अनुबन्ध में प्रस्तुत है।

जहां तक भोपाल शाखा द्वारा जाली अग्रिम राशियां मंजूर करने का संबंध है, इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गयी थी और इसके परिणामस्वरूप दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। किन्तु वे व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिये गये और पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। बैंक सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध अलग से एक जांच कर रहा है।

मुबारकपुर शाखा के मामले के बारे में ब्रांच मैनेजर को जिम्मेदार पाया गया और उसे जनवरी, 1975 से बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी जांच की और उसके परिणामस्वरूप ब्रांच मैनेजर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(1)(ग) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन आरोप पत्र दिये गये और निचली अदालत से सजा दी गयी। अब यह मामला अपील में उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

बैंक के अनुसार इन अग्रिमों की वसूली संदिग्ध है और इसलिए बैंक ने इस पूरी रकम के लिए "अशोध्य और संदिग्ध ऋण" शीर्षक के अधीन पूरी व्यवस्था कर दी है।

विवरण

खाते का नाम	बकाया राशि रुपयों में	मंजूर करने का वर्ष	शाखा	अग्रिम का प्रकार
1	2	3	4	5
1. श्री विश्वनाथ गुप्ता	5,000	1971	मुबारकपुर	छोटे व्यापारियों और छोटे व्यावसायिकों को ऋण
2. श्री नन्द लाल यादव	5,000	1971	–तदैव–	
3. श्री सत्य नारायण	5,000	1971	–तदैव–	
4. श्री दीन मुहम्मद	5,000	1971	–तदैव–	
5. श्री राम धारी	4,000	1971	–तदैव–	
6. श्री कमल साव	3,000	1971	–तदैव–	
7. श्री मुहम्मद अमीन	4,000	1971	–तदैव–	
8. श्री हरी लाल	5,000	1971	–तदैव–	
9. श्री लाल चन्द	5,000	1971	–तदैव–	
10. श्री निजामुद्दीन	5,000	1971	–तदैव–	
11. श्री मुहम्मद हसन	5,000	1971	–तदैव–	
12. श्री कृष्ण कुमार	12,600	1974	भोपाल	कृषिक ऋण
13. श्री मिट्ठू लाल	15,580	1974	भोपाल	

Import of Stainless Steel through S. T. C.

*809. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to import stainless steel through State Trading Corporation and whether it will be imported in the form of sheets or bars;

(b) if so, the procedure to be adopted for its allotment to factories in the country; and

(c) whether Government propose to allot quota of stainless steel at prescribed rates to educated unemployed persons who can take up manufacture of various types of items from stainless steel?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Import of stainless steel sheets, strips and plates is canalised through MMTC.

(b) Import of stainless steel sheets/strips of 0.8 mm and thinner gauges is covered under the scheme of direct allotment. Actual users, both in large and small scale sector, are required to register their twelve months' requirements with the MMTC. In respect of

stainless steel plates and sheets/strips thicker than 0.8 mm, the actual users are required to register their 12 months' requirements with the Iron & Steel Controller, Calcutta, who arranges to supply the material from domestic sources to the extent possible and the balance requirements are imported by MMTC on his advice.

(c) There is no proposal to specially allot quota of stainles steel to educated unemployed persons. However, any such proposal may be considered on merits.

बम्बई में आयातित रुई की गांठों का जमा हो जाना

†810. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित रुई की लाखों गांठें बम्बई में पत्तनों पर पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पत्तनों पर इतना अधिक माल इसलिए जमा हो गया है कि कपड़ा मिलों के मालिकों ने जान बूझकर माल लेने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) क्या सरकार से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिये यह उनकी नीति का एक अंग है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

Excise duty on Hand-press printed tins

811. **Shri Ram Prakash Tripathi** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether hand-press printed tin containers manufacturing industry is facing closure as a result of levy of excise duty at the rate of 15% w.e.f. February, 1977 without bringing forward appropriate amendment in the relevant laws; and

(b) whether Government propose to take steps to protect this hand-press industry manufacturing tin containers; and if so, in what matter?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) By a notification issued on 1-5-1970 excise duty was exempted on metal containers "in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power". The scope of the aforesaid expression was examined in February, 1977. The legal opinion was that the metal container produced from sheets the printing on which was done with the aid of power and was specific or special to a particular manufacturer would not be entitled to the duty exemption referred to above, even though the remaining processes of manufacture of such metal continers had been carried on without the aid of power. Following the communication of that legal opinion, steps were taken by the field officers to bring under excise control those hand pressed tin containers in the manufacture of which sheets of the above type were being printed with the aid of power.

As pointed out above, the duty on metal containers produced by the said hand press units was collected as a result of the legal opinion on the scope of the duty exemption notification. There was thus no question of bringing forward amendment in the relevant laws.

The representations received from these units are receiving attention.

सहकारिता के अन्तर्गत हथकरघों संबंधी शिवारामण समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करना

*812. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवारामण समिति ने सिफारिश की है कि कम से कम 60 प्रतिशत हथकरघे सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत होने चाहियें।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो सारे हथकरघा उद्योग में सहकारिता क्षेत्र का अंश इस समय क्या है और सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख): हथकरघा उद्योग संबंधी शिवरामण समिति ने यह सिफारिश की है कि पांचवी योजना अवधि के अन्त तक 60 प्रतिशत हथकरघे सक्रिय सहकारी समितियों के अन्तर्गत लाये जाने चाहिए । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

(ग) 1975-76 वर्ष में राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से प्रकट होता है कि 38 लाख हथकरघों में से केवल 30 प्रतिशत ही सहकारिता क्षेत्र के अधीन शामिल किये गये हैं। यह भी महसूस किया गया कि इन करघों में से भी केवल 15 प्रतिशत ही कारगर रूप में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत थे । पहले के वर्षों में कायम की गई तथा पंजीकृत की गई सहकारी समितियां या तो निष्क्रिय बन गई थीं या बेकार । कई मामलों में प्रभावी उत्पादन कार्यक्रम के अभाव में सहकारी समितियों द्वारा चलाये जा रहे करघे निष्क्रिय पड़ गये हैं।

2. सहकारिता क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाने तथा इस क्षेत्र में 60 प्रतिशत करघों को शामिल करने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 1976-77 से, जो कि हथकरघा उद्योग की केन्द्रीय योजना का प्रथम वर्ष है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक उपायों की शुरूआत की गई है।

3. वे हैं :

(i) हथकरघा सहकारी समितियों की कमजोरी के लिये जिम्मेदार कारणों को जानने के लिये राज्य सरकारों के साथ गंभीरतापूर्वक बातचीत की थी। राज्य सरकारों को उन समितियों का शीघ्र ही सर्वेक्षण करने के लिये भी सलाह दी गई थी जो निष्क्रिय है, जो फिर से चालू की जा सकती है, जिन्हें समाप्त कर दिया जाना है तथा जो काम कर रही है। वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ii) चूंकि अधिकांश बुनकर बहुत गरीब हैं तथा सहकारी समितियों में शेयर नहीं खरीद सकते हैं, अतः केन्द्रीय सरकार ने एक योजना लागू की है जिसके अधीन प्रत्येक बुनकर केवल 10 रु देकर सहकारी समिति में भागीदार बनसकेगा । बुनकर को ऋण के रूप में 90 रु० की धनराशि दी जाती है ताकि उसके शेयर 100 रु० के मूल्य के हो सकें । इसी प्रकार राज्य सरकारें निष्क्रिय समितियों में शेयर पूंजी लगाकर उन्हें सक्रिय बना रही हैं। इस कार्यक्रम के अधीन अपेक्षित धनराशि बराबर के अंशदान के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी जाती है। यह भी बताया गया है कि 1976-77 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिये गये 50 लाख रु० से एक लाख से अधिक करघे सहकारिता क्षेत्र के अधीन लाये गये हैं। ऐसी आशा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले 2.35 करोड़ रु० तथा इतनी ही राशि राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने से 1977-78 के दौरान 4 लाख से अधिक करघे सहकारी समितियों के अधीन लाये जायेंगे।

(iii) चूंकि नई स्थापित की गई तथा जो पुनः चालू की गई हथकरघा सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया की हथकरघा वित्त योजना के अधीन सहकारी बैंक से कार्यकारी

पूंजी वित्त की आवश्यकता है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई तथा उसके फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन योजनाओं का परिचालन करने वाले मानदण्डों एवं पद्धतियों में काफी सुधार किये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि जहां 1975-76 के दौरान देश में हथकरघा सहकारी समितियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की सीमा कुल मिलकार केवल .20 करोड़ रुपये थी, वहां 1976-77 के लिए ऋण सीमा 25.04 करोड़ रुपये थी और वर्ष 1977-78 के लिए जून 1977 तक ऋण सीमा कुल मिलाकर 25.60 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। आशा है कि राज्य सरकारें रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की जा रही ऊंची ऋण सीमा का पूरा लाभ उठायेंगी और बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन-सह-बिक्री कार्यकलापों को सुधारेंगी।

(iv) साथ ही बुनकरों की शीर्ष विपणन समितियों के शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वे प्राथमिक समितियों द्वारा उत्पादित माल को अधिक खरीद सकें। यह अनुभव किया गया है कि तब तक प्राथमिक तथा शीर्ष समितियों के बीच यह सम्बन्ध प्रभावी रूप से स्थापित नहीं किया जाता, तब तक शीर्ष समितियां अर्थक्षम तरीके से कार्य नहीं कर सकती। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी विभिन्न योजनाओं के जरिए शीर्ष समितियों को वित्तीय सहायता देकर हमारे प्रयासों में सहयोग दे रहा है।

(v) सहकारी क्षेत्र में बुनकरों के हित में करघा-पूर्व तथा करघा पश्चात् साधित करने की सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

4. वास्तविक अनुभव तथा निम्नकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 60 प्रतिशत के प्रभावी कवरेज का जो लक्ष्य है उसे फिर से क्रमबद्ध करने की आवश्यकता हो सकती है :—

(1) सहकारी समितियों को केवल कागजों पर तयार करना/पुनः चलाना काफी नहीं है। इस प्रकार स्थापित की गई समितियों में पदधारी समर्पण भावना वाले होने चाहिएं तथा सक्षम प्रबन्धकीय एवं तकनीकी स्टाफ होना चाहिए जो कुशलतापूर्वक समितियां का कार्य चला सके। चूंकि यह व्यवस्था सारे देश में समान रूप से एक ही रफ्तार से नहीं चलायी जा सकती अत : समितियों की संख्या एक दम बढ़ाने की अपेक्षा धीरे-धीरे बढ़ानी होगी।

(2) लाभप्रद उत्पादन-सह-बिक्री समितियों के रूप में चलाने की अपेक्षा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से सहकारी समितियां बनाने की किसी भी प्रवृत्ति से बचना है। समितियां अच्छी तरह से संगठित की जानी चाहिए।

(3) प्राथमिक समितियों के उत्पादन कार्यक्रम अधिकांशतः शीर्ष स्तर पर उपलब्ध विपणन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। चूंकि हथकरघा माल सहित वस्त्र माल की बिक्री सूती वस्त्रों की उपभोक्ताओं की मांग तथा पसन्द से सीधी जुड़ी हुई है अतः हथकरघा क्षेत्र में अधिक उत्पादन से यह नहीं समझा जा सकता कि उससे उत्पादों की उतनी ही बिक्री होगी। अतः सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विपणन व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अन्यथा तैयार किया गया माल जमा हो सकता है और उससे बुनकरों को परेशानी हो सकती है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में हथकरघा सहकारी समितियां

राज्य का नाम	हथकरघों की संख्या	सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या	समितियों की कुल संख्या	कार्य कर रहीं समितियों की संख्या	उन समितियों की संख्या जो निष्क्रिय हैं परन्तु फिर से चलाई जा सकती हैं	उन समितियों की संख्या जो निष्क्रिय हैं और जिनका परिसमापन करना हैं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
असम . .	5,30,000	47,820	1537	692	741	104	
आन्ध्र प्रदेश	5,02,000	1,08,900	1015	611	80	324	
तमिलनाडु	3,56,000	1,50,000	876	836	24	16	
बिहार	2,00,000	1,75,000	1236	479	757	उपलब्ध नहीं हैं	
मणिपुर	2,50,000	13,000	362	311	51	उपलब्ध नहीं हैं	
पश्चिम बंगाल .	1,98,585	67,708	1180	619	561	उपलब्ध नहीं हैं	
महाराष्ट्र . .	1,85,000	72,000	579	486	49	44	
उड़ीसा . .	1,04,188	50,027	590	201	44	345	*275 का पहले ही परिसमापन किया जा चुका हैं
कर्नाटक . .	1,37,000	1,06,000	786	444	89	253	
केरल . .	3,10,000	25,000	439	254	70	135	
उत्तर प्रदेश	5,09,400	2,29,300	2764	1701	510	553	
हरियाणा .	50,000	6,960	448	357	91	उपलब्ध नहीं हैं	
पंजाब . .	46,500	10,280	781	355	उपलब्ध नहीं हैं	उपलब्ध नहीं हैं	
नागालैंड .	57,000	13,200	14	5	कुछ नहीं	9	
जम्मू तथा कश्मीर	90,030	उपलब्ध नहीं है	24	18	6	कुछ नहीं	
मध्य प्रदेश .	58,000	17,000	226	157	45	23	
गुजरात . .	36,000	4,300	149	97	35	17	
राजस्थान .	41,000		575	33	142	400	
पांडिचेरी . .	3,169	1,984	9	9	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
दिल्ली . .	4,000	1,419	122	106	11	6	

1	2	3	4	5	6	7	8
मेघालय .	—	1,427	53	46	7	कुछ नहीं	
हिमाचल प्रदेश	2,136	1,470	65	12	37	16	
मिजोरम .	उपलब्ध नहीं हैं	उपलब्ध नहीं हैं	16	12	1	3	
सिक्किम .	250	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
	36,70,258	11,02,795	13,846	7,841	3,351	2,248	

Export of Indian Goods to Arab and African Countries

*313. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have made special efforts to export the Indian goods to the Arab and African countries; and

(b) if so, the likely outcome of the efforts made in this regard?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Continuous efforts are being made to boost our exports to the Arab and African countries by taking measures such as :

(i) entering into Trade Agreements with some of the countries;

(ii) participating in the important international trade fairs held in these regions; and organising exclusive Indian exhibitions;

(iii) sending business delegations to these countries as also inviting business delgations from those countries;

(iv) improving our commercial presence by opening offices of public sector units and others in important trade centres of these regions; and

(v) disseminating tender information as well as project information emenating from these regions amongst the various exporting interests in India.

(b) All these efforts have produced encouraging results and our exports to Arab and African countries have gone up from Rs. 235.05 crores during 1973-74 to Rs. 589.48 crores during 1975-76. It is expected that this increasing trend will continue.

नई दिल्ली में पैसीफिक एरिया ट्रैवल एसोसियेशन सम्मेलन

†814. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैसीफ़िक एरिया ट्रैवल एसोसियेशन सम्मेलन, जनवरी, 1978 में नई दिल्ली में होगा ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिनिधियों के आने की आशा है तथा उनके आवास की आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : क) जी हां, प्रशांत क्षेत्र यात्रा संस्था (पी० ए० टी० ए०) का 27वां वार्षिक सम्मेलन 23 से 26 जनवरी, 1978 तक नई दिल्ली में होगा।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि 1400 से 1600 तक प्रतिनिधि, अपनी पत्नियों अथवा पतियों सहित, इस सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 150 से 200 तक होने का अनुमान है। दिल्ली में चुने हुए तथा अनुमोदित होटलों में 1645 कमरे रोक दिये गए हैं।

Import Licence of Machinery to Indian Express Group of Newspapers

6290. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Indian Express Group of Newspapers asked Government for import licence of machinery during the last three years; and

(b) if so, whether these were granted and if not, the reasons for refusing the same and whether such action was taken for political reasons?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) : Applications for the import of printing machinery by newspaper establishments are required to be made through the Registrar of Newspapers for India. Details of applications of the Indian Express Group of Newspapers which were received by the Chief Controller of Imports and Exports from the Registrar of Newspapers of India, during the last three years, viz., 1974-75, 1975-76 and 1976-77, and the decision thereon are given below

(i) One slug casting machine valued Rs. 35,721 from USSR	Rejected on account of availability from indigenous sources.
(ii) Goss Metro Offset Press valued Rs. 90,31,000 from UK	Rejected on the advice of the Registrar of Newspapers for India.
(iii) Goss Head Liner Letter Press valued Rs. 41,79,000 from UK	
(iv) 8 second-hand Lino type machines valued Rs. 5 lakhs from USA.	Import licence granted on 9-6-1977.

शहरों का वर्गीकरण

6291. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार शहरों को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पुनः वर्गीकृत करना आवश्यक समझ रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Morphine Producing Factory in Kota

6292. **Shri Krishna Kumar Goyal:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state whether Government propose to set up a morphine producing factory in Kota district of Rajasthan because opium is grown in abundance there?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : Government are considering a proposal to set up a plant for extraction of alkaloids from Lanced Poppy Capsules in the poppy growing areas of Madhya Pradesh and Rajasthan. Final decision about location of the plant has not yet been taken.

बंगाल सर्किल के स्टेट बैंक आफ इंडिया में चुने गये कैशियरों/क्लर्कों के पैनल का रद्द किया जाना

6293. **श्री ए० के० साहा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल सर्किल के स्टेट बैंक आफ़ इंडिया ने उचित रूप से चुने गए कैशियरों/क्लर्कों के पैनल को उस समय रद्द कर दिया जब उम्मीदवार निर्धारित आयु से अधिक आयु के हो गए थे;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के विशेषकर कलकत्ता के सभी भर्ती केन्द्रों में ऐसे कैशियरों के पैनल को दो/तीन वर्ष तक विचाराधीन रखा गया ;

(ग) क्या रोजगार की आशा में पैनल रखा गया था परन्तु रिक्त स्थानों की कमी के कारण अचानक रद्द कर दिया गया तथा साथ ही दो महीने के भीतर भर्ती करने का विज्ञापन कर दिया गया ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कम से कम उन कर्मचारियों को, जो इस समय अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, लेने हेतु स्टेट बैंक को अनुदेश देने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने दिसम्बर, 1975 में यह निर्णय किया था कि विभिन्न भर्ती क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिये वैध रखी जाये। इस निर्णय से पूर्व प्रतीक्षा-सूचियां उस समय तक वैध रखी जाती थीं जब तक कि उस भरती-क्षेत्र में नयी भरती परीक्षा नहीं हो जाती थी।

बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उम्मीदवारों की प्रतीक्षा-सूचियां जो एक वर्ष पुरानी हो चुकी थीं बैंक की इसी नीति के अनुसार अवैध कर दी गई हैं न कि रिक्तियों की कमी के कारण। यह नीति सभी कार्यालयों में अनुपालित की जा रही है, केवल कलकत्ता को छोड़कर, जहां उस प्रतीक्षा-सूची में से जो रद्द हो जानी चाहिए थी तीन उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया था। बैंक ने सूचित किया है कि यह अपवाद विषम परिस्थितियों में ही किया गया था। बैंक ने यह भी आश्वासित किया है कि ये नियुक्तियां पूरी तरह से मैरिट के आधार पर की गयी थीं। बैंक ने कलकत्ता स्थित सर्किल कार्यालय को चेतावनी दे दी है कि भविष्य में इन निर्देशों का पालन पूरी तरह से हो।

यह हो सकता है कि इस दौरान इन रद्द सूचियों के उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवार अधिक आयु के (ओवर एज) हो गये हों। भारतीय स्टेट बैंक ने नियुक्ति के लिये इन मामलों पर विचार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। बैंक ने सूचित किया है कि ऐसे उम्मीदवारों को बैंक में नियुक्त करने के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा सहायक बैंकों के कर्मचारियों को गोआ भत्ता देना

6294. **श्री अमृत कासर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ़ इंडिया एण्ड सबसिडियरी बैंक्स एम्पलाइज यूनियन (गोआ यूनिट) ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें यह मांग है कि विशेष गोआ भत्ते की अदायगी की जाये जो आपातस्थिति के दौरान मनमाने ढंग से बंद कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोआ में बैंक कर्मचारियों को गोआ भत्ता देने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और अनुषंगी बैंक कर्मचारी संघ (गोआ) यूनिट ने गोआ-भत्ता जारी किये जाने संबन्धी एक ज्ञापन दिया था। बैंक, गोआ स्थित शाखाओं में कार्यरत अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता दे रहा था जिसे गोआ भत्ता कहा जाता था और इसे 1962 में गोआ-मुक्ति के समय से, गोआ में मौजूद प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागू किया गया था। इस प्रकार भत्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा गोआ में कार्यरत अपने कर्मचारियों को भी दिया जाता था। गोआ में परिस्थितियों के सामान्य हो जाने पर, सरकार ने 1-4-69 से अपने कर्मचारियों को गोआ भत्ते की अदायगी बंद कर दी। यद्यपि बैंक इस भत्ते को बंद करने के लिये अपने कर्मचारी संघों/संगठनों से बातचीत करता रहा लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में, भारतीय बैंक संघ ने इस मामले पर विचार करने के बाद 1-11-76 से इस भत्ते को बंद कर देने का निर्णय कर लिया।

(ख) बहुत से बैंकों में काफ़ी संख्या में औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गये और उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत निर्णय के लिये औद्योगिक ट्रिब्यूनल (इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल) को भेज दिया गया है।

परन्तु भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक और अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ़ इंडियन स्टाफ़ फ़ैडरेशन, (भारतीय स्टेट बैंक और अनुषंगी बैंक कर्मचारी संघ जिसका एक घटक है) के बीच एक करार हो चुका है कि यह भत्ता चार बराबर वार्षिक किस्तों में वापस लिया जायेगा जिसकी पहली किस्त 1 जुलाई, 1977 से प्रारम्भ होगी।

हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली में पर्यटन कम्पलैक्स की स्थापना

6295. **श्री किशोर लाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुतुबमीनार के पास और पर्यटन कम्पलैक्स स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली को यदि कोई लाभ हुआ तो क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) ऐसा मालूम हुआ है कि हरियाणा सरकार का एक ऐसा प्रस्ताव है, परन्तु उसके ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

Colouring of Vanaspati Ghee

6296. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to isue directions to give some colour to the vanaspati ghee in order to check it from being adulterated with pure ghee;

(b) whether there is no such colour which, if mixed with vanaspati ghee, would not affect the health adversely;

(c) if there is such a colour, the reasons why the same is not added to vanaspati and if it is not there, whether Government propose to refer the issue to the Scientists; and

(d) if so, when will it be referred?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) No, Sir.

(b), (c) & (d) This matter was considered by a Committee of Experts. After examining a number of colouring matters, the Committee found that none of them was suitable for the purpose. The Committee was of the view that latent colourisation of vanaspati with the compulsory use of sesame oil currently in force would serve the purpose.

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

6297. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार की ओर से उस राज्य के उन विभिन्न जिलों में, जहां यदि विदेशी न सही तो स्वदेशी ही पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावना है, पर्यटन के विकास के बारे में प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो विकास के लिए किन स्थानों को निश्चित किया गया है; और

(ग) इस कार्य के लिए उनके मंत्रालय ने 1977-78 के लिए कितनी धनराशि नियत की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को उड़ीसा में पर्यटन विकास के बारे में राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(i) चिलका झील (जिला पुरी) पर मोटर लांच की व्यवस्था ;
(ii) बारकुल (जिला पुरी) में पर्यटन बंगले का विस्तार ;
(iii) नन्दन कानन (जिला कटक) में सिंह सफ़ारी पार्क का विकास ;
(iv) सिमलोपाल राष्ट्रीय उद्यान (जिला मयूरभंज) में फ़ारेस्ट लॉज का निर्माण ;
(v) कलकत्ता-भारागोडा राष्ट्रीय हाइवे के निकट बांगरोपोसी में शिविर स्थल का विकास ;
(vi) बालोचन्द्रपुर (जिला कटक) में पर्यटक बंगले का निर्माण ;
(vii) पुरी से कोणार्क तक समुद्रतट के साथ-साथ मेरीन ड्राइव का निर्माण ;
(viii) कोणार्क में समुद्रतट पर सुविधाओं का विकास ।

क्योंकि केन्द्रीय क्षेत्र में विकास करने के लिये पर्यटन केन्द्रों का चुनाव मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये उनकी संभाव्यताओं के आधार पर किया जाता है न कि स्थान अथवा राज्यवार आधार पर, केन्द्रीय योजना के अंतर्गत उड़ीसा में भुवनेश्व, पुरी तथा कोणार्क में सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया है ।

पांचवीं योजना में, केन्द्रीय पर्यटन विभाग की कोणार्क में सूर्य मंदिर के चारों ओर के क्षेत्र के लिये एक मास्टर प्लान (भूमि प्रयोग योजना) है जो पर्यटक सुविधाओं की नियमित वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए तथा इस स्थान की प्राकृतिक पर्यावरणात्मक विशेषताओं को सुरक्षित रखने के लिये बनायी गयी हैं ; भुवनेश्वर में भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटक आवास की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अपने यात्री लॉज का विस्तार कर रहा है ; पुरी में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा एक युवा होस्टल का निर्माण किया गया है ; तथा चिलका झील में बिहार के लिए एक मोटर लॉच खरीदने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को 1,62,308 रुपये दिये हैं ।

पुरी से कोणार्क तक मेरीन ड्राइव के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की योजना आयोग को राज्य की पांचवीं योजना में सम्मिलित करने की भी सिफारिश की गयी थी ।

साधनों की कमी और अन्य प्राथमिकताओं के कारण उपर्युक्त (1) से (6) तक तथा (8) पर दी गयी योजनाओं के लिए कोई भी निधि देना सम्भव नहीं हुआ है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क कलक्टरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये श्रेणी 1 और 2 के पदों का आरक्षण

6298. **श्री मोहनलाल पिपिल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई 1977 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क की कलक्टरियों के विभिन्न कार्यालयों में श्रेणी I और II (राजपत्रित) पदों की कुल संख्या कितनी थी और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कुल कितने पद आरक्षित हैं ; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कितने पद अभी तक रिक्त पड़े हैं और कितने पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से इतर उम्मीदवार नियुक्त किये गए हैं और इस प्रकार की नियुक्तियों के कारण क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क के विभिन्न समाहर्तालयों में दिनांक 1-7-1977 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-1 (समूह क) और श्रेणी II (समूह ख) (राजपत्रित) पदों की कुल संख्या का एक विवरण-पत्र संलग्न है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिए इन विभागों के संस्थापनों के पदों से संम्बन्धित कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सामान्य अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि (i) अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के कोटे में भरी गई रिक्तियां; और साथ-साथ (ii) समूह ख से समूह क के निम्नतम स्तर में तथा समूह 'ग' से समूह 'ख' में चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियां, जहां सीधी भर्ती 50% से अधिक नहीं है, 15% की सीमा तक अनुसूचित जातियों और 7½ प्रतिशत अनुसूक्ति जनजातियों के उम्मीदवारों से भरी जानी चाहिएं। इन आदेशों में यह व्यवस्था भी है कि सीधी भर्ती वाली रिक्तियों में (समूह 'ख' और समूह 'क' दोनों में) आयी न्यूनता, कुछ प्रतिबन्धों के अधीन, तीन वर्षों तक आगे ले जायी जानी चाहिए, परन्तु समूह 'क' अथवा समूह 'ख' में पदोन्नति रिक्तियां भरने के मामले में आगे ले जाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) चूंकि, इन विभागों के संस्थापन के पदों से संबन्धित कोई आरक्षण नहीं है अतः, यह प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

1-7-1977 को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्तालयों और सीमा शुल्क गृहों में श्रेणी I और णी II के पदों की स्वीकृत संख्या

क्रम संख्या	समाहर्तालयों/सीमा-शुल्क गृहों के नाम	श्रेणी 1 (समूह क)	श्रेणी 2 (समूह ख)
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्तालय			
1.	अहमदाबाद	36	120
2.	इलाहाबाद	32	110

1	2	3	4
3.	बंगलौर	25	110
4.	बड़ौदा	29	165
5.	बम्बई	74	238
6.	भुवनेश्वर	10	37
7.	कलकत्ता	30	160
8.	चंडीगढ़	27	115
9.	कोचीन	26	97
10.	दिल्ली	36	104
11.	गुन्टूर	16	118
12.	गोआ	6	19
13.	हैदराबाद	22	77
14.	जयपुर	13	51
15.	कानपुर	32	102
16.	मद्रास	35	161
17.	मदुरै	26	79
18.	नागपुर और इन्दौर	28	120
19.	पटना	42	107
20.	पुणे	34	121
21.	शिलांग	19	69
22.	पश्चिम बंगाल	36	119
	जोड़	634	2,399
सीमाशुल्क गृह			
1.	बम्बई	89	317
2.	कलकत्ता	56	209
3.	कोचीन	8	37
4.	मद्रास	36	97
5.	विशाखापत्तनम	3	7
	जोड़	192	667
	कुल जोड़	826	3,066

बल्गारिया से टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का खरीदा जाना

6299. **श्री विनोद भाई बो० सेठ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केमिकल्स एण्ड फामस्युटिकल्स कारपोरेशन ने बल्गारिया से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अपेक्षित से कम क्षमता वाली टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड खरीदी थी ;

(ख) यदि हां, तो कम क्षमता वाली टेट्रासाइक्लिन होने के कारण वह कितने अधिक मूल्य पर खरीदी गई ; और

(ग) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के नाम क्या हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : मैसर्स फार्माचिम, बल्गारिया से टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड की खरीद आई०डी०पी०एल० (इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०) द्वारा अपेक्षित और निविदा पूछताछ में उल्लिखित विशिष्टियों के अनुसार की गई थी। सप्लाई ब्रिटिश फार्माकोस्पोइया (बी०पी०)-73 के अनुसार की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Assistance given to Rural Areas of Himachal Pradesh by Nationalised Banks and United Commercial Bank for Agriculture and Industrial Works

6300. **Shri Balak Ram** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the agriculture and industrial works for which the nationalised banks, particularly United Commercial Bank have given assistance to the farmers in the rural areas of Himachal Pradesh and the terms and conditions on which the assistance was given to them;

(b) the purpose for which the short-term and long-term loans are given and the terms and conditions including the period thereof;

(c) the loan given by the various branches of United Commercial Bank in Simla district in 1976; and

(d) the number of cases in which loans have been refused to be given and the reasons thereof in each case?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) (a) & (b) : The data relating to the number of accounts and amounts outstanding on advances for agriculture and small-scale industries granted by the public sector banks (groupwise) and the United Commercial Bank in Himachal Pradesh as on the last Friday of December, 1976 is as under :—

(Amounts in lakhs of rupees)

Agriculture	Direct Finance to Farmers		Indirect Finance	
	No. of A/Cs	Balance Outstanding	No. of A/Cs	Balance Outstanding
United Commercial Bank . .	4496	67.42	14	0.03
State Bank of India Group .	16495	174.97	320	23.30
Nationalised Banks (including United Commercial Bank) . .	15484	177.10	38	4.06

(Amounts in lakhs of Rupees)

Small Scale Industries	No. of units	Balance outstanding
State Bank of India Group	894	68.96
Nationalised Banks (including United Commercial Bank)	501	125.42

Short-term loans are granted for seasonal crops and items like dairy, poultry, piggery development, mushroom cutivation, pisciculture, ginger cultivation, maintenance of apple and stone fruit orchards etc. The amount is generally worked on the basis of the size of holding and the scale of finance laid down for the crops grown. In the case of crop loan,

banks accept a mere charge or hypothecation of crops and do not insist on mortgage of land. Medium term loans granted for periods of 3 to 5 years cater to other agricultural activities such as well-sinking, purchase of pump-sets and agricultural implements, development of land, etc.; quantum and period of repayment depend upon the cost of the project and the assets to be purchased and the income generating potential of the proposed investment. For both short and medium term loans, the repayment schedule coincides with the time when the cultivator sells his produce.

(c) The number of accounts and the balances outstanding for agriculture in Simla district in the branches of the United Commercial Bank as on 31st December, 1976 are as under :—

	No. of accounts	Balance outstanding
Agriculture	1968	Rs. 36.30 lakhs

(d) The United Commercial Bank has informed that between July and December, 1976 their branches rejected 9 applications in all, out of which 8 were connected with agriculture, as the request made by the borrowers was found not to be technically feasible and the borrowers were not in a position to modify the schemes suitably.

महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और वित्त मंत्रालय के बीच प्रकाशस्तम्भों तथा प्रकाश नौकाओं के लिपिकों के वेतन नियत करने के बारे में विवाद

6301. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशस्तम्भ तथा प्रकाश नौकाएं विभाग (नौवहन और परिवहन मंत्रालय) के कुछ अवर श्रेणी लिपिकों के नियत किये गये वेतन के संबन्ध में, जिसमें वेतन नियत करने के लिये कार्यभत्ते को मूल वेतन के रूप में माना गया था और जिसके कारण अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में असंगत स्थिति उत्पन्न हो गई, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और वित्त मंत्रालय के बीच विवाद था ;

(ख) क्या यह विवाद भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ अक्टबर-दिसम्बर, 1970 में हुई बैठकों में तय कर लिया गया था ; और

(ग) क्या महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध के कार्यालय के लेखा अधिकारी श्री वी०एस० चेलप्पा को, जिन्होंने यह विवाद उठाया था, आपात स्थिति के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसे किन्हीं कागजात का पता लगाना संभव नहीं हो पाया है जिनसे यह संकेत मिलता हो कि महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध तथा वित्त मंत्रालय के बीच इस प्रकार का कोई विवाद था।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) श्री वी०एस० चेलप्पा को मूल नियम 56(जे) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया था किन्तु समय से पूर्व इस सेवानिवृत्ति का उनके द्वारा उठाए गए, जैसाकि आरोप लगाया गया है, विवाद से कोई संबन्ध नहीं है।

मै० फार्माचिम, रुमानिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की खरीद

6302. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केमीकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन ने मै० फार्माचिम, रूमानिया से 325 रु० प्रति किलाग्राम की दर से स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की खरीद की थी ;

(ख) क्या यह बात नोटिश में लाई गई थी कि मैं० फार्माचिम, रूमानिया ने एक भारतीय पार्टी को 315 रु० प्रति किलो की दर से स्ट्रप्टोमाइसीन सल्फेट देने का प्रस्ताव किया था ; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) केमिकल्स एण्ड फार्मोस्युटिकल्स कार्पोरेशन मैसर्स फार्माचिम, रूमानिया से स्ट्रप्टोमाइसीन सल्फेट तो नहीं खरीदा है परन्तु मैसर्स चिमइम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से यह औषध खरीदी है।

(ख) तथा (ग) : रूमानियाई फर्म के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाली एक भारतीय फर्म से आफर आया था जो कीमत तथा कमीशन के साथ 324.45 रु० प्रति किग्रा० बैठता था। उन्होंने विनिर्माताओं द्वारा दिये गये प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किये जाने की टेंडर में रखी गई शर्त पूरी नहीं की और रूमानिया व्यापार कमीशन ने भी इस बात से इंकार किया है कि उन्हें ऐसा कोई प्राधिकार है। इसलिये इस महत्वपूर्ण प्राण रक्षक औषध संबन्धी उनके आफर पर विचार नहीं किया गया।

Transfer of Staff in Nationalised Banks

6303. **Shri Ramanand Tiwari :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government have any interference in matters relating to the formation of recruitment and promotion rules, application thereof in a justified manner, departmental disciplinary action etc. in nationalised banks;

(b) If so, whether it has been a recognised policy of Government that a Branch Manager and an employee does not remain posted in one branch for more than three years like other Government Departments; and

(c) whether Government propose to issue directives for immediate transfer of the officers and Managers who remain posted in the nationalised banks in rural areas for more than three years?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) While Government do not interfere in the day-to-day administration of the public sector banks' Government have been issuing from time to time guidlines to public sector banks on various matters, including those on personal policies. With a view to bring about uniformity and objectivity in the recruitment procedures in banks, Banking-Service Commission Act, 1975 was enacted and in terms of that Act, Banking Service Commission was set up in February, 1977. Government have also issued instructions to the bank for the adoption of rules relating to reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories, in line with Government policy on this subject.

As regards the procedure for promotion in banks, there are agreements/understandings between the managements and unions in different banks for promotion from subordinate to clerical and clerical to officer levels. So far as promotion within the officer level is concerned, each bank has its own norms.

The procedure for disciplinary action against the workmen staff in banks is governed by awards/settlements operating in the industry. So far as officers are concerned, at the instance of Government, banks have adopted recently uniform regulations governing conduct, discipline and appeal matters.

(b) & (c) Reserve Bank of India have brought to the notice of all banks the need for transferring executives, both at senior and middle management levels in charge of departments/sections and offices/branches, particularly the major ones, once in three years and in any case, not exceeding five years. Reserve Bank of India have also issued instructions to all banks that in order to ensure that there is a periodical change of duties among officers and clerical staff, the banks may maintain appropriate registers and records to ensure that the various categories of staff are rotated periodically in a systemaic manner. These considerations normally apply to rural branches also.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले

6304. **श्री दिनेश चन्द्र जोरदार :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों में गत दो वर्षों में हुए अनेक भ्रष्टाचार के मामलों का पता हैं जिनके समाचार पहले ही समाचार-पत्रों में छप चुके हैं ;

(ख) क्या इन मामलों की और विभिन्न बैंकों में भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों की जांच किसी तंत्र द्वारा की जा रही है ; और

(ग) भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए और दोषी अधिकारियों को उचित दण्ड देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किये गये उन प्रेस रिलीजों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के आधार पर, बैंक अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों की संख्या मुकदमा चलाये गये व्यक्तियों की संख्या और जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की गयी उनकी संख्या दी रहती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र स्वीकृत कर लिया और मुख्य सतर्कता अधिकारियों के अधीन अपने संगठनों में सतर्कता कक्षों की स्थापना कर दी। भारतीय स्टेट बैंक के सातों अनुषंगी बैंकों ने भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र स्वीकार कर लिया और अपने संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति कर दी।

भ्रष्टाचार की सभी शिकायतों और आरोपों की जांच विहित सतर्कता प्रक्रियाओं के अनुसार इन सतर्कता कक्षों द्वारा की जाती है और उसके बाद समुचित कार्यवाई की जाती है। 1000 रु० या इससे अधिक प्रति मास वतन पाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के बाद ही अन्तिम रूप देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने स्थानीय मुख्य कार्यालयों में भी सतर्कता कक्षों की स्थापना की है ।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में स्टाफ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए अपने तंत्र मौजूद हैं। शिकायत की प्रकृति और मात्रा को देखते हुए इन मामलों की या तो विभागीय रूप से जांच की जाती है या उन्हें स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विस्तृत जांच के लिए सौंप दिया जाता है। सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को इस विषय में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये हैं कि कौन-से मामले स्थानीय पुलिस को या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने हैं और किन की जांच विभागीय रूप से की जानी है। बैंकों के परिचालनों का निरीक्षण स्वयं उनके निरीक्षकों के दल द्वारा तो किया ही जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी सांविधिक रूप से उनका निरीक्षण होता है और सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा भी इनकी लेखा परीक्षा होती है। आंतरिक लेखा-परीक्षा, पर्यवेक्षण और नियंत्रण को मजबूत बनाने के प्रश्न की ओर सरकारी क्षेत्र के बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक निरंतर ध्यान दे रहे हैं।

सरकार के कहने पर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने हाल ही में अधिकारियों के आचरण को संहिताबद्ध करने के लिए, आचरण विनियमन बनाये हैं।

चिदम्बरम तमिलनाडु के निकट पिछाईवरम किल्लई पर्यटन कम्पलैक्स का विकास

6305. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों को आकर्षित करने की अपनी अत्यधिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में चिदम्बरम के निकट पिछाईवरम किल्लई पर्यटन कम्पलैक्स का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ख) नौका विहार की सुविधा का विकास करने, सड़कों और पर्यटक-गृहों का निर्माण करने के बारे में अगर कोई कार्यक्रम हो तो, उसका क्या ब्यौरा है, जिससे उस कम्प्लैक्स को पर्यटक स्वर्ग बनाया जा सके ; और

(ग) उक्त परियोजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि तमिलनाडु में पिछाईवरम किल्लई में पर्यटन विकास के लिये संभाव्यताएं हो सकती हैं तथापि साधनों की कमी एवं अन्य प्राथमिकताओं के कारण केन्द्रीय क्षेत्र में वहां सुविधाओं का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सुखाये गये टेपिओका का निर्यात

6306. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के पहाड़ी क्षेत्र में उत्पादित, सुखाये गये टेपिओका का, जो स्टार्चयुक्त उत्पाद है, निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जी हां ।

रत्नागिरि (महाराष्ट्र) से और वहां तक विमान सेवा

6307. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र रत्नागिरि में हवाई पट्टी के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई और यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हुआ;

(ख) यह हवाई पट्टी किस उद्देश्य से बनाई गई और क्या वह उद्देश्य प्राप्त हो चुका है;

(ग) क्या कभी बम्बई-रत्नागिरि-गोआ अथवा बम्बई-कोल्हापुर-रत्नागिरि विमान सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव था और क्या वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है अथवा अस्वीकार कर दिया गया है अथवा अभी विचाराधीन है; और

(घ) क्या सरकार का विचार रत्नागिरि से तथा वहां तक विमान सेवा चालू करने का है और यदि हां, तो कब और सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो सरकार को किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) रत्नगिरि का हवाई अड्डा महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया था । निर्माण की लागत, पूरा होने की तारीख और जिस उद्देश्य से यह बनाया गया था, इस सब की जानकारी महाराष्ट्र सरकार से पता लगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। कोल्हापुर, रत्नगिरि, नासिक, पूना और सूरत के लिए एक 'बीच क्राफ्ट' प्रकार के विमान द्वारा एक अनुसूचित विमान सेवा परिचालित करने के लिए परमिट के लिए एक निजी चालक से आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

सामान्य बीमा कम्पनियों और उनके एजेंटों के बीच संबंध

6308. **श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों और उनके लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के बीच व्यापार के लिये अनुरोध करने के मामले के संबंधों में परिवर्तन नहीं हुआ था;

(ख) क्या 1 जुलाई, 1977 से दस लाख अथवा इससे अधिक प्राप्त शेयर पूंजी वाली लिमिटेड कम्पनियों को बीमा कम्पनियों को सीधे बीमा व्यापार देने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उक्त निर्णय से बीमा एजेंटों को भारी नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बीमा एजेंटों द्वारा किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) पहली जनवरी, 1977 से (न कि पहली जुलाई, 1977 से) 10 लाख रुपए और इससे अधिक की चुकता पूंजी वाली कंपनियों का साधारण बीमा "कमीशन घटाकर सकल प्रीमियम" के आधार पर सीधे साधारण बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है और ऐसे कारबार के संबंध में किसी एजेंट को कोई कमीशन नहीं दिया जाता।

(ग) जी नहीं। साधारण बीमा उद्योग का मूल्यांकन करने पर यह पता चला है कि बड़ी-बड़ी रकमों का बीमा करने वाले एजेंट प्रायः उन कम्पनियों के नामज़द व्यक्ति होते थे और उनकी नियुक्ति से छूट (रिबेट) और करों की चोरी से जैसे गोलमाल होते थे। ऐसे कारबार के संबंध में "कमीशन घटाकर सकल प्रीमियम" को आधार बनाने का उद्देश्य इस गोलमाल को रोकना है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सरकार द्वारा कीमतें कम रखने के लिए उद्योगपतियों को दिए गए प्रस्ताव

6309. **श्री यशवन्त बोरोले : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीमतों को कम रखने के बारे में व्यापारियों को समय-समय पर दी गई सलाह और चेतावनी के साथ-साथ अमल करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव व कार्यक्रम भी दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव अथवा कार्यक्रम किस प्रकार के हैं; और

(ग) इस बारे में व्यापारियों द्वारा अगर कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) से (ग) कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने तथा व्यापारियों द्वारा अपनाये जाने वाले भ्रष्ट तरीकों को रोकने के लिए उद्योगों की एसोसियेशनों के माध्यम से उपाय किए गए हैं।

सरकार के अभिप्रेरण पर सीमेंट विनिर्माता एसोसियेशन ने अपने डीलरों को सीमेंट की कीमतें तथा स्टाक प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए हैं। एसोसियेशन ने अपने डीलरों को यह भी कहा है कि यदि वे सीमेंट नियंत्रित मूल्य से अधिक पर बेचते तथा अन्य कोई भ्रष्ट तरीका अपनाते हुए पाये गये, तो उनकी डीलरशिप समाप्त कर दी जाएगी। वनस्पति घी विनिर्माता एसोसियेशन ने वनस्पति घी की कीमतें घटाने के साथ-साथ अपने डीलरों से वनस्पति घी की कीमतें तथा स्टाक प्रदर्शित करने को भी कहा है। डीलरों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्हें अधिक मूल्य लेते अथवा अनुचित व्यापारिक पद्धतियां अपनाते पाया गया, तो उनकी डीलरशिप खत्म कर दी जायेगी। वनस्पति घी की उपलभ्यता की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, इसके मूल्य में नरमी का रुख आ रहा है और सीमेंट की उपलभ्यता में कुछ सुधार हुआ है।

इसी प्रकार, चाय उगाने तथा पैक करने वालों को चाय के मूल्यों में कमी करने के लिए राजी किया गया है। यह सुनिश्चित करना भी संभव हो सका है कि नीलामी के लिए चाय की पर्याप्त मात्रा लायी जाये, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य काफी कम हुए हैं। कुछ औद्योगिक वस्तुओं, जैसे टायरों तथा ट्यूबों आदि के मूल्य चर्चाएं करके वर्तमान स्तर पर स्थिर रखे गए हैं।

स्वर्ण आभूषणों की छोटी दुकानों का बन्द होना

6310. **श्री बी० के० नायर :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि न्यूनतम पण्यावर्त से सम्बन्धित शर्तों को लागू किये जाने और परिणाम-स्वरूप लाइसेंसों के रद्द किये जाने से स्वर्ण आभूषणों की छोटी दुकानें बहुत बड़ी संख्या में बन्द हो गई हैं और उनमें नियुक्त श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार करने, लाइसेंसों का नवीकरण करने और ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और बड़े शहरों के लिए पण्यावर्त की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित करते हुए उक्त योजना का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) : किसी स्वर्ण-व्यापारी के लाइसेंस के नवीकरण के लिये समस्त क्रय-विक्रय की न्यूनतम मात्रा, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, औसतन 50 ग्राम प्रति मास है। तथापि सूखा आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता अपने विवेक से न्यूनतम पात्रता सीमा को सम्यक रूप से कम कर सकते हैं। समाहर्ता, अलग अलग मामलो में भी मालिक अथवा भागीदार आदि की लम्बी बीमारी के जैसे सच्चे मामलों के बारे में समस्त क्रय विक्रय की न्यूनतम सीमा से कम मात्रा को भी इस प्रयोजन के लिये अनुमत्य मान सकता है। ऐसे स्वर्ण-व्यापारियों की कुल संख्या को देखते हुए जिनके लाइसेंसों का प्रत्येक वर्ष नवीकरण किया जाता है, उन लाइसेंसों की संख्या को अधिक नहीं माना जा सकता जिनका समस्त क्रय विक्रय की मात्रा कम होने के कारण, नवीकरण नहीं किया जाता। जिन दुकानों का समस्त क्रय-विक्रय बहुत कम होता है उनसे यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वे कामगारों को रोजगार दे सकेंगे।

Development of Area Near Bahadurpura Village in District Nanded (Maharashtra) as a Tourist Centre

6311. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the pious remains of the Late Pt. Jawahar Lal Nehru were immersed with full State honour in 1964 in the Waters of Manyad river near Bahadurpura village in Kandhar Taluka of Nanded district of Maharashtra; and

(b) the assistance being provided by the Union Government for developing this place as a tourist centre?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) It will be reacIled that in accordance with the wishes of the late Pt. Jawaharlal Nehru, as stated in his will, a portion of his ashes were immersed at Prayag but the major portion of the ashes were taken high up by plane and scattered over the fields of India. It is, however learnt from the State Government that some ashes were obtained personally by Shri Anantrao Kisanrao Mamde, a Congress Worker of Kandhar in District Nanded, and were immersed in the river Maniad near Bahadurpura village in Kandhar Taluka of Nanded district of Maharashtra.

(b) Does not arise as there is no proposal to develop this place as a tourist centre.

भारतीय व्यापार सेवा

6312. **श्री कल्याण जैन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार सेवा के नाम से जानी जाने वाली एक सेवा गठित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामला इस समय किस स्थिति में है;

(ग) सेवा गठित करने में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त मामले में दिखाई गई उदासीनता के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों में व्याप्त अत्यधिक निराशा की भावना से सरकार अवगत है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) सरकार ने आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के कार्मिकों के लिये केन्द्रीय व्यापार सेवा गठित करने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में 3 अगस्त, 1977 को एक अधिसूचना जारी कर दी गई है ।

'कोर सैक्टर सर्विस'

6313. **श्री बाटचा डिगल : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशासनिक पदों को संभालने हेतु सरकारी सेवाओं से अधिकारियों का चयन करने के लिए (कोर सेक्टर सर्विस) निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का एक केन्द्रीय समूह (पूल बनाने) का एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान औद्योगिक प्रबन्ध समूह के अधिकारियों को मुख्याधार (न्यूक्लियस) बनाया जा सकता है और सरकारी उद्यमों के वर्तमान अधिकारियों में से तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों और सरकारी सेवाओं में से एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा उपयुक्त अधिकारी छांट कर तथा चुनकर इस समूह को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

कर्नाटक के सिंचाई मंत्री द्वारा घोषित आस्तियां और देयतायें

6314. **श्री एस० ननजेश गोडा :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में प्रस्तुत की गई आयकर विवरणियों में कर्नाटक के वर्तमान सिंचाई मंत्री, श्री एच०सी० श्रीकान्तीह, उनकी पत्नी, पुत्रियों तथा दामादों द्वारा घोषित की गई आस्तियां और देयतायें क्या है;

(ख) क्या उनके द्वारा घोषित की गई आस्तियां उनकी ज्ञात आय के अनुपात में नहीं थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कर्नाटक के सिंचाई मंत्री श्री एच०सी० श्री कान्तैया द्वारा धन-कर विवरणियां दाखिल कर दी गई हैं। परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। उनकी पत्नी, पुत्रियों तथा दामादों द्वारा आय अथवा धन संबंधी कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है।

(ख) और (ग) : कर निर्धारण वर्ष 1976-77 के दौरान धन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। चूंकि कर निर्धारण अभी अनिर्णीत पड़ा है अतः इस प्रश्न की जांच की जायगी कि क्या घोषित परिसम्पत्तियां उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों के अनुपात में नहीं है।

विवरण

कर-निर्धारण वर्ष 1974–75		रुपये
परिसम्पत्तियां		
हस्तगत रोकड़		350
जवाहिरात		29,500
फिएट कार तथा फर्नीचर		21,400
पशु		1,00,000
	जोड़ :	1,51,250
परिसंपत्तियां		
1975–76		
अचल सम्पत्ति		2,21,178
हस्तगत रोकड़		1,000
जवाहिरात		42,000
पशु		28,400
	जोड़ :	2,92,578
घटाएं : देनदारियां		
बिना जमानत के ऋण		1,08,000
	जोड़ :	1,84,578

1976–77		रुपये
परिसम्पत्तियां		
अचल सम्पत्ति		2,37,360
हस्तगत रोकड़		250
जंवाहिरात		32,500
बैंक में जमा		1,14,491
	जोड़	3,84,601
घटाएं : देनदारियां		4,127
		3,80,474

कर-निर्धारण अनिर्णीत हैं।

संकट ग्रस्त एककों को अधिकार में लेना

6315. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये इस आश्वासन की कोई प्रतिक्रिया हुई है कि वह संकटग्रस्त एककों को अपने अधिकार में लेकर चलायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिए कोई व्यवहार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने, बड़े औद्योगिक गृहों को ऐसा नहीं कहा है कि वे संकटग्रस्त एककों को अपने अधिकार में लेकर चलायें। किन्तु, संकटग्रस्त औद्योगिक एककों की स्वामित्व वाली कम्पनियों के स्वस्थ एककों में स्वैच्छिक विलय को सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नयी धारा 72-क जोड़ दी गयी है, जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाय कि एककों का विलय जनहित में है, उन मामलों में विलय के पश्चात् बनी कम्पनी के कर-निर्धारण में विलय करने वाली कम्पनी की संचित हानि तथा असमाहित मूल्यह्रास को आगे ले जाये जाने तथा उसे समायोजित करने की अनुमति होगी। विधेयक के सम्बन्धित अनुबन्ध स्वतः स्पष्ट हैं।

Construction of IFFCO Ltd. Factory in Phulpur (U.P.)

6316. **Shri R. N. Rakesh** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the date since when Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited Factory in Phulpur (Allahabad) is under construction and the time by which it would be completely ready; and

(b) the number of employees and officers category-wise appointed so far in the said factory and the number of local employees among them?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) IFFCO factory in Phulpur is under construction since May, 1976. It is expected to be completely ready by middle of 1979.

(b)

Category	Total No. of employees	Employees from U.P. State
Grades—'C' to 'G' (Senior & supervisory personnel) .	50	16
Grades—'H', 'I' & 'J' (Junior & Office staff) . .	73	39
Grades—'K', 'L' & 'M' (Semi skilled and skilled workers)	172	146
	295	201

बम्बई बुलियन एसोसिएशन से ज्ञापन

6317. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बुलियन एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से चांदी निर्यात नीति पर नये सिरे से विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) ज्ञापन में उठाये गये मुद्दे तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है :

उठाये गये मुद्दे	सरकार की प्रतिक्रिया
1. भारत के पास लगभग 78,000 मे० टन चांदी स्टाक में है । अगर पर्याप्त मात्रा में इसका निर्यात न करने दिया गया तो इसकी तस्करी होने लगेगी ।	1. सरकार द्वारा चांदी के प्रतिबंधित निर्यात की अनुमति दी जा रही है । देश की स्टाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कोटा निर्धारित किया जा रहा है ।
2. चांदी बेहद सट्टे वाली वस्तु है, और इस पर मुद्रा विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है और यह विश्व अर्थ व्यवस्था में स्फीति तथा अव-स्फीति की प्रवृत्तियों से बहुत जल्दी प्रभावित होती है । इस संवेदनशील चांदी बाजार की जटिल अवस्था में एकाग्रता, अनुभव तथा बदलती हुई परिस्थितियों के सन्दर्भ में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता तथा तत्परता से अधिकाधिक सफलता मिलने की कही अधिक गुंजाइश होती है और दीर्घावधि बाजार तत्वों के	2. राज्य व्यापार निगम जो चांदी के निर्यातों के लिये मार्गीकरण एजेंसी है, इस वस्तु की संवेदनशीलता से पूरी तरह से अवगत है और उसे बाजार की जानकारी भी है और जरूरी होने पर वह तत्काल निर्णय लेता है ।

1	2
शैक्षिक तथा अत्यधिक परिश्रमपूर्ण अध्ययन पर आधारित अनुकरण पद्धति के किसी नियम से उतनी सफलता नहीं मिलती । 480 सेंट प्रति औंस की न्यूनतम कीमत पर अड़े रहने से शायद लाभ न हो । राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात बन्द करने/खोलने की पद्धति के परिणामस्वरूप निर्यात के लिये चांदी का बहुत स्टाक जमा हो गया है । हमारी राय है कि हमें निरन्तर माल निर्यात करते रहना चाहिए और कभी निर्यात चालू करने और कभी निर्यात बन्द करने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए ।	
3. सरकार को केवल गलाई गई और/अथवा परिशोधित तथा उन आधुनिक परिशोधनशालाओं द्वारा उसकी सही शुद्धता के लिये प्रमाणीकृत चांदी के निर्यात की ही अनुमति देनी चाहिए जिनके पास गलाने तथा परख सम्बन्धी ऐसे अपेक्षित उपस्कर है जो भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है और साथ ही मार्गीकरण एजेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त परिशोधनशालाओं द्वारा परिशोधित भारतीय चांदी को विश्व बाजारों में बढ़िया डिलीवरी बार्स के रूप में मान्यता दिलवाना अपना व्यवसाय बना लेना चाहिए ।	3 राज्य व्यापार निगम भारतीय चांदी को बढ़िया डिलीवरी बार्स के रूप में मान्यता दिलाने के लिये प्रयत्नशील है । इस बीच .999 परिशुद्धता वाली चांदी को छोड़कर अन्य चांदी के निर्यात की अनुमति नहीं है ताकि गलाई लागत आदि न्यूनतम रखी जा सके । राज्य व्यापार निगम से मान्यता प्राप्त परिशोधनशालाओं से निर्यातों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
4. अधिक मूल्य वाली चांदी की वस्तुओं मसलन चांदी रसायन पदार्थों, संस्मृति सिक्कों अत्यधिक फिनिश वाली लघु बार्स चांदी की उपहार योग्य वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।	4. राज्य व्यापार निगम चांदी के सामान अत्यधिक फिनिश वाली लघु बार्स चांदी की उपहार योग्य वस्तुओं और कणका आदि के निर्यात के लिये उपाय कर रहा है । इनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत मिलती है ।
5. ऐसा बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति सन्तोषप्रद होने से भारत को चांदी के निर्यात करने की जरूरत नहीं है । एक ही वर्ष में मानसून की व्यापक गड़बड़ से कोष की स्थिति पलटा खा सकती है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी यह माना जा रहा है कि कोष की स्थिति के बारे में चिन्ता का कोई कारण नहीं है तो फिर निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये चांदी को ही क्यों चुना जाये ।	5 चांदी के निर्यात प्रतिबंधित करने का कारण केवल विदेशी मुद्रा की स्थिति सन्तोषप्रद होना ही नहीं है । इसके कहीं अधिक महत्वपूर्ण अन्य कारण भी हैं मसलन देश में थोड़ी सी मात्रा में ही उत्पादित की जानी वाले इस वस्तु के भंडार समाप्त न करना ।

1	2
6. सरकार को लोगों की सोने की भूख कुछ हद तक शान्त करने के लिये सोने की कुछ मात्रा का आयात करने के बारे में विचार करना चाहिए जिससे सोने की अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कीमतों के बीच भारी अन्तर कम किया जा सके। सोने के आयात की सुविचारित नीति मुद्रा स्फिति रोकने में काफी सहायक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह विदेशों में चांदी के निर्यात का एकाकी बचतकर्त्ताओं तथा देश की अर्थव्यवस्था दोनों की दृष्टि से पूर्णतः प्रतिसंतुलन करेगी।	6 यह सुझाव सरकार को स्वीकार नहीं है।
7. तेल वाले समृद्ध मध्य पूर्वी देशों में सोने के आभूषणों की मांग अत्यधिक बढ़ गई है दुर्भाग्यवश भारत अपने कलात्मक आभूषणों के लिये, जिसे अरब के लोग पसन्द करते हैं, सुविख्यात होते हुए भी हमारे निकटस्थ इस बड़े आभूषण बाजार का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि कच्चे माल अर्थात् सोने की घरेलू कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से बहुत अधिक है।	7. सरकार विकसित तथा तेल वाले समृद्ध देशों में सोने के आभूषणों की भारी मांग से अवगत है। इस मांग का फायदा उठाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

काजू और केले का निर्यात

6318. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1977-78 में कितने मूल्य के काजू और केले का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त उत्पादों का निर्यात कम करने का है ताकि उन्हें देश में सस्ता उपलब्ध कराया जा सके ; और

(ग) काजू और केले का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1977-78 के लिए काजू गिरी के निर्यात के लिए लक्ष्य निम्नोक्त प्रकार हैं :--

	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
निम्न	50,000	100
उच्च	55,000	110

1977-78 के दौरान केलों के निर्यात के लिये कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) सरकार फिलहाल काजू गिरी के निर्यातों को घटाने के सम्बन्ध में विचार नहीं कर रही है। घरेलू खपत में केले के महत्व को देखते हुए उसके निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाने का विनिश्चय किया गया है।

(ग) काजू मुख्यतः इन देशों को निर्यात किया जा रहा है: सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, नीदरलैण्ड, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, हांगकांग, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, कुवैत, सिंगापुर ।

1976-77 के दौरान भारत से केलों का निर्यात मुख्यतः खाड़ी के देशों को किया गया।

तमिलनाडु में कर-अपवंचन तथा विदेशी मुद्रा संबंधी घोटाला

6319. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1 जनवरी, 1976 से 15 जून, 1977 तक की अवधि में आयकर अपवंचन के बारे में कितने छापे मारे गए और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये,

(ख) क्या ढींगरा थनथी मलाई पुरासू ग्रुप आफ पेपर्स तथा 'सन पेपर मिल्स' के विरुद्ध आय कर अपवंचन सहित कर अपवंचन तथा विदेशी मुद्रा घोटाले सम्बन्धी बहुत सी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं, और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि ढींगरा थनथी न्यास के लिए आय कर से छूट के प्रस्ताव को पहले रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो मामला इस समय किस स्थिति में है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1 जनवरी 1976 से 15 जून 1977 की अवधि के दौरान तमिलनाडु में आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में 314 मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही की गयी।

आयकर अधिनियम 1961 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कर-अपवंचन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाय।

(ख) तथा (ग) ढींगरा थनथी समूह के मामलों में किये गये कर अपवंचन के सम्बन्ध में (जिनमें सन पेपर मिल्स भी शामिल हैं) आयकर विभाग में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

थनथी न्यास की प्रामाणिकता के प्रश्न पर आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4(3) (i) के उपबन्धों के सन्दर्भ में पहली बार विचार किया गया। यह निर्णय किया गया कि न्यास प्रामाणिक है और उक्त उपबन्धों के अन्तर्गत लाभ के लिए हकदार है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत यह कार्यवाही कर निर्धारण वर्ष 1967-68 तक चलती रही।

पुनः जांच करने पर, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के अन्तर्गत अनेक कर-निर्धारण वर्षों के लिये न्यास के कर निर्धारणों के सम्बन्ध में कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न कारणों से नोटिस जारी किये गये, जिस पर कर-निर्धारिती ने मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि थनथी न्यास की प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है और यह कि इस आधार पर कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही को, कानूनी तौर पर पुनः चालू नहीं किया जा सकता है। बाद में न्यायालय ने, विभिन्न कर निर्धारणों के सम्बन्ध में फिर से कार्यवाही शुरू करने के लिए अन्य कारणों की वैधता की जांच की। न्यायालय ने कुछ कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही पुनः चालू करने की पुष्टि की और अन्य कर निर्धारण वर्षों के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही को वैध नहीं ठहराया। यह निर्णय अन्तिम हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपील करने के लिए विभाग की विशेष अपील याचिका रद्द कर दी है।

विभिन्न कर निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है :--

1956-57 1958-59 1960-61 1961-62	कर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही पुनः चालू करने के लिए धारा 148 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिये गये थे।
1957-58 से 1959-60 तक	कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही को पुनः चालू करने के लिए धारा 148 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है। न्यास विलेख में घोषित प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों पर खर्च की गयी रकमों पर कर-निर्धारण किया गया है और आय छिपाने के सम्बन्ध में दाण्डिक कार्यवाही शुरू की गयी है।
1962-63 से 1964-65 तक	पूर्ववर्ती वर्षों के सम्बन्ध में दायर की गयी रिट-याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के आदेश के रेशियों को ध्यान में रखते हुए पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी है।
1965-66 से 1967-68 तक	पुनः कर निर्धारण करने के लिये धारा 148 के अन्तर्गत जारी किय गये नोटिसों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है। पुनः कर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन है।
1968-69 से 1973-74 तक	कर-निर्धारण किये गये हैं जिनमें न्यास को छूट नामंजूर कर दी गयी है। अपीलें अपीलीय सहायक आयुक्त/आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अनिर्णीत पड़ी है।
1974-75 तथा उसके बाद के वर्ष	कर-निर्धारण विचाराधीन हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप तथा इसके मालिकों के विरुद्ध मामले

6320. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र समूह तथा इसके मालिक, श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध आर्थिक अपराधों के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र समूह तथा श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध आर्थिक अपराधों के 5 मामले न्यायालयों में सुनवाई के लिये पड़े हैं। इन मामलों में से दो-दो मामले मद्रास तथा बम्बई के न्यायालयों में और एक मामला कलकत्ता के न्यायालय में पड़ा है।

भारत में विदेशी कम्पनियां

6321. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी कम्पनियों ने 1976 तक कुल कितनी पूंजी लगाई,

(ख) उनकी कुल आय के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या 1974-77 के दौरान भारत में विदेशी कम्पनियां स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं अथवा सरकार के पास आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) विभिन्न देशों की कम्पनियों के नामों का ब्यौरा क्या है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा लम्बी अवधि के लिए लगाई गई बकाया पूंजी के अनुमान के जो आंकड़ें उपलब्ध हैं वे 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के हैं और यह रकम 1,676.3 करोड़ रुपए है।

(ख) भारत में कारबार कर रही विदेशी कम्पनियों ने 1973-74 के दौरान लाभ/लाभांश, रायल्टी, तकनीकी जानकारी और ब्याज के रूप में 95.98 करोड़ रुपया बाहर भेजा। 1974-75 की (अप्रैल-दिसम्बर) की इसी अवधि के दौरान 44.89 करोड़ रुपया बाहर भेजा गया।

(ग) और (घ) सभी औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का ब्यौरा जिसमें पार्टी का नाम, तैयार की जाने वाली वस्तु का नाम, क्षमता, परियोजना का स्थान, आदि भी शामिल है, "वीकली बुलिटेन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज", "इण्डियन ट्रेड जर्नल' और "मंथली लिस्ट आफ लैटर्स आफ इंटेंट एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज' में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। यदि किसी कम्पनी या किन्हीं कम्पनियों के नाम जारी किए गए लाइसेंसों के बारे में सूचना की आवश्यकता हो तो वह इकट्ठी की जा सकती है और दी जा सकती है

(ङ) एक विवरण संलग्न है। ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल०टी० 961/77)

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को जनता से जमा राशि लिये जाने की अनुमति दिया जाना

6322. **डॉ० बापू कालदाते** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को जनता से अनिश्चित काल की अवधि तक जमाराशि लेने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या जमा राशि वापिस करने के मामले में इन कम्पनियों पर कोई रोक लगाई गई है ;

(ग) क्या समय पर नियमित ब्याज न देने और जमा राशि वापस न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या सरकार ने दोषी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी नहीं। कंपनियों को जनता से अनिश्चित काल के लिए जमाए इकट्ठी करने की अनुमति नहीं है। गैर-वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले कम्पनी (जमाएं स्वीकार) नियम, 1975 में और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय कंपनियों और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों को जारी किए गए निदेशों में, कम्पनियों द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली जमाओं की अवधि और उनके द्वारा जुटाई जाने वाली जमाओं की सीमा के बारे में कुछ प्रतिबन्ध शामिल हैं। फिर भी, इन नियामक उपायों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें निर्धारित सीमा के भीतर रखी गई जमाओं के परिपक्व होने पर अलग-अलग जमाअ की वापिस करने की बाध्यता कम्पनियों पर डाली गयी हो।

(ग) सरकार और रिजर्व बैंक को कुछ शिकायतें मिली हैं जिनमें ब्याज तथा परिपक्व होने पर जमाएं अदा न करने का आरोप लगाया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने कुछ गैर-वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध "कम्पनी (जमाएं स्वीकार) नियम, 1975 के उपबन्धों के उल्लंघन के कारण मुकदमे की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। रिजर्व बैंक ने भी कुछ वित्तीय कम्पनियों और विधि गैर-बैंकिंग कम्पनियों के विरुद्ध बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण, इसी प्रकार की कार्रवाई आरम्भ की है। फिर भी, न तो सरकार और न ही भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि अलग-अलग जमाओं की अदायगी न करने पर कार्रवाई कर सकें क्योंकि ये जामाएं जमाकर्त्ता और जमाप्राप्तकर्त्ता के बीच संविदा (कान्ट्रैक्ट) का मामला है जिन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1976 से आजतक मुकदमे की कार्रवाई आरम्भ की गई है उनका ब्यौरा अनुबन्ध I [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-962/77] में और जिनके विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की गई है उनका ब्यौरा अनुबन्ध II [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-963/77] में दिया गया है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की क्षमता का उपयोग

6323. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड डालडा वनस्पति तथा शिशु आहार जैसे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं क. उत्पादन करने के लिए अपने विभिन्न एककों को अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नही कर रही है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कंपनी से यह स्पष्टीकरण देने को कहा है कि वह अपने विभिन्न उत्पादनों की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग क्यों कर रही है ; और

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कम्पनी की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के वनस्पति एककों की कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता (परिष्करण, विरंजन, हाइड्रोजनीकरण 1.35 लाख मीटरी टन है। इसके मुकाबले में, 1975, 1976 तथा 1977 के पहले 6 महीनों में नीचे दिया गया उत्पादन हुआ :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

	वनस्पति	इन्डस्टरियल हार्ड आयल	योग
1	2	3	4
1975 .	31,281	36,460	67,741
1976 .	31,062	43,711	74,773
1977 (जनवरी-जून)	19,931	26,768	46,699

जहां तक समग्र रूप से देश में वनस्पति उत्पादन का संबंध है, वार्षिक संस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता है। इसकी कुल वार्षिक क्षमता 12.9 लाख मीटरी टन है, जो मांग से अधिक है और मांग 6-6.5 लाख मीटर, टन वार्षिक आंकी गई है। साथ ही सोयाबीन तथा ताड़ के तेल के अनिवार्य प्रयोग जिसके लिए मूंगफली के तेल की अपेक्षा हाइड्रोजनीकरण के सांद्रण को बहुत अधिक जरूरत होती है, से प्रयोज्य क्षमता कम हो जाती है।

जहां तक शिशु आहार का संबंध है, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को वार्षिक संस्थापित क्षमता एक हजार मीटरी टन है। इसके मुकाबले में वर्ष 1975 में 814 मीटरी टन उत्पादन हुआ। वर्ष 1976 में 265 मीटरी टन तथा 1977 की जनवरी-जून की अवधि में 405 मीटरी टन उत्पादन हुआ। फर्म को शिशु आहार का उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी गई है।

गुजरात में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रियायतें दिया जाना

6324. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग विकास बैंक ने गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए और अधिक रियायतें देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए अतिरिक्त रियायतें देने की कोई विशेष योजना नहीं बनाई है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, देश के निर्धारित पिछले जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए रियायती सहायता की योजनाएं 1970 से चला रहा है। गुजरात राज्य में अवस्थित तथा निर्धारित पिछड़े जिले/क्षेत्र इस प्रकार की रियायती सहायता पाने के पात्र हैं।

Corporation for marketing of edible Oils

6325. **Shri Mani Ram Bagri** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a corporation to look after the work relating to import and marketing of edible oils;

(b) if so, whether any decision has been taken in this regard; and

(c) if so, when this corporation will start functioning?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) A proposal to set up a Corporation to handle matters relating to edible oils is under examination.

Export of carpets from Shahjahanpur (U.P.)

6326. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the value of carpets exported from Shahjahanpur in Uttar Pradesh during 1976-77 ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : Districtwise figures of export are not maintained.

दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध

6327. **श्री मनोरजंन भक्त :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के कोई व्यापारिक सम्बन्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय वस्तुओं की भारी मांग है और इस समय तीसरे देश अथवा पार्टियां अपने व्यापारिक नामों से भारतीय वस्तुओं का निर्यात कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारत के दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार सम्बन्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में श्रमिक संघ

6328. **श्री बशीर अहमद :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में बहुत से अमान्यता प्राप्त श्रमिक संघ चल रहे हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या, नाम और स्थानों का अन्य विवरण क्या है ;

(ख) क्या ये श्रमिक संघ ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के कार्यकरण के प्रतिकूल है ; और

(ग) इन संघों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर निम्नलिखित गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं :—

(1) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण यूनियन।

(2) विमान यातायात के नियंत्रण कर्मचारी यूनियन।

(3) नागर विमानन तकनीकी कर्मचारी यूनियन।

(4) एयर इण्डिया कर्मचारी गिल्ड।

(ख) और (ग) केवल अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन ही दिल्ली तथा कलकत्ता विमानक्षेत्रों पर टर्मिनल भवन के अन्दर प्रदर्शन/घेराव आदि करते हैं जिनसे टर्मिनल भवन के अन्दर यात्रियों को असुविधा होती है। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को इन घटनाओं की सूचना दे दी गई है।

नलगोंडा जिले में अरंडी तेल उद्योग समूह

6329. **श्री टी० बालकृष्णैया :**
श्री एम० सत्यनारायण राव :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नलगोंडा जिले में अरंडी तेल उद्योग समूह की स्थापना के लिए आशयपत्र जारी करने का निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि यह कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उद्योग है इस मामले में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख) मैसर्स ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड की सहायक इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना में विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। सरकार इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विनिर्माण कार्य के लिये देश में उपलब्ध कार्यविधि ज्ञान की संभावना की जांच करने के लिए गठित किए गए विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

Representative of Employees in the Board of Directors of Punjab National Bank

6330. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the name of the representative of the employees included in the Board of Directors of the Punjab National Bank;

(b) whether the said representative has been elected by the employees; and

(c) if not, the reasons for including him in the Board?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) As per the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, each of the Boards of the nationalised banks has to have two employee-Directors—one from among the employees of the bank who are workmen and the other from among the employees who are not workmen. Shri D.P. Chadha is the Director representing the workmen employees and Shri I.S. Ahluwalia is the Director representing non-workmen employees on the Board of Directors of Punjab National Bank.

In terms of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Director representing the workmen employees has to be selected from a panel of 3 names to be furnished by the representative union in the bank as determined by the Chief Labour Commissioner (Central) after due verifications as per the procedure prescribed. The scheme provides for the selection of the Director representing the non-workmen staff in consultation with the Reserve Bank of India. Accordingly, Shri I.S. Ahluwalia was appointed in December 1972 as officer Director in the Bank initially for a period of one year, which was subsequently extended for two more years. Shri Chadha was appointed as a director for a period of 3 years from out of a panel of names furnished by the All India Bank Employees Association, which was identified as the representative union in the bank by the Chief Labour Commissioner (Central). The Boards of Directors of all the nationalised banks are being reconstituted shortly and pending reconstitution all directors continue to hold office in terms of the Scheme.

Proposal to provide stoppage at Jhansi for Delhi-Khajuraho Air Flight

6331. **Shri Laxmi Narayan Nayak** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the daily air flight from Delhi to Khajuraho stops and takes passengers at Agra only; and

(b) whether Government propose to provide a stoppage for this flight at Jhansi, which is an important historic city, a railway junction, Divisional Headquarters and an important military centre in addition to Babina Cantonment, on the Agra-Khajuraho route keeping in view the convenience and saving of time of passengers visiting Khajuraho?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The daily Boeing-737 service from Delhi to Khajuraho operates on the route Delhi/Agra/ Khajuraho/ Varanasi and back (IC-407/408) and takes passengers from all these points.

(b) : No, Sir.

Tax on goods sent out of Gujarat

6332. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the Government of Gujarat had submitted certain proposals to impose tax on the consignments of goods sent outside Gujarat, if so, when and the details of that proposal;

(b) the steps taken or proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the description of goods sent out of Gujarat for trade purposes ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking : (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) In 1968, the Government of Gujarat suggested levy of a consignment tax on goods sent on consignment basis from one State to another. The Government of Gujarat were concerned about such goods as groundnut oil, oil cakes, fertilisers and cotton seeds. The suggestion was examined in consultation with the State Governments and certain amendments were carried out through Central Sales Tax (Amendment) Act, 1972 to place the burden of proof ondealers who claim non-liability to Central sales tax in respect of goods sent from one State to another. Subsequently, the matter was referred to the Law Commission for examination in 1973. In the light of the Commission's recommendations contained in their 61st Report, a draft Bill seeking to amend the Constitution of India including, inter alia, amendments for the purposes of levy of tax on consignments of goods from one State to another has been circulated to the State Governments for their views. The matter will be processed after the State Governments' reactions are received.

Lodging and Transport Facilities for Tourists Visiting Sitamarhi, Bihar

6333. **Shri S. S. Das :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether in accordance with the mythological and folk tales, Sita was born in Sitamarhi, Bihar and there are many spots from Janakpur to Sitamarhi, Panthpakar, etc., which are very important places from religious and tourism point of view and whether his Ministry has relevant tourist literature, films, display material and proposals in this regard;

(b) whether lakhs of tourists visit Sitamarhi, a place of Indian culture and pilgrimage, ev. y year on the occasion of Ramnavami and Vivah Panchami; and

(c) if so, whether he is preparing a plan to provide lodging, transport and other facilities to tourists in Sitamarhi keeping in view its importance as a tourist place ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) to (c) Sitamarhi is one of the many places of pilgrimages in the country where a large congregation of pilgrims gathers particularly on the occasion of Ramnavami and Vivah Panchami. Since it is of importance to domestic tourists, the development of facilities at Sitamarhi and the publication of tourist literature, other publicity material and making of a film on the place would be the responsibility of the State Government.

आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारी वाले स्थानों पर नियुक्त करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

6334. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों और असिस्टेंट कमिश्नरों द्वारा विशेष वेतन वाले पदों, कम्पनी जिला कार्यभार, सेंट्रल सर्किलों के पदों के धारण के लिए अनुभव की अवधि कितनी है ; और

(ख) सम्बद्ध आयकर कमिश्नरों द्वारा जिम्मेदारी वाले स्थानों पर अधिकारियों को नियुक्ति करने में किन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाता है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) किसी अधिकारी को विशेष वेतन युक्त पद पर, किसी कम्पनी/रेंजपरिमण्डल, अथवा किसी सेंट्रल रेंज/परिमण्डल में तैनात किए जाने के लिए अनुभव की कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं है। लेकिन आयकर के ऐसे सहायक आयुक्तों को जिनकी अपने ग्रेड में आमतौर पर ८ वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा हो चुकी है, तथा श्रेणी 1 के ऐसे आयकर अधिकारियों को, जिनकी अपने ग्रेड में आमतौर पर 4 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा हो चुकी हो, इस प्रकार के पदों पर तैनात किया गया है।

(ख) आयकर आयुक्त ऐसे पदों पर तैनाती करने के लिए सक्षम नहीं हैं जो विशेष वेतन युक्त पद हैं। वे आयकर के सहायक आयुक्तों की भी उस स्थिति में तैनाती करने को सक्षम नहीं हैं यदि ऐसी तैनातियों के कारण कार्य के स्थानों में परिवर्तन होता हो अथवा जहां किसी सहायक आयुक्त को अपीलीय कार्य से कार्यकारी कार्य और कार्यकारी कार्य से अपीलीय कार्य में बदलने का प्रस्ताव हो। अन्य पदों पर तैनाती करने में आयुक्त किसी पद विशेष के साथ जुड़ी जिम्मेदारी और किसी अधिकारी की सक्षमता अनुभव, रुझान इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पद पर कार्य करने के लिए उसकी उपयुक्तता जैसे कारणों को ध्यान में रखते हैं।

Malpractices in Weighing Contraband Gold and Silver

6335. **Shri Ram Prakash Tripathi :** Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether any complaint has been received during the period from March, 1977 to 15th July, 1977 about bungling of lakhs of rupees in the weighing of large quantity of contraband gold and silver seized during an important raid conducted in Etawah by the Central Excise Officials of Kanpur region, Uttar Pradesh; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) A complaint has been received recently that there were gross irregularities in weighment and preparation of recovery lists in connection with the seizrure of a large quantity of gold and ornaments in Etawah by the Central Excise officials. Similar complaints had been received earlier and it had been found that they had no basis. The matter is however being looked into again.

राज्यों को चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता

6336. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने हाल में चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

महाराष्ट्र द्वारा एकाधिकार कपास वसूली योजना का परित्याग

6337. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एकाधिकार कपास वसूली योजना का परित्याग करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनियों के प्रभागीय सचिव

6338. **श्री शिव सम्पत्ति राय** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि सामान्य बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों के जिन अनेक प्रभागीय सचिवों को सामान्य बीमा सेवा एकीकरण समिति द्वारा 'अयोग्य' अथवा कनिष्ठ समझा गया था, उन्हें आपात स्थिति की घोषणा होने से कुछ ही दिन पहले प्रभागीय प्रबन्धक बना दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) स्थिति सही बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना इकठ्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता स्थित निर्यात निरीक्षण परिषद और एजेंसियों के कार्यकरण के बारे में ज्ञापन

6339. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कलकत्ता स्थित निर्यात निरीक्षण परिषद और उसके अन्य पत्तन केन्द्रों में एजेंसियों के कार्यकरण के बारे में जांच की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण कर्मचारी संघ, कलकत्ता से प्राप्त ज्ञापन में अनेक मामले उठाए गए थे, जिनमें निम्नलिखित शामिल थे :—

(1) परिषद की स्थिति तथा इसे अधिक स्वायत्तता दिये जाने का प्रश्न ;

(2) निर्यात निरीक्षण परिषद के अधिकारी का परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना ;

(3) परिषद/अधिकरण के कार्यकरण की जांच ;

(4) निर्यात निरीक्षण परिषद को कलकत्ता तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यालय के लिये अपनी इमारत तथा साथ ही स्टाफ के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये पर्याप्त धन देना ;

(5) निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को दिये जाने वाले मकान किराया भत्ते की दर में वृद्धि करके 25 प्रतिशत करना ;

(6) कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति ;

(7) अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत अधिक मदों को शामिल करना,

(8) वित्त तथा प्रशासन को पृथक-पृथक करना।

(ग) ऊपर दी गई बातों के बारे में स्थिति यथाक्रम निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) भारत सरकार ने निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद की स्थापना की थी ताकि क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के जरिए निर्यात व्यापार का सुचारू रूप से विकास हो सके। अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण स्थापित किये हैं। इन निर्यात निरीक्षण अभिकरणों का परिषद के प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण के अधीन रखा गया है।

(2) निर्यात निरीक्षण परिषद के वरिष्ठतम विभागीय अधिकारी की हाल ही में पदोन्नति की गई है तथा 9 जून, 1977 से परिषद के निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण निदेशक-सह-सदस्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है।

(3) यह सोचा जाता है कि हाल में किये गये परिवर्तन से, जैसा कि ऊपर (2) में बताया गया है, परिषद तथा उसके अधीन कार्य करने वाले अभिकरणों की अधिक स्वायत्तता तथा गतिशीलता प्राप्त होगी। सरकार का विचार निर्यात निरीक्षण परिषद तथा उससे सम्बद्ध अभिकरणों के कार्यकरण के पुनरीक्षण करने का भी है इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(4) निर्यात निरीक्षण परिषद को सारा धन सरकारी फण्ड में से दिया जाता है। निर्यात निरीक्षण अभिकरण अपने कार्य व्ययों में घाटे पूरे करने के लिये सरकारी सहायता भी प्राप्त करती है। संसाधनों की स्थिति, चालू मितव्ययिता तथा बड़ी मात्रा में अपेक्षित निवेश पर विचार करते हुए यह सम्भव नहीं होगा कि परिषद तथा निरीक्षण अभिकरणों के कार्यालयों की इमारतों/स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये धन दिया जाये।

(5) निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अधिकरण के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता वेतन का 15 प्रतिशत अर्थात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय दर पर, दिया जा रहा है। 15 प्रतिशत की दर से मकान किराये भत्ते की भुगतान की दर उस दर के समान है जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कुछ अन्य ऐसे ही संगठनों के कर्मचारियों को देय है। फिलहाल, इन कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(6) निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण के कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति परिषद द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित की जाती है। कर्मचारियों की जानकारी के लिये ये नियम अब परिचालित किये जा रहे हैं।

(7) क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के अधीन अतिरिक्त पदों को शामिल करने के प्रश्न की बराबर समीक्षा की जाती है।

(8) प्रशासन तथा वित्त पृथक-पृथक देखे जा रहे हैं तथा ये दोनों स्कंध निरीक्षण परिषद के कार्यालय के प्रधान अधिकारी/अभिकरण के मुख्य कार्यालयों को रिपोर्ट करते हैं।

Import and Export trade agreements with U.S.S.R., China, France, U.K. and U.S.A.

6340. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the value of import and export trade agreements for 1977-78 signed so far with Soviet Union, China, France, U.K. and U.S.A.; and

(b) the value of additional trade agreements likely to be signed by the end of this year.

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) There is an Import and Export Trade Agreement/Trade Protocol only with Soviet Union among the countries mentioned. This Agreement envisages a trade turnover of Rs. 1,064 crores in 1977, which includes Rs. 432 crores of imports from USSR and Rs. 632 crores of exports to the USSR.

(b) A Trade Protocol is expected to be signed with the USSR for 1978 by the end of this year, but volume of trade will be known only after discussions are held.

खाद्यान्न वसूली के लिये धनराशि के कोटा का पालन करने में वाणिज्यिक बैंकों की कठिनाइयां

6341. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वित्त और राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों की खाद्यान्न वसूली के लिये धनराशि के अपने कोटों का पालन करने में हाल में कठिनाईयां हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या धनराशि की इस कमी का खाद्यान्न वसूली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों और अनके अभिकरणों को खाद्यान्न वसूली कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बैंकों से संघ (कन्सोर्टियक) को जून, 1977 में पुनर्गठित किया गया था और इसमें पहली बार 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशियों वाले, 6 विदेशी बैंकों को शामिल किया गया है। कुछ भारतीय बैंकों का अंश (कोटा) भी उनकी जमा राशियों में वृद्धि के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों की जिनका अंश संघ में बढ़ा दिया है, खाद्यान्न ऋणों के अपने हिस्से को पूरा करने के लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बताया गया है। यह आशा की जाती है कि ये बैंक उन्हें आवंटित खाद्यान्न ऋणों को इस क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लेंगे।

(ग) जी नहीं। जिस हद तक कोई बैंक खाद्यान्न ऋण के अपने-अपने हिस्सों को तत्काल पूरा नहीं कर पाता है, भारतीय स्टेट बैंक जो इस संघ का नेता है, अन्य बैंको द्वारा अन्तिम रूप से अपना-अपना ऋण भाग पूरा किये जाने तक खाद्यान्न ऋण के अतिरिक्त ऋणों को वहन करता है।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को जोड़ते हुए मुख्य उड़ान मार्गों के बारे में इंडियन एयर लाइन्स की नीति

6342. **श्री एस० कुन्हम्बू:** क्या **पर्यटन और नागरिक विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को जोड़ते हुए मुख्य उड़ान मार्गों के बारे में इंडियन एयर लाइन्स की क्या नीति है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि मद्रास से यह सीधी विमान सेवा न जोड़ने का विरोध किया जा रहा है और इससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कोशिक) : (क) : मुख्य मार्गों के उड़ानों के बारे में इंडियन एयरलाइंस की मूल नीति जहां तक हो सके यात्रियों के पसंद के समयों पर सीधी विमान सेवाओं की व्यवस्था करना है।

(ख) दिल्ली, मद्रास की सीधी उड़ान (आई सी–439/440) पर नागपुर में एक मध्यवर्ती विराम (हाल्ट) के चालू करने से यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है। तथापि इण्डियन एयर लाइंस नागपुर को इस सेवा में सम्मिलित कर देने से दिल्ली तथा मद्रास के बीच नागपुर के लिये तथा नागपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विमान सेवा की व्यवस्था करने में सफल हुई है।

भारतीय बूटी ईसबगोल की निर्यात की मांग

6343. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 करोड़ रुपये के मूल्य की भारतीय बूटी 'ईसबगोल' के निर्यात की असाधारण मांग हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में, इसकी पैदावार बढ़ाने तथा इस औषधि के निर्यात से अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए इसके परिष्करण के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अप्रैल-फरवरी 1976–77 के दौरान ईसबगोल के निर्यात बढ़कर 16.42 करोड़ रुपये के हो गये जबकि 1975–76 में वह 5.62 करोड़ रु० के थे।

(ख) बैसिक कैमिकल्स, फारमास्यूटिकल्स एण्ड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के अनुसार 1976–77 के दौरान ईसबगोल का उत्पादन बढ़कर अनुमानतः 45,000 मे० टन हो गया जबकि 1972–73 में में वह 12,275 मे० टन था। कैमीकल्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया ने इकाई मूल्य प्राप्ति बढ़ाने की दृष्टि से सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया के साथ मिलकर अनुसंधान और विकास करने के लिए कदम उठाए हैं।

हिमाचल प्रदेश के चाय उत्पादकों को दिये गये प्रोत्साहन

6344. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय की उत्पादन वृद्धि तथा इसके विपणन के बारे में उनके मंत्रालय तथा चाय बोर्ड द्वारा क्या संभावित कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाये जाने वाले हैं ; और

(ख) विशेषतया हिमाचल प्रदेश के चाय उत्पादकों को जहां चाय उद्योग समाप्त होने जा रहा है, चाय बोर्ड ने क्या प्रोत्साहन दिये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार चाय रोपणकर्त्ताओं को चाय बोर्ड के जरिए ऋण तथा इमदाद के रूप

में वित्तीय सहायता दे रही है। चाय विकास की योजनाओं में ये शामिल हैं (1) पुनर्रोपण इमदाद योजना तथा (2) चाय बागान वित्त योजना जिसके अधीन चाय क्षेत्रों में पौधों के रोपण एवं पुनर्रोपण के लिये इमदाद एवं ऋण दिये जाते हैं और (3) चाय मशीनरी एवं सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना जिसके अन्तर्गत किराया खरीद आधार पर मशीनें दी जाती हैं।

जहां तक भारत में चाय के विपणन का संबंध है, बिक्रियां विभिन्न नीलामी केन्द्रों पर, जो आज कलकत्ता, गोहाटी, सिलीगुड़ी, कोचीन अमृतसर तथा कन्नूर में स्थित हैं, चाय व्यापार संघों द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सुसंगठित नीलामी केन्द्रों के जरिए की जाती हैं। चाय बोर्ड नीलामियों पर निगरानी रखता है तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार सामान्य सलाह देता है तथा मार्गदर्शन करता है। इस वर्ष चाय की कीमतों में वृद्धि को देखते हुर्ष उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी 80 प्रतिशत चाय सरकारी नीलामी केन्द्रों के माध्यम से बेचे।

(ख) हिमाचल प्रदेश में चाय के विकास के लिये चाय बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) पालमपुर में चाय बोर्ड का एक स्थानीय कार्यालय खोलना।

(2) बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिसमें तकनीकी अधिकारी शामिल हैं, समय-समय पर हिमाचल प्रदेश के चाय क्षेत्रों का मुआयना करना।

(3) 1964 में चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता के बारे में एक सरकारी चाय फैक्टरी स्थापित की गई। इसके विस्तार के प्रस्थापनाओं पर विचार हो रहा है।

(4) सरकार ने पालमपुर में एक अतिरिक्त चाय फैक्टरी स्थापित करने के लिये भी अनुमति दे दी है जिसके लिये चाय बोर्ड ने 15 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है तथा 5 लाख रु० पहले ही दे दिये गये हैं।

(5) सिद्धबरी तथा बैजनाथ में दो और सहकारी चाय फैक्ट्रियां स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

(6) बोर्ड ने ऋण के रूप में 3 लाख रु० कांगडा चाय उत्पादक सप्लाई तथा औद्योगिक विपणन सोसायटी लि० को दिये हैं जो अमृतसर में चाय की नीलामियों का प्रबंध करता है।

(7) बोर्ड 50 : 50 के आधार पर पालमपुर में एक प्रायोगिक केन्द्र को सहायता देता रहा है, जो इस राज्य में चाय रोपणकर्ताओं के लाभ के लिये अनुसंधान करता है। बोर्ड ने इस प्रायोगिक स्टेशन पर लगाई जानी वाली उच्च कोटि की रोपण सामग्री का संभरण किया है।

Export of meat of Animals and Birds

6345. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the names of places in the country from where meat of animals and birds or other creatures is exported to foreign countries and the species of those animals and birds or creatures; and

(b) the amount of foreign exchange earned by Government thereby during the last three years?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Meat is exported mainly from the major sea/air ports of India. The species of which meat has been exported are, buffaloes, sheep, goats, poultry birds, frogs, turtle and tortoise.

(b) The foreign exchange earned thereby during last three years is as follows :—

	1974-75	1975-76	1976-77 (April—Dec. '76)
	Rs. lakhs	Rs. lakhs	Rs. lakhs
Fresh/chilled meat	105.21	157.55	279.50
Frozen meat	245.74	324.02	454.16
Poultry meat (dressed)	Nil	Nil	0.07
Frog meat (Legs)	152.00	544.00	730.00*
Turtle/Tortoise meat	1.00	1.00	Nil

*Figures are provisional for full year April 1976 to March 1977.

प्राधिकृत व्यापारियों को कन्ट्रोल का कपड़ा देने की व्यवस्था

6346. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र के, उसको आबंटित कोटे को उठाने में, असमर्थ होने पर, प्राधिकृत व्यापारियों को कंट्रोल का कपड़ा देने के बारे में कोई व्यवस्था है ;

(ख) क्या सरकार को सूचना मिली है कि दूर के क्षेत्रों विशेषकर उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में जहां आदिवासी, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां रह रही हैं, कंट्रोल के कपड़े की सप्लाई के लिये बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध म सरकार की नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कंट्रोल के कपड़े का समग्र वितरण राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ को सौंपा गया है और प्राधिकृत व्यापारियों को कंट्रोल का कोई कपड़ा रिलीज करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद को प्रमुख नगरों के साथ हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव

6347. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद जो कि वस्तुतः गुजरात की राजधानी भी है और एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र है, देश के अन्य प्रमुख नगरों, विशेषकर गुजरात के गांधीधाम (कच्छ), राजकोट, भावनगर, जामनगर, सूरत और बड़ौदा के साथ हवाई मार्ग से जोड़ने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) विमान बेड़े की तंग स्थिति तथा अन्य परिचालनात्मक प्रतिबंधों को दृष्टि में रखते हुए, फ़िलहाल इंडियन एयर लाइन्स की अहमदाबाद को राज्य के अन्य नगरों से जोड़ते हुए गुजरात राज्य के भीतर विमान सेवाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स ने पहले ही बम्बई को गुजरात के आठ नगरों

अर्थात् अहमदाबाद, भुज, बड़ौदा, भावनगर, जामनगर, पोरबन्दर, राजकोट तथा केशोद से विमान सेवा द्वारा जोड़ने की व्यवस्था की हुई है।

एयर इंडिया के उप प्रबन्ध निदेशक श्री दस्तूर को दिया गया वेतन तथा भत्ते

6348. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 26-5-77 से 8-6-77 की पाक्षिक पत्रिका 'फ़ार यू' में प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एयर इंडिया ने एयर इंडिया के उप-प्रबन्ध निदेशक श्री दस्तूर को उनके सब वेतन तथा भत्ते 20 वर्ष तक विदेशी मुद्रा में दिये;

(ख) क्या श्री दस्तूर ने भारत में नियुक्ति होने पर विदेशों में अर्जित की राशि भारत नहीं भेजी है और इस प्रकार रिजर्व बैंक आक इंडिया के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया है ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयर इंडिया के उप-प्रबंध निदेशक, श्री एन० एच० दस्तूर ने कहा है कि उसने विदेश में रहते हुए कोई धन नहीं बचाया, अतः वापस भारत में नियुक्त किए जाने पर उसने कोई पैसा भारत नहीं भेजा।

(घ) इस मामले में अभी तक कोई छान-बीन नहीं की गई है।

ब्याज की दरों में कमी के कारण बैंकों की अनुमानित लाभ/हानि

6349. **श्री विजय कुमार मंडल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चैक बुक प्रणाली वाले बचत बैंक खातों के संबंध में ब्याज की दर को 5 से घटाकर 3 प्रतिशत करने से बैंकों की अनुमानतः कितना लाभ अथवा हानि होगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अभी इस समय तक बचत बैंक खातों और बचत जमा खातों के बीच किये गये अन्तर तथा इनमें से पहले खाते पर कम ब्याज दर लगाने के परिणामस्वरूप बैंकों की लागत में बचत का सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है। चैक बुक सुविधा वाले बचत बैंक खातेदारों को यह विकल्प दिया गया है कि वे इस सुविधा का परित्याग करके अपनी जमाओं पर अधिक दर से ब्याज कमा सकते हैं। आशा की जाती है कि बहुत से जमाकर्ता जिन्हें चैक सुविधा की आवश्यकता नहीं है, इस विकल्प को अपना लेंगे। इसके साथ ही साथ, यह भी संभव है कि बचत बैंक खातेदार जिनके खाते में काफ़ी रकम जमा है, अपनी अधिकांश जमा राशि रखने के लिए बिना चैक सुविधा वाला एक अलग बचत जमा खाता खोल लेंगे जिस पर उन्हें 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा।

बचत बैंक खातों और बचत जमा खातों में अन्तर मुख्यतः इस कारण नहीं किया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अदा किये जाने वाले ब्याज की लागत में बचत की जाये बल्कि ऐसा इसलिये किया गया है कि ऐसी जमाओं में जो वास्तविक बचत हैं और ऐसी जमाओं में जो बैंक जमाओं के रूप में अस्थायी तौर पर रखी गई कारोबार राशि जैसी है, में अन्तर किया जा सके।

संरक्षित (कम्यूटिड) पेंशन के बारे में पुराना नियम

6350. **श्री बी० एन० सिंह :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1977 के "इण्डियन एक्सप्रेस" (पृष्ठ 4) में "आउट डेटिड रूल्स आन कम्यूटिड पेंशन" शीर्षक के अन्तर्गत छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका वर्तमान आयु-काल तथा कल्याणकारी राज्य के सन्दर्भ में शताब्दी पुराने नियम पर नये सिरे से विचार करने तथा इस प्रकार दीर्घकाल से कष्ट उठा रहे पेंशनभोगियों के इस वर्ग को राहत देने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। जो पेंशनभोगी अपनी पेंशन के संराशीकरण के पश्चात् 10 वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं उनको पेंशन के संराशीकृत अंश का प्रत्यावर्तन किए जाने के लिए पेंशनभोगी मांग करते आ रहे हैं। लोक सभा की याचिका विषयक समिति ने भी नियमों को उदार बनाने के उद्देश्य से पेंशनों के संराशीकरण की योजना के पुनरीक्षण की सिफारिश की है। संराशीकरण ऐच्छिक है और नियमों के अनुसार पेंशनों के संराशीकृत अंशों को जिन्दगीभर के लिये समर्पित किया जाता है। आयुकाल में किसी सामान्य परिवर्तन को संराशीकरण सारणी के सामयिक संशोधन के समय ध्यान में रखा जाता है। इस प्रश्न की पूर्ण रूप से जांच की गयी है परन्तु उपर्युक्त कारणों और अन्य कारणों से इस मांग से सहमत होना संभव नहीं पाया गया है।

Ban on Export of Mangoes, Onion and Patato

6351. **Shri Ram Lal Rahi**: Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the foreign exchange lost this year as a result of banning export of mangoes to foreign countries and the reasons for this ban; and

(b) whether onion and patato growers have been adversely affected by the ban on their exports and the prices of these products have also fallen?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Export of mangoes has not been banned.

(b) While imposing restrictions, care is taken to ensure that there is a balance between the protection of the interests of the actual growers and of the domestic consumers.

आन्ध्र प्रदेश आटोमोबाइल टायर्स एंड ट्यूब परियोजना

6352. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश आटोमोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब परियोजना का मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं जिसके लिए 1971-72 में एक आशय पत्र जारी किया गया था और बाद में जिसे औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार न करने के बारे में पहले लिए गए निर्णय को बदल दिया गया था; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश आटोमोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब परियोजना की गति में विलम्ब हो गया था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल):(क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश में टायर उद्योग की समग्र स्थिति को ध्यान में रख कर नई टायर और ट्यूब परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता के अनुरोधों पर विचार कर रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निर्णय किया है कि फ़िलहाल, टायर उद्योग की स्थिति और अगले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ने वाली मांग की संभावना को ध्यान में रखकर इस अवस्था में नए एककों की स्थापना किए जाने के पर्याप्त अवसर प्रतीत नहीं होते। तदनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बक इस निर्णय पर पहुंचा है कि अभी वह आंध्र प्रदेश आटोमोबाइल्स और ट्यूब परियोजना पर विचार करने की स्थिति में नहीं हैं।

मई, 1977 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सलाह दी है कि मांग की सीमांतिक वृद्धि पर विचार करते समय, भविष्य में प्रस्तावों के सापेक्ष आर्थिक गुणावगुणों पर आधारित नयी परियोजनाओं और वर्तमान परियोजनाओं के काफी विस्तार दोनों के दावों पर ध्यान दिया जा सकता है।

लौह अयस्क (रा) का निर्यात

6353. **श्री द्रोणमराजू सत्यनारायण** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एजेंसी के माध्यम से लौह अयस्क (रा) का निर्यात करने में हानि हो रही है ;

(ख) क्या देश को विश्व बाजार में प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा प्रति टन 80 से 40 डालर कम मिल रहा है ;

(ग) लौह अयस्क (रा) के निर्यात से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं। भारत को लौह अयस्क के निर्यात में समग्र रूप से कोई हानि नहीं हो रही है। भारत लौह अयस्क का निर्यात बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के किसी अभिकरण के माध्यम से नहीं करता।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विकास परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता

6354. **श्री विजय सिंह नाहर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से भारत को अनुमानतः कितनी राशि मिलेगी;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये विकास परियोजनाओं का पता लगा लिया गया है? और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता में पश्चिमी बंगाल को अनुमानतः कितना अंश मिलेगा?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) : विश्व बैंक समूह से, बैंक के राजस्व वर्ष 1978 (पहली जुलाई, 1977 से 30 जून, 1978 तक) के दौरान 1.1 अरब डालर की सहायता का वचन मिलने की पूरी आशा है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से नई परियोजनाओं का पता लगाने का काम चल रहा है। अतः, दर बताना सम्भव नहीं है कि बैंक के राजस्व वर्ष के दौरान उनको जो सहायता मिलेगी उसमें पश्चिम बंगाल का कुल कितना हिस्सा होगा।

होटल विकास ऋण योजना

6355. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल विकास ऋण योजना औद्योगिक वित्त निगम को हस्तांतरित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके हस्तांतरण के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :(क) जी, हां। यह सही है कि होटल विकास ऋण योजना सम्बन्धी कार्य को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ख) इस स्कीम की स्थापना अप्रैल, 1968 में देश में होटल उद्योग के लिए ब्याज देय ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता के एक विशेष साधन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से की गयी थी।

चौथी योजना में स्कीम के क्रियाकलापों में तेजी से विकास तथा पांचवीं योजना में उनकी प्रत्याशित और अधिक वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए स्कीम का विभागीय रूप से संचालन जारी रखना इस कारण वांछनीय नहीं समझा गया कि विभाग के पास निम्नलिखित बातों के लिए प्रशासनिक साधन नहीं थे :—

(1) इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त ऋण आवेदनों को 'प्रोसेस' करना व उनकी जांच करना;

(2) होटल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रतिभूति एवं उनके द्वारा जारी की गयी विवरणिकाओं और अन्य संस्थाओं से ऋण लेने सम्बन्धी उनकी शर्तों की पूर्ण जांच करना;

(3) ऋण किस्तों की अदायगी को विनियमित करने के लिए होटलों के निर्माण की प्रगति की जांच करना;

(4) ऋणों के भुगतान न होने तक होटल कम्पनियों के वित्तीय परिचालनों की देख-रेख करना;

(5) स्वीकृत किए गए प्रत्येक ऋण के ब्याज तथा मूल धन की अदायगी का लेखा-जोखा रखना।

अतः होटल विकास ऋण योजना सम्बन्धी कार्य को 11 जनवरी, 1974 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया।

रक्षा लेखा विभाग मेरठ के कर्मचारियों को मुअत्तल/बर्खास्त किया जाना

6356. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि आपात स्थिति के दौरान मेरठ स्थित रक्षा लेखा विभाग के अनेक कर्मचारियों को झूठे आधारों पर मुअत्तल किया गया, बर्खास्त किया गया, उन्हें आरोप-पत्र दिये गये, उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई, उनका गलत तरीके से तबादला किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें बहाल करने और उन्हें दिये गये आरोप-पत्र तथा निलम्बन आदेश वापस लिये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां, श्रीमन्, रक्षा लेखा विभाग, मेरठ के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसे अभिकथित कार्यवाही के मामले ध्यान में लाये गये थे ।

(ख) उपरोक्त सभी मामलों का पुनर्विवेचन किया गया और उपयुक्त मामलों में सजाओं को कम करने का निर्णय किया गया था।

महालक्ष्मी मिल्स, व्यापार के महाप्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार तथा माल खरीद अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

6357. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महालक्ष्मी मिल्स, व्यावर के महाप्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार तथा माल खरीद अधिकारी और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे;

(ख) क्या उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) के चेयरमैन से शिकायतें की गई थीं तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमैन ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और बाद में इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन अधिकारियों को लाखों रुपयों का माल खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया, सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें महालक्ष्मी मिल्स एवं एडवर्ड मिल्स, व्यावर के महाप्रबन्धक तथा महालक्ष्मी मिल्स, व्यावर के माल खरीद अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच करने के लिये राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) के निदेशकों के बोर्ड की एक उप समिति नियुक्त की गई थी। इससे पहले की उप समिति कार्यवाही प्रारम्भ करती, सी०बी०आई० की जयपुर शाखा ने महाप्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत की जांच अपने हाथ में ले ली। अतः उप समिति ने इस मामले में महाप्रबन्धक के विरुद्ध और आगे कार्यवाही नहीं की। माल खरीद अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जांच उप समिति द्वारा की गई थी तथा उसे अपनी भूलों के लिए चेतावनी दी गई थी। सी०बी०आई० ने महालक्ष्मी तथा एडवर्ड मिल्स, व्यावर के महानिदेशक, तथा मुख्य लेखा अधिकारी के विरुद्ध दो मामलों में दो पृथक-पृथक रिपोर्टें भेजी हैं। मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

पर्यटन की परिकल्पना में परिवर्तन

6358. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:**

श्री विजय कुमार मंडल:

श्री निहार लास्कर:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार पर्यटन की परिकल्पना में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जाने हैं;

(ग) इन परिवर्तनों से पर्यटन के विकास को कहां तक बढ़ावा मिलेगा;

(घ) क्या उन्होंने हाल ही में युवा और पर्यटन पर अखिल भारतीय सम्मेलन में यह स्वीकार किया था कि ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के रूप में विकास करने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) से (ग) युवावर्ग एवं पर्यटन पर अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह कहा गया था कि पर्यटन के बारे में हमारी धारणा में परिवर्तन आना चाहिये ताकि विदेशों से पर्यटक आकर्षित करने के लिये महंगे होटलों के निर्माण के अतिरिक्त कम बजट वाले होटल भी बनाये जायें जहां सस्ता, स्वच्छ और सुविधाजनक आवास और शिष्टाचारयुक्त सेवा उपलब्ध हो और जो मध्य वर्ग के अन्तर्देशीय पर्यटकों और कम धनाढ्य विदेश पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

(घ) और (ङ) उपरोक्त उद्घाटन भाषण में यह भी कहा गया था कि युवकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी महान् संस्कृति, इतिहास, धार्मिक परम्पराओं और जीवनशैली से परिचित होने के लिये देश की व्यापक रूप से यात्रा करें। इसी प्रसंग में प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थानों के अतिरिक्त ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के पर्यटक स्थलों के विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। यह बताया गया था कि युवकों की ऐसी यात्राओं से राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भी सहायता मिलेगी।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों की पर्यटन संभाव्यताओं का एक व्यापक सर्वेक्षण करें और ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से पर्यटकों के लिये महत्वपूर्ण स्थानों तथा वन्य जीवन एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से पर्यटक रुचि के स्थलों के विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार करें। इन मास्टर प्लानों के अनुसार देश में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये कार्यवाही की जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त आफिसर

6359. **श्री बसन्त साठे**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, सेवा में लिये गये एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त आफिसरों की वरिष्ठता के तथा अन्य लाभ देने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया है और तदनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निदेश दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) सरकार ने भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों का सरकारी सेवा में अन्तर्लयन करने के बारे में 1966 में कुछ अनुदेश जारी किए थे। यद्यपि ये आदेश सरकारी उद्यमों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं थे फिर भी सरकारी उद्यमों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि जिस तरह सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों के आरक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू किये गये हैं; उसी तरह वे भी उन्हें अपने यहां लागू करें। भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों और अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों को फिर से सरकारी सेवाओं में

लगाने के ये आदेश जनवरी, 1974 में समाप्त हो गये थे। सरकार इन अधिकारियों को सरकारी सेवाओं और सरकारी उद्यमों में समुचित अवसर प्रदान करके उन्हें फिर से रोजगार देने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है। यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

आसाम में ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास

6360. **श्री निहार लास्कर**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम राज्य का पर्यटन की दृष्टि से अब तक विकास नहीं किया है;

(ख) क्या राज्य में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका पर्यटन स्थलों के रूप में विकास किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक): (क) से (ग) हालांकि असम में ऐतिहासिक रुचि एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के काफी स्थान हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र में जिसमें असम भी शामिल है पर्यटकों के घूमने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण इस क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं के किसी बड़े स्तर पर विकास करने में रुकावट हुई है। इन परिसीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए केन्द्रीय क्षेत्र में काजीरंगा वन्य जीव शरणस्थल में एक फॉरैस्ट लॉज का निर्माण किया गया है, तथा गोहाटी में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया जा रहा है।

Setting up of a Jute Mill in District Saharsa (Bihar)

6361. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether jute cultivation is done on a large scale in Saharsa district in Bihar ;

(b) whether there is neither a jute mill nor a loom in this district; and

(c) if so, whether Union Government propose to initiate action for setting up of a jute mill in this backward district ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) There is no jute mill in the Saharsa district of Bihar. However, three jute mills are located in the State of Bihar. In addition, letters of intent have been issued for setting up of two jute mills in the backward areas of the State on the recommendations of the State Government of Bihar. There is no proposal to set up any jute mill in Saharsa Distt.

Export of Jute Foods/Products

6362. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(*a*) whether the export of jute goods/products was not satisfactory in January, 1976;

(b) whether export of jute goods registered a shortfall by 14.6 per cent in quantity and 22.9 per cent in its value; and

(c) if so, the steps being taken to make up the shortfall in the export thereof?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) Exports of jute goods during the financial year 1976-77 have registered a shortfall of 14.4 per cent in quantity and 21.9 per cent in value compared to the exports during the financial year 1975-76.

(c) The following are important steps taken for this purpose :

(1) Export duty on all jute products have been abolished.

(2) Export of some items of jute goods have been made more competitive in foreign markets and more remunerative to the manufacturers.

(3) Public Sector Organisations have been actively associated with export of jute goods.

(4) Liberal assistance is being given for Research and Development efforts for promoting new enduses and reducing cost of production.

(5) Cess has been levied on jute manufacturers to finance R & D activities through the Development Council constituted for the jute industry.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में 5 लाख रुपये से भी अधिक का गबन, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोग

6363. **श्री कंवर लाल गुप्त:** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुए 5 लाख रुपये से भी अधिक के गबन, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोग का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) गबन आदि रोकने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Financial Assistance to Cotton Garment Exporters

6364. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether cotton garment exporters are provided some financial assistance by way of cash-incentive; and

(b) if so, the rules governing the terms and conditions of payment of this cash-incentive?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b) : Government do not give any cash incentive on exports of cotton garments. However, Cotton Garment Exporters receive assistance under the Cash Assistance Scheme operated by the Textile industry which in turn is assisted by Government.

Exploitation of poor Weavers by Cooperative Societies

6365. **Shri Harikesh Bahadur** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take any steps to check exploitation of poor weavers by cooperative societies in the Handloom Industry ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b) : It is the policy of the Government to promote cooperatives of handloom weavers in order to ensure that the full benefits flow to the members.

The State Governments which are directly responsible for formation and registration of Handloom Weavers Cooperatives and their proper functioning are taking a number of steps to prevent possible exploitation of weaver members. Some of these measures are given below :

(i) Inspection procedures prescribed by the State Governments are being tightened to ensure yarn purchase and proper distribution of yarn among the weaver members.

(ii) Steps are taken by the field staff to supervise disbursment of wages to actual members of cooperatives.

(iii) Detailed verification is made of looms registered with societies and cross checking of members' accounts with the account maintained by the societies is also done.

(iv) Personal verification of samples of cloth produced by weaver members is also being done to ensure that wages determined on the specifications and construction of the cloth produced are disbursed to the members.

मध्य प्रदेश में पर्यटक स्वागत केन्द्र खोलना

6366. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में चुने हुए प्रत्येक पर्यटक केन्द्र में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Raids by Income Tax Department

6367 : **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 399 on the 8th July, 1977 regarding raids by Income Tax Department in Delhi and state :**

(a) the time by which the enquiry being conducted in regard to the articles recovered in searches made on the premises of various firms and persons is likely to be completed ;

(b) the reasons for taking such a long time in the enquiry as also the details of the articles seized ;

(c) the details of the documents recovered from Mukund Iron and Steel Group, Bombay which led to searches on premises 19 and 20;

(d) whether raids were conducted unnecessarily on the premises of some innocent persons during emergency; and

(e) if so, Government's policy now in this regard?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) : Details of assets seized in searches conducted during the Emergency in Delhi and New Delhi (other than 'off shoot' searches) are as follows :

Assets	Value (Rs. in lakhs)
Cash .	42
Jewellery .	149
Other assests	83
Total	274

Orders under section 132(5) of the Income-tax Act, 1961 for retaining such of the seized assets as were considered to be sufficient to satisfy the tax liability (including interest and penalty) on the undisclosed income estimated in a summary manner and the existing liabilities under the various Direct Tax Act, have been passed within ninety days of the seizure, wherever necessary. Action to frame regular assessments and initiate penal proceedings, wherever warranted, is in progress.

Assets seized during the course of the searches carried out during the Emergency (25-6-1975 to 21-3-1977) will ordinarily be required to be taken into account while completing the assessments for the assessment years 1976-77 onwards, which have to be completed within two years of the end of the relevant assessment year.

(c) Search in the case of Shri M. P. Gupta (mentioned at Sl. No. 19 in reply to part(b) of the Lok Sabha Starred Question No. 399 answered on 8th July, 1977) was not consequential to the search and seizure operations in the Mukund Iron & Steel Group of Bombay.

The premises of Shri Amir Bharadwaj, Branch Manager, Mukund Iron & Steel Works Ltd. (mentioned at Sl. No. 20 in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 399 answered on 8th July, 1977) were not searched as a result of any documents recovered from Mukund Iron & Steel Group of Bombay. The search of his premises was part of the search and seizure operations conducted in the cases of the Mukund Iron & Steel Group.

(d) & (e) : Search and seizure operations were authorised by the Commissioners of Income-Tax/Directors of Inspection after duly recording their reasons for doing so.

The Central Government have appointed a Commission of Inquiry to inquire into the misuse of authority, excesses and mal-practices committed by public servants and other individuals who may have directed. abetted or otherwise associated with the commission of such acts during the period of operation of the Proclamation of Emergency or during the period immediately preceding it. Raids, if any, conducted on extraneous considerations will be within the purview of the said Commission.

Credit Limit Raised in Respect of Atherton West and Company, Kanpur by Punjab National Bank

6368. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the credit limit in respect of the Atherton West and Company Limited, Kanpur has been raised from 7½ lakhs to 23 lakhs by the Punjab National Bank;

(b) if so, whether the company has furnished adequate surety in this regard and if not, the reasons therefor;

(c) whether the Reserve Bank of India examined this matter in 1974-75; and

(d) if so, whether Government would lay a copy of the report on the Table of the House?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) The enhancement in the bills discounting limit was backed by adequate surety.

(c) The accounts of the Company were looked into by the Reserve Bank of India during the course of their inspection in Kanpur area during the latter half of 1975.

(d) In accordance with the usages and practices customary among bankers and also in conformity with section 13(1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, information relating to individual constituents of the banks is usually not divulged.

आयकर अधिकारियों को जबर्दस्ती सेवा निवृत किया जाना

6369. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और चन्डीगढ़ में अलग-अलग आपात स्थिति के दौरान आय-कर स्टाफ में से कितने अधिकारियों को जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया गया था;

(ख) उन पर क्या आरोप थे;

(ग) क्या बर्खास्त किये गये कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन भेजे जाने पर सरकार उनके मामलों पर पुनः विचार कर रही है और यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं; और

(घ) क्या पुनर्विचार के बाद किन्हीं अधिकारियों को सेवा में बहाल कर दिया गया है और यदि हां, तो उनके नाम और पदनाम क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी।

विदेशी सहायता

6370. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस देश पर विदेशी ऋण/सहायता की राशि के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और ब्याज की कितनी राशि और चुकायी जाने वाली कितनी राशि विदेशों को भेजी जानी है;

(ख) ऋण सहायता देने वाले प्रमुख देश कौन-कौन से हैं और उनके अंशों और ब्याज की दर तथा अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस देश को विदेशों पर निर्भरता से मुक्त कराने के लिए जनता सरकार ने क्या लक्ष्य अवधि निर्धारित की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। वर्ष 1977-78 के दौरान चालू दरों के अनुसार इन ऋणों के ब्याज की अदायगी के रूप में 267.55 करोड़ रुपए और मूलधन की वापसी अदायगी के रूप में 533.24 करोड़ रुपए की रकम दिये जाने का अनुमान है।

इस प्रकार लिए जाने वाले ऋण प्रत्येक ऋण की अपनी-अपनी शर्तों के अनुसार प्रायः 8 से 50 वर्षों तक की अवधि में चुकाने होते हैं जिसमें रियायती अवधि भी शामिल होती है। इन ऋणों के ब्याज की दरें भी शून्य से 8.9 प्रतिशत वार्षिक के बीच अलग-अलग होती है।

(ग) आत्म-निर्भरता आज भी योजना का एक मुख्य उद्देश्य है यद्यपि इसे पूरी तरह प्राप्त करना पूंजी-निर्माण के लिए देश में बचत की रकमों का स्तर ऊंचा उठाने, निर्यात बढ़ाने और आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी ही वस्तुएं तैयार करने में सफलता प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

विवरण

सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के बकाया ऋणों और उनमें प्रत्येक देश/स्रोत के प्रतिशत भाग का विवरण।

(अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दिसम्बर 1971 से पहले की सममूल्य दरों के अनुसार करोड़ रुपए)

क्रम सं०	देश/स्रोत	रकम	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आस्ट्रिया .	17.60	0.18
2.	बेल्जियम	49.12	0.51

1 2	3	4
3. कनाडा	340.77	4.53
4. डेनमार्क	15.58	0.16
5. फ्रांस .	225.57	2.33
6. जर्मन संघीय गणराज्य	709.41	7.36
7. इटली	82.23	0.85
8. जापान	4944.05	5.12
9. नीदरलैण्ड .	134.96	1.40
10. नार्वे	1.50	0.02
11. स्वीडन .	79.92	0.83
12. युनाइटेड किंगडम	986.04	10.22
13. संयुक्त राज्य अमेरिका . .	2594.65	26.89
14. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	343.97	3.57
15. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	2305.48	23.89
16. स्विट्जरलैण्ड	19.22	0.19
17. कातार	1.88	0.02
18. फिनलैण्ड	0.20	शून्य
19. स्पेन .	3.47	0.04
20. चेकोस्लोवाकिया	37.80	0.39
21. पोलैण्ड .	12.30	0.13
22. यूगोस्लाविया .	44.02	0.46
23. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	377.83	3.92
24. बुल्गारिया . .	1.35	0.01
25. जर्मन जनवादी गणराज्य	25.99	0.26
26. हंगरी	7.39	0.08
27. रूमानिया	28.55	0.30
28. ईरान	510.92	5.30
29. ईराक .	130.87	1.36
30. संयुक्त अरब अमीरात	52.50	0.54
31. अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत कोष	13.62	0.14
जोड़	9648.76	100.00

Employment to Agriculturists, Educated Unemployed and New Entrepreneurs with the help of Nationalised Banks

6371. **Shri R. L. P. Verma** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether a suitable and concrete scheme and a policy have been evolved for providing employment to agriculturists, educated unemployed and new entrepreneurs with the help of nationalised banks;

(b) whether branches of nationalised banks have been opened all over the country to achieve this end;

(c) whether a nationalised bank entends credit facility only upto a distance of 8 km. from its headquarters and as a result 80 per cent of the villages are deprived of this facility; and

(d) if so, whether it is proposed to overhaul thoroughly the rules governing distribution of loans so that credit may be available easily for agricultural, industrial, commercial and other developmental works?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) Public sector banks have been extending credit assistance, in an increasing measure, to the agriculturists and small entrepreneurs undertaking small ventures in sectors such as Small Scale Industry, Transport, Retail Trade and small business and professional and self-employment ventures. As at the end of December, 1976 the public sector banks had outstanding advances of Rs. 3030 crores involving 6193570 borrowal accounts in these sectors. For increasing the flow of their credit to such borrowers banks have enlarged their branch network, particularly in rural areas. They have evolved credit schemes on their own and have also been participating in special schemes being implemented by the State Govts. for the benefit of these sections of the community.

(c) In order to avoid scattered agricultural lending which creates problems of post-lending supervision and recovery, Reserve Bank had advised the Commercial banks that according to their assessment average branch could effectively supervise loans in an area of 16 km. radius from the location of the branch. Banks have, however, been advised that this norm should not be rigidly adhered to and applications from borrowers, particularly when they are in a cluster, be entertained even from areas beyond this limit if the branch can effectively supervise the end-use of the loan.

(d) Public Sector Banks have taken several steps such as simplification of procedures, delegation of adequate loan sanctioning powers to branch managers, liberalisation of terms and conditions for the small borrowers, fixing time-limit for disposing of applications for small loans etc. to facilitate flow of credit to the weaker sections of the community. Banks are also endeavouring to enlarge their coverage of farmers by adopting Primary Agricultural Cooperative Societies and by setting up Farmer's Service Societies.

केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की दर में विषमता

6372. **श्री तुलसी दास दासप्पा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के 600 रुपये मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाली महंगाई भत्ते की राशि समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के जिन कुछ उद्यमों ने केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का पैटर्न अपनाया हुआ है, उनमें महंगाई भत्ते की दरें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते की दरों के समान है, तथापि अधिकांश सरकारी उद्यमों के अधिकारियों, जिनमें इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अधिकारी भी हैं, के लिए महंगाई भत्ते का जो फार्मूला लागू है, उसके अनुसार अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960—100) में घटा-बढ़ी होने पर महंगाई भत्ता एक रुपया तीस पैसे प्रति अंक की दर से बढ़ा या घटा दिया जाता है। जिन उद्यमों में एक रुपया तीस पैसे की दर वाला महंगाई भत्ता फार्मूला लागू किया गया है उनके अधिकारियों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के वेतनमान-पैटर्न के अनुरूप नहीं है।

अतः इन उपक्रमों के अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का महंगाई भत्ते का फार्मूला लागू नहीं किया गया है;

(ग) और (घ): महंगाई भत्ते के रूप में दी जाने वाली राशि उस औसत सूचकांक के बाद होने वाली घटा-बढ़ी को निष्प्रभावित करती है जिस सूचकांक से कोई वेतनमान सम्बद्ध होता है । अतः यह हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में 600 रुपये मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों और कामगारों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की रकम बराबर न हो, क्योंकि सभी मामलों में कामगारों और अधिकारियों के वेतनमान एक ही औसत सूचकांक से सम्बद्ध नहीं होते ।

उमरोई हवाई अड्डा (शिलांग)

6373. **श्री होपिंगस्टोन लिंगडोह:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उमरोई हवाई अड्डे (शिलांग) को जनवरी, 1977 से बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) क्योंकि न तो इंडियन एयरलाइंस और न ही कोई प्राइवेट परिचालक उमरोई (शिलांग) के लिये कोई सेवा परिचालित कर रहा है। अतः 1-8-77 से इस हवाई अड्डे से संचार एवं दिक्चालन सुविधाओं को हटाने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है। स्टाफ की भी दूसरे स्टेशनों को बदली की जा रही है।

अशोक होटल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये कर योग्य आय का निर्धारण

6374. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के कर्मचारियों को भोजन भत्ता के लिए 45 रुपए प्रतिमास दिये जाते हैं और आयकर का भुगतान करने हेतु उक्त धनराशि को प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक आय में शामिल किया जाता है; और

(ख) क्या अधिकारियों को दिये जाने वाले भोजन पर 90 रुपये प्रति दिन खर्च आता है पर जो आयकर के उपबन्ध के अन्तर्गत कर योग्य है, कर योग्य आयकर निर्धारण करते समय विचार नहीं किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अशोक होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को (किचनों में तैनात उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें मुफ्त भोजन दिया जाता है) भोजन भत्ते के रूप में 45 रुपये प्रति मास दिए जाते हैं जिसका आय-कर की परिगणना करने के प्रयोजन के लिए लेखा-जोखा रखा जाता है।

(ख) होटल के अतिथियों के लिए तुरन्त एवं सुदक्ष सेवा को सुनिश्चित करने के लिए, परिचालनात्मक तथा प्रबन्धकीय ड्यूटी वाले अधिकारियों को प्रतिदिन 28.67 रुपये के अधिकतम मूल्य तक का मुफ्त भोजन दिया जाता है। इसका लेखा-जोखा आय-कर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक वे लागू होते हैं, आय-कर की परिगणना करने के प्रयोजन के लिए रखा जाता है।

मलिका फलावर शाप

6375. **श्री रामधारी शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम 'मलिका फलावर शाप' अथवा मलिका फलोरिस्ट्स' के नाम से एक फूलों की दुकान चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दुकान एम्पोरियम द्वारा विभाग की ओर से नहीं बल्कि एक ठेकेदार के माध्यम से चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान ठेकेदार का नाम क्या है, यह ठेकेदार सर्वप्रथम कब नियुक्त किया गया था, ठेके की शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं और ठेकेदार ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार, एम्पोरियम को कितनी धनराशि का भुगतान किया है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदार की बिक्री और खातों की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि फूलों की दुकान की बिक्री का ऐम्पोरियम को उचित हिस्सा मिलता रहे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) दुकान ठेकेदार के माध्यम से चलाई जा रही है।

(ग) (1) वर्तमान ठेकेदार का नाम मैसर्स नरिन्दर सिंह सैनी तथा विक्रम सिंह सैनी है। वर्तमान ठेकेदार के साथ पहला करार 12-8-1975 को हुआ था जो 1-7-1975 से लागू हुआ था।

(2) करार की मोटी-मोटी शर्तें निम्नोक्त हैं :—

(1) करार में कमीशन की व्यवस्था है तथा उसकी न्यूनतम राशि पर सहमति है। जुलाई–सितम्बर, 1976 के लिए कमीशन 12-1/2 प्रतिशत थी परन्तु एम्पोरियम के नवीकरण के कारण कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 1-10-1976 से न्यूनतम निर्धारित राशि 25,000 रु० प्रतिवर्ष है।

(2) किराया, पानी, बिजली छोड़कर इसे चलाने के सभी खर्चे फ्लोरिस्ट द्वारा उठाई जाएंगी।

(3) बिक्री की राशि प्रतिदिन केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के पास जमा कराए जाएंगे।

(4) बिक्री तथा स्टाक की नियमित विवरणियां प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी फूल बिक्रेता की होगी।

(3) पिछले तीन वर्षों में ठेकेदार द्वारा एम्पोरियम को दी गई राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	दी गई राशि
(जुलाई–जून)	(रु०)
1974-75	22,500
1975-76	23,750
1976-77	19,973

(घ) फूल विक्रेता द्वारा दैनिक बिक्री केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम को जमा करा दी जाती है। नकद प्राप्तियों की पड़ताल कैशमीमों से की जाती है। ठेकेदार को बकाया राशि का भुगतान करने से पहले कमीशन काट ली जाती है। फूल बिक्रेता की दुकान के लेखे तथा सौदों की लेखा परीक्षा होती है।

विदेशों में होटल बनाने के लिये मैसर्स ओबरॉय को दिया गया ऋण

6376. **श्री ओ० बी० अलगेशन:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में छपी इस खबर की ओर दिलाया गया है कि विदेशों में होटल बनाने के लिए मैसर्स ओबरॉय को तीन करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि का ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस ऋण करार का स्वरूप और ब्यौरा क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि इन शर्तों का उचित रूप से पालन हो ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) भारत सरकार द्वारा मैसर्स ओबेरॉय होटल्स को उनके विदेश स्थित होटलों के लिए कोई ऋण नहीं दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Monopoly purchase of Cotton in Maharashtra

6377. **Shri D. G. Gawai :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had granted permission for monopoly purchase of cotton in Maharashtra during 1975-76 and if so, the total amount provided and whether the same was in the form of loan or assistance;

(b) whether the Central Government have decided to provide amount to Maharashtra during 1977-78 also for the purchase of cotton and if so, the amount proposed to be provided ;

(c) in case Government of Maharashtra stops the purchase of cotton, whether the Central Government propose to purchase cotton through the C.C.I., and

(d) whether funds are proposed to be made available for banks to the private traders for the purchase thereof?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) No permission of the Central Government is required under the provisions of the Maharashtra Raw Cotton (Procurement, Processing and Marketing) Act, 1971 for monopoly purchase of cotton in Maharashtra. However, approval of the Central Government is required for fixation of guaranteed prices of cotton procured under the scheme. This approval was accorded in 1975-76. A credit facility of Rs. 40 crores—Rs. 20 crores from Maharashtra State Cooperative Bank and Rs. 20 crores from the Rseerve Bank of India was made available to the Maharashtra State Cooperative Marketing Federation for the cotton season 1975-76.

(b) The Government of Maharashtra have requested for a credit facility of Rs. 60 crores from the Reserve Bank of India for the cotton season 1977-78 and the matter is under consideration of the RBI.

(c) and (d) : The Government of Maharashtra have not yet abandoned the cotton monopoly procurement scheme.

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा ग्रेड 'ए' के लिपिकों की नियुक्ति

6378. **श्री जुल्फीकारुल्ला:** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा मार्च 1975 में लगभग 200 स्नातक प्रत्याशियों को ग्रेड II लिपिकों के रूप में नियुक्ति के लिये चुना गया था और उनका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा

गया था और उक्त सूची की वैधता का समय 6 मार्च, 1977 तक बढ़ाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे पदों के लिये नये आवेदन पत्र दिसम्बर, 1976 में मांगे गये थे जबकि प्रतीक्षा सूची के 40 चुने गये प्रत्याशियों को अभी नियुक्त किया जाना शेष था और नियुक्ति के लिये उनके दावों को नजरन्दाज कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि समाप्त होने से पूर्व नये आवेदन पत्र मंगवाने के क्या कारण हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके कानपुर स्थित कार्यालय ने 6 मार्च, 1975 के क्लर्क/क्वाइन-नोट परीक्षक ग्रेड II के पदों के लिये उम्मीदवारों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की थी। उस सूची में 345 उम्मीदवार थे--282 उम्मीदवार सामान्य वर्ग के तथा 63 अनुसूचित जाति के थे। यह सूची एक वर्ष के लिये वैध थी परन्तु क्योंकि प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की एक काफी बड़ी संख्या को एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक भी, नौकरी में नहीं लिया जा सका इसलिये कानपुर स्थित कार्यालय को इस सूची की वैधता को एक और वर्ष की अवधि के लिये अर्थात् 6 मार्च, 1977 तक बढ़ाने की इजाजत दे दी गई थी। 6 मार्च, 1977 तक इसकी वैधता बढ़ा देने के बावजूद इस सूची में से शेष रहे उम्मीदवारों की संख्या 126 है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि क्योंकि प्रतीक्षा सूची तैयार करने में लगभग 5 से 6 माह लग जाते हैं, इसलिये 6 मार्च, 1977 तक अर्थात्, पिछली सूची की बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति तक, नई सूची तैयार कर लेने के उद्देश्य से, इसके कानपुर कार्यालय ने इस प्रयोजन के लिये दिसम्बर, 1976 में एक विज्ञापन जारी कर दिया था।

Import of Goods by Birla Group of Industries

6379. **Shri Hukamdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the value of goods imported by the Birla Group of Industries during the last three years, year-wise from the following foreign companies in which Birlas hold shares :

(1) P. T. Origin Syntex, Indonesia,

(2) Indropeal textiles, Manila,

(3) Pan African Consultancy Service (N.I.J.) Ltd.,

(4) Nigeria Engineering Works Limited, and

(5) P. T. Horizon Syntex, Indonesia?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : Statistics of actual imports are compiled, according to commodities and countries, by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta and pub ished in the Monthly Statistics of the Foreign Trade of India, Vol. II, Imports. Information is not maintained according to the importers of according to the firms from whom the import is made.

असाम में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसमापन

6380 **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण बैंकों को सक्रिय बनाने के निर्णय के प्रतिकूल असाम सरकार ने असाम राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंकों के परिसमापन के आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 22 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर में घोषित की गई नीति के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से आसाम स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सीधे धन दिलाकर उन्हें क्रियाशील बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ही ग्रामीण बैंक विरोधी नीति के अनुसरण से ग्रामीण बकों को बन्द करने का सुझाव दिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) असम सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्णय किया है कि असम राज्य में सहकारी ऋण ढांचे की योजना को पुनर्जीवित करने के अंग के रूप में तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समापन से बचाने के लिये अपनी सभी 7 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को असम राज्य सहकारी बैंक में मिला दिया जाए। राज्य सरकार ने यह निर्णय राज्य के सहकारी ऋण ढांचे में गतिरोध आ जाने के कारण किया था। अब राज्य सरकार ने सभी 7 सहकारी बैंकों के 1-8-77 से विलय का आदेश दे दिया है। इनके विलय के आदेश इस उद्देश्य से जारी किये गये हैं कि सहकारी ऋण ढांचे के कार्यचालन में सुधार किया जा सके तथा प्राथमिक समितियों का पुनर्गठन करके असम के कृषकों की सेवा अपेक्षया ठीक तरह से की जा सके।

राज्य सरकार के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के विलय के उपर्युक्त आदेशों का राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से कोई संबंध नहीं था ।

बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति

6381. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्विस सरकार के साथ ऐसा समझौता करने का प्रयास किया है जैसे अमरीकी सरकार ने किया हुआ है, जिसके आधार पर भारत सरकार स्विटजरलैंड में भारतीयों के अवैध खातों के बारे में ब्यौरा प्राप्त कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यदि इस प्रकार के कोई खाते रहे हों तो उनका ब्यौरा प्राप्त करने की दृष्टि से स्विटजरलैण्ड सरकार के अधिकारियों के साथ, एक ऐसा व्यापक दोहरा कराधान निवारण समझौता करने के प्रयोजन के लिए जिसमें 'सूचना के आदान-प्रदान' सम्बन्धी एक अनुच्छेद हो, 28 जून से 2 जुलाई, 1976 तक वार्ता हुई। स्विटजरलैंड सरकार उसमें 'सूचना के आदान-प्रदान' संबंधी एक विशिष्ट अनुच्छेद शामिल करने के लिए सहमत नहीं हुई।

विकसित और विकासशील देशों के बीच कर-सन्धियों पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ दल में विचार-विमर्श के दौरान भारत इस मत का समर्थन करता रहा है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के मध्य दोहरे कराधान निवारण समझौते में 'सूचना के आदान-प्रदान' सम्बन्धी अनुच्छेद पर्याप्त व्यापक होना चाहिये जिससे संविदाकारी राष्ट्र यथासंभव अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर सकें । भारत इस बात की भी वकालत करता रहा है कि जब तक कोई व्यापक दोहरा कराधान निवारण समझौता नहीं हो जाता तब तक के लिये कोई ऐसा सीमित समझौता किया जा सकता है, जिसमें 'सूचना के आदान प्रदान' की व्यवस्था हो। भारत और स्विटजरलैण्ड दोनों ही इस दल के सदस्य हैं।

परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों के तुलनपत्र

6382. **श्री समरेन्द्र कुन्डु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिये तुलनपत्र प्रकाशित हो गये हैं और यदि हां, तो क्या उनकी प्रतियां संसद सदस्यों को मांग किये बिना भेजी जाती हैं; और

(ख) स्टेटबैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के पिछले वर्ष के तुलनपत्र में गुप्त आरक्षण तथा "प्रोटेस्टेड बिल" शीर्षकों के अंतर्गत दिखाई गई राशियां क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त वर्ष के अपने तुलनपत्र प्रकाशित कर दिये हैं। बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(8) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती हैं। उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के दिसम्बर, 1976 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र संसद के दोनों सदनों में, राज्य सभा में 28 जून, 1977 को और लोक सभा में 1 जुलाई, 1977 को प्रस्तुत किये जा चुके हैं। यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक और उसके 7 अनुषंगियो की वार्षिक रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत करने की कोई सांविधिक अपेक्षा नहीं है, फिर भी, भारतीय स्टेट बैंक और उसके 7 अनुषंगियों की 1976 की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेज दी गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने नई दिल्ली कार्यालय के मार्फत संसद सदस्यों को भेज दी हैं।

(ख) सम्भवतः सीक्रेट रिजर्व और प्रोटेस्टेड बिल खाते का उल्लेख करने में माननीय सदस्य के ध्यान में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था तथा प्रकाशित लाभ निकालने से पहिले बैंक द्वारा की गयी अन्य सामान्य अथवा आवश्यक व्यवस्था है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष सभी बैंक अपने ऋणों की वसूली का जायजा लेते हैं और ऐसे अग्रिमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हैं, जिनकी वसूली अशोध्य और संदिग्ध हो चुकी है और अपने परीक्षक के संतोष के अनुसार अन्य सामान्य अथवा आवश्यक व्यवस्था करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और उसके अंतर्गत निर्धारित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रोफार्मा के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों पर यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध सामान्य और आवश्यक व्यवस्था की राशि घटाकर अपना लाभ प्रकाशित करें। संविधि के अंतर्गत निर्धारित तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे के फार्मों में यह व्यवस्था नहीं है कि वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों आदि के लिए की गई व्यवस्था प्रकट की जाये।

'गाइड टू एयरपोर्टस' शीर्षक रिपोर्ट

6383. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 18 जुलाई, 1977 की "टाइम" पत्रिका में 'गाइड टू एयरपोर्टस' शीर्षक से छपे समाचार को देखा है जिसमें दिल्ली और बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बहुत ही असुविधापूर्ण बताया गया है; और

(ख) इस कलंक को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक): (क) जी हां, । परन्तु हो सकता है 'टाइम' पत्रिका के समग्र रूप से मूल्यांकन (ओवर-ऑल रेटिंग) का कोई उचित आधार न हो। फिर भी, जहां तक देरियों का संबंध है, यह सूचना दी गयी है कि दिल्ली विमानक्षेत्र पर देरियों की संख्या बहुत कम है, जब कि फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, ओहेयर (शिकागो), कैनेडी (न्यूयार्क), नेशनल (वाशिंगटन डी० सी०), लोस एंजल्स, स्टेपलनटन (डेनवर), मियामी, ला गार्डिया (न्यूयार्क), सानफ्रांसिस्को, डल्लास, हार्ट्सफील्ड (एटलांटा) के विमानक्षेत्र पर, देरियों की अवधि 30 मिनट या उससे अधिक होती है; टोकियो विमानक्षेत्र पर औसत देरियां 20 मिनट की होती हैं, जबकि हांगकांग विमानक्षेत्र पर देरियां कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक की होती हैं।

(ख) दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन वस्तुतः एक लड़ाई के दौरान बनाई गयी इमारत है जिसमें तब से लेकर बहुत से फेर-बदल किए जा चुके हैं। भारत अंतरर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की छठी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में एक नये अंतरर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स के निर्माण को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

सरकार ने बम्बई एयरपोर्ट पर 11.00 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर तथा कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण का पहले ही अनुमोदन कर दिया है जोकि 1980 तक तैयार हो जाएगा। नया पैसेंजर टर्मिनल तैयार हो जाने पर 1400 यात्रियों (आने तथा जाने वाले) के व्यस्ततम समय के यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

जयगढ़ किले में निकाला गया खजाना

6384. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री जयपुर और ग्वालियर के भूतपूर्व राजघरानों पर मारे गये छापों के बारे में 17 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 816 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों द्वारा जयगढ़ किले में 10 जून, 1976 से नवम्बर 1976 तक की गई खजाने की खोज के दौरान जयपुर दिल्ली मार्ग को एक दो दिन के लिये सामान्य यातायात के लिये बन्द कर दिया गया था ताकि सैनिक ट्रक उक्त खजाने को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास स्थान तक ले जा सकें;

(ख) क्या उस समय बी० बी० सी० लंदन से इस आशय की एक खबर का प्रसारण किया गया था; और

(ग) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम/सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जो न्याय निर्णय की कार्यवाही 17 जून, 1977 को चल रही थी उसका क्या निष्कर्ष निकला?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) जयपुर और ग्वालियर के महलों से पकड़े गए माल के सम्बन्ध में स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत न्याय निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही अनिर्णीत पड़ी हैं क्योंकि पार्टियों ने स्थगन के लिए अनुरोध किया है। श्रीमती वी० आर० सिंधिया के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत न्यायनिर्णय सम्बन्धी कायवाही समाप्त कर दी गयी है।

गत तीन महीनों के दौरान कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाना

6385. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत सी कम्पनियों को पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है इसके बावजूद कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने इन कम्पनियों को स्वीकृति नहीं दी थी;

(ख) यदि हां, तो गत महीनों के दौरान कितनी कम्पनियों को धन जुटाने की अनुमति दी गई थी;

(ग) प्रत्येक कम्पनी का नाम क्या है; और

(घ) ये कम्पनियां किन-किन राज्यों में स्थित हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। जहां कहीं एकाधिकार और निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी लेनी जरूरी होती है, वहां किसी कम्पनी को पूंजी जुटाने की अनुमति देने से पहले उसे ऐसी मंजूरी पेश करने के लिए अवश्य कहा जाता है।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

नागर विमानन सेवाओं में विलम्ब के कारण बर्बाद हुए घंटे तथा हुई हानि

6386. **श्री अशोक कृष्ण दत्त :**
श्रीमती चन्द्रावती :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागर विमानन सेवाओं में निरन्तर होने वाली विलम्ब की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के प्रत्येक घंटे के लिए सार्वजनिक कोष से कितनी धनराशि दी जा ती है ;

(ग) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान बड़े हवाई अड्डों पर उक्त विलम्ब तथा अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के कारण कितने घंटे बर्बाद हुये;

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है कि विलम्ब न हो; और

(ङ) सरकार को उड़ानों में विलम्ब के कारण वर्ष 1976-77 और गत तीन महीनों में कितनी हानि उठानी पड़ी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जब उड़ानों में विलम्ब हो जाता है तो होटल आवास मुहैया कराना, यात्रियों का अन्य एयरलाइन्स को स्थानान्तरण करना आदि जैसी यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर कभी कभी कुछ फालतू रकम भी खर्च हो जाती है ।

(ग) एयर इंडिया की अनुसूचित उड़ानों में विलम्ब के कारण बर्बाद हुए घंटों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	परिचालित उड़ानों की संख्या	विलम्बित उड़ानों की संख्या	घंटों में अवधि
1975-76	3853	976	2362
1976-77	4338	1424	2464

जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है वे विलम्ब के घंटों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखते हैं । इसके बजाय वे, 'यथा समय' कार्य-निष्पादन तथा 'विलम्ब दर' का जो प्रत्येक 100 प्रस्थानों पर 15 मिनट से अधिक विलम्बों के आधार पर परिकलित की जाती है, रिकार्ड रखती है तथा प्रत्येक विलम्ब का अलग-अलग विश्लेषण किया जाता है । 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स का कुल यथा-समय कार्य-निष्पादन क्रमशः 67.38 प्रतिशत तथा 65.49 प्रतिशत था।

(घ) सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया को परिचालनों पर नियंत्रण कड़ा करने को कहा है जिससे की ऐसे कारणों से होने वाले विलम्बों/रद्द किये जाने आदि को रोका जा सके, जो उनके नियंत्रण में हैं । निष्पादन में सुधार करने की तथा उचित उपचारी कार्यवाही करने की दृष्टि से उड़ानों में सभी विलम्बों की जांच तथा उनके कारणों का विश्लेषण करने के लिये दोनों कारपोरेशनों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें होती हैं।

Funds asked for by Government of U.P. from L.I.C.

6387. **Shri Kailash Prakash :**
Shri Surendra Bikram :

Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the project-wise amount of the funds asked for by Government of Uttar Pradesh from L.I.C. during the last three financial years;

(b) the amount sanctioned for each of these projects; and

(c) the dates on which payment thereof was made and the reasons for not giving the remaining amount of loan?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) The required information is as given in the annexure. [Placed in Library see No. L.T. 963/77

राज्य व्यापार निगम कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन द्वारा एकत्र की गई अधिक राशि का वापस किया जाना

6388. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन द्वारा लिखित समझौते का उल्लंघन करते हुए 'एलबेस' के लिए जो अधिक राशि ली थी, उसे उसने वापस करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम का कितनी राशि वापस करने का विचार है और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) मुद्रा के मूल्य में घटबढ़ तथा निकासी आदेश धारकों के साथ हुए करार को देखते हुए कतिपय वास्तविक प्रयोक्ताओं की हकदारी के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था। स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन ने इस प्रश्न की जांच की है और प्रत्येक मामले के गुणविगुण के आधार पर बातचीत करके समझौता करने का विनिश्चय किया है।

(ख) देय राशि समझौतों के अन्तिम परिणाम पर निर्भर करेगी। चूंकि इसमें किसी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही अन्तर्गस्त नहीं है इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चंगादेव शूगर मिल्स कम्पनी

6389. **डा० बापू कालदाते**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीचंगादेव शूगर मिल्स कम्पनी को मुरारका बन्धुओं को सौंप दिया गया है;

(ख) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने उक्त मिल्स के सौंपे जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुरारका बन्धुओं ने बकाया राशियों और पहले की देयताओं को भी स्वीकार कर लिया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) श्री चंगादेव शुगर मिल्स लिमिटेड के कारबार की प्रबन्ध व्यवस्था, जिसे उक्त कम्पनी के विरुद्ध की गई आयकर की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान कर वसूली अधिकारी द्वारा नियुक्त रिसीवर ने 16-1-1974 को अपने हाथ में लिया था, कर वसूली अधिकारी द्वारा कारबार के अधिग्रहण सम्बन्धी आदेश वापस ले लिये जाने के बाद, 29-6-1977 को श्री एस० डी० मोरारका और श्री जी० के० मोरारका को सौंप दी गई थी।

(ख) कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत की गई, इसलिये इस निमित्त कम्पनी कार्य विभाग की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।

(ग) चूंकि कम्पनी की कानूनी हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कारबार कम्पनी की मालिकी का चला आ रहा है, इसलिये मोरारका बन्धुओं द्वारा कर की बकाया तथा पुरानी देनदारियों को स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अभ्रक व्यापार निगम

6390. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम देश में ही संरचित अभ्रक का उत्पादन करने तथा उसका निर्यात बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां।

(ख) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० (मिटको) ने गिरिडीह में पैर से चलने वाली 15 प्रैसों तथा 3 विद्युत प्रैसों वाली संरचना फैक्टरी लगाई है।

2. इलेक्ट्रॉनिक व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम, नई दिल्ली ने इस फैक्टरी में लिये तथा लघु निजी संरचकों के लिये औजार तथा डाइयां बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिये 50 लाख रु० की लागत से औजार कक्ष जिसे उस फैक्टरी से सम्बद्ध किया जायेगा, स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मिटको के लिये एक रिपोर्ट तैयार की है। मिटको बोर्ड ने सिद्धान्त रूप में इस प्रस्थापना का अनुमोदन कर दिया है और खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस परियोजना रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई कर रहा है। इस बीच मिटको 2.5 लाख रु० की लागत से एक छोटा औजार कक्ष स्थापित कर रहा है। कुछ मशीनें पहुंच गई हैं और लगाई जा रही हैं।

3. मिटको के दो तकनीकी अधिकारियों को औजार कक्ष तथा संरचना फैक्टरी चलाने के लिये जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य में हाल ही में प्रशिक्षण दिलाया गया है।

4. मिटको ने 1976-77 में जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से मिले 30 लख रु० मूल्य के आर्डर भुगतायें हैं और आर्डर मिलने की भी आशा है। यह संरचित अभ्रक के लिये आर्डर प्राप्त करने के लिये संवर्धन प्रतिनिधिमण्डल भी भेज रहा है। व्यापार सवर्धन प्रतिनिधि मंडल विदेश में कुछ चुनिंदा देशों का दौरा करेंगे और अन्य बातों के साथ-साथ फेब्रिकेटेड अभ्रक के लिये आर्डर हासिल करने की संभावनाओं का पता लगायेंगे।

Aid From U. K .for Rural Development

6391. **Shri Bhagirath Bhanwar:**
Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Britain has decided to provide Rs. 4.5 crore aid to India for rural development works;

(b) the main features of schemes of rural development on which this sum is proposed to be spent; and

(c) whether other countries have also taken a decision or have assured India for providing assistance for India's rural development schemes?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) An agreement has been recently signed for a grant of approximately Rs. 4.5 crores (£ 3 million) on the 28th June, 1977, between the Governments of India and the United Kingdom. This grant has been extended by Britain for strengthening the facilities in 1,000 Primary Health Centres and 325 Taluka Hospitals for implementation of Faimly Planning and Welfare programmes in rural and semi-rural areas.

(c) Yes, Sir The Federal Republic of Germany and the Netherlands hadve decided to provide capital assistance for some rural development schemes. Several countries such as Norway, Sweden, Denkark, U.K., the Federal Republic of Germany, Japan, etc., have provided or agreed to provide Technical Assistance for rural development.

भूतपूर्व शासकों की सम्पत्ति

6392. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास भूतपर्व शासकों की पूर्ण सम्पत्ति के आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूतवर्व शासकों की सम्पत्ति के बारे में एक विवरण सभी पटल पर रखने का है?

वित्त तथा स्वराज और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जो भूतवर्व शासक, देशी राज्य शासक (विशेषाधिकारों की समाप्ति) अधिनियम, 1972 (1972 का 54) के अधिनियम से पूर्व

5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक का प्रिवी लेते थे उनके बारे में शुद्ध धन के आंकड़ों से संबंधित सूचना (पूरे किये गये नवीनतम कर निर्धारण तथा दाखिल की गई नवीतम विवरणी के अनुसार) संकलित कर ली गई है।

इसके अतिरिक्त, लगभग 250 भूतपूर्व शासक और भी हैं। वे सारे देश में फैले हुए हैं और उनमें से कुछ के पास तो बहुत ही नाममात्र धन होगा। उनके बारे में सूचना एकत्रित करने में काफी समय व श्रम लगेगा जो उससे प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी भी खास भूतपूर्व शासक के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो उसे एकत्रीत करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार 24 भूतपर्व शासकों के धन को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 964/77]

Fair Price to Tobacco Cultivators

6393. **Shri R. L. P. Verma** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether licencees purchase tobacco from the cultivators at arbitrary and low prices as a resllt of which cultivators do not get fair price for their produce; and

(b) the action being taken by Government to ensure fair prices to the tobacco cultivators?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b) There are at present no statutory floor prices for purchase of tobacco from growers. However, the Tobacco Board introduced from this year a scheme of announcing, in respect of virginia tobacco, indicative prices, which were considered fair for the growers, for the guidance of the trade and the growers. There have been no reports of purchase of virginia tobacco this year by dealers, packers and exporters registered with the Board, below the indicative prices.

मूंगफली के बीज का निर्यात

6394. **श्री के० मालन्ना**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान मूंगफली के चुने हुए बीज का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1977-78 के लिये निर्यात का क्या लक्ष्य हैं; और

(ग) निर्यात के लिये राज्यवार दिये जा रहे चुने हुए बीच की प्रतिशतता क्या है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1975-76 के दौरान एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा:—

	मात्रा मी० टन	मूल्य (रु०)
(i) एच० पी० एस० मूंगफली की गिरियां	1,07,096	47,72,13,693
(ii) एच० पी० एस० मूंगफली सेल्ड	5,706	2,11,51,869
योग	1,12,802	49,83,65,562

(ख) तथा (ग) फिलहाल एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात पर रोक है।

आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के मानदण्ड

6395. **श्री माधवराय सिंधिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) इस समय के कार्यालय किन-किन शहरों में कार्यरत हैं; और

(ग) निकट भविष्य में ये कार्यालय खोलने के लिये कौन-कौन से स्थान सरकार के विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों के लिये व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्थापित किये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित स्थानों में नये कार्यालय स्थापित किये जायें:— कटक, पटना, जयपुर तथा चण्डीगढ़।

विवरण

उन नगरों के नाम जहां आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय इस समय कार्य कर रहे हैं।

क्रमांक	नगर का नाम
1.	नई दिल्ली
2.	बम्बई
3.	कलकत्ता
4.	मद्रास
5.	कानपुर
6.	फरीदाबाद
7.	श्रीनगर
8.	अमृतसर
9.	अहमदाबाद
10.	राजकोट
11.	न्यू कांडला
12.	भोपाल
13.	पंजिम
14.	शिलांग
15.	हैदराबाद
16.	बंगलौर
17.	विशाखापत्तनम
18.	एर्णाकुलम
19.	पांडिचेरी

Development of Tourist Centres in Dalton Ganj (Bihar)

6396. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Tourism & Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that National Park and Project Tiger in Dalton Ganj in Bihar are attracting large number of tourists;

(b) whether there is a full fledged airstrip in the district which can be used for regular flights of Indian airlines; and

(c) if so, the steps taken in the Central Sector to develop tourist centres n Dalton Ganj?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Government are aware that the National Park in Dalton-Ganj, Bihar attracts tourists. The number of tourists, is however, not large at present. Tourists will be encouraged to visit the Tiger Reserve as soon as the tiger population has increased.

(b) No, Sir. There are two small fair-weather airstrips, 2550 ft. x 450 ft. (East-West) and 1500 ft. x 300 ft. (North-South) at Dalton Ganj controlled by the Government of Bihar. Dalton Ganj is suitable only for operation with smaller aircraft and is inadequate for operation with the type of aircraft in the fleet of Indian Airlines.

(c) There is no proposal in the Central Sector at present to develop tourist centres in Dalton Ganj.

खाड़ी के देशों तथा तेल उत्पादक देशों को निर्यात में वृद्धि करने का प्रस्ताव

6397. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों तथा तेल उत्पादक अन्य देशों को निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां।

(ख) तेल उत्पादक देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये बनाई गई, योजनाओं में शामिल हैं: कतिपय वस्तुओं के निर्यातों के लिये दीर्घावधि संविदायें, संबंधित देशों में सयुक्त उद्यम स्थापित करना, भारत में विशेष उत्पादन योजनायें, दोनों ओर के प्रतिनिधि मण्डलों का प्रायोजन, मेलों में भाग लेना, व्यापारिक जानकारी का प्रसार, इन देशों में प्रवर्तित निविदाओं में भाग लेना, सरकारी क्षेत्र/गैर-सरकारी क्षेत्र संगठनों के विदेशों में कार्यालय खोले जाना, आदि।

बैंक आफ महाराष्ट्र में 'मेनेजमेंण्ट ट्रैनीज' के पदों पर भर्ती

6398. **श्री रामजी लाल सुमन**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ महाराष्ट्र ने मार्च/अप्रैल, 1977 के दौरान 'मैनेजमेंट ट्रैनी' के पदों पर भर्ती के लिये परीक्षा और साक्षात्कार लिया था;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये कितने पद आरक्षित थे;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल हुए और साक्षात्कार के बाद उनमें से कितने उम्मीदवार चुने गये; और

(घ) क्या इस बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा हो गया है यदि नहीं, तो इस बारे में क्या उपाय किये जायेंगे?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) से (घ) बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि मार्च/अप्रैल, 1977 में उसने प्रशिक्षार्थी अधिकारियों की भर्ती के लिये एक लिखित परीक्षा ली थी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	जोड़	अनुसूचित जाति/जनजाति
प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	12,477	3,390
लिखित परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों की संख्या . .	5,288	3,311
साक्षात्कार के योग्य पाये गये उम्मीदवारों की संख्या . .	435	97
अन्ततः चुने गये उम्मीदवारों की संख्या	63	3

बैंक आफ महाराष्ट्र में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले अधिकारियों के रिक्त स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों की संख्या, जिसमें पिछली बकाया संख्या भी शामिल है, 54 होने की सूचना उस बैंक ने दी है।

बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर उसे "ग्रेजुएशन में केवल पास' होना बना दिया गया है जो आम उम्मदवारों के लियें ग्रेजुएशन में प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी है । साक्षात्कार के लिये बुलाने के लिये योग्यता का मानक, लिखित परीक्षा में भी छूट देकर ख और ग+ ग्रेड कर दिया गया है जो अन्यों के लिये ख+है ये छूट देने के बावजूद बैंक ने सूचित किया है कि वह उपयुक्त योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण आरक्षित कोटा पूरा नहीं कर सका है।

उपभोग ऋण सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

6399. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने समाज के निर्धन वर्गों के लिए बनी उपभोग ऋण सम्बन्धी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों में ऐसी ऋण सुविधाएं देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1977-78 के लिए इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(घ) इस बारे में केन्द्र और राज्यों द्वारा कितना आबंटन किया गया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने "उपभोग ऋण विषयक विशेषज्ञ समिति" की बंगलौर सम्मेलन द्वारा यथासंशोधित सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । जून, 1976 में कुछ मुख्य मंत्रियों और तत्कालीन वित्त मंत्री की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ यह निर्णय किया गया था कि उन राज्य सरकारों को उपभोग ऋण से छूटे हुए क्षेत्रों (ग्रे एरिया) के वास्ते एक केन्द्रीय ऋण दिया जाये।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों को उपभोग ऋण की व्यवस्था के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक,

केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी अपनी सहकारी समितियों को उपयुक्त निर्देश जारी कर दिये हैं।

(ग) और (घ) उपभोग ऋण विषयक विशेषज्ञ समिति ने 0.01 से 0.50 एकड़ तक की जोत वाली ग्रामीण जनता के वर्ग के लिए केवल प्रथम वर्ष अर्थात् 1976-77 की उपभोग ऋण विषयक आवश्यकताओं को 170 करोड़ रुपये आंका था। इस समिति ने उपभोग ऋण की आवश्यकताओं के विषय में बाद के वर्षों के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया था क्योंकि उसका विचार था कि इनका अनुमान पहले वर्ष में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर बाद में लगाया जा सकता है और राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं को अपने ही साधनों से पूरा करने में समर्थ होंगी।

[सांताक्रुज हवाई अड्डे पर वायु सीमा शुल्क विभाग के सतर्कता अधिकारियों द्वारा अचानक जांच-पड़ताल

6400. **श्री बयालार रवि:**

श्री ए० सी० जार्ज:

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतर्कता अधिकारियों ने सांताक्रुज हवाई-अड्डे पर बम्बई वायु सीमा शुल्क विभाग की अचानक कोई जांच-पड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार और उनके क्या निष्कर्ष निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, हां। असबाब अधिकारियों द्वारा निकासी किये गये असबाब की, सांताक्रुज हवाई-अड्डे पर नियुक्त पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की गई अचानक जांच के अलावा, सीमा-शुल्क गृह के केन्द्रीय आसूचना एकक के सतर्कता अधिकारी भी इस प्रकार की जांच करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, केन्द्रीय आसूचना एकक के सतर्कता अधिकारियों ने 40 अवसरों पर अचानक जांच की और यह देखा गया कि कुछ मामलों में, निकासी किया गया असबाब नियमों के अधीन अनुमत्य छूट से अधिक था। इन मामलों में, चूंकि, कोई दुराशय प्रमाणित नहीं हुआ, इसलिये संबंधित अधिकारियों को केवल चेतावनी ही दी गयी थी।

सांताक्रुज हवा ईअड्डे पर पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की गयी अचानक जांच के परिणामतः, पिछले तीन वर्षों के दौरान, तीन मामलों का पता लगाया गया था जिनमें वायु सीमा-शुल्क अधिकारियों ने रिश्वत की कथित मांग की थी अथवा स्वीकार की थी। दो वायु सीमा-शुल्क अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तथा साथ ही ऐसे यात्रियों के विरुद्ध भी जिन्होंने कथित रिश्वत दी थी, कार्यवाही की जा रही है।

आय-कर विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये आरक्षण

6401. **श्री मोहन लाल पिपिल**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1977 को विभिन्न आयकर क्षेत्राधिकारों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) के कुल कितने पद थे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कुल कितने पद आरक्षित थे; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए नियत कितने पद अभी रिक्त पड़े हैं और कितने पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न दूसरे उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है और ऐसी नियुक्तियां किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 1-7-1977 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आयकर अधिकार क्षेत्रों में श्रेणी I (वर्ग-क) तथा श्रेणी II (वर्ग ख) (राजपत्रित) पदों की कुल संख्या बताने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। विभाग के संस्थापन में शामिल पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का कोई आरक्षण नहीं है । लेकिन, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के सामान्य अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि (i) सीधी भर्ती के कोटे में, अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद; और विभिन्न आयकर अधिकार क्षेत्रों में 1-7-77 की स्थिति के अनुसार श्रेणी I तथा श्रेणी II में स्वीकृत पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र (आयकर विभाग में श्रेणी II के सभी पद राजपत्रित पद होते हैं।)

विवरण

अधिकार क्षेत्र का नाम	श्रेणी I	श्रेणी II
आन्ध्र प्रदेश	115	73
असम	31	35
बिहार	57	46
बम्बई नगर	291	311
बम्बई (सैन्ट्रल)	30	2
कलकत्ता (सैन्ट्रल)	44	5
दिल्ली तथा दिल्ली (सैन्ट्रल)	165	169
गुजरात	159	153
कानपुर, मेरठ तथा आगरा	91	77
कर्नाटक	65	70
केरल	44	42
लखनऊ तथा इलाहाबाद	66	55
मध्य प्रदेश	59	71
उड़ीसा	26	24
पुणे	73	66
पटियाला, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ और अमृतसर तथा जलन्धर	128	105
जयपुर तथा जोधपुर	50	66
तमिलनाडु तथा कोयम्बटूर और मद्रास (सैन्ट्रल)	179	141
विदर्भ और मराठवाडा, नागपुर	37	39
पश्चिम बंगाल तथा आसनसोल	310	407
जोड़	2020	1957

औद्योगिक कच्चा माल तथा खाद्य पदार्थ के लिये खुलेआम लाइसेंस

6402. **श्री माधव राव सिंधिया:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रकार के औद्योगिक कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थों के लिए खुलेआम लाइसेंस देने का है;

(ख) क्या इससे कुछ फर्मों द्वारा लाइसेंस हथियाने पर नियंत्रण होगा और इन वस्तुओं की कमी नहीं होगी; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान अनेक मदें खुले सामान्य लाइसेंस और मुक्त लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत कर दी गई हैं जिनमें पूंजीगत माल, मशीनों के फालतू पुर्जे, औद्योगिक कच्चे माल आदि शामिल हैं। सरकार फिलहाल इन सूचियों में और कोई मद जोड़ने की किसी प्रस्थापना पर विचार नहीं कर रही है । आगे इस सम्बन्ध में आयात नीति में परिवर्तन पर अनुभव के आधार पर विचार किया जाएगा ।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पास विमान

6403. **श्री माधव राव सिन्धिया:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पास विभिन्न किस्म के विमानों की वर्तमान संख्या कितनी है, उनको किस वर्ष खरीदा गया था और इसके सप्लायरों के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने विमान, श्रेणीवार, चालू हालत में हैं और कितने विमान खराब हैं तथा उनकी मरम्मत हो रही है अथवा उड़ाने के काबिल नहीं रह गये हैं;

(ग) जो विमान चालू हालत में हैं वे क्या देश के तथा अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों की विमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ;

(घ) क्या एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइंस का कुछ और विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक विचाराधीन सौदे का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) (अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) निम्नलिखित को छोड़कर, संलग्न विवरण में दर्शाए गये सभी विमान सुचारू हालत में हैं :—

(i) इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में से 5 कारवेल विमानों में से तीन परिचालन कर रहे हैं और शेष दो को निकाल दिया गया है और डिस्पोजल के लिये अलग से रख दिया गया है ।

(ii) एक एफ-27 विमान की मामूली सी मरम्मत हो रही है ।

(iii) डी सी-3 विमान का फिलहाल ओवरहाल किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) एयर इंडिया ने दो और बोइंग-747 विमानों के लिए आर्डर दिया है । इनमें से एक की डिलिवरी दिसम्बर, 1977 में होनी है और दूसरे की मई, 1978 में । 1979 से आगे यातायात की प्रत्याशित वृद्धि की परिपूर्ति करने के लिये विमानों की अतिरिक्त आवश्यकता की जानकारी का पता लगाने के लिये इस समय अध्ययन प्रगति पर है ।

इंडियन एयरलाइन्स ने 9-2-77 को तीन बोइंग-737 विमानों की खरीद के आर्डर भी दिये हुए हैं। इन तीन विमानों की डिलिवरी अक्तूबर/नवम्बर, 1977 में होनी है ।

इंडियन एयरलाइन्स का फिलहाल इनके अलावा और विमान प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नही है।

विवरण

विमान का प्रकार	विमानों की वर्तमान संख्या	प्राप्ति वर्ष तथा प्राप्त किये गये विमानों की संख्या		सप्लायर का नाम
		वर्ष	संख्या	
एयर-इंडिया				
बोइंग 707-437	4	1960	2	मैसर्स बोइंग कं०, यू० एस० ए०
		1962	2	
बोइंग 707-337 बी	3	1964	1	
		1965	1	
		1966	1	
बोइंग 707-337 सी	2	1967	1	
		1968	1	
बोइंग 747-237 बी	5	1971	2	
		1972	2	
		1975	1	
इंडियन एयरलाइन्स				
एयरबस ए-300 बी 2	3	1976	3	मेसर्स एयरबस इंडस्ट्री, फ्रांस
बोइंग-737	12	1970	2	मैसर्स बोइंग कं०, यू० एस० ए
		1971	4	
		1974	4	
		1975	2	
कारवेल	5	1963	1	मैसर्स सूद एविएशन, फ्रांस
		1965	1	
		1966	2	
		1976	1	मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री, फ्रांस
एचएस-748(एवरो)	15	1967	2	मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स
		1968	3	लिमिटेड, बंगलौर
		1969	6	
		1970	2	
		1972	2	

विमान का प्रकार	विमानों की वर्तमान संख्या	प्राप्ति वर्ष तथा प्राप्त किये गये विमानों की संख्या		सप्लायर का नाम
		वर्ष	संख्या	
एफ-27	8	1961	2	मैसर्स फ्रोकर्स नीदरलैंड्स
		1963	4	
		1967	1	
		1971	1	बीमाकर्ताओं के माध्यम से
वाइकाउन्ट	2	1958	1	मैसर्स विकर्स आर्म्स्ट्रांग, यू० के०
		1962	1	मैसर्स फ्रैड ओसलेन, नॉर्वे
डीसी-3	1	विमान 1953 में राष्ट्रीयकरण के समय प्राप्त किया गया।		

एयर इंडिया में विमान चालकों को प्रशिक्षण देना

6404. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया, भारतीय वायु सेना तथा इंडियन एयरलाइंस के भूतपूर्व विमान चालकों की नियुक्ति करता है क्योंकि उनके पास विमान चालकों को युवावस्था में प्रशिक्षण देने की अपनी खुद की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो युवा विमान चालकों से और अधिक सेवा लेने के लिए सरकार के विचाराधीन यदि कोई प्रस्तावित योजना है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) एयर इंडिया अपने विमान-चालकों की भर्ती मुख्यतः इंडियन एयरलाइंस तथा वायु सेना से करती है क्योंकि उन के पास परिवहन विमानों पर विमानचालकों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने के लिए अपना कोई साधन नहीं है ।

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया के लिए विमानचालकों की आवश्यकता को मुख्य-तया इंडियन एयरलाइंस से भर्ती करके पूरा किये जाने का प्रस्ताव है, जबकि इंडियन एयरलाइंस अपनी आरंभिक भर्ती वाणिज्यिक विमानचालक का लाइसेंस रखने वाले युवा विमानचालकों में से करेगी और अपने अनुभवी विमानचालक एयर इंडिया को देगी । शेष आवश्यकता, भारतीय वायु सेना से भर्ती करके तथा यदि निर्धारित अर्हताएं रखने वाले प्रत्याशी उपलब्ध हों तो खुले बाजार से भी पूरी की जायेगी ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा 'फेमे इन्टरनेशनल' को दी गई धनराशि

6405. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया ने 60 लाख रुपये अथवा ऐसी ही कोई राशि 'फ़ेमे इण्टर-नेशनल' को दी है;

(ख) उक्त फ़र्म को किसने मिलवाया था और क्या इस फ़र्म का लेखा खुलवाने के लिये कोई दलाली दी गई थी;

(ग) क्या निदेशक बोर्ड को इस लेखे की सूचना दी गई थी; और

(घ) बैंक की कितनी राशि फ़र्म पर बकाया है और उक्त राशि की वसूली के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि मैसर्स फेमे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने कुल 40 लाख रुपये की ऋण सीमा का फ़ायदा उठाया था । बैंक के एक ग्राहक श्री डी० डी० बजाज ने इस पार्टी की पहचान करायी थी। कहा गया है कि कोई दलाली नहीं दी गयी क्योंकि बैंकों में ऋणकर्त्ता खाते प्राप्त कराने पर दलाली देने की प्रथा नहीं है । सेंट्रल बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बैंक के निदेशक मंडल को इस खाते की स्थिति तथा परिवर्तनों के बारे में सम्यक रूप से सूचित किया गया था। 9 अप्रैल, 1976 को ब्याज सहित कुल वकाया राशि 51.42 लाख रुपये थी। कम्पनी के ऋणकर्ताओं में से एक के द्वारा दायर किये गये पिटीशन पर निर्णय देते हुए न्यायालय द्वारा जून, 1976 को परिसमापक नियुक्त किया गया था। बैंक ने परिसमापक के समक्ष फ़ौजदारी कार्रवाई आरम्भ कर दी है। 22 जुलाई, 1977 को परिसमापक ने प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में बैंक का दावा स्वीकार कर लिया है । बैंक ने कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध फ़ौजदारी शिकायत भी दायर कर दी है ।

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ कोहिनूर मिल्स के वायदे

6406. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोले गये साख पत्रों, बिल भुनाने (डिसकाउंटिड बिल) तथा/अथवा खरीदने, या मिल की ओर से बिल स्वीकार करने तथा गारण्टी देने के रूप में सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया के साथ कोहिनूर मिल्स के 15 मई, 1977, 31 मई, 1977 तथा 1 जुलाई 1977 को क्या वायदे थे;

(ख) क्या बैंक के बोर्ड द्वारा ये सभी सुविधाएं उचित रूप में मंजूर की गयीं और/अथवा इसकी पुष्टि की गई और/अथवा इनका सत्यापन किया गया; और

(ग) यदि हां, तो किन तारीखों को ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सैन्ट्रल बैंक आफ़ इंडिया के कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की वचन-बद्धता नीचे उल्लिखित विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत 15-5-77, 31-5-1977 और 1-7 1977 को नीचे लिखे अनुसार थी:

(राशि लाख रुपयों में)

	15-5-1977	31-5-1977	1-7-1977
आशय पत्र भुनाये गये/खरीदे गये .	99.92	177.58	311.61
भुनाये गये/खरीदे गये बिल	393.18	315.13	383.52
स्वीकृतियां	214.62	146.86	110.20
गारंटी	11.82	18.71	12.04

(ख) और (ग) : उपर्युक्त सभी ऋण सुविधायें बैंक के बोर्ड को सूचित की गई थीं औ उसके द्वारा समय-समय पर 16-10-1975, 2-3-1976, 29-3-1976, 21-5-1976, 11-6-1976, 7-7-1976 29-7-1976, 8-9-1976, 15-11-1976, 27-12-1976, 5-2-1977, 16-5-1977, 17-5-1977, 23-6-1977 और 28-7-1977 को हुई अपनी बैठकों में स्वीकृत और/अथवा सम्पुष्ट और/अथवा अनुसमर्थित की गई थी।

कोहिनूर मिल्स को सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से प्राप्त सुविधायें

6407. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिनूर मिल्स को सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया से अग्रिम धन, डिस्काउन्ट किये गये और/अथवा स्वीकृत किये गये बिल, खोले गये प्रत्यय पत्र रिजर्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत विधिवत शामिल की गई गारंटियों के रूप में सभी प्रकार की वर्तमान सुविधायें प्राप्त हैं, यदि हां, तो इस प्राधिकार की अनुमति किस आधार पर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऋण प्राधिकार, योजना की परिधि के बाहर रिजर्व बैंक ने अन्यथा समय-समय पर कोहिनूर मिल्स को सुविधायें देने के सेन्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया के कार्यों का अनुमोदन किया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण प्राधिकरण योजना में नकद ऋण और खरीदी गयी/भुनाई गयी/स्वीकृत हुण्डियां व्याप्त होती हैं फ़िर भी खोले गये ऋण पत्रों और दी गयी गारंटियों के परिणामस्वरूप होने वाली देयताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से, इस योजना के अधीन प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है ।

सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया को कोहिनूर मिल्स को स्वीकृत 475 लाख रुपये की ऋण सीमाओं के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन दी गयी प्राधिकृति प्राप्त है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त सीमा, इस मिल्स कम्पनी की 1974 वर्ष के प्रक्षेपित (प्रोजेक्टिड) कुल उत्पादन और इस मिल्स कम्पनी की कुल कार्यकारी पूंजी विषयक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जुलाई, 1974 में स्वीकार की गयी थी।

क्योंकि 1974 के कैलेण्डर वर्ष के अंत की ओर इस कम्पनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसलिए सैण्ट्रल बैंक ने इस कम्पनी को 25 लाख रुपये की एक विवेकाधीन सुविधा प्रदान कर दी। मार्च, 1975 में सैण्ट्रल बैंक ने कोहिनूर मिल्स कम्पनी लि० की कार्यकारी पूंजी विषयक आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन 6.00 करोड़ रुपये किया और इस राशि के लिए ऋण प्राधिकार मांगा। मई, 1975 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मास की अवधि के लिए इस सुविधा में 50 लाख रुपये की अस्थाई वृद्धि की अनुमति दी और प्राधिकार का अनुरोध इसलिए स्थगित रखा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। टण्डन समिति के मानकों के आधार पर सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया ने अक्तूबर, 1975 में कोहिनूर मिल्स कम्पनी की कार्यकारी पूंजी विषयक आवश्यकताओं को 9.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया । सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया ने इस राशि के लिए ऋण प्राधिकार मांगे । भारतीय रिजर्व बैंक ने सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया से अनुरोध किया कि वह ऋण प्राधिकार के लिए अपना यह अनुरोध फ़िर उस समय भेजे जबकि उसे टाटा इक्नोमिक कंसल्टैंसी सर्विसिज (टीईसीएस) (सैण्ट्रल बैंक द्वारा नवम्बर, 1975 में नियुक्त) की रिपोर्ट प्राप्त हो जाये जिसे कि कोहिनूर मिल्स कम्पनी लि० की अर्थक्षमता सहित उसके सभी मामलों की जांच करने के लिए कहा गया था । जुलाई, 1976 में टी० ई० सी० एस० ने कोहिनूर मिल्स कम्पनी लि० के बारे में अपनी रिपोर्ट सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया को दी और इसकी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता 15.03 करोड़ रुपये आंकी।

सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया कोहिनूर मिल्स कम्पनी लि० द्वारा लिये गये ऋणों को इस मूल्यांकन और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह तथा टी० ई० सी० एस० की रिपोर्ट के अनुसार कार्यकारी पूंजी विषयक अपेक्षाओं के स्वयं अपने पुनर्मूल्यांकन के आधार पर विनियमित करता रहा है किन्तु सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया को कार्यकारी पूंजी की अपेक्षाओं के संबंध में परामर्शदाताओं (कन्सलटेंट्स) की सिफ़ारिशों से आगे जाना पड़ा क्योंकि इसका विचार था कि परामर्शदाताओं ने जो अवधारणायें की थीं वे इन सिफ़ा-

रिशों के कार्यान्वयन की अवधि में ठीक नहीं कह गयीं थी । टी० ई० सी०एस० ने कार्यकारी पूंजी के विषय में जो मूल्यांकन किया था और बैंक ने जो राशि उपलब्ध करायी उसके अंतर का मुख्य कारण यह माना जा सकता है कि मिल को टी० ई० सी०एस० द्वारा मांगे गये कपास के मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचा मूल्य (1800 रुपये प्रति कैंडी अधिक) अदा करना पड़ा। बैंक द्वारा दिये गये धन और बैंक द्वारा प्रबंध में लाये गये परिवर्तन के परिणामस्वरूप मिल के कामकाज में व्यापक सुधार हुआ और (व्याज को छोड़कर) मासिक नकद घाटा अप्रैल—जून, 1976 में 57 लाख के मुकाबले घटकर जुलाई, 1976—मार्च, 1977 के दौरान 23 लाख रुपये हो गया।

Development of Tourist Centres in Himachal Pradesh

6408. **Shri Balak Ram** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of attractive places and the places of pilgrimage in Himachal Pradesh which are being developed as tourists centres;

(b) whether Chidgaon, Hatkoti and other places for which a strong demand is being made since long, are also included in these places; and

(c) the steps being taken to develop these places as places of tourists attractions ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The following tourist facilities were provided/proposed in the Central Sector in Himachal Pradesh during the Fifth Plan :

(i) Construction of a youth hostel at Dalhousie which was commissioned in May, 1975.

(ii) Construction of a tourist bungalow at Dharamshala which was commissioned in April, 1977.

(iii) Two motor launches (15 seaters) were given to the Government of Himachal Pradesh in 1976 for providing cruising facilities on Govindsagar.

(iv) Preparation of master plans (land-use plans) of Manali and Vasistha (completed).

(v) Construction of a club house building at Manali (estimates under examination).

(vi) Hydrographic survey of the hot water springs at Vasistha to determine its further development (completed).

(b) No requests have been received for the development of Chidgaon, Hatkoti and other places by the Central Department of Tourism nor is there any proposal for their development in the Central Sector.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाला 'ड्यूटी भत्ता' वेतन का अंग माना जाना

6409. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले 'ड्यूटी भत्ते' को वेतन का अंग मानने के बारे में 17 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के संबंध में यह बताने की करेंगे कि उन सरकारी आदेशों की संख्या और तिथि क्या है जिनके अधीन उपरोक्त उत्तर में उल्लिखित रूप में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारित करने के लिए कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारियों द्वारा लिये गये विशेष वेतन को वेतन का अंग मानने से उत्पन्न असंगतियों को दूर किया गया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : इस संबंध में आदेश सभी मंत्रालयों/विभागों को संबोधित वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 8 जनवरी, 1968 के का० ज्ञा० सं० फ़ा० 6(1)-संस्था III (ख)/68 में जारी किए गए थे।

बलगारिया से टैटरासाइक्लिन हाईड्रोक्लोराइट की खरीद

6410. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कैमिकल्स तथा फ़ार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन द्वारा बलगारिया से टैटरासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइट के अधिक खरीद की अनुमति देने से इंकार किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सौदा तय हो गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं। वाणिज्य मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत टीम की भारत यात्रा

6411. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के गेहूं ऋण के बारे में बातचीत करने और इस वर्ष सप्लाई किये जाने वाले दस लाख टन अशोधित रूसी तेल के बदले में प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये आठ व्यक्तियों की एक सोवियत टीम जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में भारत आई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सोवियत संघ द्वारा भारत को 15 लाख टन अशोधित तेल की सप्लाई किये जाने पर 1978-80 में सोवियत संघ को भारतीय वस्तुओं की सप्लाई के विषय में बातचीत के दौरान सहमति हो चुकी है । भारतीय वस्तुओं की सूची में कतिपय परम्परागत उत्पादों के अलावा विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पाद और तार रस्से एल्यूमिनियम पावर केबल, उष्णकटिबंधीय लकड़ी की परतें, कार्बनिक रंजक, संगध तेल आदि गैर परम्परागत मदें शामिल हैं। इनको उन्हीं वर्षों में सोवियत संघ को निर्यात के लिए वार्षिक व्यापार योजनाओं में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया जायेगा।

2. सोवियत प्रतिनिधि मंडल में शामिल विशेषज्ञों ने खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम के साथ 1973-74 में प्राप्त गेहूं ऋण के बदले में गेहूं लौटाने की भारतीय प्रस्थापनाओं से उत्पन्न तकनीकी तथा तर्क सम्बन्धी प्रश्नों पर बातचीत की थी। इस सम्बन्ध में करार करने के विचार से शीघ्र ही बातचीत फ़िर से किये जाने की आशा है ।

दावते हादिया ट्रस्ट को कर से सामान्य छूट

6412. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावतें हादिया ट्रस्ट, जिसका एकमात्र ट्रस्टी बोहरा, मुल्ला डा० सइदना बुहीनुन हैं, ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इस ट्रस्ट को कर से सामान्य छूट देने के लिये आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दावते हादिया ट्रस्ट ने सामान्य छूट मंजूर किये जाने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की है ।

(ख) ट्रस्ट ने जिस मुख्य कारण से छूट के लिए याचिका प्रस्तुत की है वह यह है कि दावतें हादिया को प्राप्त होने वाली आय मुख्यतः धार्मिक तथा धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती है । यह भी दावा किया गया है कि दावतें हादिया लगभग 350 शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को चलाता अथवा सहायता देता है । ट्रस्ट चिकित्सा संस्थाओं को भी सहायता मंजूर करता है और यह कि वह उन मसजिदों तथा पीरों के मकबरों का रखरखाव भी करता है जिनका इस समुदाय द्वारा सम्मान किया जाता है और वन्दना की जाती है ।

(ग) मामले पर सरकार विचार कर रही है।

खान मालिक एसोसिएशन से अभ्यावेदन

6413. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान मालिक तथा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसियेशन से वित्त मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे जिसने आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन किये जाने और सरकारी प्रबन्ध की अवधि में उनको हुई कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी० हां।

(ख) इस आशय के अभ्यावेदन किये गये थे कि जिस अवधि में कोयला खानें सरकार की प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन थीं उस अवधि के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर-निर्धारितियों द्वारा भरी गई आय-कर विवरणियों को या तो आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा आयकर अधिकारियों द्वारा मांगी गयी सूचना प्रस्तुत करने के लिए मार्च, 1976 के बाद अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।

आयकर आयुक्तों को कहा गया था कि वे आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य समय दे दें। चूंकि अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे और चूंकि इस आधार पर कि अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए, आय में कुछ वृद्धियां करके कर निर्धारण किए गए, यद्यपि विवरण प्रस्तुत न कर सकना, निर्धारितियों के नियन्त्रण से बाहर था, इसलिए आयकर आयुक्तों को अनुदेश जारी किए गए कि पूरे किए गए कर-निर्धारणों में कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से शुरू करवाई जाय तथा सूचना प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त समम 'दिया जाये। आयकर आयुक्तों को सूचित किया गया कि ऐसे कारणों की वजह से, जो निर्धारितियों के नियन्त्रण से बाहर हों, सूचना प्रस्तुत न कर सकने के लिए कर का पुनर्निर्धारण करते समय कोई वृद्धियां नहीं की जानी चाहिएं।

कोपरा और नारियल के तेल का आयात

6414. **श्री बो० के० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) हाल ही में पाबन्दियों में दी गई ढील और शुल्क में कटौती के बाद देश में कितनी मात्रा में कोपरा और नारियल का तेल आयात किया गया; और

(ख) क्या कुछ और आयात की अनुमति दी जाएगी और यदि हां, तो कितनी मात्रा की ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : नारियल के तेल पर 30 मई, 1977 से आयात शुल्क कम कर दिया गया था। इस तारीख के बाद नारियल के तेल आयातों के सम्बन्ध में अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

31 जुलाई 1977 से नारियल का तेल आयात करने के लिए नए लाइसेंस जारी करना रोक दिया गया है और पहले से जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर वास्तविक आयातों का परिवीक्षण किया जाएगा ताकि कुल आयात एक निश्चित सीमा से आगे न बढ़े ।

Construction of Aerodrome at Sanchi

6415. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted for the construction of aerodrome at Sanchi, a famous place in Asia and if so, the details thereof; and

(b) whether Government propose to put Sanchi on the air map of India keeping in view its historical, religious and archaeological importance?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir, because Indian Airlines are already operating scheduled air services to Bhopal which is only 44 Kilometres by rail and 46 Kilometres by Road from Sanchi.

उड़ीसा के फूलबनी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये छोटे किसानों को ऋण दिया जाना

6416. **श्री श्री वाटचा डिगल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसानों की, जो किसी प्रकार की जमानत नहीं दे सकते; ऋण देने का प्रश्न तय करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक क्या सिद्धांत अपनाते हैं;

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान उड़ीसा के फूलबनी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि प्रयोजन के लिए छोटे किसानों को ऋण के रूप में कितनी धनराशी दी ;

(ग) उससे कितने किसानों को लाभ पहुंचा ?

(घ) फूलबनी जिले में किसानों को ऋण देने के लिए 1 जुलाई 1977 की एक महीने से अधिक अवधि के कितने आवेदन-पत्र बैंकों में विचाराधीन पड़े थे ; और

(ङ) इस प्रकार के विचारधीन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कृषिक ऋण देने में, बैंक प्रयोजन तथा योजना से अपेक्षित वर्द्धमान आय का अधिकाधिक ध्यान रख रहे हैं।

कोई मूर्त प्रतिभूति न दे सकने की स्थिति वाले भूमिहीन मजदूरों को सामूहिक गारंटी योजना के अंतर्गत अल्पकालिक ऋण दिये जाते हैं। यदि उपलब्ध हो, तो थर्ड पार्टी गारन्टी भी ली जाती है। प्रतिभूति को प्रमुख महत्व नहीं दिया जाता ऋणकर्ता कोई प्रतिभूति देने की स्थिति में नहीं हो तो उस पर ज़ोर नहीं दिया जाता ।

(ख) और (ग) उड़ीसा के फूलबनी (बोद्ध-खोंडमल) जिलों में दिसम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यक बकों द्वारा मंजूर किये गये कृषिक ऋणों के बकाया खातों की संख्या तथा बकाया राशि निम्नलिखित है:--

खातों की संख्या	बकाया राशि
553	3.35 लाख रुपये

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति

6417. **श्री श्री बाटचा डिगल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक सेवा आयोग बना दिये जाने के पश्चात् भी राष्ट्रीयकृत बैंक अपने अधीन विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी-अपनी परीक्षायें लेते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 21 फरवरी, 1977 को स्थापित किये गये बैंकिंग सेवा आयोग ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना अभी आरम्भ नहीं किया है । इसी अवधि में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में गतिरोध उत्पन्न न होने देने के लिए उन्हें सलाह दी गई है कि वे बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा उस तारीख के अधिसूचित किये जाने तक भर्ती का अपना तरीका चालू रखें, जिस तारीख से अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पदों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सभी नियुक्तियां केवल आयोग की सिफारिश पर की जाएं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दर

6418. **श्री श्री बाटचा डिगल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकान-किरायें में हुई काफी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 'शो रूम' के कर्मचारियों का वेतन

6419. **श्री रामचन्द्रन कडना पल्ली :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 'शो रूम ' के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों से निर्धारित बहुत कम वेतन मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वेतनमानों में सुधार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने केवल सितम्बर, 1975 में ही नियमित रिटेल शोरूम गतिविधियां आरम्भ की थीं। शो रूम कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्व के अनुरूप समेकित वेतन दिया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा दिया जाने वाला वेतन कानून न्यूनतम मजूरी से अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम शो रूम कर्मचारियों के परामर्श से मामले पर पुनर्विचार कर रहा है।

केरल से विदेशी मुद्रा की आय

6420. **श्री बी० के० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केरल राज्य के उत्पादों से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई और वह समूचे देश की आय का कितने प्रतिशत थी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : विदेश व्यापार के आंकड़े राज्यवार आधार पर एकत्र तथा संकलित नहीं किये जाते।

Assessment of Income and Wealth of Shri Vidya Charan Shukla

6421. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the year upto which assessment of income-tax and wealth-tax in respect of Shri Vidya Charan Shukla, former Minister of Information and Broadcasting has been made;

(b) the income and wealth of Shri Vidya Charan Shukla assessed during the last three years on the basis of the assessment made; and

(c) the main sources of income of Shri Vidya Charan Shukla ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) Year upto which assesment made:

Income -tax	(1) In the status of Individual	Assessment Year 1976-77
	(2) In the status of H.U.F.	Assessment Year 1975-76
Wealth-tax	(1) In the status of Individual	No return submitted.
	(2) In the status of H.U.F.	1972-73.

(b) Income and Wealth assessed during the last three years:

Income Assessed

Year	In the status of Individual	In the status of H.U.F.
1974-75	No return, no assessment.	Nil.
1975-76	Rs. 21,540	Nil.
1976-77	Rs. 20,460	No return submitted.

Wealth Assessed

Year	H.U.F.
1970-71	Rs. 81,836
1971-72	Rs. 98,361
1972-73	Rs. 82,009

(c) The main source of the income of Shri Shukla in his individual assessment was salary income. In the case of H.U.F., the main source was house property income.

Payment of Wealth-Tax by Central Cabinet Ministers

6422. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the number and names of the previous Union Cabinet Ministers who were wealth tax payers on 31st March, 1977; and

(b) the year up to which assessment in respect of each of the aforesaid tax payers had been made up to 31st Marh, 1977 and the total wealth of each of them assessed?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) & (b) A statement showing :

(i) the number and names of the Cabinet Ministers (as on 23rd March, 1977) of the previous Union Government, who were borne as wealth-tax assessees on the Register of the Department on 31st March, 1977; and

(ii) the latest completed assessment, as on 31st March, 1977, along with assessed wealth, in respect of each of the aforesaid persons is annexed.

Statement

S. No.	Name	Latest completed assessment as on 31st March, 1977	Assessed Wealth
			Rs.
1.	Smt. Indira Gandhi . .	1976-77	2,43,818
2.	Shri K. Raghu Ramaiah .	1976-77	82,300
3.	Shri Hitendra Desai . .	1976-77	4,19,080
4.	Shri T.A. Pai . . .	1975-76	3,81,656
5.	Shri Brahmananda Reddy .	1974-75	1,12,500
6.	Dr. Karan Singh . .	1971-72	67,71,240
7.	Dr. G.S. Dhillon. . .	— (Returns filed but no assessment completed so far. Latest return is for 1976-77. Net Wealth shown therein is Rs. 23,666).	—
8.	Shri Kamlapati Tripathi (HUF) . .	1976-77	4,01,300
9.	Shri H.R. Gokhale (HUF)	1975-76	74,138

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर द्वारा ली गयी अग्रिम धनराशि

6423. **श्री बयालार रवि :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर ने कोई वेतन नहीं लिया है क्योंकि उनके द्वारा ली गई अग्रिम धनराशि के बदले उसे काट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कुल कितनी अग्रिम धनराशि ली थी ; और

(ग) कितनी धनराशि किश्तों में लौटाई गई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अपने कार्यकाल में भूतपूर्व गवर्नर श्री के० आर० पुरी को भविष्य निधि, जीवन बीमा निगम का प्रीमियम और आयकर काट लेने के बाद पूरा वेतन दिया गया था। आगे रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी नियुक्ति की तारीख 20-8-1975 से फरवरी, 1976 तक का वेतन श्री पुरी को 3 मार्च, 1976 को तब दिया गया था जब उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत और बैंक के केन्द्रीय मंडल द्वारा अनुमोदित की जा चुकी थी। फिर भी श्री पुरी द्वारा लिये गये कार-ऋण, एयर कंडीशन ऋण तथा उनके बीमे की मासिक किस्त के कारण कुछ अदायगियां, इसी अवधि में बैंक के उचंत खाते में नामें डालकर जीवन बीमा निगम को की गई थीं। इन अग्रिम अदायगियों का समायोजन मार्च, 1976 में किया गया था जब उन्हें फरवरी, 1976 तक का वेतन दिया गया था। बैंक द्वारा श्री पुरी को 31 मार्च, 1977 को (2 मई, 1977 को उनके द्वारा गवर्नर के रूप में कार्य भार छोड़ देने के बाद) केवल 12,000 रुपये का अग्रिम दिया गया था जो उन्हें छुट्टी और सेवा निवृत्ति किराया रियायत के लिए प्राप्य था। यह राशि पैकिंग, क्रेटिंग, लारी खर्च, बीमा आदि के लिए सीधे

पैकर और फारवर्डर को श्री पुरी के खाते से दी गई थी। उन्होंने अभी अपना अंतिम छुट्टी और सेवा निवृत्ति किराया रियायत बिल पेश नहीं किया है।

कोपरा और नारियल के तेल के संबंध में नई तेल नीति

6424. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोपरा और नारियल के तेल के सम्बन्ध में सरकार की नई तेल नीति के कारण केरल तेल उत्पादकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) देश में खाद्य तेलों की स्थिति सुधारने के लिए उदार आयात की सामान्य नीति के ढांचे के भीतर सरकार ने 20 मई, 1977 से नारियल के तेल पर आयात शुल्क 75% से घटाकर 30% कर दिया। ऐसा करते सयम, इस बात का ध्यान रखा गया है कि नारियल उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस सम्बन्ध में किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) आयात शुल्क का स्तर ऐसा रखा गया है कि आयातित नारियल तेल का फुटकर मूल्य देशी नारियल तेल के बाराबर या उसके आस-पास होगा।

(2) यह निर्णय किया गया है कि नारियल के तेल के आयात की अनुमति केवल बहुत ही सीमित आधार पर दी जाये।

(3) यह निर्णय किया है कि 13 जुलाई, 1977 से नारियल के तेल के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जायेंगे।

(4) खाद्य तेलों अथवा नारियल के तेल के लिए विशिष्ट रूप से जारी किए गए लाइसेंस, नारियल के तेल के आयत के लिए तब तक वैध नहीं होगें, जब तक कि, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें जहाजों में लदान किये जा चुके हैं अथवा नारियल के तेल के आयात के के लिए अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोले जा चुके हैं, लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमति न ले ली गई हो।

(5) नारियल के तेल का आयात करने की अनुमति देने के लिए विशिष्ट मंजूरी दिये जाने वाले लाइसेंसों पर केवल नारियल के तेल की सफेद किस्म का आयात करने की अनुमति दी जायेगी न कि पीले किस्म की।

नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा सेब का विपणन

6425. **श्री बालक राम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पुर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सेबों के विपणन के मामले में देश के विभिन्न भागों और विशेषकर दिल्ली में गैर-सरकारी व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रभावकारी साधन सिद्ध हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976 में इन दो राज्यों द्वारा मार्कीट में लाई गई कुल पेटियों में से इस एजेंसी ने सेब की कितनी पेटियां खरीदीं और बेचीं ; और यदि कोई कमी रही है और बिक्री से कम धन-राशि प्राप्त हुई है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सेबों के आगामी मौसम में इस एजेंसी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली सेब बाजार में नेफेड के प्रवेश से व्यापार में स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण बना है।

(ख) वर्ष 1976 में जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश से मार्केट में लाई गयी । 139, 28, 276 सेब की पेटियों में से नेफेड ने 2.40 लाख पेटियां खरीदी और बेची। व्यापार का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में कमी नहीं हुई। बिक्री की राशि भी अनुकूल रही।

(ग) सुधार लाने के लिये किये गये विशेष उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) सेब उत्पादकों के साथ निकट संपर्क स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय कर्मचारियों को भेजना ;
(2) शिमला और श्रीनगर में कार्यालय खोलना ;
(3) नयी दिल्ली में सेबों के भण्डारण के लिये शीत भण्डार की स्थापना करना ;
(4) दिल्ली में बहु-वस्तु खाद्यान्न प्रोसेसिंग कारखाने की स्थापना करना ;
(5) बम्बई में सेबों के भण्डारण तथा विपणन के लिये गोदाम का निर्माण करना ;
(6) एक सदस्य सहकारी समिति के सहयोग से कलकत्ता में वितरण केन्द्र खोलना।

यूगोस्लाविया को बैगनों का निर्यात

6426. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया को बैंगनों के निर्यात के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) यूगोस्लाविया को और अधिक बैंगनों के निर्यात के विषय में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है क्योंकि ऋण की शर्तों आदि पर अभी तक वार्ता चल रही है।

भारत में विदेशी कम्पनियां

6427. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक फर्मों और शाखाओं द्वारा कार्य करने वाली विदेशी फर्मों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनके औद्योगिक तथा व्यापारिक कार्य क्या हैं; और

(ग) क्या ये सभी फर्में कम्पनी अधिनियम और अन्य भारतीय कानूनों के अन्तर्गत संचालित होती हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत में कारबार करने वाली पूर्णतः विदेशी स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की संख्या 31 मार्च, 1976 को 61 और 31 मार्च, 1977 को विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की संख्या 458 2 थी। एक विवरण संलग्न [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—965/77] है जिसमें कम्पनियों/शाखाओं के नाम दिए गए हैं ।

(ख) इन कम्पनियों के कार्यक्षेत्र ये हैं :-

1. कृषि और सम्बद्ध कार्य;
2. खनन और उत्खनन;
3. खाद्य पदार्थों, वस्त्र, चमड़े और उनके उत्पादों का संसाधन और उत्पादन;
4. धातुओं और रसायनों तथा उनके उत्पादों का संसाधन और निर्माण;
5. उन वस्तुओं का संसाधन और उत्पादन जिनका वर्गीकरण न किया गया हो;
6. निर्माण और उपयोगिताएं;
7. वाणिज्य (व्यापार और वित्त);
8. परिवहन, संचार और भण्डारकरण;
9. सामुदायिक और व्यापारिक सेवाएं;
10. वैयक्तिक और अन्य सेवाएं।

(ग) जी, हां।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

6428. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी को 40 प्रतिशत तक करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है जैसाकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अपेक्षित है और कम्पनी की इक्विटी पूंजी अब भी 85 प्रतिशत है;

(ख) क्या विदेशी इक्विटी पूंजी की इतनी अधिक प्रतिशतता के परिणामस्वरूप कम्पनी ने लाभांश के रूप में काफी बड़ी धनराशि विदेश भेजी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कम्पनी से लाभांश के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि विदेश भेजी है और भारत में कम्पनी के काम आरम्भ करने की तारीख से लेकर अब तक इस हिसाब में कुल कितनी धनराशि भेजी गई है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि कम्पनी विदेशी इक्विटी पूंजी कम करने के मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का पालन करे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने हिन्दुस्तान लीवर लि० के नाम एक आशय पत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29(2) के अधीन कम्पनी को अनुमति देने के लिए राजी है बशर्ते कि कम्पनी अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर सहमत हो कि वह दो वर्ष के अन्दर-अन्दर अर्थात् 5 जुलाई, 1979 तक अपनी सामान्य शेयर पूंजी में अनिवासियों के हिस्से को उस स्तर तक ले आएगी जो कुल पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में अन्तिम निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनी से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पर विचार किए जाने के बाद ही जारी किया जाएगा। इस बीच, कम्पनी को अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए शेयर जारी करने की अनुमति दे दी गई है जिससे अनिवासियों के शेयरों का प्रतिशत घटाकर 65.6 हो जाएगा।

(ख) लाभांश की बाहर भेजी जाने वाली रकम कम्पनी के मुनाफे और अनिवासी शेयरों के अनुपात से संबंधित होती है।

(ग) कम्पनी ने वर्ष 1967 से यूनिलीवर लिमिटेड को लाभांश के रूप में जो रकमें भेजी हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

वर्ष	रकम (रुपए)
1967	1,03,89,900
1968	1,03,89,900
1969	1,18,74,171
1970	1,29,87,375
1971	1,29,87,375
1972	1,46,01,889
1973	1,46,01,889
1974	1,00,38,798
1975	71,33,630
1976	2,92,92,513

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश कानूनी किस्म के होते हैं और भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कम्पनियों के लिए उनका पालन करना जरूरी है। इन निर्देशों का पालन न करने पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दण्ड दिया जा सकता है।

सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की मंजूरी

6429. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की मंजूरी, उपदान के भुगतान तथा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अन्य राशियों के मामले में अनुचित विलम्ब के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्ति पर या उस से पूर्व अस्थाई पेंशन की मंजूरी और नियमित मंजूरी की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों के लिए समय निर्धारित करने जैसे उपाय करने का है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) पेंशनों की स्वीकृति देने में कभी-कभी विलम्ब होते हैं। अधिवार्षिता पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की अदायगी में विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से फरवरी, 1976 में एक संशोधित कार्यविधि निर्धारित की गयी थी। संशोधित कार्यविधि की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

(1) पेंशन की संगणना, 36 महीने की बजाय 10 पूर्ण महीनों की औसत परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

(2) सभी मामलों में अधिवार्षिकी पेंशनों की अदायगी देय महीने की पहली तारीख से शुरू होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय अध्यक्षों और पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए विभिन्न अवस्थाओं पर कार्य के लिए एक निश्चित समय सारणी निर्धारित कर दी गयी है और प्रत्येक अवस्था के लिए निश्चित विभाजन तारीखें इस प्रकार निर्धारित की गयी है जब कोई विभाजन तारीख आ जाती है तो कार्य अनिवार्य रूप से अगली अवस्था में चला जायेगा।

(3) विपरीत विशिष्ट संकेत न होने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार के अधीन की गयी सेवा की अवधियों के बीच सेवा में आये व्यवधान को माफ किया समझा जाएगा और व्यवधान पूर्व सेवा को पेंशन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इसी प्रकार असाधारण छुट्टी की ऐसी अवधियों को भी, जिनके बारे में गैर अर्हतादायी मानने की विशिष्ट प्रविष्टियां न हों पेंशन के लिए हिसाब में लिया जायेगा।

(4) पेंशन के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है

(5) यदि किन्हीं कारणों से सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश जारी करना संभव न हो तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनन्तिम पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति तथा भुगतान किया जायेगा। अनन्तिम पेंशन छः महीने की अवधि के पश्चात् अन्तिम हो जायेगी।

(6) सरकारी कर्मचारी से बकाया देय रकमों (सरकारी आवास से भिन्न) का निर्धारण करने के मामले में पेंशन संबंधी कागजों को तैयार करने की अवस्था में पिछले रिकार्ड की जांच सेवा-निवृत्ति से पूर्व दो वर्ष की अवधि तक ही सीमित रहेगी।

जहां तक सरकारी आवास के उपयोग से संबंधित देय रकमों का संबंध है सम्पदा निदेशालय को किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करना होता है। अगले आठ महीनों के लिए इसमें वह स्वीकार्य अवधि भी शामिल है जिसमें सेवा-निवृत्ति के बाद आवास को रखा जा सकता है, लाइसेंस फीस कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वसूल की जाएगी। स्वीकार्य अवधि से ऊपर सरकारी आवास को रखने के संबंध में लाइसेंस फीस सम्पदा निदेशालय द्वारा सीधे ही अलाटी से वसूल की जाएगी और इस कारण से उपदान की अदायगी को रोका नहीं जाएगा।

सूचना मिली हैं कि फरवरी, 1976 में निर्धारित संशोधित कार्यविधि संतोषजनक कार्य कर रहीं हैं।

क्रोम अयस्क का निर्यात

6430. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय क्रोम अयस्क के निर्यात से सरकार ने वर्षवार, कितनी राशि अर्जित की ;

(ख) क्या भारतीय क्रोम अयस्क की मांग विश्व के बाजार में काफी बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रोम अयस्क के निर्यातों के मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहे :—

(करोड़ रु० में)

1974-75	1975-76	1976-77
9.24	24.62	(फरवरी तक) 24.48

(ख) तथा (ग) : निर्यातों के स्तर के मुकाबले भारतीय क्रोम अयस्क की अधिक मांग है लेकिन क्रोम अयस्क को बनाये रखने के दृष्टिकोण से उसके निर्यात पर 6 अगस्त, 1975 से रोक लगा दी गई है। केवल कुछ ही ग्रेडों के अयस्क की सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति समय-समय पर दी जा रही है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

6431. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जीवन बीमा निगम के 45,000 कर्मचारी बोनस के मामले पर अपना अखिल भारतीय आन्दोलन पुनः छेड़ देंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने अन्य संघों के साथ मिलकर 4 अगस्त, 1977 को दो घंटे की "वाक-आउट" हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी मांगों में, अन्य बातों के साथ-साथ 1974 के समझौतों के अनुसार 15 प्रतिशत के हिसाब से बोनस की अदायगी की मांग भी शामिल है। सरकार मामले पर विचार कर रही है।

Capital Invested Annually by National and State Level Banks

6432. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the capital of the national as well as state level banks at present and how much thereof is invested annually; and

(b) whether Government proposed to effect a change in the relevant law to ensure the functioning of the banks in conformity with their policy?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel): (a) & (b) It is presumed that the information sought for relates to resources including Capital and Reserves of all the public sector banks and their deployment. Information on this is being collected and will be laid on the Table of the house.

Development of Tourist Spots

6433. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of places in India which have been or which are proposed to be developed as tourist spots from the point of view of international, national and local importance separately ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purshuttom Kaushik) : Tourist facilities have been provided both for domestic and international tourists at a number of t ourist centres in the Central Sector during the various Plan periods. During the current Plan, the centres where tourist facilities have been provided/proposed are listed in the Stat ement attached. These facilities can be availed of by both domestic and international tourists.

For formulating future developmental programmes, it is proposed to undertake, in association with the State Departments of Tourism, India Tourism Development Corporation and the State Tourism Development Corporations, a tourism potential survey of each State with a view to (i) identify tourist centres from the angle of international, national and local importance; (ii) determine facilities to be provided at each of these centre and their

financial implications; and (iii) assign responsibilities for their implementation in the Central and state sectors.

Statement

During the Fifth Plan period tourist facilities have been provided/proposed at the following centres :—

I. **Department of Tourism**

Centre	Facility provided
1. Amritsar	Youth Hostel
2. Aurangabad	Youth Hostel
3. Bhopal	Youth Hostel
4. Dalhousie	Youth Hostel
5. Darjeeling	Youth Hostel
6. Gandhinagar	Youth Hostel
7. Hyderabad	Youth Hostel
8. Madras	Youth Hostel
9. Mysore	Youth Hostel
10. Nainital	Youth Hostel
11. Panaji	Youth Hostel
12. Panchkula	Youth Hostel
13. Patni Top	Youth Hostel
14. Puri	Youth Hostel
15. Pondicherry	Youth Hostel
16. Trivandrum	Youth Hostel
17. Darjeeling	Tourist Bungalow
18. Dharamsala	Tourist Bungalow
19. Jaisalmer	Tourist Bungalow
20. Ludhiana	Tourist Bungalow
21. Mantralaya	Tourist Bungalow
22. Porbander	Tourist Bungalow
23. Sewagram	Yatri Niwas
24. Warangal	Tourist Bungalow
25. Dandeli	Forest Lodge
26. Bharatpur	Forest Lodge
27. Jaldapara	Forest Lodge
28. Kaziranga	Forest Lodge
29. Sasangir	Forest Lodge
30. Sahibi Nadi	Cafetaria-cum-retiring room.
31. Gulmarg	Development of winter sports facilities.
32. Kovalam	Development of beach tourism facilities.
33. Goa	Hydrographic survey along the main beaches of Goa to determine safe area of aquatic sports activities.
34. Manali	Preparation of master plan (land-use plan) indicating location of facilities and environmental control.
35. Vasistha Hot Water Springs (Kulu Valley)	Hydrographic survey of the hot springs to determine further development.
36. Jaipur	Improvement of the road between Nahargarh and Jaigarh forts.
37. Haldighati	Landscaping of a portion of the area.

38. Agra	Landscaping of the area between the Taj Mahal and the Fort.
39. Sravasti/Kushinagar . .	Preparation of master plans (land-use plans) and development of accommodation and other facilities.
40. Bodhgaya/Sarnath/Badami/Pattadkal/ Aihole/Hampi & Fatehpur Sikri/Konark	Preparation of master plans (land-use plans) indicating location of facilities, landscaping and environmental control.

II. India Tourism Development Corporation

The ITDC has constructed hostels at Patna, Calcutta airport and Kovalam and has converted the Lalith Mahal Palace Hotel at Mysore for operating as a hotel. It is adding 50 rooms to the Qutab Hotel in Delhi, and has plans to provide additional 550 rooms in Delhi. It also plans to construct a 100-room Reception Centre-cum-hotel at Agra, and add 67 rooms to the Reception Centre-cum-hotel under completion at Jaipur.

Plans are also underway to construct a 500-bed Janta Hotel in Delhi.

Earnings and expenditure of Air India and Indian Airlines

6434. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the earnings and expenditure of the Air India and the Indian Airlines during the last three years, separately;

(b) whether Government propose to formulate any scheme to make these services more efficient; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The earnings and expenditure of Air-India and Indian Airlines for the last three years were as follows:

	1974-75	1975-76	1976-77*
		(Rs. in lakhs)	
AIR-INDIA			
Total Revenue .	13712	20161	27454
Total Expenditure	14597	19526	25695
Net Surplus/(Deficit) .	(885)	635	1759
INDIAN AIRLINES			
Total Revenue .	9805.3	11118.0	12375.0
Total Expenditure .	9703.7	10338.5	11237.5
Net Surplus/(Deficit) . . .	101.6	779.5	1137.5

*Subject to audit.

(b) and (c) Improvement of air services is a continuous process. The Government have also set up a Committee on Air Transport Policy to consider and recommend *inter alia* measures for ensuring coordination between Air-India and Indian Airlines with a view to achieving optimum utilization of the capacity available with the two Air Corporations.

Development of Lake Area in Hazaribagh (Bihar) as an International Tourist Spot

6435. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether Government propose to develop the large lake area, which is situated near a hill of Hazaribagh in Bihar and which is itself a very beautiful place, as an international tourist spot because this lake is comparable with the lakes of Switzerland?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : There is no proposal in the Central Sector to develop the large lake area near Hazaribagh in Bihar.

जीवन बीमा निगम द्वारा किराये पर लिए गए अतिथि गृह और उनका रखरखाव

6436. **श्री यादवेन्द्र झा :** क्या **वित्त तथा राजस्व** और **बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिल्ली में कितने अतिथि गृह किराए पर लिए हैं और उनका रखरखाव कर रहा है;

(ख) जीवन बीमा निगम के मण्डल, क्षेत्रीय और दिल्ली के स्थानीय शाखाओं द्वारा कितने अतिथि गृहों का रखरखाव होता है; और

(ग) अतिथि गृहों के किराए, कर्मचारी और रसोई आदि पर कुल कितनी राशि खर्च होती है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) दिल्ली में भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के चार अतिथि गृह हैं जो निगम की अपनी इमारतों में हैं और ये अतिथि गृह मुख्यरूप से निगम के कर्मचारियों के उपयोग के लिए हैं जो जीव न बीमा निगम के नियमों के अनुसार वहां ठहरने का खर्च देते हैं।

(ग) इन अतिथि गृहों के किराये पर या इनकी रसोईयों पर कोई खर्च नहीं किया जाता। वर्ष 1976-77 के दौरान इनकी देखभाल करने वालों के पारिश्रमिक पर 27,031 रुपया खर्च हुआ और बिजली और सफाई के खर्च के लिए 12,371 रुपए अदा किए गए।

काली नदी पनबिजली परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

6437. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने कर्नाटक में काली नदी पनबिजली परियोजना के लिए विश्व बैंक से जो सहायता प्राप्त की है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विश्व बैंक से कर्नाटक में काली नदी जलविद्युत परियोजना के लिए कोई सहायता नहीं ली गई है लेकिन इस परियोजना के लिए, अरब आर्थिक विकास के कुवैत कोष ने लगभग 5 करोड़ डालर का एक ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) परियोजना की वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह अनुमान है कि इस परियोजना का 135 मेगावाट का पहला यूनिट अक्तूबर, 1978 में और दूसरा मार्च, 1979 में चालू हो जाएगा।

मंत्रालयों को आवंटित स्टाफ कारें

6438. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जून, 1977 तक प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को कितनी स्टाफ कारों का आबंटन कि य गया;

(ख) सरकारी/निजी प्रयोजनों के लिए स्टाफ कारों का प्रयोग करने के हकदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कार भत्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों, यदि कोई है, की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में प्रयोग की जाने वाली स्टाफ कारों की संख्या में कमी करने का है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को मुख्य सचिवालय में प्रयोग करने के लिए 15 जून, 1977 को आबंटित स्टाफ कारों के संबंध में सूचना का एक विवरण-पत्र (विवरण पत्र-I) [ग्रन्थालय में रखा गया]। **देखिए** संख्या एल० टी०-966/77] सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सरकार के कर्मचारी, मुख्यालय के अन्दर वास्तविक सरकारी ड्यूटी पर स्टाफ कार का प्रयोग करने के लिए हकदार हैं। परन्तु सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के सिवाय मुख्यालय से बाहर की यात्राओं के लिए स्टाफकारों का प्रयोग नहीं किया जाना होता है। बशर्ते कि किसी तरह से सरकारी आवश्यकताओं में बाधा न पड़े और निर्धारित दरों पर अदायगी कर दी जाए, तो अधिकारियों को, जो सामान्यतः उप सचिव की हैसियत से नीचे के नहीं होते, एक सीमित सीमा तक ड्यूटी भिन्न यात्राओं पर स्टाफ कारों को इस्तेमाल करने की अनुमति होती है।

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के मुख्य सचिवालय में काम करने वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या के संबंध में सूचना, जो कार (सवारी) भत्ता पा रहे हैं, कुछ मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त कर ली गई है और सभा पटल पर रखे गए विवरण पत्र (विवरण पत्र-II) [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-966/77] में दे दी गई है। शेष मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे अभी एकत्र किया जाना है। इसे यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं, परन्तु मंत्रालयों से यह कहा गया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा रखी हुई स्टाफ कारें उनकी आवश्यकताओं से अधिक न हों।

अशोक होटल के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि

6439. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री कचरुलाल हेमराज जैन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने अशोक होटल एम्प्लाईज यूनियन (पंजीकृत तथा मान्यता-प्राप्त) के साथ अशोक होटल के श्रमिकों के महंगाई भत्ते में एक अप्रैल, 1973 से वृद्धि करने के बारे में समझौता किया था किन्तु इस समझौते को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो समझौते को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अशोक होटल के प्रबन्धक वर्ग ने 19-1-1974 को, वेतन-मानों का संशोधन करने, महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाने, मकान किराया भत्ते तथा भोजन भत्ते आदि में वृद्धि करने के बारे में अशोक होटल एम्पलाईज यूनियन तथा अशोक होटल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ किये गये समझौते के ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किये। महंगाई भत्ते के बारे में इस फैसले में सर्वसामान्य रूप से महंगाई भत्ते में से 90 रुपये की राशि मूल वेतन में जोड़ने और महंगाई भत्ते के बकाया भाग को निर्वाह सूचकांक में जोड़ने की व्यवस्था की गयी थी। 1-4-1973 से महंगाई भत्ते की मात्रा में वृद्धि करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तथापि फैसले से पहले 18-12-73 को इन यूनियनों के साथ एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार महंगाई भत्ते के हिसाब के फार्मूले के संशोधन अर्थात् महंगाई भत्ते को निर्वाह सूचकांक में जोड़ने की मांग पर यूनियनों के साथ फिर विचार-विमर्श किया जाना था। जबकि महंगाई भत्ते के संशोधन के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा था, सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम में गैर-अधिकारी कर्मचारियों के वेतन-मान को युक्ति-संगत बनाने के लिये एक समिति का गठन कर दिया है । अन्य बातों के साथ-साथ समिति इन कर्मचारियों के कार्य-क्षेत्र की ओर ध्यान किये बिना सबके लिये समान महंगाई भत्ते के फार्मूले सहित एक मानक वेतनमान (स्टैंडर्ड वेज स्ट्रक्चर) तैयार करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

पंजाब नेशनल बैंक की पदोन्नति संबंधी नीति

6440. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धकों ने कलर्कों और विशष सहायकों की अधिकारी के पद पर पदोन्नति के बारे में पदोन्नति नीति समझौते को, जो 1973 में किया गया था, एक-पक्षीय निर्णय से समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने अपने पर्सनल डिवीजन सर्कुलर संख्या 232, दिनांक 21 अप्रैल, 1976 के द्वारा एक-पक्षीय पदोन्नति नीति नियम घोषित किया तथा इसे आपात स्थिति के दौरान मनमाने ढंग से लागू किया;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का अब इसे पुनरीक्षित करने तथा कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके समझौता करने का विचार है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि लिपिकों और विशेष सहायकों की अधिकारियों आदि के रूप में पदोन्नति संबंधी नीति और तरीके के बारे में बैंक और अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी महासंघ के बीच 16 जून, 1973 को हुआ समझौता 1 अप्रैल, 1973 से तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू हो गया था और उसके बाद भी वह तब तक बाध्यकारी रहेगा जब तक एक पक्ष समझौता समाप्त करने के आशय का दो महीने का लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को नहीं देता । बैंक ने सम्यक् नोटिस देने के बाद समझौते को समाप्त कर दिया। बैंक ने सूचित किया है कि समझौते के कार्यान्वयन में कुछ असंगतियां/कठिनाइयां होने के कारण उसे समाप्त कर दिया गया था। कर्मचारियों के महासंघ ने समझौते की समाप्ति की अवैध कह कर आपत्ति की है और मामले को केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र के पास ले गया है।

(ग), (घ) और (ङ) पदोन्नति की संशोधित नीति को बैंक के निदेशक-मंडल की अनुमति लेने के बाद बनाया गया था। बैंक के अनुसार संशोधित नीति पिछले समझौतों का सुधरा हुआ रूप है क्योंकि उससे उन पदों के लिए अपेक्षया अधिक संख्या में कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे, जो समय-समय पर खाली होंगे और आम-तौर से बैंक के कुशल कार्यचालन को बढ़ावा मिलेगा।

बैंक ने सूचित किया है कि पदोन्नति की नीति पर विचार तथा उसकी समीक्षा करने के लिए प्रबन्धकों के तीन प्रतिनिधियों और महासंघ के तीन प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं और मामले को सुधारने के प्रयास जारी हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न यूनिटों में नवीकरण पर व्यय

6441. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एम० जी० गुरूमय्यन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने वित्तीय वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक अपनी विभिन्न यूनिटों के नवीकरण पर कुल कितनी धन राशि खर्च की तथा प्रत्येक यूनिट में किये गये नवीकरण कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अशोक होटल में अधूरे रिवोल्विंग टावर रेस्ट्रोरेंट पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरषोत्तम कौशिक) : (क) एक विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 967/77]**

(ख) अशोक होटल, नई दिल्ली के अधूरे रहे रिवाल्विंग टावर रेस्टोरैंट पर 10.28 लाख रुपए की राशि निम्न प्रकार से खर्च की गयी है :—

1. बिल्डिंग	6.32	लाख रुपए
2. रिवाल्विंग मेकेनिज़म	2.20	लाख रुपए
3. ए० सी० मशीनरी	0.46	लाख रुपए
4. हाई स्पीड लिफ्टें	1.30	लाख रुपए
	10.28	लाख रुपए

भूतपूर्व प्रधान मंत्री की 59वीं वर्षगांठ मनाने पर स्टेट बैंक के प्रबन्धकों द्वारा किया गया असाधारण व्यय

6442. **श्री ए० के० साहा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्टेट बैंक के प्रबन्धकों ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का 59वां जन्म दिवस मनाने पर अनपेक्षित और असाधारण खर्च किया था;

(ख) यदि हां, तो इस समारोह पर पूरे भारत में कुल कितना खर्च किया था

(ग) क्या स्टेट बैंक ऑफ बांकुरा, पश्चिम बंगाल ने श्रीमती इन्दिरा गांधी का जन्म दिन मनाने पर 8,000 रुपये खर्च किये थे; और

(घ) क्या स्टेट बैंक की सभी शाखाओं के प्रबन्धकों को आदेश दिये गये थे कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के 59वें जन्म दिन के अवसर पर "59 ऋण खाता" खोलें ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि कठिन परिश्रम और अधिक बचत करने के तत्कालीन प्रधान मंत्री के आह्वान पर उसने यह निर्णय किया था कि 19 नवम्बर, 1976 को समाप्त सप्ताह के दौरान सारे स्टेट बैंक समूह में रचनात्मक कार्यक्रम चला कर उनके जन्म दिवस पर उनको अभिनन्दन किया जाये। इस कार्यक्रम में बच्चों/विद्यार्थियों के बचत खाते खोलना, समाज के कमजोर वर्गों को ऋण मंजूर करना, वृक्षारोपण करना, रक्तदान केम्पों का आयोजन करना, बैंक द्वारा वित्तपोषित प्रतिष्ठानों पर "हमारा बैंक स्टेट बैंक" की तखती प्रदर्शित करना, गांवों और गंदी बस्तियों को अपनाना शामिल था।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक की बांकुरा शाखा में जन्म दिन मनाने पर कोई राशि खर्च नहीं की गई अलबत्ता उसने उपर्युक्त कार्यक्रमों के प्रसंग में 6,393.65 रुपये खर्च किये थे।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक समूह की सभी शाखाओं के प्रबन्धकों को आदेश दिये गये थे कि 13 से 19 नवम्बर, 1976 के सप्ताह के दौरान बच्चों/विद्यार्थियों के कम से कम 59 बचत खाते खोलें और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को कम से कम 59 ऋण मंजूर करें।

स्टेट बैंक की बांकुरा शाखा द्वारा छोटे तथा बड़े कर्जदारों को दी गई धनराशि

6443. **श्री ए० के० साहा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक की बांकुरा शाखा ने छोटे तथा बड़े कर्जदारों को 10 लाख रु० के ऋण दिये जैसा कि समाचार पत्र (दैनिक बसुमति, दिनांक 17 नवम्बर, 1976) में प्रकशित हुआ था; और

(ख) क्या उक्त बांकुरा शाखा ने छोटे कर्जदारों तथा छोटे किसानों के स्थान पर एक व्यक्ति को गांजे के उत्पादन के लिये 1 लाख रुपये (लगभग) का ऋण देना अधिक उपयुक्त समझा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार उसकी बांकुरा शाखा ने 11.13 लाख रुपये निम्नलिखित वर्गों के ऋणकर्त्ताओं को उधार दिये थे :

कार्यकलाप का प्रकार	खातों की संख्या	मंजूर की गई सीमाएं (लाख रुपयों में)
1. विभेदी व्याज दर के ऋणकर्त्ता . . .	210	1.36
2. कृषिक ऋणकर्त्ता . .	402	3.85
3. छोटे व्यावसायिक ऋणकर्त्ता . . .	95	5.14
4. छोटे पैमाने के औद्योगिक ऋणकर्त्ता . .	80	0.78
	787	11.13

उपर्युक्त अग्रिमों में से 40,000 रुपये की राशि बैंक की कृषिक वित्त योजना के अन्तर्गत गाँजे की काश्त करने के लिए एक व्यक्ति को दी गई थी।

स्टेट बैंक आफ इंडिया कलकत्ता के जनरल मैनेजर के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति

6444. **श्री ए० के० साहा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के जनरल मैनेजर, श्री ए० एस० पुरी ने अपनी पुत्री के दांत को सुन्दर बनाने पर व्यय हुए 10,000 रुपयों के चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति कराई थी;

(ख) क्या कांतिवर्धक शल्य चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है;

(ग) क्या यह वही श्री पुरी हैं जिनकी दिल्ली में स्टेट बैंक और सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये नई नियुक्ति की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि श्री ए० एस० पुरी द्वारा अपनी लड़की के दातों के इलाज के लिये प्रस्तुत किये गये 1458.75 रुपये के बिल की प्रतिपूर्ति कलकत्ता स्थित बैंक के स्थानीय कार्यालय द्वारा 14 मई, 1975 को की गई थी क्योंकि बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया था कि यह राशि दातों के इलाज की है न कि सौंदर्य शल्य चिकित्सा की।

(ख) बैंक के अधिकारियों के लिए लागू चिकित्सा सुविधा योजना के अन्तर्गत सौंदर्य शल्य चिकित्सा के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने अगस्त, 1970 में श्री ए० एस० पुरी को नई दिल्ली में बैंक का सम्पर्क कार्य करने के लिए महाप्रबन्धक (नीति निर्धारण और कार्यक्रम) के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि इस पद का काम करने के लिए उन्हें बैंक द्वारा योग्य पाया गया था।

Export of Tobacco

6445. **Shri Ishwar Chaudhary** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the name of the country which imports tobacco from India in the maximum quantity; and

(b) the name of the agency in India which has been entrusted with the work of expor. of tobacco?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) :

(a) United Kingdom.

(b) The regulation and promotion of export of tobacco is the responsibility of the Tobacco Board, Guntur, Actual exports are effected by exports registered with the Board.

नसवार पर उत्पादन शुल्क

6446. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसवार पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है;

(ख) कितने लाइसेंसधारियों से उक्त शुल्क वसूल किया गया; और

(ग) वर्ष 1975-76 में कुल कितना शुल्क एकत्र किया गया ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 4.11(6) के अन्तर्गत नसवार उत्पादन शुल्क लगने योग्य है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1976 को, नसवार के निर्माण में लगे लाइसेंसधारियों की संख्या 1018 थी;

(ग) 1975-76 में, नसवार पर वसूल हुए केन्द्रीय उन्पादन शुल्क की कुल रकम 1.05 करोड़ रुपये थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कर्नाटक के छोटे किसानों को दी गई धनराशि

6447. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कर्नाटक राज्य में छोटे किसानों (दीं से पांच एकड़ की भूमि वाले) को कृषि प्रयोजनों के लिये कितनी धनराशि दी; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में उपरोक्त राज्य के बड़े किसानों को कितनी धनराशि दी गई?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) कर्नाटक में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों की मार्च, 1974,1975 और 1976 अन्त में बकाया राशि के जोतवार वितरण की उपलब्ध सूचना नीचे दी जा रही है:--

(लाख रुपयों में)

	कृषक की जोत			
	2.5 एकड़ तक	2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक	5 एकड़ से 10 एकड़ तक	10 एकड़ से अधिक
1	2	3	4	5
मार्च 1974				
भारतीय स्टेट बैंक	99.76	178.00	222.69	363.31
राष्ट्रीयकृत बैंक	147.47	300.74	430.45	1032.98
	247.17	478.74	653.14	1396.29
मार्च 1975				
भारतीय स्टेट बैंक	199.21	246.47	308.41	457.26
राष्ट्रीयकृत बैंक	271.60	332.02	512.49	1312.07
	470.81	578.50	820.90	1769.33

1	2	3	4	5
मार्च 1976				
भारतीय स्टेट बैंक	336.61	428.77	475.77	838.13
राष्ट्रीयकृत बैंक	484.95	633.56	766.22	1889.34
	821.56	1062.33	1241.99	2727.47

टिप्पणी :— ऊपर दिये गये जोतवार प्रत्यक्ष कृषक ऋणों में कृषि के लिए दिये गये अल्पावधिक और दीर्घावधिक ऋण शामिल हैं किन्तु डेरी, मुर्गी पालन आदि जैसे तत्संबंधी कार्य कलापों के लिए दिये गये अप्रत्यक्ष ऋण शामिल नहीं हैं क्योंकि उनका जोतवार ब्यौरा रखा नहीं जाता।

Laxmi Vilas Palace Hotel Udaipur (Rajasthan)

6448. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of profit earned from Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur (Rajasthan) during 1976-77;

(b) whether Government have prepared a scheme for expansion of the hotel, keeping in view the importance of Udaipur as a tourist resort; and

(c) if so, the main outlines of this scheme?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The accounts for 1976-77 are under audit. On the basis of the provisional accounts, the Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur incurred a loss of the order of Rs. 0.88 lakhs during 1976-77.

(b) No, Sir, not at present.

(c) Does not arise.

Import of Machinery by J. K. Industries, Kankroli

6449. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the value of machinery imported from M/s General Tyres Company, U.S.A. by the management of the J.K. Industries, Kankroli (Rajasthan) for their Udaipur Tyres Factory?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): M/s J. K. Industries Ltd., have been issued six import licences in the years 1974 and 1977 in favour of their tyre unit at Kankroli, Udaipur (Rajasthan) for the import of machinery valued Rs. 7,64,63,142/- from USA, Holland, France, Italy, U. K., West Germany and Japan.

Out of this, the value of machinery allowed for import from M/s. General Tyre International Inc., USA is Rs. 1,43,73,076/. Information about actual imports from this company is not available.

Export of Sugar

6450. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Commerce and Civil Suppli and Co-operation** be pleased to state the quantity of sugar exported during 1975-76 through State Trading Corporation and the names of importing countries?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : 11.8735 lakh tonnes of sugar was exported by the State Trading Corporation of India during 1975-76. The country-wise exports were as follows:—

Country	1975-76 Qty. in lakh Mt)
U.S.A.	2.42
U.K.	0.63
Indonesia	1.09
Egypt	1.80
Sudan	0.58
Jordan	0.20
Iran	3.33
Aden/Mukalla	0.12
Iraq	0.09
Yemen	0.33
Sri Lanka	0.10
Maldives	0.0035
Afghanistan	0.21
Rumania	0.46
Portugal	0.12
Nepal	0.06
Tunisia	0.11
Tanzania	0.11
Somalia	0.11
	11.8735

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के श्रेणी एक के अधिकारी

6451. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के श्रेणी एक के कितने अधिकारियों की सेवावधि 18 वर्ष पूरी हो गई है; और

(ख) संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति की क्या कसौटी है तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों के कितने अधिकारी संयुक्त सचिव के पदों पर हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय (मुख्य) में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसने श्रेणी I में 18 वर्ष की सेवा पूरी की हो। न ही इस वर्ग का कोई ऐसा अधिकारी है जो संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहा हो। जहां तक संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए कसौटी का संबंध है यह उल्लेख किया

जाता है कि भारतीय प्रशासन सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी I के जिन अधिकारियों की 17 वर्ष की सेवा हो वे ऐसी नियुक्तियों के लिए विचार किये जाने के पात्र होते हैं। पात्र अधिकारियों में से गुणावगुण के आधार पर निर्धारित कार्याविधि के अनुसार चयन किया जाता है।

आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

6452. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में कितने आयकर अधिकारी हैं; और

(ख) उनमें कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा उनमें से कितने सेंट्रल सर्किलों और कम्पनी सर्किलों में विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्त हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 30-7-1977 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आयकर अधिकार क्षेत्रों में श्रेणी-I के 1275 आयकर अधिकारी और श्रेणी-II के 2044 आयकर अधिकारी थे। इनमें से श्रेणी I के 142 आयकर अधिकारी और श्रेणी II के 213 आयकर अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुचित जनजाति के थे। केन्द्रीय परिमण्डल के विशेष-वेतन वाले पद और कम्पनी परिमण्डल के पदों पर अधिकतर श्रेणी I के आयकर अधिकारी तैनात हैं और श्रेणी I के 142 आयकर अधिकारियों में से 17 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी ऐसे पदों पर तैनात हैं।

उत्तर प्रदेश के सहायक आयकर आयुक्त

6453 **आर० एल० कुरील :** क्या **वित्त तथा राजव और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सहायक आयकर आयुक्तों की कितनी संख्या है जो उत्तर प्रदेश के हैं;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के ऐसे सहायक आयकर आयुक्तों की कितनी संख्या है जो अपने ही राज्य में नियुक्त हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आयकर के सहायक आयुक्तों के ग्रेड में ऐसे 108 अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

(ख) उनमें से 10 अधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ग) 30 सहायक आयकर आयुक्त जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संवर्ग पदों पर कार्य कर रहे हैं। एक अधिकारी उसी राज्य में संवर्ग बाह्य पद पर कार्य कर रहा है।

विदेशों में कार्य कर रहे काफी बोर्ड कार्यालय

6454. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड योजना के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत विदेशों में भी काफी बोर्ड के कार्यालय हैं,

(ख) यदि हाँ, तो काफी का निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत सरकार को उक्त एजेंसी के माध्यम से कितना लाभ हो रहा है, और

(ग) अन देशों के नाम क्या हैं जहां इस समय काफी बोर्ड के कार्यालय काम कर रहे हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के बुनकरों की दयनीय स्थिति

6455. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में बुनकरों और उनके परिवारों की स्टेपल्स रंगों और अन्य रासायनिक पदार्थों के मूल्य में तेजी से वृद्धि के फलस्वरूप इस उद्योग के समक्ष आये वित्तीय संकट के कारण दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा बुनकरों के नाम से दी जाने वाली सभी सुविधाओं को बड़े व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा झपट लिया जाता है,

(ग) क्या बुनकरों को सूत, स्टेपल्स रंग और अन्य रासायनिक पदार्थ सप्लाई करने वाले बिचौलियों और व्यापारियों ने विशेषकर आपात स्थिति समाप्त किये जाने के पश्चात् जमाखोरी और काला बाजारी करना आरम्भ कर दिया है, और

(घ) यदि हां तो बुनकरों को उचित मूल्यों पर सूत स्टेपल्स, रंग और अन्य रसायनों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं/करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यद्यपि हाल के महीनों में स्टेपल्स यार्न तथा रंजक सामग्री की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों को कठिनाई हो रही है, फिर भी जैसा कि प्रश्न में सूचित किया गया है, सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी व्यापारी/दलाल सहकारी समितियों का सदस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बुनकरों को दीजाने वाली सुविधाओं का प्रबन्ध उनको सीधे किया जाता है।

(ग) सरकार को जमाखोरी तथा चोरबाजारी के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है तथा ये वस्तुएं मुक्त बाजार में वेरोक उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि रूई के मामले में सरकार ने भारतीय रूई निगम के माध्यम से रूई आयात करने की व्यवस्था की है जो भारतीय रूई की मिलती जुलती किस्मों की समान कीमतों पर उद्योग को सप्लाई की जायेंगी। साथ ही सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों, सहकारी कताई मिलों तथा मिल मालिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी, जिन्होंने मिल से चलते समय की कीमतों पर हथकरघा बुनकरों की शीर्ष संस्थाओं को बल्क मात्राएं उपलब्ध कराने और इसके अलावा यदि आवश्यक पाया गया तो मिल से सीधे वितरण के लिए हथकरघा बहुल क्षेत्रों में डिपो खोलने के लिए सहमति प्रकट की। इसी प्रकार विस्कोज स्टेपल फाईवर यान की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगभग 30,000 मे० टन की मात्रा का आयात किया गया है ताकि घरेलू उपलब्धता की अनुपूर्ति की जा सके । रंजकों तथा रसायनों के बारे म राज्य सरकार तथा शीर्ष समितियों को निदेश दिया गया है कि वे स्वदेशी विनिर्माताओं को दीर्घाकालीन आधार पर सुपुर्दगी अनुदेशों सहित पुख्ता आदेश दें ताकि वस्त्र आयुक्त पर्याप्त मात्रा में तथा निरन्तर सप्लाई करने का प्रयत्न कर सकें।

सितम्बर, 1977 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए रूई तथा सूती धागे की उपलब्धता तथा उनकी कीमतों पर विचार करने के लिए रूई तथा वस्त्र से संबंधित प्रतिनिधियों के साथ इस महीने की 10 तारीख को एक बैठक आयोजित की जाएगी।

मई 1977 में इंडियन एयरलाइंस के विमानों के उड़ानों में विलम्ब के कारण कार्यघंटों की हानि

6456. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे मई, 1977 में इंडियन एयरलाइंस के मुख्य मार्गों की उड़ान सेवाओं में विलम्ब हुआ था; और

(ख) विलम्ब से उड़ान किये जाने के कारण कितने कार्यघंटों की हानि हुई।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस विलम्ब की समयावधियों का गणनात्मक रिकार्ड नहीं रखती। इसके बजाय, 'बिलम्ब दर' तथा 'यथासमय' कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़ों का संधारण किया जाता है जोकि एयरलाइन्स की परिचालनात्मक क्षमता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक उपयुक्त अभिसूचक है। विश्व भर के एयरलाइन परिचालक भी इसी प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं।

मई, 1977 के दौरान 15 मिनट तथा इससे अधिक की देरियों तथा रद्द करने की घटनाओं के आधार पर मुख्य मार्गों (ट्रंक रूट्स) पर समग्र रूप 'से विलम्ब दर' तथा 'यथासमय' कार्य निष्पादन निम्न प्रकार थे :—

समग्र रूप से विलम्ब दर	31.98	प्रतिशत
समग्र रूप से यथा समय कार्य निष्पादन	68.62	प्रतिशत

Transfers of Government Employees attaining the Age of 55 Years

6457 : **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state ;

Whether Government propose to issue orders to the effect that those Government employees who attain the age of 55 years or above that should not be transferred :

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : No, Sir.

नसवार पर उत्पादन शुल्क

6458. **डा० बापूकालदाते :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसवार और तम्बाकू निर्माताओं के संगठनों ने नसवार पर निर्माण कर समाप्त करने के लिये एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनकी मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जी हां।

(ख) जिन कुछ महत्वपूर्ण संगठनों से इस विषय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उनके नाम हैं :—

(1) तमिलनाडु तम्बाकू मर्चेंट्स एसोसिएशन।

(2) मद्रास स्माल स्केल स्नफ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ।

(3) श्री झालावाड़ चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सुरेन्द्रनगर, गुजरात।

(4) राजस्थान स्नफ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, ब्यावर।

(5) स्माल स्केल स्नफ इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, गिदड़बहा, पंजाब।

(6) महाराष्ट्र स्नफ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई।

(7) तम्बाकू ट्रेडर्स स्नफ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, सीहोर, गुजरात।

(ग) सरकार ने उपर्युक्त अभ्यावेदनों में की गयी शुल्क हटाने की मांग स्वीकार नहीं की है ।

जीवन बीमा निगम में दैनिक मजूरी बदली श्रमिकों की भर्ती

6459. **डा० बापू कालदाते :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम दैनिक मजूरी वाले बदली श्रमिकों की भर्ती करता रहा है;

(ख) क्या इन श्रमिकों को नियमित वेतनमान, महंगाई भत्ता, छुट्टी और अन्य सुविधाएं नहीं दी जातीं जो कि स्थाई कर्मचारियों को मिलती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दैनिक मजूरी श्रमिकों की नियुक्ति की प्रणाली को कब समाप्त किया जायेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। निगम के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में गैर हाजिर होने पर निगम के कार्यालयों में अस्थायी खाली पदों बदली कर्मचारी रखे जाते हैं। आमतौर पर ऐसी नियुक्तियां उम्मीदवारों की उस सूची में दर्ज व्यक्तियों में से की जाती हैं जो भर्ती की मान्य प्रक्रिया के मुताबिक तैयार की जाती हैं।

(ख) और (ग) जिन मामलों में बदली कर्मचारी की नियुक्ति एक साथ 5 दिन से अधिक समय के लिए होती है उनमें उसे उस पद के वेतनमान की न्यूनतम राशि और भत्ते दिए जाते हैं। जब नियुक्ति 5 दिनों से कम की अवधि के लिए विस्तरित हैं तो उसे 9 रुपए रोज के हिसाब से वेतन दिया जाता है। चूंकि ये नियुक्तियां विशुद्ध रूप से अस्थायी किस्म की होती हैं, इसलिए इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभ नहीं दिए जाते।

(घ) चूंकि बदली कर्मचारी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में गैर-हाजिर होने की सूरत में और अन्य अप्रत्याशित कार्यों के लिए थोड़े समय के लिए रखे जाते हैं इसलिए जीवन बीमा निगम के लिए इस प्रथा को समाप्त करना सम्भव नहीं प्रतीत होता, जब कभी किसी स्वीकृति पद की स्थायी रूप से रिक्ति होती है तब इन बदली कर्मचारियों को जो निगम की स्थायी नौकरी में लेने के लिए विचार किया जाता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के यात्रा भत्ते तथा यात्रा व्यय में वृद्धि

6460. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975-76 और 1976-77 के लेखापरीक्षा काल के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के यात्रा भत्ते और यात्रा व्यय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यय में कोई वृद्धि व्यापार के अनुपात में नहीं है;

(ग) क्या सिंडीकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक में यह असाधारण वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इन दो बैंकों के सम्बन्ध में 1975-76 और 1976-77 की अवधि के लिए इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) यथा सम्भव सूचना **इकट्ठी की** जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली में सरकारी होटलों का दर्जा बढ़ाया जाना

6461. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमाननमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कुछ सरकारी होटलों का दर्जा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन होटलों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जी हां।

(ख) लोदी तथा रणजीत होटल, नई दिल्ली।

स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के मूल्य

6462. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्टेनलेस स्टील की चादरों पर शुल्क में कमी किये जाने के बाद भी स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के निर्माताओं तथा व्यापारियों ने अपने उत्पादों के मूल्य कम नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 18 जून, 1977 की अधिसूचना के परिणामतः बर्तन श्रेणी के स्टेनलैस स्टील की चादरों के लिए सीमाशुल्क मूल्यानुसार 320 प्रतिशत से घटाकर 120 प्रतिशत किया गया था। बाद में, दिनांक 15 जुलाई, 1977 की अधिसूचना के परिणामतः सीमाशुल्क बढ़ाकर मूल्यानुसार 220 प्रतिशत किया गया था। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने, जिसके जरिये स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के निर्माण हेतु स्टेनलेस स्टील की चादरें लाई जाती हैं, बर्तन श्रेणी के स्टेनलेस स्टील की चादरों का मूल्य 22 जुलाई, 1977 से घटा दिया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा स्टेनलैस स्टील की चादरों के मूल्य में की गई घटौती के प्रभाव का पता तभी लग पायेगा जब निर्माताओं को सामग्री खनिज तथा धातु व्यापार निगम के जरिये घटे मूल्य पर प्राप्त होगी।

गुजरात में हथकरघा उद्योग का विकास

6463. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धन-राशि मंजूर की गई; और

(ख) गुजरात सरकार ने कौनसी योजनायें आरम्भ की और कितने लोग लाभान्वित हुये ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1976-77 में गुजरात में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 21.32 लाख रु० का कुल व्यय अनुमोदित किया गया था।

	(लाख रु० में)
1. गहन विकास परियोजना	15.00
2. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के लिए शेयर पूंजी अंशदान	1.00
3. हथकरघा बुनकरों को कर्ज (करघा पूर्व तथा करघा पश्चात् की सुविधाओं के लिए)	0.32
4. शीर्ष विपणन संस्थान के लिए शेयर पूंजी अंशदान (गुजरात हस्तशिल्प तथा हथ-करघा विकास निगम)	5.00
	21.32

ऐसी आशा है कि भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में गुजरात में हथकरघा विकास के लिए लगभग 31 लाख रु० प्रदान किए जाएंगे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1976-77

	(लाख रु० में)
1. छूट	2.74
2. पुरस्कार	0.02
3. समारोह	0.01
4. प्राथमिक बुनकर समितियों को शेयर पूंजी अंशदान	1.20
5. केन्द्रीय वित्त एजेन्सी को ब्याज इमदाद	0.14
6. सुधरे हुए औजारों तथा उपस्करों की सप्लाई	1.01
7. बुनकरों को प्रशिक्षण	0.11
8. गहन हथकरघा विकास परियोजना में राज्य का शेयर	2.05
9. गुजरात हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम को शेयर पूंजी अंशदान	2.50
	9.78

1977-78 के लिए राज्य योजना में गुजरात में हथकरघा विकास के लिए 18 लाख रु० की व्यवस्था की गई है । ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :--

	(लाख रु० में)
1. छूट	5.30
2. पुरस्कार	0.05
3. समारोह	0.10
4. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के शेयर पूंजी अंशदान	2.24
5. केन्द्रीय वित्त एजेन्सी को ब्याज इमदाद	0.55
6. औजारों तथा उपस्कर की सप्लाई	2.50
7. बुनकरों को प्रशिक्षण	0.56
8. गहन विकास परियोजना में राज्य का शेयर	4.20
9. शीर्ष समिति को शेयर पूंजी अंशदान (राज्य औद्योगिक निगम)	2.50
	18.00

1976-77 के दौरान लाभ उठाने वाले बुनकरों की कुल संख्या 1,371 थी ।

कतिपय औषधियों के लिए निर्यात प्रतिपूर्ति में वृद्धि

6464. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय व्यापार निगम के एक सहायक अंग रसायन तथा भेषजीय निगम ने कतिपय औषधियों के लिए निर्यात प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मांग के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं । (ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में पर्यटन का विकास

6465. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विकास के मामले में गुजरात राज्य की अब तक पूर्णतया उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या नई सरकार ने गुजरात राज्य में कुछ ऐतिहासिक स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चालू योजना के दौरान पोरबन्दर, गांधीनगर तथा सासनगिर में पर्यटकों के लिये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगली विकास योजनाएं तैयार करने के लिये प्रत्येक राज्य का पर्यटन की दृष्टि से एक संभाव्यता सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों से अपने अपने सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया है । उनसे तथा भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य पर्यटन विकास निगमों से परामर्श करके योजनाओं का एक खाका तैयार किया जायेगा तथा उन्हें केन्द्रीय एवं राज्यीय क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिये वित्तीय परिणामों का निर्धारण किया जायेगा तथा जिम्मेवारियां सौंपी जायेंगी ।

कम्पनियों द्वारा पूंजी का जुटाया जाना

6466. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 फर्मों को 15720 लाख रुपये की पूंजी जुटाने की अनुमति हाल ही में दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके अतिरिक्त लगभग 127 और फर्मों को भी पूंजी जुटाने की अनुमति अब तक दी जा चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो पूंजी जुटाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(घ) इससे सरकार को कितना लाभ होगा ; और

(ङ) क्या ऐसा बड़े पैमाने पर पहले कभी नहीं किया गया था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) सम्भवतः प्रश्न का संकेत पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय से जारी की गई दिनांक 15 जुलाई, 1977 की साप्ताहिक प्रेस प्रकाशनी की ओर है। इस प्रेस प्रकाशनी में दी गई सूचना के अनुसार, छह कम्पनियों को बोनस शेयरों सहित 13.84 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई थी।

(ख) केलेण्डर वर्ष 1977 के पहले छह महीनों में 200 गैर सरकारी कम्पनियों का 228.03 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) इन कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाए जाने के लिए अनुमति दिए जाने के कारण ये हैं :—

(1) बोनस शेयर मुक्त प्रारक्षित निधियों का पूंजीकरण मात्र होते हैं ताकि कारोबार के लिए रखी गई शेयर होल्डरों की पूंजी को कारोबार में लगी कुल पूंजी के और अधिक निकट लाया जा सके। बोनस शेयर जारी किए जाने की अनुमति उस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुरुप ही दी गई है।

(2) शेयर पूंजी, ऋण पत्रों, ऋणों आदि के रूप में प्रारम्भिक या अतिरिक्त निर्गमों के मामले में पूंजी जुटाना इसलिए जरूरी होता है ताकि कम्पनियां उन परियोजनाओं के उस भाग के लिए धन की व्यवस्था कर सकें जिसके लिए उनके पास आवश्यक औद्योगिक लाइसेंस है। औद्योगिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने से देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। कुछ मामलों में शेयर जारी करना इसलिए भी जरूरी हो गया है ताकि कम्पनी अपने अनिवासी शेयरों का प्रतिशत विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप घटा सके।

(ङ) कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाए जाने से सम्बन्धित नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में ऋण दिया जाना

6467. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसानों और मकान निर्माण के कार्य में लगे अन्य विभिन्न श्रमिकों अथवा उन बेरोजगार स्नातकों को ऋण देने का अनुरोध किया है जो अपना व्यापार आरम्भ करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में बैंकों ने उक्त वर्गों को अतीत पर्याप्त ऋण नहीं दिये हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों पर इस बात के लिये भी जोर दिया है कि वे उनको ऋण देने के लिए कठोर शर्तें न लगायें ; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राज्यों में अतीत में उक्त वर्गों को कितनी राशि के ऋण दिये ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की समग्र नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, तथा बेरोजगार स्नातकों सहित समाज के कमजोर वर्गों को गुजरात समेत देश के समस्त भागों में उत्पादक प्रयासों के लिये यथासंभव ऋण सहायता देने का प्रयत्न करते हैं। छोटे ऋणकर्ताओं को उनके उत्पाद प्रयासों के लिये बैंक सहायता उपलब्ध कराने में सुविधा देने के लिये, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आवेदन पत्रों और ऋण-स्वीकृति प्रक्रियाओं के सरलीकरण, शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन समाज के कमजोर वर्गों को ऋण स्वीकार करने की शर्तों और निबंधनों के उदारीकरण आदि जैसे कई उपाय किये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार वित्त पोषित ऋण खातों की कुल संख्या और कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, सड़क परिवहन, खुदरा व्यापार और छोटे व्यापारी, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति तथा शिक्षा के उपेक्षित क्षेत्रों में बकाया राशि अनुबंध में दी जा रही है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों को दिये गय ऋण की दिसम्बर, 1976 के अन्तिम शुक्रवार को स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खातों/एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	**517228**	**4695464**
हरियाणा	124631	932159
हिमाचल प्रदेश	40440	86816
जम्मू और कश्मीर	31686	113411
पंजाब	140994	1651837
राजस्थान	147031	825381
चंडीगढ़	4332	144326
दिल्ली	828114	941534
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**88373**	**313654**
असम	53747	242735
मणिपुर	4737	16454
मेघालय	4920	18656
नागालैण्ड	797	7473
त्रिपुरा	23935	26702
अरुणाचल प्रदेश	97	832
मिजोरम	90	802
पूर्वी क्षेत्र	**742144**	**3550350**
बिहार	255407	1263455
उड़ीसा	143745	349637
पश्चिम बंगाल	341867	1932733
अण्डमान और निकोबार	1125	4525
केन्द्रिय क्षेत्र	**867522**	**4101769**
मध्य प्रदेश	293453	1274402
उत्तर प्रदेश	574069	2827367
पश्चिमी क्षेत्र	**751853**	**8078898**
गुजरात	262729	2503168
महाराष्ट्र	464846	5391515
गोवा, दमण और दीव	23537	181204
दादरा और नगर हवेली	741	3011
दक्षिणी क्षेत्र	**3252525**	**9623538**
आंध्र प्रदेश	758071	2374589

1	2	3
कर्नाटक	823765	2815397
केरल . .	564539	1258042
तमिलनाडु	1070326	3086692
पांडिचेरी	35530	88590
लक्षद्वीप	244	228
जोड़	6219645	30363673

(अनन्तिम)

मूल्यों को कम करना

6468. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक महत्वपूर्ण तथा बड़े व्यापारिक तथा औद्योगिक गृहों द्वारा स्वैच्छिक रूप से जो मूल्य रोक अभियान चलाया गया और कार्यान्वित किया गया उसके अनुसार तथा उसके पश्चात् अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोक लिया गया है और नीचे लाया गया है और कुछ सीमा तक स्थिर कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या मूल्य रोक निर्णय को तिथि अर्थात् 31 मई, 1977 को पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न का जो मूल्य 145 रु० था उसे बढ़ा कर इस समय लगभग 200 रु० कर दिया गया है जबकि कच्चे माल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई और न ही उस पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके तथा सम्बद्ध वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) बम्बई तथा कलकत्ता में कई उद्योगपतियों द्वारा 31 दिसम्बर, 1977 तक अपने द्वारा विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों को स्वेच्छा से स्थिर रखने के बारे में की गई घोषणा के बाद से खाद्य तेलों और सूती वस्त्रों को छोड़कर विनिर्मित आवश्यक वस्तुओं के बारे में थोक मूल्य आम तौर पर स्थिर रहे हैं।

(ग) यह सही है कि मई, 1977 से पोलिस्टर फिलामेंट यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है। ये कीमतें, जो 31 मई को 135-145 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच थीं, जुलाई के मध्य में 190-200 रुपये के अधिकतम स्तर तक पहुंच गई। 1 अगस्त, 1977 को कीमत 170-180 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई थी।

(घ) नाइलोन कातने वालों को पोलिस्टर फिलामेंट यार्न का विनिर्माण करने की वर्तमान क्षमता बढ़ा दी गई है और आशा है कि प्रति वर्ष 1500 मीटरी टन अतिरिक्त पोलिस्टर फिलामेंट यार्न उपलब्ध होगा । बड़ौदा में 3500 मीटरी. टन की वार्षिक क्षमता के पेट्रोफाइल्स संयंत्र के वर्ष के अन्त तक चालू होने की आशा है । इस वर्ष के अधिक उत्पादन से इसके मूल्य में कुछ नरमी आने की आशा है ।

विस्कोज फिलामेंट यार्न, विस्कोज स्टेपल फाइबर/यार्न तथा नाइलोन फिलामेंट यार्न जैसे समवर्गों यार्न के मामले में लागत अध्ययन किए जा रहे हैं। स्वैच्छिक मूल्य संयम उपाय के रूप में लाइलोन फिलामेन्ट यार्न कातने वालों ने 20 डेनीयर यार्न का मूल्य 134-136 रुपये से घटाकर 128 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है।

गुजरात में छापे

6469. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान गुजरात में रहने वाले एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के व्यापार एककों और अथवा आवासीय परिसरों पर कोई छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) नकद और वस्तुओं के रूप में कुल कितनी धनराशि बरामद हुई;

(घ) क्या उक्त मामलों में तत्संगत अधिनियम के एक अथवा अधिक उल्लंघन के लिये सजा दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितना जुर्माना किया गया और कितना वसूल किया गया;

(ङ) उपर्युक्त किसी भी व्यक्ति और अथवा फर्म को किसी उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया; और

(च) यदि हां, तो उनके नाम और मुख्य ब्यौरा क्या है और क्या उक्त निर्दोष व्यक्तियों की किसी प्रकार प्रतिपूर्ति की जायेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (च) 1 मार्च, 1975 से 31 जुलाई, 1977 तक की अवधि के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गुजरात में 172 तलाशियां लीं। इन तलाशियों के परिणामतः दस्तावेजों के अलावा, 50,953 रु० की भारतीय मुद्रा तथा लगभग 74,000 रु० की विदेशी मुद्रा पकड़ी गयी। इन सभी मामलों में जांच पड़ताल/न्यायनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाहियों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

1 जनवरी, 1975 से 30 जून, 1977 की अवधि के दौरान आयकर प्राधिकारियों ने गुजरात में 562 मामलों में तलाशी तथा अभिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाहियां की/पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य 272.47 लाख रुपये था। बहुत से मामलों में बही खाते और/अथवा दस्तावेज भी पकड़े गये।

उपर्युक्त कार्यवाहियों के कारण जिस अघोषित आय का पता चलेगा उसमें से अधिकांश आय को कर-निर्धारण वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 से सम्बन्धित कर निर्धरणों में शामिल करना होगा। ये मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जिन मामलों में बहुमूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी हैं उन में माल पकड़े जाने के 90 दिनों के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, आदेश दे दिये गये हैं। जिन मामलों में तलाशियां ली गयी थीं उनमें से बहुत से मामलों में कर निर्धारितियों ने स्वेच्छया आय प्रकटन योजना, 1975 के अन्तर्गत आय प्रकट की।

ऐसे मामले भी हैं जिनमें कोई परिसम्पत्ति/बही-खाता नहीं पकड़ा गया। किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गयी है जिसके परिसरों की तलाशियां ली गयी है परन्तु अन्ततोगत्वा जिसे किसी अपराध/कर अपवंचन का दोषी नहीं पाया गया है ।

यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के बारे में सूचना चाहते हों, तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है ।

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत ली गयी तलाशियों तथा पकड़े गये माल के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

इंडियन एयरलाइंस में विभिन्न कर्मी दल के लिए विशेष भत्ता

6470. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों, सह-विमान चालकों, उड़ान इंजीनियरों, स्टूअर्डस, विमान परिचारिकाओं आदि को प्रत्येक उड़ान के लिए विशेष अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को कितनी धनराशि अदा की गई और भिन्न-भिन्न राशियां नियत करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विमान परिचारिकाओं तथा केबिन स्टूअर्डस अथवा सहायकों को खाने आदि के लिए तथा रात्रि के ठहराव के लिए बहुत कम धनराशि दी जाती है जबकि विमान चालकों आदि को भोजन आदि के लिये बहुत अधिक धनराशि अदा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है और उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइंस के विभिन्न वर्गों के उड़ान कार्मिकों को दिये गये भोजन एवं अन्य भत्तों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । विभिन्न वर्गों को दिये गये भत्तों की राशि उड़ान कार्मिकों के रूप में उनके कार्य विषयक अपेक्षाओं तथा पद पर निर्भर करती है ।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस के विभिन्न वर्गों के उड़ान कार्मिकों को दिए गये विभिन्न भत्तों के ब्यौरों को देने वाला विवरण ।

(1) **भोजन भत्ता**

दिन की वापसी उड़ान

कमांडर/कैप्टेन को-पाइलॉट (फर्स्ट ऑफिसर)/ फ्लाइट इंजीनियर	47 रुपए 41 रुपए	उड़ान के प्रत्येक दिन के लिए
केबिन कार्मिक (फ्लाइट स्टूअर्ड तथा विमान परिचारिकाएं)	15 रुपए	लंच के लिए
	5 रुपए	चाय के लिए
	15 रुपए	डिनर के लिए (अदायगी उन खानों पर निर्भर करती है जो उड़ान के समय के दौरान देय होते हैं) ।

रात में रुकने वाली उड़ानें

ऐसी उड़ानों के लिए वे बाहर के स्थानों पर रात में हॉल्ट करती हैं ।

कमांडर/कैप्टेन	66 रुपए	पूरे भोजन के लिए
को-पाइलॉट (फर्स्ट ऑफिसर)/ फ्लाइट इंजीनियर	54 रुपए	पूरे भोजन के लिए

यदि सभी भोजन सम्मिलित नहीं हैं, तो भोजन भत्ता निम्नलिखित आधार पर अदा किया जाता है :—

लंच	21.60 रुपए
चाय	6.00 रुपए
डिनर	26.40 रुपए

(2) जलपान

कमांडर/कैप्टेन/को-पाइलॉट (फर्स्ट ऑफिसर)/फ्लाइट इंजीनियर	6 रुपए	उड़ाने के प्रत्येक दिन के लिए
केबिन कार्मिक (फ्लाइट स्टूअर्ड तथा विमान परिचारिकाएं)	4 रुपए	उड़ाने के प्रत्येक दिन के लिए

(3) विशेष यात्रा भत्ता

यह भत्ता निम्नलिखित पदों पर केवल विमानचालकों को दिया जाता है, किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों को नहीं :—

कमांडर/कैप्टेन	48 रुपए	पूरे रोस्टर के प्रत्येक दिन के लिए
को-पाइलॉट (फर्स्ट ऑफिसर)	41 रुपए	पूरे रोस्टर के प्रत्येक दिन के लिए

(4) स्टे-ओवर भत्ता

इस भत्ते की अदायगी बाहर के स्टेशनों पर उस समय किए गए प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए की जाती है जब कार्मिकों को रात में हॉल्ट करना पड़ता है :—

कमांडर/कैप्टेन	24 रुपए	16 से 24 घंटे तक के विराम के लिए
को-पाइलॉट (फर्स्ट ऑफिसर)/ फ्लाइट इंजीनियर	18 रुपए	16 से 24 घंटे तक के विराम के लिए

8 से 16 घंटे तक के विराम के लिए, उपर्युक्त राशि का 80 प्रतिशत ।

4 से 8 घंटे तक के विराम के लिए, उपर्युक्त राशि का 60 प्रतिशत ।

4 घंटे तक के विराम के लिए कोई-स्टे-ओवर भत्ता नहीं दिया जाता है ।

(5) ले-ओवर भत्ता

यह भत्ता केवल केबिन कार्मिकों अर्थात् फ्लाइट स्टूअर्ड तथा विमान परिचारिकाओं को उनके बाहर के स्टेशनों पर विराम के लिए जिसमें नाइट हॉल्ट सम्मिलित है, दिया जाता है :--

16 से 24 घंटे तक के विराम के लिए	60 रुपए
8 से 16 घंटे तक के विराम के लिए	60 रुपए का 80 प्रतिशत
4 से 8 घंटे तक के विराम के लिए	60 रुपए का 60 प्रतिशत

4 घंटे से कम विराम के लिए कोई ले-ओवर भत्ते नहीं दिया जाता ।

केबिन कार्मिकों को ले-ओवर भत्ते की अदायगी में भोजन का एक भाग तथा स्टे-ओवर भत्ता सम्मिलित है :--

भोजन भत्ता 45 रुपए जिसमें ये सम्मिलित हैं :--

लंच	18 रुपए
चाय	5 रुपए
डिनर	22 रुपए
	45 रुपए
स्टे-ओवर भत्ता	15 रुपए

1974 की एयर इंडिया की तालाबन्दी

6471. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26-5-77 से 8-6-77 तक की पाक्षिक पत्रिका 'फार यू' की ओर दिलाया गया है जिसमें एयर इंडिया से क्रमशः रीजनल तथा सहायक श्रम आयुक्त को लिखे गये पत्रों की फोटो स्टैट प्रतियां छपी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 1974 की एयर इंडिया की तालाबन्दी गैर कानूनी थी;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पीड़ितों को उनकी वित्त की हानि के लिए मुआवजा देने का और कैप्टन नादकर्णी को सेवा में वापस लेने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं, इसे बम्बई के सिटी सिविल कोर्ट ने वैध घोषित कर दिया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) क्योंकि तालाबंदी वैध थी, अतः किसी मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता । कैप्टेन नादकर्णी की सेवाओं को एयर इंडिया के प्रबंधकवर्ग द्वारा नियमित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पश्चात् समाप्त किया गया था । फिलहाल, कैप्टेन नादकर्णी के विरुद्ध एक कानूनी मुकदमा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण बम्बई के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अनिर्णीत पड़ा है । अतः फिलहाल उन्हें सेवा में वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर द्वारा
आयोजित इंस्पेक्टरों के पदों के लिये परीक्षा

6472. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 के आरम्भ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर ने इंस्पेक्टरों के पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षाएं ली थीं और कुछ लोगों का चयन किया गया था ;

(ख) क्या उनमें से कुछ को नियुक्त कर लिया गया था और बाकी को पेनल में रख दिया गया था जो अभी भी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) पेनल में शामिल किये गये व्यक्तियों की नियुक्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां । यह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सभी समाहर्तालयों में 1975 के अन्त और 1976 के आरम्भ में किया गया था ।

(ख) जी, हां । जहां तक सरकार को जानकारी है, विभिन्न समाहर्तालयों में तैयार किये गये पैनलों को, नीचे (ग) के अन्तर्गत दी गयी स्थिति के सिवाय जहां कहीं भरने योग्य रिक्त स्थान उपलब्ध थे, लागू किया गया था ।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय नागपुर, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता में हुई भरती परीक्षाओं में कतिपय कथित कदाचार और अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई । एतदनुसार, जांच पड़तालें की गयीं जिनके परिणामतः यह पाया गया कि आरोपों में कुछ सार था । मामले में अन्तिम निर्णय होने तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय नागपुर (अब नागपुर और मध्यप्रदेश समाहर्तालयों में विभाजित) पश्चिम बंगाल और कलकत्ता को पूर्वोक्त पैनलों से और नियुक्तियां नहीं करने के निदेश दिये गये है । बाद में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, बम्बई में भरती के संबंध में कतिपय आरोप सरकार की जानकारी में आये हैं और इस संबंध में की जाने वाले कार्यवाही भी सरकार के विचाराधीन है ।

Re-instatement of Central Excise Inspectors

6473. **Shri Nirmal Chandra Jain :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state

(a) whether Government are aware that the services of 27 Central Excise Inspectors of the Collectorate of Central Excise and Custom, Nagpur, out of 100 inspectors recruited in February, 1976, were terminated by an order issued in July, 1976;

(b) whether Government are also aware that most of these persons joined the posts after resigning from the previous posts and they have been rendered jobless and are on the verge of starvation as a result thereof; and

(c) the reasons for which their services were terminated and the action being taken by Government to re-instate them?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) Based on the results of an open direct recruitment test for recruitment of Inspectors of Central Excise in the Nagpur Collectorate, 73 persons were appointed as Inspectors. Out of these, one resigned immediately after his appointment and the services of two more were terminated as they were found to be below the prescribed physical standards. The services of one appointee were terminated in May, 1977 as he joined duty only for a day and was thereafter absconding.

The services of 23 appointees as Inspectors of Central Excise were terminated in July, 1976 [in 22 cases under Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 and in one case by reversion to his original post of Upper Division Clerk in the same department] as it was held on investigation of certain complaints alleging irregularities in the conduct of the examination that they should not have been included in the panel of successful candidates and appointed as Inspectors.

(b) According to information available with Government, only a few of the ex-appointees were in employment prior to their being appointed as Central Excise Inspectors. One of the ex-appointees is stated to have resigned his post of Laboratory Assistant in the Central Agmark Laboratory, Nagpur. Another was a Havildar/Clerk in the Army and was due to retire from Army Service in November, 1977. A third was formerly an Upper Division Clerk in the Central Excise Department and reverted back to that post.

Government do not have any specific information regarding the present circumstances of all the ex-appointees.

(c) This was done as it was found that on the basis of their performance in the examination they should not have been appointed as Inspectors of Central Excise. Government have received representations requesting the re-instatement of the persons and the matter is under consideration.

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

6474. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों ने जनता सरकार के शासन के 100 दिनों में कितने छापे मारे; और

(ख) उनसे कितने काले धन का पता लगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 मार्च, 1977 से 1 जुलाई, 1977 तक की अवधि के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा 93 मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही की गयी है । पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य लगभग 70 लाख रुपये है । लेखा पुस्तकें/दस्तावेज भी पकड़े गये हैं ।

प्रारम्भिक तलाशी रिपोर्टों से पता चलता है कि एक करोड़ रुपये से अधिक की आय छिपायी गयी है।

राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां

6475. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार की विचारधारा के अनुरूप राज्य सरकारों ने केन्द्र से राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को और अधिक वित्तीय शक्तियां देने के लिए उनसे समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इन सुझावों को अब फिर दोहराया है । सरकार का विश्वास है कि संविधान के वित्तीय उपबन्ध राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी लचीले हैं । सातवें वित्त आयोग द्वारा भी, जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया है, राज्यों की आवश्यकताओं की समीक्षा की जाएगी ।

भारतीय रूई निगम

6476. **श्री वयालार रवि :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम ने कपड़ा मिल मालिकों के कहने पर 76 करोड़ का ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों की ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) भारतीय रूई निगम द्वारा कपड़ा मिलों को और कितना ऋण दिया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं । भारतीय रूई निगम ने स्वयं अनुरोध करके 75 करोड़ रु० का अस्थायी अतिरिक्त ऋण लिया है ।

(ख) 28-7-77 को कपड़ा मिलों पर 26.20 करोड़ रुपया की धन राशि बकाया थी ।

(ग) वस्त्र मिलों को तेरह दिनों से नब्बे दिनों की अवधि के लिए संबंधित मिलों की स्थिति के अनुसार रूई के मूल्य के 50 से 100 प्रतिशत की सीमा तक ऋण दिया जाता है, यह ऋण मिलों के मुद्दती ऋण पत्रों के आधार पर और मिलों की ओर से बैंकों द्वारा दी गई बैंक गारंटियों के आधार पर मिलों और साथ ही उनके बैंकरों द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किये गये मुद्दती किश्तों के आधार पर दिया जाता है ।

अशोक होटल के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

6477. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स दादा चांदजी एंड कम्पनी के माध्यम से भारत के सॉलिस्टर जनरल से लिए गए परामर्श के आधार पर भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए अशोक होटल के कर्मचारियों के लिए 'बोनस नहीं' की घोषणा की और बाद में उसी वर्ष के लिए 13 प्रतिशत का बोनस दिया;

(ख) यदि हां, तो भारत के सॉलिस्टर जनरल ने पहली राय किन परिस्थितियों में दी जिससे प्रबन्धकों ने 'निल' बोनस की घोषणा की और बाद में अपनी राय में परिवर्तन किया और 13 प्रतिशत बोनस का भुगतान किया ;

(ग) उसकी कानूनी राय लेने के लिए कुल कितना शुल्क दिया गया;

(घ) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए अशोक होटल के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के बारे में उसकी क्या राय थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) प्रारंभ में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने परामर्श दिया कि अशोक होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को वर्ष 1975-76 के लिए बोनस की अदायगी के उद्देश्य से आवंटनीय अधिशेष (सरप्लस) का हिसाब लगाते समय 'सैट ऑन' 'सैट तथा ऑफ' का सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिए। इस परामर्श के आधार पर, क्योंकि आवंटनीय अधिशेष (सरप्लस) कुछ नहीं था, कोई बोनस नहीं दिया जा सकता था । अशोक होटल एम्प्लॉइज यूनियन ने हड़ताल का नोटिस दे दिया तथा सहायक-क्रम आयुक्त-व-समझौता अधिकारी (एसिस्टैंट लेबर कमिश्नर-कम-कंसिलिएशन ऑफिसर) दिल्ली प्रशासन के समाने एक उद्योगिक विवाद भी उठा दिया, जिस विवाद में बाद में दूसरा यूनियन 'अशोक होटल कर्मचारी संघ' भी शामिल हो गया ।

प्रबंधक वर्ग तथा ट्रेड यूनियनों के बीच लंबी बातचीत हुई तथा श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन के बोनस सैल का विचार था कि बोनस की अदायगी के उद्देश्य से की जाने वाली गणना करते समय 'सैट ऑन' और 'सैट ऑफ' के सिद्धान्त लागू नहीं किये जाने चाहिएं, जैसे कि पिछले वर्षों में भी फैसले किये जा चुके थे । श्रम विभाग ने सुझाव दिया कि औद्योगिक शान्ति तथा सद्भावना के हित में, यह उचित होगा कि यूनियनों के प्रतिवादों (Contentions) को दृष्टि में रखते हुए मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मसला था, प्रबंधक वर्ग ने इस मामले में भारत के सॉलिसिटर जनरल से और आगे राय देने का अनुरोध किया ।

भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सारे मामले की पुनः जांच की तथा राय व्यक्त की कि पिछले वर्षों में किये गये तदर्थ भुगतानों के आधार पर 1975-76 के लिए 'सैट ऑफ' या 'सैट ऑन' के सिद्धान्त लागू नहीं किये जा सकते, तथा बोनस इसी आधार पर दिया जा सकता है । इसे दृष्टि में रखते हुए आवंटनीय अधिशेष (सरप्लस) पुनः आकलित किया गया तथा अशोक होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को स्वीकार्य 13 प्रतिशत बोनस दिया गया ।

(ग) 5,213 रुपए।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस मामले में कानूनी मतों की विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुए, उसने सलाह दी कि इसमें कानून विशेषज्ञ की सलाह ली जाए।

देशवार व्यापार-ग्रुपों की स्थापना का प्रस्ताव

6478. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी बड़े शहरों और भारत के व्यापारिक केन्द्रों में गैर सरकारी स्तर पर देशवार व्यापार-ग्रुप स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिए आइसलैण्डर विमान

6479. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिए आइसलैंडर विमान की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा देने के बारे में 1972 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था;

(ख) क्या स्टील इंडिया एथारिटी इस विमान से अपने कटु अनुभव के कारण खुश नहीं थी और इस पर भी हरियाणा सरकार ने इसकी स्वीकृति के लिए दबाव डाला; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की और विमान के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण को आइसलैण्डर वायुयान पसंद नहीं था । इसके अलावा, आइसलैण्डर वायुयान के काम के बारे में हरियाणा सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण (बोकारो स्टील लि०) से कोई पूछताछ नहीं की थी ।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों और औद्योगिक गृहों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त किस्म का वायुयान चुनने के लिए जून, 1972 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें प्राप्त होने तक हरियाणा सरकार के अनुरोध पर विचार किया जाना स्थगित रखा गया चूंकि कार्यकारी दल ने आपात के लिए आइसलैण्डर वायुयान को नहीं चुना था, इसलिए इस वायुयान का आयात करने के लिए हरियाणा सरकार को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई । लेकिन, कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार को एक बीचक्राफ्ट बैरन बी-55 वायुयान मंगाने की अनुमति दे दी गई थी ।

कठोर कारावास के दोषी अधिकारी को नागर विमानन में उच्चतम वर्ग का लाइसेंस देना

6480. **श्री सूरज भान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसे अधिकारी को जिसे नौकरी से निकाला गया था, जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था और जिसको कठोर कारावास का दंड दिया गया था, भारतीय वायु सेना से जाली रिकार्ड पेश होने पर 1969-70 में नागर विमानन का उच्चतम वर्ग का लाइसेंस दिया गया था और उसे उस लाइसेंस के आधार पर सरकार द्वारा नियन्त्रित फ्लाइंग क्लबों में अच्छी नौकरी मिलती रही है;

(ख) क्या उक्त अधिकारी का करनाल फ्लाइंग क्लब में अनेक भ्रष्टाचार के मामलों में भी हाथ था और उसे हाल में गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) क्या भारतीय वायुसेना और करनाल फ्लाइंग क्लब में उसके खराब पूर्ववृत को देखते हुए सरकार का विचार उस अधिकारी को क्लबों में और आगे उड़ानें भरने से रोकने का है चंकि उक्त क्लबों को सरकार से सहायता मिलती है और सरकार द्वारा नियंत्रित है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) संभवत: इस प्रश्न का निर्देश श्री जी० एन० एस० रोड्डी की ओर है । एक भूतपूर्व वायु सेना अधिकारी, श्री जी० एन० एस० रोड्डी, को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों, जैसे फ्लाइंग लाग बुक, अनापत्ति पत्र आदि के आधार पर वायु सेना के अधिकारियों को सिविल फ्लाइंग लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक एयरलाइन ट्रांस्पोर्ट पाइलॉट्स लाइसेंस (ए० एल० टी० पी०) जारी किया गया था । उन्हें जून, 1970 में करनाल एवियेशन क्लब द्वारा पाइलॉट इंस्ट्रक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया था ।

1971 के दौरान, नागर विमानन विभाग को श्री रोड्डी के उड़ान अनुभव आंकड़ों की प्रामाणिकता के संबंध में, जोकि उन्होंने एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पाइलॉट्स लाइसेंस (ए० एल० टी० पी०) जारी करने के लिए प्रस्तुत किए थे, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । यह भी सूचित किया गया था कि श्री रोड्डी को कठोर दंड देकर पदच्युत किया गया था तथा उन्हें यात्रा भत्ते के कथित दुरुपयोग के लिए सेवा में रहते हुए उनके द्वारा की गयी कुछ अनियमितताओं के लिए कठोर कारावास की सजा दी गयी थी तथा मई, 1969 में वायु सेना द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं थी । अगली जांच होने तक उनके लाइसेंस को मई में अस्थायी तौर पर निलंबित (रद्द) कर दिया गया था जिससे पता चलता था कि फ्लाइंग आफिसर जी० एन० एस० रोड्डी को जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा कठोर दंड देने तथा छ: महीने की सख्त कैद काटने की सजा दी गयी थी । यद्यपि वायु सेनाध्यक्ष ने कोर्ट के जांच-परिणामों की पुष्टि की तथापि उसने, श्री रोड्डी को छ: महीने की सख्त कैद को छ: महीने की साधारण कैद में बदल दिया । श्री रोड्डी को 1-5-69 (अप्राह्न) को जेल भेज दिया गया । साधारण कैद की सजा की शेष अवधि की वायुसेनाध्यक्ष ने 27-6-1969 को वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 177 के अंतर्गत माफी दे दी ।

अपने लाइसेंस के अस्थायी निलंबन संबंधी आदेशों के विरुद्ध, श्री रोड्डी ने मई, 1972 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी । हाई कोर्ट ने रिट याचिका का फैसला होने तक लाइसेंस निलंबन के विवादास्पद आदेशों को लागू होने से रोक दिया। अगस्त, 1972 में मुख्य अर्जी की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने नागर विमानन के महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे श्री रोड्डी द्वारा भेजे गए उड़ान अनुभव आंकड़ों की प्रामाणिकता से संबंधित आरोपों की प्रारंभिक जांच करें तथा छ: सप्ताह के अंदर-अंदर पूरा करें । कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि श्री रोड्डी चार सप्ताह तक अपने लाइसेंस का प्रयोग न करें तथा वह इस अवधि के दौरान क्लब के चीफ फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर बने रह सकते हैं ।

नागर विमानन विभाग के एक अधिकारी द्वारा जांच की गयी तथा जांच-परिणामों के अनुसार झूठे उड़ान अनुभव आंकड़े भेजने संबंधी आरोप दस्तावेजी प्रमाण से श्री रोड्डी के खिलाफ सत्य साबित नहीं हो सके क्योंकि सम्बद्ध रिकार्ड मिल नहीं रहे थे । श्री रोड्डी ने पहले यह भी सूचना दी थी कि उसकी फ्लाइग लॉग बुक गुम हो गयी थी । परंतु, क्योंकि करनाल एवियेशन क्लब के पाइलॉट इंस्ट्रक्टर इंचार्ज के रूप में उनके कार्य-निष्पादन की एन० सी० सी० प्राधिकारियों तथा हरियाणा सरकार के विमानन सलाहकार द्वारा भी सराहना की गयी थी, अत: उन्हें सन्देह का काम दिया गया तथा उन्हें अपने लाइसेंस के विशेषाधिकारों का प्रयोग करते रहने की अनुमति दे दी गयी ।

करनाल एवियेशन क्लब एक प्राइवेट तौर पर प्रबंधित संस्था है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है । क्लब अपने उड़ान प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए राजकीय सहायता प्राप्त करती है ।

नवम्बर/दिसम्बर, 1974 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें करनाल एवियेशन क्लब में कुछ कदाचारी एवं गबन के आरोप लगाए गए थे । इन्हें हरियाणा राज्य सरकार के पास भेज दिया गया जिसने अपनी विशेष जांच एजेंसी (सतर्कता विभाग) के माध्यम से जांच करने का कार्य आरंभ किया । महालेखाकार के कार्यालय द्वारा एक विशेष लेखा-परीक्षा निरीक्षण भी किया गया, जिससे कुछ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला । लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, करनाल एवियेशन क्लब के प्रबंधकवर्ग ने इन अनियमितताओं के लिए श्री रोड्डी को उत्तरदायी ठहराया तथा उनकी सेंवाएं समाप्त कर दीं । क्लब ने पुलिस में भी एक शिकायत दायर की, जिसकी जांच की जा रही है। करनाल एवियेशन क्लब से मालूम हुआ है कि श्री रोड्डी इस समय जमानत पर हैं ।

(ग) जांच पूरी होने पर उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे ।

सोने की तस्करी के आरोपों में श्री एस० आर० सिंघानियां की गिरफ्तारी

6481. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सीताराम सिंघानिया को मारीशस में सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और उसको क्या सजा दी गई ? ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्री सीताराम सिंघानिया को मारिशस में सोने की तस्करी के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था । परन्तु उन पर मारिशस न्यायालय द्वारा 11 लाख रुपये से अधिक मूल्य के (मारिशस मुद्रा में) जवाहरात की तस्करी के आरोप में मुकदमा चलाया गया था परन्तु न्यायालय ने अपने दिनांक 11 फरवरी, 1977 के निर्णय द्वारा उन्हें बरी कर दिया था ।

पाईपर विमान की उप एजेन्सी देना

6482. **श्री सूरज भान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री संजय गांधी को विमान चलाने का प्रशिक्षण पजाब सरकार के एक अधिकारी द्वारा दिया गया था और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ पायलट इंस्ट्रक्टर द्वारा नहीं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण था;

(ग) क्या उक्त अधिकारी को पाईपर विमान की उप-एजेंसी दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिकारी को उस साद म कितनी कमीशन मिली ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां । यह दिल्ली फ्लाइंग क्लब के, जोकि कम्पनी एक्ट के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड बॉडी है, प्रशासनिक सामर्थ्य में है कि वह प्रशिक्षणार्थियों को फ्लाइंग प्रशिक्षण देने के लिए किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षक की सेवाओं का उपयोग करे । कैप्टेन कामेन्द्र सिंह, जिसने श्री संजय गांधी को प्राइवेट पायलट लाइसेंस जारी किये जाने के लिए फ्लाइंग प्रशिक्षण दिया था, एक अवैतनिक फ्लाइंग प्रशिक्षक एवं परीक्षक है ।

(ग) और (घ) जांच की जा रही है तथा सूचना प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

News item "Pleasure trips of big officers, Fantasy of Sanjay Gandhi"

6483. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item pubiished in the Hindi 'Blitz' weekly dated 9th July under the caption "pleasure trips of big officers, fantasy of Sanjay Gandhi" in which a mention has been made of the foreign pleasure trips of several high officers and criminal waste of the hard earned public money; and

(b) if so, the action taken against these officers?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir. The officers mentioned in the news item went abroad in 1976 on business visits under sanctions issued by the appropriate authorities and foreign exchange was released as admissible under the rules.

From the available records it has been verified that Smt. Mohsina Kidwai, the then Minister of Small Scale Indutiries, UP, had gone abroad in April 1976 as a member of an official delegation sponsored by the Department of Industrial Development, Government of India and subsequently, in October 1976, she went on an export promotion visit in her capacity as Minister of Small Scale Industries, UP. The latter visit was combined with a private visit to Jeddah also. This tour was covered by sanction issued by the Government of Uttar Pradesh. Foreign exchange for these visits was released as admissible under the rules.

(b) Does not arise.

Qualifications Prescribed for the Post of Manager of a Nationalised Bank

6484. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the qualifications prescribed for the post of Manager of a nationalised bank;

(b) whether the General Manager of the Punjab National Bank, Delhi fulfils these qualifications; and

(c) if not, how he was appointed to this post?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) The qualifications prescribed for appointment to differen. posts in the nationalised banks vary from bank to bank.

Punjab National Bank has reported that no special qualifications as such, are prescribed for the appointment to the post of Manager or General Manager. Such appointments, according to the bank, are made on the basis of the academic and professional qualifications, experience and capacity of an individual to achieve organisational goals. The appointment of the General Manager in that bank was approved by its Board of Directors taking into consideration all the above factors and his suitability.

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में राजनयिक कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जाना

6485. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनयिक कर्मचारी वाणिज्य मंत्रालय के उन अधिकारियों की विदेश स्थित दूतावासों की नियुक्ति का अनुचित रूप से विरोध कर रहे हैं जो उत्पादों और व्यापार से भली भांति परिचित हैं; और

(ख) क्या सरकार द्वारा उस प्रस्ताव के स्वीकार कर लिये जाने से आर्थिक प्रगति, विशेष रूप से विदेश व्यापार के क्षेत्र में, बाधा नहीं पड़ेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) लम्बे समय से चल रही परिपाटी के अनुसार विदेश स्थित मिशनों में अधिकारियों की नियुक्ति (मिशनों के अध्यक्षों को छोड़कर) विदेश सेवा बोर्ड द्वारा की जाती है । वाणिज्य मंत्रालय के सचिव बोर्ड के सदस्य हैं तथा सभी नियुक्तियां उनकी सहमति से की जाती हैं । ऐसी नियुक्तियों का विरोध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दिल्ली कलक्टरी के खजाने में से धनराशियों का गबन

6486. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दिल्ली कलक्टरी के खजाने में हाल में 85,000 रु० की कमी का पता लगा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त धनराशि किन्हीं अधिकारियों द्वारा अनधिकृत ढंग से निकाल ली गई थी, यदि हां तो उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में धनराशि किस प्रयोजन के लिए निकाली गई थी ; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए जांच की गई है कि क्या सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सरकार को 22 जून, 1977 को इस आशय की एक शिकायत मिली थी कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, दिल्ली-मुख्यालय के खजांची के पास "हजारों रुपये की नकदी की कमी" होने का सन्देह है। समाहर्ता ने इसकी जांच पड़ताल करवाई थी, जिससे यह ज्ञात हुआ कि खजांची समाहर्तालय के विभिन्न अधिकारियों को प्रत्यक्षतः कार्यालय में इस्तेमाल के लिए वस्तुओं की खरीद के निमित्त पेशगी रकमें देता रहा था। 30-4-1977 को जब खजांची ने एक नये खजांची को कार्यभार सौंपना था, तब यह पाया गया कि सौंपी जाने वाली नकद रकम में लगभग 76,882.83 रुपये कम हैं। बताया गया है कि यह रकम विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संबंधित पेशगियों के बदले में दी गयी रसीदों के अन्तर्गत आ जाती है। इन रसीदों में से प्रत्येक पर्ची के संबंध में उन व्यक्तियों के नामों की एक सूची [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०—968/77] संलग्न है जिनको पेशगी रकमें दी गयी बतायी जाती हैं ।

मामले में जांच-पड़ताल के दौरान, उन कुछ व्यक्तियों को, जिनके नाम में पर्चियां थीं, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पर्चियों पर उनके हस्ताक्षर हैं और बताया कि समाहर्ता कार्यालय में इस्तेमाल के लिए विविध मदों की खरीद के लिए पेशगी के रूप संबन्धित रकमें उन्होंने प्राप्त की थीं। उन्होंने ऐसा दावा भी किया कि खरीदी गई मदों के कैश-मीमो और वाउचर उन्होंने कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये हैं अथवा उनके कब्जे में हैं।

समाहर्ता जांच-पड़ताल और लेखासमाधान की कार्यवाही करता रहा है और समाहर्ता द्वारा यह बताया गया है कि पेशगी रकमों का समायोजन किये जाने के बाद, 29 जुलाई, 1977 की स्थिति के

अनुसार 18,321 रुपये की रकम का समायोजन होना बाकी है । संबंधित खजांची पहले ही निलम्बित किया जा चुका है।

सरकार को यह पता लग सके कि क्या सरकारी रकम का कोई दुरुपयोग अथवा गबन हुआ है, उसकी मात्रा क्या है और कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं, मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को इस मामले में, समाहर्तालय द्वारा की गयी जांच-पड़तालों से स्वतंत्र, सभी संगत पहलुओं पर विस्तृत जांच करने का निदेश दिया गया है।

चाय बागानों से चाय की सीधी बिक्री

6487. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों से चाय की सीधी बिक्री बढ़ रही है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप आय कर उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों का अपवंचन होता है ;

(ग) क्या इससे श्रमिक तथा छोटे अंशधारी उन्हें कानूनी रूप से मिलने वाली देयराशियां पाने से भी वंचित रह जाते हैं ;

(घ) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम पैकटों के रूप में निर्यात करने के लिए चाय बागानों से बिकने वाली चाय की खरीद कर सकता है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की इस बारे में कोई योजनायें हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बागानों से चाय की सीधी बिक्री में मामूली सी वृद्धि हुई थी, 1974 में कुल उत्पादन के 44.40 प्रतिशत चाय की बिक्री हुई थी जो बढ़कर 1976 में 46.01 प्रतिशत हो गई। 1 अप्रैल 1977 में चाय उत्पादकों से से अनुरोध किया गया कि वे अपनी उपज की 80 प्रतिशत चाय नीलामियों में भेजें। इसके परिणाम-स्वरूप जुलाई के तृतीय सप्ताह तक भारत में नीलाम केन्द्रों में लाई गई चाय की मात्रा में वृद्धि हुई, गत वर्ष 850 लाख कि० ग्रा० चाय लाई गई थी जिसकी मात्रा बढ़कर इस वर्ष 1120 लाख कि० ग्रा० हो गई।

(ख) तथा (ग) सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) चूंकि सरकार नीलामियों के द्वारा चाय की बिक्री बढ़ाने के पक्ष में है, अतः भारतीय चाय व्यापार निगम को, जो कि एक सरकारी निगम हैं बागानों पर बिक्री की व्यवस्था द्वारा वहां से सीधे चाय खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी से लायी गई कारों का पकड़ा जाना

6488. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी से लायी गई कारें हाल ही में भारत के अनेक महानगरों में पकड़ी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) भारत में कारों की तस्करी रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि देश में चोरी-छिपे कारें लायी जाती हैं । परन्तु, पिछले छः महीनों के दौरान, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा चौदह कारें पकड़ी गयीं । ये कारें पर्यटकों द्वारा कानून के अनुसार कार्नेट के अन्तर्गत देश में अस्थायी तौर से आयात की गई थीं परन्तु विहित अवधि के अन्दर इनका देश से बाहर पुनः निर्यात नहीं किया गया था।

(ग) कार्नेट के अन्तर्गत आयात की गई कारों को सरकार द्वारा सीमाशुल्क से और आयात लाइसेंस की अपेक्षा से छूट दी गई है। यह छूट इस शर्त के अधीन दी गयी है कि कार छः महीने के अन्दर निर्यात नहीं किये जाने की स्थिति में कार पर देय सीमाशुल्क की गारन्टी फ़ैडरेशन आफ़ इंडियन आटोमोबाइल एसोसिएशन द्वारा दी जाय। कार्नेट के अन्तर्गत आयात की गयी कारों का बाद में पुनः निर्यात सुनिश्चित करने के लिए, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाती है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कोई कार पुनः निर्यात नहीं की जाती है, तो कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

विपणन विकास एसोसियेशन से अनुदान की सहायता

6489. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिषदों, पण्य बोर्ड, से कहा है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विपणन विकास एसोसिएशन से उद्योग में लगे पृथक-पृथक भाग लेने वाली पार्टियों को अनुदान दिलाने के लिए प्रायोजित नहीं कर सकता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केवल निर्यात गृह ही विपणन विकास एसोसिएशन से इस सहायता के पात्र हैं और वे सीधे सरकार को आवेदन कर सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात गृहों को विशेष प्राथमिकता क्यों दी जाती है और इस प्रकार की रियायतें व्यक्तिगत निर्यातकों को क्यों नहीं दी जातीं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं। निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों को ऐसी कोई हिंदायतें नहीं दी गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। अनुमोदित निर्यात सदन तथा अनुमोदित संगठन दोनों विपणन विकास सहायता के अधीन अग्रिम रूप में अनुमोदित निर्दिष्ट कार्यों पर व्यय के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं और वे सीधे सरकार को आवेदन कर सकती हैं।

(घ) विपणन विकास सहायता से अनुदान के प्रयोजन के लिए हजारों निर्यातकों से अलग-अलग निपटाना प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । यह अनुमोदित संगठनों पर छोड़ दिया गया है कि वे पूर्व अनुमोदन के बाद उनके संगठन द्वारा विदेश भेजे जाने वाले

बाजार अध्ययन दलों अथवा बिक्री दलों में रखे जाने के लिए अपने अलग-अलग सदस्य निर्यातकों को उचित संख्या में प्रायोजित करें। यह अनुमोदित संगठनों पर छोड़ दिया गया है कि वे पूर्व अनुमोदन के आधार पर विदेशों में मेले/प्रदर्शनी में संगठन के स्टाल का प्रबन्ध करने के लिए चाहे तो एक या दो अपने ही अधिकारियों को भेजें अथवा एक या दो निर्यातक सदस्यों को भेजें। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान नीति के अधीन निर्यात सदन के रूप में मान्यता के न्यूनतम मूल्य सीमा लघु क्षेत्र के चुनींदा उत्पादों के विनिर्माता निर्यातकों के सम्बन्ध 25 लाख रु० है जबकि दूसरों के सम्बन्ध में यह एक करोड़ रु० है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि कृषि उद्योग निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

कृषि तथा सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये सं० एल० टी० 922/77]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 923/77]

(तीन) (क) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 924/77]

(चार) (क) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 925/77]

(पांच) (क) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1970-71 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 926/77]

(छः) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 927/77]

(सात) तमिलानाडू कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 928/77]

(3) उपर्युक्त मद (2) (पांच) में उल्लिखित पत्रों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 926/77]

(4) उपर्युक्त मद (2) (एक) से (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 929/77]

(5) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चन्डीगढ़ के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 930/77]

(6) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 931/77]

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मद 4 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी प्रति ही सभा पटल पर रखी गयी। नियमानुसार अंग्रेजी की प्रति न रखे जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

इसके अतिरिक्त 1970-71 के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने का क्या लाभ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मद के लिए हमेशा 5 अथवा 10 मिनट अवश्य दिया करें। अंग्रेजी की प्रति न रखे जाने का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : एक ही भाषा में प्रति रखना कोई नई बात नहीं है, ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है।

हम नही जानते कि पहली सरकार ने मद 1 की प्रति पहले सभा पटल पर क्यों नही रखी

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अंग्रेजी की प्रति रख दी गई है।

प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 932/77]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 441(ङ) और 542 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 28 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 933/77]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 943 और 944 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 934/77]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

श्री एम० राजगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की पहली से पांचवी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं। कल रात कर्नाटक भवन में एक डिनर में अतिथि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा अभी मैं आपको इस प्रश्न के उठाने की अनुमति नहीं देता ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं कल की कार्यवाही से उत्पन्न एक व्यवस्था के प्रश्न को उठाना चाहती हूं।

कल आपने श्री मावलंकर द्वारा उठाये गये एक प्रश्न पर कहा था कि यदि उपाध्यक्ष ने विनिर्णय दिया है तो अध्यक्ष महोदय उसे संशोधित भी कर सकते हैं। लेकिन नियम 10 के अंतर्गत उपाध्यक्ष को भी वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो अध्यक्ष को होती हैं और उनके विनिर्णयों को कोई भी व्यक्ति जो सभापति हो पूर्व संदर्भ के रूप में अपनायेगा । मैं अनुरोध करती हूं कि इस स्थिति की जांच कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विनिर्णय का सम्बन्ध है, उसका तो पालन होगा ही क्योंकि विनिर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया है अन्य व्यक्ति इसे संशोधित नहीं कर सकता लेकिन अध्यक्ष महोदय इसे पूर्वोदाहरण नहीं समझेगा ।

श्री कवंरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हम सोमवार को श्वेत पत्र पर चर्चा करेंगे लेकिन हमें दास समिति का प्रतिवेदन नहीं मिला । हमें इसकी प्रति सप्लायी की जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इसकी प्रति हमें शीघ्र सप्लायी की जाये।

अध्यक्ष महोदय : जब भी हमें मंत्रालय से इसकी प्रति मिल जायेगी, हम इसे सप्लायी कर देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे कब अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय कल, आज नहीं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भूमि के कटाव के कारण पूर्वोत्तर रेलवे लाइन को होने वाली क्षति की आशंका

Shri Gyaneshwar Prasad Yadav (Khagaria) : Sir, I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Apprehension of damage to the main line of North Eastern Railway between Narayanpur and Bankpur due to soil erosion".

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandvate) : I may inform that the Railways are aware of the threat posed by the erosion of the left bank of river Ganga near Narayanpur Railway Station. Massive river protection works are necessary to prevent further erosion and these are under execution by the State Government.

2. The Railways have been keeping a very careful watch on the erosion caused by the river Ganga near Narayanpur Railway Station for quite sometime. During a meeting held in April 1976 with the Ganga Flood Control Commission and the State Government, the Railway expressed its apprehension that if the river erosion was left unchecked, the railway line was likely to be seriously endangered making it necessary for the Railway to shift the existing alignment. During that meeting the State Government had advised us that they were constructing and completing certain embankments before the monsoon of 1976, and that Narayanpur Railway Station/Railway line would be saved thereby. In spite of completion of the above mentioned embankments, further erosion took place in 1976 floods and the river edge approached to within 287 metres (940 ft.) of the railway line, as against 1730 metres (5676 ft.) in 1973. In a subsequent meeting held with the State Government and Ganga Flood Control Commission immediately after the last floods in October 1976, the Railway pressed for immediate provision of anti-erosior measures to save the railway line and Narayanpur Railway Station. The Railway Ministry had also expressed its willingness to share the cost of the anti-erosion scheme equally with the other affected parties viz. Bihar State Government, Ministry of Transport and Indian Oil Corporation and urged the State Government to commence the work immediately and complete the same before 1977 monsoon. The matter was vigorously pursued with the State Government at various levels.

3. The State Government decided on 5-5-1977 to take up the execution and entrust the same to Bihar State Construction Corporation. The Railway has since been in constant touch with the State Government for expeditious completion of the work and is offering all possible assistance/cooperation to the State Government/Bihar State Construction Corporation in this regard in the matter of supply of wagons and quick movement for the materials.

4. Work on the first Phase of anti-erosion measures for the most vulnerable portion endangered by the river of about 2000' length of the river bank, was taken up by the Bihar State Construction Corporation in May/June 1977 and this was expected to be completed by the end of last month. Due, however, to abnormal rise in the water level of the river (more than 11 feet between 9-7-1977 and 19-7-77) further work was suspended. A stock of 2 lakhs cft of rubble stones is being arranged to be left in readiness to deal with emergencies if the river edge were to come closer to the railway line or Narayanpur town. The State Government have been requested to take all possible steps to stabilise the rive bank in the critical reach, and continued liaison will be maintained with them, till the work is completed.

Shri Gyaneshwar Prasad Yadav : The Hon. Minister has admitted that railway line is threatened by the soil erosion. I raised this question in the Lok Sabha during 1973-74 also.

I want the Hon. Minister to consult Irrigation Ministry and find out ways and means to save this line from soil erosion.

The Railway Minister should save this area from soil erosion by taking the services of its competent Engineers. The Flood Control department has given to contract of this work to the construction corporation. The construction corporation in its term has entrusted the work to some petty contractors. The work should have been undertaken by the flood control itself by utilising the services of railway engineers. In view of this, I request him to get the work done through his Department.

Prof. Madhu Dandavate : The Railway Ministry is not mainly responsible for this work. We think that Railways, Transport Ministry, Petroleum Ministry and Irrigation Deptt. should join together to complete this work. The construction corporation started the work in June, 1977 but the work could not proceed further due to heavy flood. I assure the House that this work will the completed at the earliest with the cooperation of railway engineers.

It is not an easy job to change the course of flow of Ganga. We will try to complete the work in collaboration with the four agencies.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

बेलची घटना के बारे में गृह मंत्री द्वारा दी गई कथित भ्रामक जानकारी

अध्यक्ष महोदय : कल सर्वश्री सी०के० चन्द्रप्पन और बी० रचैय्या ने बिहार में बेलची गांव में हरिजनों पर हुए अत्याचारों के बारे में गृह मंत्री द्वारा दी गई कथित भ्रामक जानकारी के बारे में विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहा था। कुछ सदस्यों ने कहा था कि उपाध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न को नियम 222 के अंतर्गत उठाने की अनुमति दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय से पूछने पर मुझे पता चला है कि उन्होंने नियम 222 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी है । अतः यह कहना गलत है कि उन्होंने अनुमति दी है। मैंने मामले को इस कारण अस्वीकार कर दिया है कि घटना के उद्देश्य सम्बन्धी प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : आप हमें इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे क्योंकि यह विचाराधीन है, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस न्यायिक निकाय के समक्ष यह मामला निर्णयाधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : बिहार सरकार ने सूचना दी है कि मामले के बारे में फौजदारी अदालत में एक आरोपपत्र दिया गया है ।

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

अध्यक्ष महोदय : श्री बरनाला आप विवरण सभा पटल पर रख दें।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : देश में बाढ़ स्थिति के बारे में तथा सरकार द्वारा स्थिति का सामना करने के लिए किए गए उपायों के बारे में मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

वर्ष 1977 के दौरान भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण-उत्तर मौनसून सामान्य समय पर आया। इसने केरल समुद्र तट को जून के प्रथम सप्ताह में हुआ और जुलाई के प्रथम सप्ताह में सारे देश में फैल गया । पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल के भागों में सामान्य से 50 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई।

आसाम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली में बाढ़ों से काफी नुकसान हुआ। राज्यों ने आवश्यक राहत उपाय किए हैं। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि 17.5 लाख हैक्टेयर भूमि नष्ट हुई और 61 लाख लोग प्रभावित हुए। 7.73 लाख हैक्टेयर में उगी फसलों का नुकसान हुआ, 69163 घर उजड़ गए और 148 लोगों एवं 458 पशुओं की जानें गईं। संलग्न विवरण में नुकसान का ब्यौरा दिया गया है।

आसाम में ब्रह्मपुत्र तथा उसकी उपनदियों में बाढ़ें आईं। मई के अन्तिम सप्ताह तथा जून के प्रथम सप्ताह में यातायात में रुकावट आई और एक पुल टूट गया । दारंग जिले में एक पुल टूट गयाँ जिसके कारण तेजपुर एक्सप्रैस रेल दुर्घटना हुई। कुछ स्थानों में नदी के किनारे टूट गए और भूमि कटाव भी हुआ । लोक निर्माण विभाग बंगले तथा वायरलैस ट्रांसमीटर केन्द्रों पर भी प्रभाव पड़ा। बराक बेसिन में बाढ़ आने से 358 गांव प्रभावित हुए और करीमगंज के निचले क्षेत्रों में पानी भर गया । 2.15 लाख हैक्टेयर भूमि पर उगी फसल क्षतिग्रस्त हुई; 34 व्यक्तियों एवं 141 पशुओं की जानें गईं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों पर 63.95 लाख रुपए व्यय किए हैं।

गुजरात में भी भारी वर्षा हुई और अनेक क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हुए । प्राप्त जानकारी के अनुसार 1587 गांवों के 9.68 लाख लोग प्रभावित हुए ।

हरियाणा में साहिबी नदी तथा नाला संख्या 8 में बाढ़ आई । 31 जुलाई/1 अगस्त को झज्जर रिंग बांध में दरार आने से शहर में बाढ़ का पानी घुस गया। सेना एवं होम गार्ड की सहायता से दरार को भर दिया गया । जल निकासी के प्रबन्ध किए जा रहे हैं । 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए तथा 5.3 लाख हैक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हुई । 4 व्यक्तियों तथा 21 पशुओं की जानें गईं और 3646 घर उजड़ गए ।

पश्चिमी बंगाल में भी बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ । 12 जिलों में 9,5 लाख हैक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हुई, 54,700 घर उजड़े। 12 व्यक्तियों तथा 77 पशुओं की जानें गईं । राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए 225 लाख रुपये मंजूर किए ।

पंजाब में बाढ़ों के कारण कच्चे घर टूट गए तथा सड़कें खराब हो गईं। 9 व्यक्तियों एवं 63 पशुओं की जानें गईं। 22.3 लाख के मूल्य की फसलें नष्ट हुईं और 653 घर उजड़ गए ।

कर्नाटक में समुद्रवर्ती जिलों में बाढ़ के कारण नौ गांव प्रभावित हुए। जुलाई, 1977 के अन्तिम सप्ताह में दक्षिणी कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी में बाढ़ आ गई। बीजापुर जिले के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित हुए। 318 घर नष्ट हो गए।

दिल्ली में जुलाई, 1977 के अन्तिम सप्ताह में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया। परिणामस्वरूप, कई गांव, पुनर्वास कालोनियां तथा दिल्ली की कुछ अन्य कालोनियां बाढ़-ग्रस्त हुईं। साहिबी नदी में बाढ़ आ जाने के कारण ढांसा नहर में पानी बढ़ गया। दिल्ली प्रशासन ढांसा बांध की ऊंचाई एक मीटर बढ़ा रहा है। नजफगढ़ नाले को भी खतरा पैदा हो गया है। लगातार वर्षा के कारण जल निकासी की समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली नगर निगम जल निकासी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई घर टूट गए हैं, 6 व्यक्तियों की जानें गई हैं। इसके अतिरिक्त तीन व्यक्ति डूबने या करन्ट लगने से मरे हैं। दिल्ली नगर निगम ने मृत व्यक्ति के परिवार को 500 रुपए तथा गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को 250 रुपए देने का निर्णय किया है।

बाढ़ग्रस्त ग्रामों को खाली कराने तथा बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन तथा आवश्यक सामग्री तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने इन्तजाम किया है। इन बाढ़ों के द्वारा फसल को भारी मात्रा में क्षति पहुंची है। अभी इस संबंध में सही-सही कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि दिल्ली प्रशासन अभी राहत कार्यों में व्यस्त है।

केरल में बाढ़ के कारण कुछ क्षति नहीं हुई है लेकिन इस वर्ष मौनसून तटवर्ती क्षेत्रों के कटाव के कारण कुछ क्षति हुई। जिन क्षेत्रों में समुद्र के किनारे की दीवार नहीं बनाई गई है वहां पर कुछ मकानों तथा नारियल के पेड़ों को नुकसान हुआ। कालीकट जिले में बेपर के स्थान का लाइट हाउस खतरे में है। जो क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनके नाम है पूनथूरा, चावारा अलेपी, चालानाम, मनाकाब्बू, चमक्कला चेटूवेई और कालीकट में मदाक्करा चालियाम इत्यादि। औसतन 10 मीटर चौड़ा कटाव हुआ है लेकिन चमक्कला में तो 30 मीटर तक चौड़ा कटाव हुआ है। सबसे लम्बा कटाव 20 मीटर का था। अनुमान है इस कटाव से 2.5 करोड़ रुपए की राशि की क्षति हुई है। चालीयाम, चालनाम और मदाकरा में कुछ अस्थायी उपाय जैसे किनारे पर दीवार बनाना रेत इत्यादि की बोरियां रखना, इत्यादि किए गए हैं।

राजस्थान में जुलाई के दूसरे पखवाड़े में हुई भारी वर्षा से राजस्थान के जयपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सीकर, पाली, टोंक, चुरन, गंगानगर, कोटा नागौर, झुनझुनू और भीलवाड़ा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। 2814 घर ढह गए और 18 व्यक्तियों की जानें गईं। इन जिलों में सड़क यातायात कई स्थानों पर ठप्प हो गया। कुल एक करोड़ रुपए की क्षति हुई।

बिहार राज्य में गंगा और इसकी सहायक नदियों में छोटी और मध्यम बाढ़ें आई लेकिन इनसे कोई भारी क्षति नहीं हुई। 126,000 हैक्टेयर फसली क्षेत्र और 78 मकानों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में जून के अंत में नर्मदा नदी में भारी बाढ़ आई। जिससे सड़क यातायात थोड़े समय के लिए ठप्प हो गया। भारी स्थानीय वर्षा से बालाघाट के 8 जिले प्रभावित हुए बम्बई में भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में भारी वर्षा के कारण संचार सेवाएं ठप्प हो गईं। मकान ढह जाने से 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 7 जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, हरदोई, गोरखपुर और शाहजहानपुर जिले भी बाढ़ों से प्रभावित हुए। 22000 लोग इन बाढ़ों से प्रभावित हुए, 38 मकानों को क्षति पहुंची तथा तीन व्यक्तियों की जानें गईं।

वर्ष 1977 के दौरान बाढ़ के कारण हुई क्षति (2 अगस्त, 1977 तक) का विवरण

राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र लाख हैक्टेयरों में	प्रभावित जनसंख्या लाखों में	फसलों को क्षति		मकानों को क्षति		पशुधन हानि संख्या	जन हानि संख्या	जन उपयोगिता की वस्तुओं की क्षति लाख रुपयों में	फसल मकानों और जन उपयोगिता की कुल क्षति लाख रुपयों में	टिप्पणी
			क्षेत्र लाख हैक्टेयर में	मूल्य लाख रुपयों में	संख्या	मूल्य लाख रुपयों में					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आसाम ..	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	2.15	1928.0	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	141	34	आंकड़े उपलब्ध नहीं	1928.00	
2. बिहार .	0.13	0.54	0.13	आंकड़े उपलब्ध नहीं	78	,,	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	,,	आंकड़े उपलब्ध नहीं	
3. गुजरात .	2.52	9.68	2.52	,,	6916	,,	156	46	180.00	180.00	
4. हरियाणा	5.26	10.00	0.60	,,	3646	,,	21	4	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	
5. कर्नाटक .	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	,,	318	,,	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	8.92	8.92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. महाराष्ट्र .	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	0.07	आंकड़े उपलब्ध नहीं	11	आंकड़े उपलब्ध नहीं	0.07	
7. पंजाब .	0.07	,,	0.06	22.26	653	4.86	63	9	,,	27.12	
8 राजस्थान	आंकड़े उपलब्ध नहीं	,,	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	2814	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	18	*100.00	*100.00	*व्यौरा उपलब्ध नहीं
9. उत्तर प्रदेश	0.05	0.22	0.04	,,	38	,,	,,	3	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	
10. पश्चिम बंगाल	9.50	40.70	2.23	1369.55	54700	,,	77	12	17.13	1386.68	
कुल	17.53	61.14	7.73	3319.81	69163	4.93	458	137**	306.05	3630.79	

**इसके अतिरिक्त दिल्ली में भी 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : The Hon. Minister has just stated :

अध्यक्ष महोदय : हम आपको उसकी एक प्रति दे देंगे । विवरण के बारे में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(1) नागरिक अधिकार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव

श्री जी०एम० बनतवाला (पोथानी) : मैं नियम 377 के अंतर्गत सरकार तथा इस सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह सर्वविदित है कि सरकार एक नागरिक अधिकार आयोग की स्थापना करने जा रही है । यह निश्चय ही एक स्वागत योग्य बात है लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि प्रस्तावित नागरिक अधिकार आयोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्य करेगा और अलग से कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं होगा ।

सदन को याद होगा कि लोक सभा चुनावों के दौरान एवं बाद में भी प्रधानमंत्री ने बार-बार अल्पसंख्यक आयोग बनाने की बात की थी । लेकिन अब अल्पसंख्यकों में काफी निराशा एवं चिन्ता फैल गई है और विशेषकर इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है ।

नागरिक अधिकार आयोग को विभिन्न कार्य सौंप देने का परिणाम यह होगा कि वह अल्पसंख्यकों के विभिन्न अधिकारों, समस्याओं और शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दे सकेगा ।

भाषायी अल्पसंख्यकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग आयोग होने चाहिए । इन आयोगों के पास सांविधिक तथा संवैधानिक प्राधिकार होने चाहिएं ताकि उनकी सिफारिशें बाध्यकारी हो सकें ।

सरकार को अल्पसंख्यकों की आशंकाओं, मांगों तथा भावनाओं पर विचार करना चाहिए और इन अल्पसंख्यकों के लिए नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए ।

(2) बाढ़ के कारण रेल यातायात के अवरुद्ध हो जाने तथा अन्य हानियों का मामला

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : During the last week there have been heavy rains in the country resulting in floods in various parts. At many places the railway line has been breached and traffic has been dislocated. A large number of cattle have died.

The floods are an annual feature in this country an every year the matter is discussed here. But so far no permanent solution has been found. Perhaps the previous government did not pay any attention to this matter. It is hoped that the Janta Government will pay more attention to it.

During the last few days rail traffic between Delhi and Ahmedabad has been totally dislocated. In Rajasthan, Haryana, Orissa and Bihar a number of people have died. Government should provide immediate relief to them. The work of supplying ration to them should be taken up on war footing.

Government should set up a commission or committee which might study the problem of floods in detail and suggest some methods to control them so that the loss incurred every year can be avoided.

गृह मंत्री के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE. CONDUCT OF THE HOME MINISTER—Contd.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्री स्टीफन ने गृह मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पेश किया है। क्या प्रतिपक्ष यह समझता है कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। यदि सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे आवश्यक समझा जाता है तो निन्दा प्रस्ताव सरकार के अथवा मेरे विरुद्ध लाया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मैंने इस पर आपत्ति नहीं की क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि इस पर बाहर चर्चा हो। ऐसी चर्चा को समाप्त करने के उद्देश्य से इस विषय पर चर्चा कराना बेहतर था।

प्रस्ताव में दिए गए दो आधारों में से पहला आधार यह है कि गृह मंत्री ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायों के कार्यों में हस्तक्षेप किया जैसा कि 5 मई, 1977 को निर्वाचन आयोग को भारतीय लोक दल के नेता के रूप में लिखे अपने पत्र को आयोग की फाइलों में से निकलवाना। यह एक बेतुकी बात को बढ़ाना है। प्रश्न केवल एक पत्र के बारे में है जिसे चुनाव आयोग से लिया गया। इसमें अन्य निकाय कहां से आते हैं यह बात मुझे समझ नहीं आई। कहा गया है कि उन्हें संवैधानिक निकायों के कार्य में हस्तक्षेप करने की आदत है। क्या यह उचित वक्तव्य है। इस मामले में भी क्या हस्तक्षेप किया गया है। आयोग को कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा गया है जो वह नहीं करना चाहता था। गृह मंत्री ने भारतीय लोक दल के नेता की हैसियत से चुनाव आयोग को पत्र लिखा और अपना चुनाव चिन्ह जनता पार्टी को देने के लिए कहा। बाद में उन्होंने चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया कि यदि उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो वह पत्र उन्हें भेजा जाए ताकि वे देख सकें कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है क्योंकि यह पत्र उन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिखा था और उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं था कि उसमें क्या लिखा है। चुनाव आयुक्त ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि भारतीय लोक दल के नेता की हैसियत से पत्र लिखा था। इसलिए पत्र उन्हें भेजा गया और उन्होंने उसमें बिना कुछ परिवर्तन किए लौटा दिया। यदि वह कुछ परिवर्तन करते तो निश्चय ही इसे हस्तक्षेप तथा अनुचित कार्य माना जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा ख्याल है कि गृह मंत्री केवल उस पत्र को देखना चाहते थे तभी उसे ज्यों का त्यों लौटा दिया गया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि श्री चरण सिंह ने अपने दामाद के साथ पक्षपात किया है। लेकिन तथ्य बिल्कुल भिन्न हैं। मैंने सुबह ही फाइल देखी है और ऐसे निष्कर्ष का कुछ आधार नहीं है।

गृह मंत्री ने कहा है कि मेरे प्रति जो आरोप लगाए गए हैं अगर वे सिद्ध हो जाते हों तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा अन्यथा वह सदस्य जिन्होंने मेरे प्रति आरोप लगाए हैं इस्तीफा दे दें। मैं माननीय सदस्य से इस्तीफा देने की तो बात नहीं करता लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि भविष्य में वह किसी के प्रति ऐसे आरोप न लगाए।

श्री चरण सिंह पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह सभा में निराधार और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं। 13 जुलाई, 1977 को गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सरकार का विचार नजरबन्द राजनीतिक नेताओं को गोली से उड़ाने का था। इसमें वक्तव्य का प्रश्न कहां उठता है। अतः यहां किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि गृह मंत्री को

ऐसे वक्तव्य देने की आदत है। क्या आप और हम सब अपने विचार यहाँ प्रकट नहीं करते। आप एक ओर तो गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें कुशल प्रशासक और योग्य व्यक्ति कह कर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह बात मुझे समझ नहीं आई।

जहां तक संविधान (42वां) संशोधन अधिनियम को समाप्त करने की बात है कार्यवाहक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान विरोधी दल के नेता ने जो विचार प्रकट किए थे उनको दृष्टिगत रखते हुए हम बहुत सतर्क रहना चाहते हैं और इसलिए इस कार्य में विलंब किया जा रहा है। लेकिन हम इसे पेश करने जा रहे हैं और मैं विरोधी दल से इस बारे में चर्चा करूंगा जैसाकि मैं करता आया हूं।

जहां तक दल-बदल विरोधी विधेयक का संबंध है इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, अभी इस पर अनुमति नहीं मिली है। हम इस विधेयक को अविवादास्पद बनाना चाहते हैं और इसलिए अधिकतम सदस्यों की सहमति लेना चाहते हैं।

गृह मंत्री ने प्रस्ताव में उल्लिखित वक्तव्य इस कारण दिया क्योंकि अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 359 का पहले संशोधन क्यों नहीं किया गया। आपातस्थिति के दौरान क्यों किया गया। आपातस्थिति लागू ही इसलिए की गई ताकि कोई प्रभावी स्थिति न रहे। जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार स्थगित करने का क्या अर्थ है। महान्यायवादी अब भी यही कहते हैं कि वह भयभीत हैं तथा उन्हें अपने परिवार और अन्य लोगों की बहुत चिन्ता है। यह बात महान्यायवादी ने मुझे स्वयं बताई। मैंने उनसे पूछा कि आपने उस स्थिति में अपने पद से त्यागपत्र क्यों नहीं दे दिया, तो उन्होंने कहा वह उस समय बुरी तरह भयभीत थे। अगर महान्यायवादी का यह हाल था तो और लोगों की क्या हालत होगी। इसका अन्दाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इसी तथ्य से गृह मंत्री ने ऐसा अनुमान लगाया इसमें उनकी क्या गलती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यह उनकी भावना नहीं थी। यह संभव है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अन्य लोग भी ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते थे।

मैं आपको अपना व्यक्तिगत मामला बताता हूं। नजरबन्दी के दौरान मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। एक महीने तक मुझे एक छोटे से कमरे में बन्द रखा गया और मुझे बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे केवल मेरा दिमाग खराब करने के लिए किया गया लेकिन इसका प्रभाव विपरीत हुआ और मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया जिसके लिए मैं श्रीमती गांधी को धन्यवाद देता हूं। संसद भवन के सेंट्रल हाल में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने पांच संसद सदस्यों के समक्ष कहा था कि अगर मैं वहां होता तो मोरारजी देसाई कभी जिन्दा वापिस न आता। एक सदस्य ने अशोक मेहता को यह बात बताई और अशोक मेहता ने प्रधानमंत्री को लिखा लेकिन श्रीमती गांधी ने उत्तर देने की जरूरत नहीं समझी। बाद में रक्षा मंत्री ने इस बात से इन्कार कर दिया। ऐसा इन्कार तो उन्होंने अन्य कई बातों के लिए किया। उस व्यक्ति ने तो अब अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अतः इन सब बातों को देखते हुए क्या यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था?

जेलों में कई लोगों ने बहुत यातनाएं सही हैं। श्रीमती गांधी कह सकती थीं और उन्होंने कहा भी कि वह नहीं चाहती थीं कि जेलों में ऐसा व्यवहार किया जाए। मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं। लेकिन जो हो चुका है उसके जिम्मेदारी से वह अपने को कैसे मुक्त कर सकती हैं। इन सब बातों को सुधारने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है। नहीं कुछ कार्यवाही नहीं की गई। अतः इन तथ्यों से

ऐसा अनुमान कोई भी लगा सकता था और गृह मंत्री ने उसे अभिव्यक्त किया इसमें सदन को गुमराह करने की क्या बात है।

तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्री के भी अपने कुछ विशिष्ट विचार हो सकते हैं और यह विचार मात्र अनुमान ही नहीं है अपितु तथ्यों पर भी आधारित है इसलिए यह निन्दा प्रस्ताव बिल्कुल गलतफहमी पर आधारित है ? भविष्य में ऐसे प्रयास नहीं किए जाने चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि प्रस्ताव सरकार अथवा उनके विरुद्ध क्यों नहीं लाया गया। क्या उन सबका सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। यह ठीक है जहां तक सरकार की नीतियों और कार्यवाहियों का संबंध है आप सबका उत्तरदायित्व सामूहिक है। लेकिन मंत्रीमंडल का कोई भी सदस्य दो हैसियतों में काम करता है। एक व्यक्तिगत रूप में और दूसरा मंत्री परिषद् के मंत्री के रूप में। श्री चरण सिंह ने भारतीय लोक दल के नेता की हैसियत से चुनाव आयोग को टेलीफोन किया उनसे पत्र मंगाया और उन्हें वापिस लौटाया। इसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है। प्रधान मंत्री अथवा सरकार का इस मामले से कोई संबंध नहीं। अतः सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता। मैंने श्री चरण सिंह के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसका सरकार से कोई संबंध नहीं और न ही उसकी कोई नीति इसमें निहित है। अतः अविश्वास प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैंने शुरू में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य श्री चरण सिंह के इस्तीफे की मांग करना नहीं है। हमारी नीति सरकार में फूट डालने की नहीं है। इसीलिए मैंने श्री चरणसिंह से इस्तीफे की मांग नहीं की। इस संकल्प के पीछे यही भावना है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि गृह मंत्री पर निराधार आरोप लगाए गए हैं। जब यह पूछा गया कि सरकारी फाइलें जलाई गई तो गृह मंत्री ने कहा मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐसी अफवाह है कि सरकारी फाइलें जलाई गई। मेरा निवेदन है कि संसद एक ऐसा स्थान नहीं जहां कि ऐसी अफवाहों का निराकरण किया जा सके जो अफवाहें प्रमाणित नहीं की जा सकतीं।

श्री मोरारजी देसाई : जिस घर में मैं अब रह रहा हूं वहां 3000 फाइलें जलाई गई हैं और मेरे पास इसका प्रमाण है।

श्री सी० एम० स्टीफन : जिन्होंने ऐसा किया है वह उसकी सजा भुगतें। उनके लिए कोई ढील न दी जाए। मोरारजी भाई जो कुछ कह रहे हैं उन्हें वह कहने का अधिकार है क्योंकि उनके पास इसके लिए प्रमाण है लेकिन चौधरी चरण सिंह साहिब ने जो कुछ कहा है वह व्यैक्तिक जानकारी या किसी प्रमाण के आधार पर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह थी। मेरा निवेदन यह है कि संसद ऐसा स्थान नहीं जहां कि अफवाहों को जगह मिले !

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : On 27th June, 1975 the President promulgated an ordinance by which the right to life was suspended. Why was this right to life suspended. If the intention of the Government was not to take it back then why was it not amended? Why till end the ordinance remained in tact.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या कुछ फाइलें जलाई गई।

श्री सी० एम० स्टीफन : लोक सभा में श्री चरण सिंह ने पक्के अपराधियों में "झगड़ा" के बारे में हवाला दिया था। जब राज्य सभा में उनसे इस बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि झगड़ा शब्द गलत था। एक बार यदि मंत्री महोदय इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि वक्तव्य गलत है तो उन्हें

इस सभा में स्पष्टीकरण कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। संसद के कुछ तौर तरीके होते हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि क्या एक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का हक नहीं है। मैं यह मानता हूं कि गृह मंत्री का विचार एक अतिवादी विचार हो सकता है बिना सावधानी और विचार के जो कुछ कहा गया वह प्रमाणित नहीं था। अतः यदि संसद में कोई अतिवादी व्यक्तिगत राय पेश की जाती है तो इसे दुराश्यपूर्ण नहीं समझा जाएगा बल्कि इसे अप्रमाणित समझा जाएगा।

प्रधान मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 359 के बारे में पूछा है। मैं यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री को कुछ गलतफहमी है। अनुच्छेद 359 में संशोधन केवल एक दृष्टि से किया गया। अनुच्छेद 359 में यह व्यवस्था थी कि यदि देश के कुछ भागों में आपातस्थिति है तो सारे देश में आपातस्थिति की घोषणा करनी पड़ेगी इसमें संशोधन किया गया है। देश के कुछ भागों में आपातस्थिति घोषित की जा सकती है और हटाई भी जा सकती है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्तिभूषण) : मैं इस संबंध में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। 1 अगस्त, 1975 को संविधान में 38वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 का संशोधन किया गया। पहले तो केवल मौलिक अधिकारों का प्रत्यावर्तन ही निलंबित होता था। बाद में इस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार ही समाप्त हो गए।

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि अनुच्छेद 359 (1) इतना घातक है तो आप इसमें संशोधन क्यों नहीं करते। यदि अनुच्छेद 359 (एक) के अंतर्गत जारी किए गए राष्ट्रपति आदेश का परिणाम जनता को गोली से उड़ा देने तथा ऐसी कार्यवाही से निरापदता देना हो सकता है तो इस देश को बचाने के लिए ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए कि फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो।

जहां तक वापिस मंगाए गए पत्र का संबंध है मैंने बताया कि यह एक अर्द्ध न्यायिक दस्तावेज है और गृह मंत्री को इसको हटाने का कोई हक नहीं था। यह बात हर कोई जानता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष पेश किए गए कागजात को छुआ नहीं जा सकता। न्यायालय की अनुमति से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

यह भी कहा गया है कि यह पत्र भारतीय लोक दल के अध्यक्ष द्वारा लिखा गया था और अध्यक्ष उसे देख सकता था। पत्र इस शर्त पर मंगाया गया था कि उसे वापिस कर दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि इस शर्त पर पत्र नहीं मंगाया गया था कि वह वापिस किया जाएगा। बल्कि वह उसके स्थान पर दूसरा पत्र देना चाहते थे। लेकिन बाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई उस कारण उन्हें पत्र लौटाना पड़ा।

चुनाव चिन्ह के संबंध में जनता पार्टी में इतना मतभेद हो गया था कि तीनों घटक दलों ने एक नया चुनाव चिन्ह रखने का निर्णय कर लिया था। इससे दल में एक प्रकार का हल्का सा तूफ़ान आ गया। दल के अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने इसकी भर्त्सना की और कहा कि चौधरी चरण सिंह ने पार्टी को ब्लैकमेल किया है अतः यह कोई छोटा मामला नहीं है। पत्र लिखकर उसे वापिस लेकर सही करना सामान्य प्रक्रिया नहीं है और मैं कभी इसका समर्थन नहीं करूंगा। चुनाव आयुक्त ने पत्र की एक प्रति जो अपने पास रखी वह अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर रखी क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें अपने पास एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने यह वक्तव्य दिया कि चौधरी चरण सिंह ने पार्टी को ब्लैकमेल किया। मैं नहीं जानता किस समाचार पत्र ने इसे प्रकाशित किया है लेकिन तथ्य यह है कि मैंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया। अतः ऐसे निराधार आरोप कम से कम मेरे नाम पर न लगाए जाएं। मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : विरोध को स्वीकार करना होगा और मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना।

चौधरी चरण सिंह ने केवल श्री नीरेन डे द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। श्री जेठामलानी ने भी मेरे तर्क को सही माना है और उन्होंने कहा कि महान्यायवादी ने कहा कि आपात स्थिति के दौरान जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त कर दिया गया था लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तत्कालीन सरकार नजरबन्दों को मारना चाहती थी। इस मामले में श्री श्यामनन्दन मिश्र ने भी टिप्पणी नहीं की है। मैं अपनी दलीलें कानूनी आधार पर ही दे रहा हूं।

श्री नीरेन डे की राय तत्कालीन सरकार की राय नहीं हो सकती।

मैं राजनैतिक विवादों में विश्वास नहीं रखता। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इस मामले पर सभा को निर्णय लेना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पत्र संसद से लिखा गया ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूं। जब मैं किसी पर आरोप लगाता हूं तो उसी को उसका उत्तर देना चाहिये। इसका उत्तर किसी और को नहीं देना चाहिये। यहां तक कि प्रधान मंत्री को भी नहीं।

श्री मोरारजी देसाई : किसी की वकालत करने का कोई प्रश्न नहीं। जब आप कोई बात उठायेंगे तो, उसका उत्तर कहीं न कहीं से तो आयेगा ही।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा कहना तो केवल इतना ही है कि जब चौधरी चरण सिंह के खिलाफ़ कोई आरोप लगाये गये हैं, तो उन्हें ही उसका उत्तर देना चाहिये। उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने उन्हें कहा था कि मैं उत्तर दूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह बात ठीक नहीं है कि चौधरी साहब ने स्वयं उत्तर नहीं दिया। इन सब बातों पर राजनैतिक दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये।

जिस ढंग से गृह मंत्री ने इस मामले का संचालन किया है उसके फलस्वरूप प्रधान मंत्री, श्याम बाबू तथा कुछ अन्य व्यक्ति भी इस मामले को लेकर सामने आ गये हैं।

श्री मोरारजी देसाई : अब माननीय सदस्य अपने पुराने तरीकों पर आ गये हैं।

श्री श्यामनंदन मिश्र : हम आपकी तरह नहीं हैं। हम अपने सहयोगियों का साथ देते है।

श्री सी० एम० स्टीफन : दुर्भाग्यवश मेरे मित्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम उनके दल का विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विभाजन कैसे होता है या नहीं होता है। निन्दा प्रस्ताव से ही जनता पार्टी विभाजित हो जायेगी, ऐसा कोई नहीं मानता।

मैं अपने मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस निन्दा प्रस्ताव का उद्देश्य जनता पार्टी को तोड़ना नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : ये कितना समय लेंगे ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अनेकों आरोप लगाये हैं। उन सब बातों का जबाब देने के लिये समय चाहिये। उन्होंने बड़ौदा डायनेमाइट केस के संबंध में जार्ज फ़र्नांडिज़ पर भी आरोप लगाये हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि माननीय सदस्य जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वह प्रस्ताव के उद्देश्य से बाहर है। यदि श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कोई अप्रसांगिक बात की थी तो आप उन्हें रोक सकते थे..... **(व्यवधान)**

श्री श्यामनंदन मिश्र : मैंने जो कुछ कहा, वह अप्रसांगिक न था **(व्यवधान)** आप विपक्ष वालों को बोलने का अधिक समय देते हैं और हमें कम **(व्यवधान)**। मैंने कोई भी अप्रसांगिक बात नहीं की है **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० मावलंकर : आप श्री स्टीफन, जो प्रस्ताव के विषय से बाहर बोल रहे हैं, को कब तक बोलने की अनुमति देंगे। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत सा समय व्यवस्था के प्रश्न ले लेते हैं। दोनों पक्षों ने कुछ अप्रसांगिक बातें कहीं है **(व्यवधान)**। उन्हें इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाने चाहिये थे **(व्यवधान)** मुझे समूचे सदन की चिंता है।

श्री चन्द्रशेखर : मैं न तो श्री स्टीफन और न ही श्री मिश्र द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में कुछ कहूंगा। मैं श्री स्टीफन से अनुरोध करूंगा कि वे डायनेमाईट केस की चर्चा न करें, चाहे श्री मिश्र ने ही उसे उठाया हो।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे विरोध के बावजूद भी कई अपमानजनक बातें कही गयीं तथा कई निराधार आरोप लगाये गये।

अध्यक्ष महोदय : आप अब समाप्त कीजिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं समाप्त करने जा रहा हूं।

मैं गृह मंत्री पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने सदन में कुछ निराधार तथा गैर जिम्मेवाराना आरोप लगाये हैं। मैं गृह मंत्री पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने सदन में शिष्टता से व्यवहार नहीं किया। उनका व्यवहार उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि निम्नलिखित मामलों के बारे में गृह मंत्री की भूलचूकों पर विचार करने के बाद, अर्थात् :--

(क) कि वह निराधार और गैर-जिम्मेवाराना वक्तव्य देने के लिए सभा मंच का दुरुपयोग करते रहे हैं जैसा कि अन्य उदाहरणों के साथ-साथ गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए 13 जुलाई, 1977 को उनके इस आरोप से स्पष्ट है कि भूतपूर्व सरकार की तैयारी तथा विचार जेलों में नजरबन्द राजनीतिक नेताओं को गोली से उड़ाने का था,

(ख) कि उन्होंने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्र सांविधानिक निकायों के मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसा कि अन्य उदाहरणों के साथ-साथ निर्वाचन आयोग की

फाइलों से दिनांक 5 मई, 1977 का पत्र जो भारतीय लोक दल के नेता के रूप में उन्होंने लिखा था, वापस मंगाने के उनके आचरण से स्पष्ट है,

यह सभा एतद्द्वारा गृह मंत्री के विरुद्ध अपनी नाराजगी, प्रकट करती है और उनके आचरण का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

[The motion was negatived]

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I Want an opportunity for a personal explanation.

Mr. Deputy Speaker : The Hon. Minister may give his statement later on.

बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. CONTINUING PRICE RISE

Shri Kanwar Lal Gupta : With the permission of the Chair, I move the following motion :—

"कि यह सभा देश में बढ़ते हुए मूल्यों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार से शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करती हैं।"

There has been a steep rise in prices for the last few months. This is to a great extent the result of the wrong policies pursued by the previous Government. If Janata Govt. want to redeem the pledges which they made at the time of elections, they have to check this price rise. Unless this is done we will not be able to provide food to our people. Therefore, effective and urgent steps have to be taken in this direction.

We have to bring in some amount of fiscal discipline if we are sincere in checking the price rise. Price rise cannot be checked so long money supply goes on increasing. Money supply should not be allowed to go beyond a certain limit.

Some effective curbs should be placed on State Governments in regard to overdrafts At the moment there are overdrafts amounting to 500 crores on Central and State Governments. The State Govts. should be asked to clear their overdrafts. Reserve Bank should be directed not to allow overdrafts to any State Government beyond a certain limit and that limit should be strictly adhered to.

In addition, the public distribution system should be strengthened. I know that the Minister has also announced certain measures in order to check prices. But so far no perceptible result has come out of those steps. The people have become apprehensive whether Janta Government will be able to hold the price line. I will therefore suggest that the Minister should take urgent and effective measures to check price rise and tone up the administrative and enforcement machinery of his deptt. so that the measures taken by him can effectively be implemented.

Two pronged attack on this problem should be made. Short term measures as also long term measures should be taken up simultaneously. So far as short term measures are concerned, a ceiling should be put on the profits of industry, wholesalers and retailers.

It is regrettable that in spite of appeals made by the Prime Minister and the Commerce Minister the manufacturers have raised the prices of many consumer items, even when the price of raw material required for them remains the same. During recent months the prices of certain brand of detergents, paper, electric cables, cotton textiles and other items have gone up. What is the justification for it ?

Govt. must admit that there are certain officials who are in league with the industrialists and play in their hands. They want to discredit Janata Govt. Govt. must be cautious against such officials and such officials should be weeded out of the administration.

I also suggest that there should be proper coordination among all the economic ministries. We must keep a watch on day to day situation. For this a Committee should be appointed to keep close watch on price trends. MPs should be included in this committee. Traders, who indulge in profiteering, hoarding etc. should be dealt with firmly. It is regretted that no action has been taken so far against the importers who fail to import oilseeds and sell their quota abroad on handsome profits.

Government will not be able to hold the price-line by just instituting enquiries and appointing Commissions. Every trader is not dishonest. There are very good people among them and we should encourage them. But the dishonest must be punished. Certain oil importers did not import oil deliberately so as to make profits. Such profiteers should be arrested. We should tone up our administrative machinery without loss of time otherwise Janata Party will lose its credibility among the people.

The fact is that unless the whole-salers and also the retailers are disciplined and dealt with severely, we will not be able to control prices.

We must keep a watch on day to day situation. For this, a Committee should be constituted to keep a close watch on price trends to suggest measures to check prices. Short-term and long-term measures should be taken up simultaneously. So far as short-term measures are concerned, a ceiling should be put on the profits of industry, wholesalers and retailers.

As regards long-term measures, prices should be fixed for pulses, cotton and oilseeds after taking into consideration the prices of fetilizers and other inputs used by the producers. Efforts should be made to put an end to monopoly trading the fruits and vegetables.

Manufacturers should not be allowed to appoint relatves or friends as dealers as is the case with cement. In case they do so, the responsibility. of hoarding and blackmarketing, wherever detected, must be fixed on then.

Immediate steps should be taken to make controlled cloth in large quantities.

In view of the increasing number of strikes and rising industrial unrest, efforts should be made to find a solution at the national level for which a national consensus must be evolved so that there is no loss of production. We must put a moratorium on strikes for the next two years.

Government have invested more than necessary amount in F.C.I. Efforts must be made to reduce the quantum of buffer stocks in F.C.I. so that the blocked money may be released and this amount may be reinvested in creating buffer stocks of pulses, oilseeds, cotton etc. which are in short supply.

Large quantities of pulses are being smuggled across the borders of Bangladesh Nepal, China, Burma etc. Effective steps should be taken to check smuggling and severe punishment must be given to those found guilty for this. MISA should not be used against traders and businessmen. Instead, the provisions of Essential Commodities Act should be made more stringent and enforced.

Blackmarketing is again on the increase for the last four months. It had been effectively controlled during Emergency but now it is again raising its ugly head. The Hon'ble Minister must take effective steps to check blackmarketing and the blackmarketeers must be punished. We must end red tapium in our administrative machinery at all costs.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री युवराज संशोधन पेश करेंगे ।

Shri Yuvraj (Katihar) : I beg to move :

That the end of the resolution, following be added :—

"So that the common man may get some relief"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरसिम्हा रेड्डी ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : (अदिलाबाद) : पिछले चार महीनों से वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। थोक मूल्यों में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यदि इसे रोकने के लिये सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो अगले 6 या 7 महीनों में कीमतें इतनी बढ़ जायेंगी कि गरीबी के स्तर से नीचे रहने वालों की संख्या जो इस समय 40 प्रतिशत है, बढ़ कर 60 या 70 प्रतिशत हो जायेगी।

सरकार ने निर्यात को रोककर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यदि आप निर्यात नहीं करेंगे तो वस्तुओं के मूल्य कुछ समय के लिये कम हो जायेंगे। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा? चीनी के मामले में प्रभाव यह होगा कि भविष्य में चीनी के उत्पादन के सीजन में लोग कोई अन्य फ़सल उगायेंगे जो उन्हें अधिक मूल्य दिलायेगी। अतः निर्यात बन्द करने का यह कदम राष्ट्र के लिये खतरनाक होगा। क्योंकि पिछले तीस वर्षों में हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ा है।

हमने निर्यात आरम्भ कर दिया है। एक बार आप निर्यात बन्द कर दें, उत्पादन अपने आप कम हो जायेगा। इस लिए में किसानों की ओर से किसानों के हित में तथा राष्ट्रीय उत्पादन के हित में अनुरोध करता हूं कि आप उत्पादन बन्द करने की नीति न अपनायें। इससे केवल अस्थायी राहत मिल सकती है।

सरकार एक कदम यह उठाने पर विचार कर रही है कि व्यापारियों के विरूद्ध आंसुका का प्रयोग किया जाये। क्या आप समझते हैं कि मूल्य वृद्धि के लिए केवल व्यापारी जिम्मेदार हैं? मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि व्यापारियों में भी कुछ अवांछनीय तत्व हो सकते हैं, परन्तु यदि आप आंसुका का प्रयोग करेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मूल्य में और वृद्धि होगी, क्योंकि आंसुका की आड़ लेकर पुलिस व्यापारियों को गिरफ्तार करने जायेगी और उनसे धन ऐंठेगी। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कोई भी व्यापारी पुलिस को धन अपनी जेब से नहीं देता। स्वाभाविक है कि इस से मूल्य और बढ़ जायेंगे। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मूल्य वृद्धि रोकने के लिए आंसुका का प्रयोग न किया जाये।

मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा स्फ़ीति है। बड़ी मात्रा में मुद्रा चलन में आ गई है और इसके कारण मूल्य वृद्धि हुई हैं। इसलिए मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जरूरी है कि मुद्रा स्फ़ीति को रोका जाये। दूसरे अनाज का भण्डार करने के लिए बैंक व्यापारियों को ऋण दे रहे हैं। इससे जमा-खोरी हो रही है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि खाद्यान्न की जमाखोरी के लिए ऋण की सुविधायें न दी जायें। यह सुविधायें अवश्य कम की जानी चाहिये, क्योंकि इन से सट्टेबाजी भी बढ़ी है। सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए।

खाद्य निगम के गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो गया है। सरकार को अनाज को इस प्रकार खराब होने से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।

सरकार उचित दर की दुकानें अथवा मिनी सुपर बाजार और खोलने पर विचार कर रही है। उचित दर की दुकानें पहले ही काफ़ी मात्रा में हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनका उचित ढंग से इस्तेमाल किया जाये तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जायें तथा उन के मूल्य उत्पादक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य के बीच कहीं निश्चित की जायें। सरकार को चाहिए कि उससे ज्यादा मूल्यों में बढ़ोतरी और घटोतरी की अनुमति न दी जाये। इससे उत्पादक भी खुश होगा और

उपभोक्ता भी खुश होगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक भिन्न मूल्य निर्धारित किया जाये जो न्यूनतम मूल्य हो ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मूल्य बढ़े हैं । परन्तु मूल्यों के बढ़ने की एक पद्धति है। सवाल यह है कि किन किन वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि जनसाधारण जिन चीजों का उपभोग करते हैं उन के मूल्य बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर सरसों के तेल का इस्तेमाल अमीरों द्वारा नहीं किया जाता। वे शुद्ध घी इस्तेमाल करते हैं; जिस का मूल्य आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इस के मूल्य 10 रुपये से बढ कर 11 रूपये प्रति हो गये हैं। प्याज, टमाटर, आलू आदि के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी प्रकार दालों के मूल्य भी बढ़े हैं। इस का उपयोग अधिकतर कौन करते हैं? इस का उपयोग आम जनता करती है। दालों का बड़ी मात्रा में पड़ौसी देशों को चोरी छिपे निर्यात होता है। सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य सीमावर्ती राज्यो की सीमा पर कठोर कार्यवाही करे।

आश्चर्य की बात यह है कि उन वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़े हैं, जिन का इस्तेमाल अमीर आदमी करते हैं। मुर्गे और अण्डे को देखिये। मुर्गे का मूल्य 11 रुपये है और अण्डे 4 रुपये दर्जन। अमीर आदमी के उपभोग की वस्तुओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फाइन कपड़ों के मूल्यों में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः मूल्य वृद्धि का शिकार केवल गरीब जनता हुई है। यह समाजिक-आर्थिक ढांचा पिछली सरकार की देन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या टेलीविजनों, रेफ्रिजिरेटरों और अन्य विलास सामग्री के उत्पादन से चपरासी अथवा रिक्शावाले अथवा टैक्सीवाले अपना पेट भर सकेंगे?

जहां तक विलास सामग्री का प्रश्न है, मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु आवश्यक वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं तथा कहा यह जा रहा है कि हमारे निर्यात में बहुत वृद्धि हो रही है। पेट काट कर चीजों का निर्यात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

इस समस्या को हल किस प्रकार किया जाये? मेरा निवेदन है कि सरकार को इस समस्या पर दो प्रकार से हमला करना चाहिए—एक ही दीर्घकालीन हल के लिए और दूसरा तत्कालिक हल के लिए। आम उपभोग की वस्तुओं का विशेषकर कृषि वस्तुओं का, बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए।

वर्तमान मूल्य वृद्धि का कारण उत्पादन का कम होना नहीं है। हमारे पास 200 लाख टन अनाज है और फिर भी मूल्य बढ़ रहे हैं। हमें पिछले अनुभव के आधार पर अपनी भविष्य की योजना बनानी चाहिए। तब ही हम इस मूल्य वृद्धि को रोक सकेंगे । देश के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना बहुत जरूरी है।

एक अनाज बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। यह बोर्ड सम्पूर्ण कृषि उत्पादन की देख-रेख करेगा। यह स्वायत्तशासी बोर्ड होना चाहिए। इस बोर्ड को उत्पादन की लागत तथा लाभ पर विचार करना चाहिए और फिर अगली फसल के बाजार में आने से पहले मूल्यों की घोषणा करनी चाहिए। यदि हम किसान को लाभप्रद मूल्य देंगे, तो उत्पादन में वृद्धि होगी। हमें कृषि उत्पादन कार्यों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इस के अलावा सशक्त सार्वजनिक भी होनी चाहिये। गैर-सरकारी व्यापारी भी होने चाहियें और उन पर सार्वजनिक वितरण की निगरानी होनी चाहिए। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए।

बड़े निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि वे जमाखोरी करते हैं।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए दीर्घकालीन और सुनियोजित तथा समेकित कार्यवाही की जानी चाहिए। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में भी परिवर्तन करना चाहिए।

यह याद रखना होगा कि यदि हम मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रहे, तो यह जनता पार्टी के लिए वाटरलू बन जायेगी, क्योंकि भूखा पेट लोकतंत्र और गैर कानूनी बातों का अन्तर नहीं समझता।

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : The motion on prices is very timely, because an alarming situation is developing in the country an account of price rise. Both Government and people are very much concerned about it. The price situation is not yet coming under control.

It in not that the prices are rising because of the policies of the Janta Party. We will have to examine the question in the context of entire economic structure. The tendency to earn more and more profit is responsible of rise in prices.

The tendency to earn more and more profits is responsible for rise in prices. This tendency towards profiteering will have to be checked. Appeals to traders alone will not do. Stringent measures should be taken to curb this tendency.

Alongwith the check on profiteering the Government should take steps to put a ceiling on expenditure. Production of luxury items should be curbed while production of essential commodities should be increased. The Government will have to adopt an integrated approach to tackle this problem. Prices of agricultural commodities are fixed by those who are not experts on agriculture and who do not have any practical knowledge. Therefore agricuturists do not get proper price for their produce.

Today the situation is that middleman purchase the whole foodgrain and store it in cold storage. When there is scarcity in the market they take out their stock and sell it at very high price. Such things should be stopped.

Agricultural inputs should be provided to farmers at proper price. A policy on all India level should be formulated in this regard.

Public distribution system for essential commodities should be strengthened. Also shop-keepers should be asked to display price lists prominently.

The Government has taken action against small retail traders while wholesalers who ar really responsible for price rise are not brought to book. Steps will have to be taken to have a check on wholesalers. Forward-trading should also be curbed. The government should take immediate, short term and long term measures to control prices.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) यह एक कटु सत्य है कि सता संभालने के पांच महीने बाद भी वर्तमान सरकार मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगा सकी है। इसके कुछ आधारभूत कारण हैं। जब हम मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी पूंजीवादी देशों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समया केवल सामाजवादी देशों की नहीं है। इस समस्या का स्थाई हल यही है कि सम्पूर्ण समाज को पूंजीवाद से समाजवाद की ओर परिवर्तित किया जाए। अतः उत्पादन या वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण करना ही हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। पूंजीवाद मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर आधारित होता है। पूंजीवाद के होते हुए इसे दूर करना असंभव है। समूचे समाज को उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की ओर बढ़ाना चाहिए। एकाधिकार और मुनाफाखोरी पर अधिकाधिक प्रतिबन्ध लगाने चाहिए।

जब तक आप मूल्यों को स्थिर नहीं करते अर्थव्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती। मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रमिक अधिक मजूरी की मांग करेंगे अधिक आन्दोलन होंगे और आप के अधिक महंगाई भत्ता और बोनस देने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति और बढ़ेगी इसका अर्थव्यवस्था पर पुनः प्रभाव पड़ेगा। यह तो एक ऐसा निरन्तर चक्र है जो रोका न जाए तो चलता ही रहता। । लोगों का पेट भरना और उचित मूल्य पर लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। आपने चुनावों से पहले जनता को आश्वासन दिया था कि आप मूल्य कम करेंगे और जनता को राहत पहुंचाएंगे। गत पांच महीनों में लोगों ने देख लिया है कि जो आश्वासन आपने उन्हें दिए हैं वे क्रियान्वित नहीं किए जा रहे। आपके कथनी और करनी में ताल-मेल नहीं है। कांग्रेस ने इस प्रकार देश पर 30 वर्ष शासन किया। इन 30 वर्ष में पूंजीवाद को बढ़ावा और एकाधिकार की प्रवृत्ति प्रबल हुई एकाधिकारी इतने सशक्त हैं कि पूरे बाजार पर उनका नियन्त्रण है वह कृत्रिम तरीकों से मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं । जब तक सरकार दृढ़ निश्चय से जनता के बल पर इनका सामना नहीं करती तब तक वे हमेशा बाजार पर हावी रहेंगे।

सरकार को जनता को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी का अर्थ यह है कि सरकार को आवश्यक वस्तुएं विशेषकर खाद्यान्नों का व्यापार गैर-सरकारी हाथों से लेकर अपने कब्जे में करना चाहिए। लोगों को खाद्यान्न सस्ते मूल्यों पर दिए जाएं। योजना आयोग ने हमेशा कहा है कि आवश्यक पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता होनी चाहिए। यदि मूल्य स्थिर नहीं होंगे तो उनकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं अवश्य होगी। इसीलिए सरकार को सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न दिलाने की पूरी जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिए। यह काम एक लाख तक की आबादी के स्थानों पर राशनिंग की व्यवस्था कर के किया जा सकता है। अन्य आवश्यक वस्तुएं भी सरकारी वितरण व्यवस्था के द्वारा सप्लाई की जाएं परन्तु इस वितरण व्यवस्था का निरीक्षण जनता की निर्वाचित समितियों के हाथ में होना चाहिए। ऐसा करने के लिए वसूली का होना बहुत महत्वपूर्ण हैं सरकार को वसूली प्रत्यक्ष रूप से करनी चाहिए और बिचौलियों को हटा देना चाहिए। इससे उत्पादकों को भी उचित मूल्य प्राप्त होगा और उपभोक्ताओं को भी अधिक दाम नहीं देने पड़ेंगे।

चीनी के संबंध में कहा गया है कि यदि चीनी के निर्यात को रोक दिया जाएगा तो गन्ने का स्टाक इकट्ठा हो जाएगा । स्टाक में 23 लाख टन गन्ना पहले से ही है। हमारा सुझाव यह है कि विदेशी मंडी में चीनी के दाम कम हो गए हैं और यदि आप चीनी निर्यात करना चाहते हैं तो आपको राज सहायता देनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि यह राज सहायता आन्तरिक खपत के लिए भी दी जाए ऐसे करने से लोगों को चीनी सस्ते दाम पर मिलेगी और सारा स्टाक बेचा जा सकेगा।

सरकार गेहूं का निर्यात करने पर विचार कर रही है। बाहर बाजार में गेहूं का मूल्य बहुत अधिक है। गेहूं का निर्यात करने के लिए सरकार को राज सहायता देनी होगी अन्यथा उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अतः मेरे कहने का आशय यह है कि उपभोक्ताओं को गेहूं सस्ते मूल्यों पर दिलाने के लिए राज्य सहायता दी जाए आप इस कार्य हेतु राज्य सरकारों की सहायता लें।

इन नीति परिवर्तनों का मूल्य वृद्धि पर तुरन्त प्रभाव पड़ेगा और मूल्यों पर नियंत्रण होगा सरकार को ये महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।

बैंक व्यापारियों को सहायता देते हैं। जिससे वे स्टाक जमा करके कृत्रिम मूल्य वृद्धि कर देते हैं। इस पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। बैंकों पर सरकार का नियंत्रण और आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण इन दोनों में ताल-मेल स्थापित करना चाहिए ताकि इनसे सरकार के उपयोग के लिए बैंक की

धनराशि का नियमन किया जा सके और जन वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाक प्राप्त किया जा सके।

Shri Gev. M. Avari (Nagpur) : Mr. deputy speaker, Sir I have really been impressed by the speech of hon. member Shri Kanwar Lal Gupta. It was free from party politics. He called spade a spade and the hon. member deserves congratulations for it.

Prices of essential commodities have risen and the victims of this price rise are poor people and middle class people. Seventy five per cent of our population is leading life below the poverty line.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
Shri M. Satyanarayan Rao in the chair]

They are affected the most by the price rise. The prices of essential commodities have gone up considerably. Traders are trying to creat artificial scarcity because in turn they get high price for their stock. Nationalisation of production and distribution of essential commodities can be done on experimental basis and results of this step can be studied.

In 1973 when the entire world was in the grip of inflation, certain steps were taken in our country which helped in checking prices to some extent. This process should be taken further.

Smugglers and profiteers will have to be dealt with strictly. These people never care for appeals. Nationalisation of trade in essential commodities is the real solution. I do agree that it is a very difficult task but if efforts are made we can overcome the difficulties. Shri Kanwar Lal Gupta has given few valuable suggestions if we implement them. They will really help us in solving our problem to some extent.

The question of price rise should be tackled without importing politics into it. In the past certain good steps were taken in the economic field. We should march ahead.

Shrimati Mrinal Gore : (Bombay-north) : During the last 30 years production of essential commodities have not been adequate to meet our needs. The real cause of price rise is non-availability of essential commodities. Their production has not gone up to that extent which was necessary. If we want to check prices we will have to increase production of essential commodities.

Production of edible oils has gone down. I want to know what steps have been taken to increase production of groundnut all these years. In Madhya Pradesh there is 1½ lakh acres of land which can be utilised for production of sunflower but nothing has been done in this regard. Despite promises made by Maharashtra Government nothing has been done to increase production of sunflower.

In our country steps have not been taken to increase production of essential commodities to meet the needs of the people. Unless production of essential commodities is increased prices cannot be controlled. Also steps will have to be taken to ensure proper distribution of the existing stocks of essential commodities.

A decision has been taken by the Government not to export those commodities which are needed on a large scale inside the country this is a good decision. The Governmen wants to bring down prices, but middle men nullify the efforts being made by the Government in this direction. The Government has announced their decision to ban export of vegetables. After this announcement prices of vegetable came down in Bombay market but after two days again the prices came to their previous level the middlemen paid less price to growers after Government announcement but the retail prices in the market were at the original level. It means that middlemen leap more profit and both the producers and consumer suffer. The Government will have to get rid of these middlemen. Vigilance committees should be formed to keep a watch on the profiteers.

The Government has started importing edible oils. Palm oil is also being imported. Experiments are going on to refine it so that it can be used for blending in other edible oils. This will help in bringing down prices of edible oils.

Smuggling and hoarding of essential commodities should be stopped. For purpose MISA should not be used. If necessary essential commodities Act should amended to make it more stringent.

We read in papers that Banks have been instructed not to give more credit. But in Bombay 2½ crore rupees were given on credit and traders have hoarded 47 thousand gunnybags of pulses. Now there is scarcity of pulses in the market. My suggestion is that you should fix the limit of profit then the prices of the goods will not be determined by the rule of law and supply.

Prices of milk are high. Production of milk will have to be increased. For this necessary steps should be taken.

Prices of life saving drugs should be controlled. There should be check on prices of cloth so that it can be made available to common people at reasonable price.

The Government has to check deficit financing and inflation. Production will have to be increased. All necessary steps should be taken to give justice to people.

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : मूल्य वृद्धि के कारणों तथा उसके समाधान के बारे में भ्रांति है। मेरे माननीय मित्र ने मुद्रास्फीति सट्टेबाजी तथा जमाखोरी को मूल्य वृद्धि का कारण बताया है। किन्तु इसका समाधान उन्होंने यह बताया है कि व्यापारियों को दंड न दिया जाये. प्रस्तावक ने आवश्यक वस्तुओं के बारे में एक समिति की नियुक्ति पुलिस को कुछ शक्तियां देने, वितरण एजेन्सियों का समुचित गठन करने जैसे कुछ उपाय सुझाए हैं। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया है कि तेल मिल मालिकों को गिरफ्तार कर दिया जाये। इस तरह से वह निदान तो बता रहे हैं लेकिन कारण नहीं बता रहे.... (व्यवधान) मार्च, 1976 से मार्च, 1977 के बीच मूल्यों में दो प्रतिशत वृद्धि हुई है, तब से वे प्रतिमास 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मुद्रास्फीति 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। यह अस्थायी हो सकता है। आशा है दिवाली या अक्तूबर-नवम्बर, के बाद स्थिति सुधर जायेगी।

हमें यह भी समझना चाहिए कि मुद्रा के एक बार बढ़ने पर तुरन्त मूल्य नहीं बढ़ते। इसका प्रभाव विलम्ब से पड़ता है। यदि मुद्रा सप्लाई में वृद्धि आज होती है तो इसका प्रभाव वस्तुओं पर 3 महीने बाद और कुछ पर 6 महीने बाद पड़ सकता है। अतः मूल्यों में वृद्धि गत वर्ष मुद्रा सप्लाई में वृद्धि के कारण हो सकती है।

हमें यह भी समझना चाहिए कि गत वर्ष बहुत-सी वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। तिलहनों और दालों के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उत्पादन इनके मौसम में ही होता है और इनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पूरक उपलब्ध नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री अमीन आप अपना शेष भाषण कल देंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जिसे 3 अगस्त, 1977 को सभा में पेश किया गया, सहमत है।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : इससे पहले कि आप इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखें, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस सत्र के दौरान 8 विधेयक वर्ग 'क' में रखे गए।

जब यह समिति लगभग सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को वर्ग "क" में रखती है तो फिर बैलटिंग का कोई लाभ नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जिसे 3 अगस्त, 1977 को सभा में पेश किया गया, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

युवकों के राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के बारे में संकल्प

Resolution regarding participation of youngmen in nation building

श्री पी० के० देव (कालाहाडी) भारत में युवकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ अधिक गंभीर होती हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका भविष्य है। बेरोजगारी की समस्या के फलस्वरूप उनमें असंतोष व्याप्त है । जिसके कारण वह नारेबाज़ी में लग जाता है और उसमें अनेक भावनाएं पैदा हो जाती हैं तथा वह भावुक बन जाता है। वह राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है तथा हिंसा का मार्ग अपना लेता है।

इस सत्र के दौरान हमें ज्ञात हुआ है कि 31 दिसम्बर, 1976 तक विभिन्न रोजगार कार्यालयों के रोजगार रजिस्टरों में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की कितनी संख्या है। मैट्रिक स्तर तक तथा अधिक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 51.04 लाख है। 46.8 लाख बेरोजगार मैट्रिक से कम पढ़े हुए अथवा अनपढ़ हैं। मुझे पता नहीं कि ये आंकड़े कहां तक सही हैं। लेकिन इतना तो पता है कि इनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली लार्ड मैकाले के 1833 के चार्टर अधिनियम का ही परिणाम है। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामन्ती और पारस्परिक समाज द्वारा स्थापित सीमा के अन्तर्गत साम्राज्यवादी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही तैयार की गई थी। अब इस पद्धति को बदलने का समय आ गया है। क्योंकि इसी के कारण शिक्षित और अशिक्षित वर्गों तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों और साधारण जनता के बीच गम्भीर और शोचनीय खाई पैदा हुई है ।

तथा कथित प्रतिभाशाली या बुद्धिजीवी वर्ग को जनता का उत्थान करने में प्रयत्नशील होकर वास्तविक सेवा दल बनाना चाहिए और एकान्त में रहकर अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को कायम रखते हुए समाज के लिए परज़ीवी बनने का लालच छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसा समाज चाहता हूं जो समाजवादी और समतावादी हो । ये दो अद्वितीय बातें हैं; ये दोनों एक साथ नहीं चल सकतीं।

आधुनिक शिक्षा के द्वारा बनाया गया नया विशिष्ट वर्ग जनसाधारण से दूर रहा है । इसलिए हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि युवकों की रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग किस प्रकार दिया जाये। उन्हें अपने अन्दर राष्ट्र निर्माण की भावना भरनी चाहिए तथा समाजवादी और समतावादी समाज का निर्माण करना चाहिए तथा राष्ट्र का आर्थिक उत्थान तेज़ी से करना चाहिए । इसके लिए उनमें अनुशासन और श्रम के महत्व को समझना चाहिए । सभी छात्रों और युवकों के लिए

समाज और राष्ट्र सेवा अनिवार्य हो। युवकों के लिए यह भी अनिवार्य हो कि वे कम से कम एक वर्ष का समय राष्ट्र के पुनर्निर्माण में लगाएं।

संकल्प में सुझाई गई योजना से हम सामुदायिक रहन सहन देश के विकास और देश सेवा में सहयोग की भावना समाज सेवा के प्रति रचनात्मक और अनुकूल भावना का विकास करने, जन साधारण और शिक्षितों के बीच निकट सम्पर्क बनाने तथा छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा को उभारने के महत्व को बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रकार के संकल्प के लिए मुझे सरकार अथवा अन्य सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न नहीं करना होगा। मैं समझता हूं कि वे सब इस संकल्प का हृदय से समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ :—

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि सब युवकों को स्नातक बनने अथवा रोजगार के लिए पात्र होने से पूर्व प्रादेशिक सेना में "जवानों" के रूप में सेवा करनी चाहिये अथवा किसी सरकारी फार्म या कारखाने या सिंचाई परियोजनाओं में कार्य करना चाहिये ताकि उनमें राष्ट्र निर्माण में भाग लेने की भावना पैदा हो और सरकार से अनुरोध करती है कि इस बारे में समुचित पग उठायें।"

श्री विनायक प्रसाद यादव : श्रीमान् मैं अपना संशोधन संख्या 1 और 8 पेश करता हूं।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : श्रीमान् मैं अपनी संशोधन संख्या 2 पेश करता हूं।

श्री एस० कुन्डु : श्रीमान् मैं अपनी संशोधन संख्या 3, 4 और 5 पेश करता हूं।

श्री युवराज : श्रीमान् मैं अपना संशोधन संख्या 6 और 7 पेश करता हूं।

श्री टी० ए० पाई : श्रीमान् मैं अपना संशोधन संख्या 9 पेश करता हूं।

Dr. Ramji Singh : (Bhagalpur). The resolution moved by the hon. member is the national interest. The youth movement has brought about a revolution in the country. But if this resolution is not directed on the right path the nation would be ruined.

It is our misfortune that the youth in our country is afflicted with unemployment on the one hand and despodency on the other. This is the natural result of the colonial system of education which we had inherited from the British.

The youth have got surplus energy. Therefore, they can do more constructive work. The youth is also free from vested interests and is inspired by idealism. Therefore youth power can become as essential tool for national development and social charge. Therefore, it is necessary that the youth power is associated with such constructive programmes which can build the nation.

In the present system of education there is no gurantee of livelihood. That is why our youngmen had the restlessness of the Naxalities. If we want to check the re-emergence of naxalite movement in the country, it is necessary that the energy of the youth is channelised for constructive purposes.

In many countries they have introduced national service scheme for the youth. We should also take steps in this direction. Shri Deo has suggested that all youngmen should serve in the Territorial Army. But this will not serve the purpose. Attaching the youngmen to the army will only creale a feeling of regimentation in them and this might lead to the rise of militarian in the country. If the mover wants to associate the youth with a programme of national reconstruction then they should be associated with cultural revolution. It is this cultural revolution which is the total revolution suggested by Shri Jaiprakash Narain. Early steps should be taken in this direction.

The Education Ministry is trying to remove illiteracy from the country. But this can not be accomplished through government efforts alone. That is why even after 30 yearf of independence we find that 70 per cent of our people are illiterate. This is not the fault o the Government, this is the fault of out thinking that every thing can be done by govern- ment efforts. If the 35 lakhs teachers and 3 crores students of the country are mobilised in the task of educating the people of the country their illiteracy can be removed within two years.

I welcome the resolution moved by Shri Deo. Though small in size it is very revolutionary in nature. It is very necessary that students are infused to participate in constructive works and revolutionary transformation of society.

श्री टी० ए० पाई : (उडीपी) श्री देव समूचे राष्ट्र का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए वधाई के पात्र हैं।

पिछले दस साल से मैं इस देश में किसी अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के लिए कहता आ रहा हूं। हमारे सामने एक ओर तो लाखों समस्याएं हैं और दूसरी ओर लाखों लोग। हमारे पास पर्याप्त मानवीय संसाधन तथा सम्पन्नता है। किन्तु सामन्तवादी विचारों के कारण वित्तीय संसाधनों के सहयोग के बिना हम उसका उपयोग नहीं कर सके। स्वैच्छिक सेवा के लिए गरीबों के बेटों को भेजा जाता है जबकि सत्ताधारी और सम्पन्न लोगों के बेटे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किए जाते हैं। इसीलिए अमीर और गरीब के बीच का अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों का कहना है कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। इतने पर भी हमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में और कालेज खोले जायें।

इस समय रोजगार कार्यालयों में 110 लाख बेरोजगार युवकों के नाम दर्ज हैं। देश के युबक इतने निराश हो चुके हैं कि नाम दर्ज करने वाले कहते हैं कि नाम दर्ज करवाने का कोई लाभ नहीं। विदेशों में रोजगार एजेन्सियां मालिकों और कर्मचारियों को एक स्थान पर मिलाती हैं। किन्तु हमारी सरकार बेरोजगारी की समस्या की ओर से बेखबर है। यहां रोजगार में लगे लोगों से बेरोजगार लोग अधिक हैं। अतः अब समय आ गया है जब कि बेरोजगारी की ओर ध्यान दिया जाये। इस समस्या को हल करने के लिए रोजगार तथा बेरोजगार दोनों पर विचार करना होगा। जब तक बेरोजगारी, मंजूरी और मूल्यों पर एक साथ विचार नहीं किया जाता तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती।

जर्मनी में आलू के मौसम के दौरान स्कूली छात्रों से आलू निकलवाए जाते हैं। चेकोस्लोवाकिया में स्कूली छात्रों को हॉप इकट्ठा करने के काम में लगाया जाता है। जब तक स्वैच्छिक सेवाओं को शिक्षा का अंग नहीं बनाया जाता तब तक इसका कुछ लाभ नहीं होगा। जो भी योजनाएं लागू की जायें, वे सबके लिए समान रूप से लागू हों। राष्ट्रपति के बेटे से लेकर साधारण व्यक्ति के बच्चे पर समान रूप से लागू हों। तभी ये योजनाएं सफल हो सकती हैं।

हमें देश की समस्याओं से युवा वर्ग को अवगत कराना होगा। केवल शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। यदि लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना कोई धंधा खोलना चाहते हैं, या कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय सेवाओं में न लिया जाये। लेकिन रोजगार के पात्र होने से पूर्व उन्हें कुछ राष्ट्रीय सेवा करनी चाहिये। इसलिए निरक्षरता उन्मूलन जैसे व्यापक कार्यक्रमों को शुरू किया जाना चाहिए। देश में बहुत लोग निरक्षर हैं और यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके अतिरिक्त रोगों के फैलने के कारणों की भी समस्या है। उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए।

हमारी एक और सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या आधिक्य की है। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय सेवा के मुख्य उद्देश्य अनुशासन की भावना का संचार देश की समस्याओं को समझाना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा ने शारिरिक तथा मानसिक कार्य के बीच जो अन्तर पैदा किया है उसे कम करना है। जब तक हमारी शिक्षा पद्धति में शारिरिक और मानसिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तब तक कार्य संभव नहीं है। अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दिशा में कुछ विचार किया जाना आवश्यक है। जो व्यक्ति किसी भी सुरक्षित नौकरी को प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले राष्ट्रीय सेवा का प्रमाणपत्र देना चाहिए। लेकिन जो लोग अपना काम खोलना चाहते हैं और कृषि कार्य को अपनाना चाहते हैं उन्हें ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि नागरिक स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

देश के समक्ष समस्या यह है कि वह उन करोड़ों लोगों से जिन्हें कि भारी खर्चा करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्या काम लेंगे। और निरन्तर बढ़ रही समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी। जब तक दोनों बातों को एक साथ नहीं लिया जाता और हम एक नए राष्ट्र के निर्माण का निश्चय नहीं करते तब तक यह समस्या ज्यों की त्यों रहेगी।

हमारे सेनाधिकारी भी शीघ्र सेवानिवृत हो जाते हैं और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। उन्हें युवकों से काम कराने के काम पर लगाया जाये। इस संबंध में बहुत प्रयास किए जाने चाहिएं।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharasa) : The mover of the Resolution has drawn the attention towards the growing indiscipline among youths and the menace of unemployment in the Country. On a rough estimate, every family has atleast one unemployed. There are about 10 millions of unemployed people in our country. On the other hand there is a great menace of poverty in the country. There is a good deal of talk about the distribution of surplus land among unemployed landless people, but the Government report says that there are 5 crores hectares of land which can be used for agricultural purposes. If a an army of unemployed youth is constituted they can be used for undertaking agriculture on the surplus land. This will go a long way in removing unemployment.

It is a matter of regret that even after thirty years of independence, 65 per cent of our people are still illiterate. They should be made literate and the present Government must take up some steps in this direction.

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhuvani): So, for as the resolution under discussion before the house is concerned, the main question is as to what should be the altitude of our country in regard to physical labour. The father of the nation, Mahatma Gandhi had all along emphasised the need to realise the dignity of labour, but it is unfortunate that his philosophy is never implemented in actual practice. The mover of the Resolution has suggested that a habit of undertaking physical labour should be inculcated among youths. But I would suggest even to amend the Constitution to provide that those who are engaged in politics, trade or public services should undertake physical labour one hour per day or one day a week. It should be made obligatory for each individual in the country to under take some kind of physical work. Efforts should be made to provide larger facilities to those who undertake physical labour.

श्री एस० कुन्डु (बालासौर) : देश जब स्वतंत्र हुआ तो हम सब युवा विद्यार्थी थे और हमें बहुत आशा थी कि देश के युवा वर्ग को समाज के पुनर्निर्माण का अवसर दिया जायेगा। पांच छः वर्षों तक तो विद्यार्थी और युवा वर्ग यही सोचता रहा कि नए नेता देश के युवा वर्ग को व्यापक सेवाओं का उपयोग करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया हमारी सभी आशाएं निराशा में बदल गई क्योंकि हमें पता लगा कि समूचा प्रशासनिकतंत्र जिसे कि समाज में परिवर्तन करने के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता था, कुछ नौकरशाहों का अधिपत्य है और जिन्हें देश की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं।

जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा गया कि गांधी जी के सपनों को साकार बनाने वाला प्रभावी उपकरण कौन सा है तो उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के 450 अधिकारियों की प्रतिरक्षा की और कहा ये ही लोग देश में परिवर्तन ला सकते हैं और गांधी जी के स्वपन को साकार रूप दे सकते हैं। समय आ गया है कि हम इस विरोध, इस भ्रम को समझने का प्रयास करें। सिद्धान्त और व्यवहार में बहुत अन्तर है, उसे समझे। हमारी इच्छाओं तथा उन्हें पूरा करने के उपायों में भी बहुत अन्तर है। जब तक हम इस अन्तर को दूर नहीं करते तब तक यह सब खाली पाखंड होगा।

आपात स्थिति के समाप्त होने के बाद तथा जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद से लोगों के मन में एक नई भावना ने जन्म लिया है। उनका विवेक जागा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या देश के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में युवकों को महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बनाना चाहिए? मानव के कष्टों का समाधान करने वाला धर्म ही वास्तविक धर्म है। यदि हम देश के भीतरी भागों में जायें तो हमें पता चलेगा कि लोगों का रवैया बहुत दकियानूसी रहा है और यह बहुत ही भयावह है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक एवं समाजवादी हो और हमारी विचार धारा राष्ट्रवादी हो तो हमें इन निर्जीव और खतरनाक आदतों को समाप्त करना होगा और हमें सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर करनी होंगी। इसके लिए हमें अपने 10 करोड़ नवयुवकों को तैयार करना होगा जो स्वेच्छा से यह कार्य करने के लिए तैयार हो जायेंगे। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि आगामी कुछ वर्षों के लिए इस बेकार शिक्षा पद्धति को बन्द कर दें। इस शिक्षा पद्धति से कोई लाभ नहीं है। ये स्कूल और कालेज बन्द कर दिए जाने चाहिए। नवयुवकों को गांवों में भेजा जाए। उन्हें सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य सौंपा जाये। यदि सप्ताह में दो घंटे के लिए इन नवयुवकों की सेवा 2 वर्ष तक ली जाये तो हमारे पास 20 करोड़ निःशुल्क श्रमिक मिल जायेंगे। यदि हम अपने युवा वर्ग को इस कार्य के लिए तैयार करने में समर्थ हो जाएं तो इस समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और दस वर्ष के भीतर बेरोजगारी की समस्या हल करने और गांवों में समृद्धि लाने में समर्थ हो सकते हैं। हमारा स्वप्न तभी पूरा होगा।

Shri Yuvraj (Katihar) : I am thankful to the mover of this resolution. This is an issue of national importance. Our youth force is unemployed and idle only because the present system of education has produced unemployment therefore some basic changes are required to be made in our system of education. Unless this system is changed this problem of unemployment will not be solved.

We have two systems of education. Two different types of schools are functioning in our country—Public Schools and Ordinary Schools. This is one of the causes of frustration in the minds of our students. Poor and ordinary persons can not send their children to public schools. These public schools are patronised by the rich and their children are essured top posts in Government and other public services. The Ordinary schools are patronised by the common and poor people and their children have no guarantee of jobs or unemployment. This is also one of the main reasons for frustration among our youth They have no purpose before them.

A complete reorientation in our system of education, syllabus and courses of study i essential.

Every student must be asked to teach at least 25 illiterates before he gets his Degree. They should also be asked to serve the society and nation in the reconstruction work.

The most basic issue is work. So right to work must be included among fundamental rights in our constitution. Only then we can utilize our youth force in nation building activities.

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) **:** If we consider the persons of the age groups of 18 years to 35 years as young man or youth, there are 20 crores young persons in our country. Is it possible to ask them to go to the villages take training courses or go to the factories? The purpose of the resolution is no doubt very good but it is not practicable. It is true that population of our country has almost doubled during the last 30 years and with the present rate of growth our population is bound to cross 80 crores within 10 years. So every effort must be made to control this population explosion.

Our youngmen are prepared to do any manual or physical work they are prepared for any work that may provide them employment. But they have not been given any opportunity therefore we must first create work for them.

***श्री मुकुन्द मंडल** (मथुरापुर) : इस संकल्प में सिफारिश की गई है कि सभी युवकों को स्नातक बनने अथवा रोजगार का पात्र बनने से पूर्व प्रादेशिक सेना में जवानों के रूप में सेवा करनी चाहिए या किसी सरकारी फर्म या कारखाने या सिंचाई परियोजना में कार्य करना चाहिए ताकि उनमें राष्ट्र निर्माण में भाग लेने की भावना पैदा हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु हमें साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि पिछली सरकार ने प्रादेशिक सेना का दुरुपयोग किया था। अपने वैध अधिकारों के लिए आन्दोलन करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों पर इसी सेना से हमला करवाया गया था। 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान प्रादेशिक सेना को अत्यन्त घृणित कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। यदि सरकार ने इस प्रादेशिक सेना को गलत मनशा से तैनात किया तो इस संकल्प का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। जब हम अपने युवकों को न्याय देना चाहते हैं तो उन्हें काम का अधिकार सुनिश्चित करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। काम का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया जाये और इसके लिए संविधान में उचित संशोधन किया जाना चाहिए। सरकार को और अधिक समय नष्ट किए बिना बेरोजगार व्यक्तियों को उस समय तक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना आरम्भ करनी चाहिए जब तक कि उन्हें रोजगार न मिले।

देश के युवकों की शक्ति रचनात्मक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण के कार्य में लगाने की दृष्टि से उनमें राष्ट्रनिर्माण की भावना पैदा करना अनिवार्य है। उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता देना होगा कि उनका इस कार्य में एक जुट होकर लगना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य भी है। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में दूरगामी परिवर्तन करने पर ही यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि देश के लाखों नवयुवकों के सहयोग से हमें लाभ उठाना है तो हमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। देश के लाखों बच्चे भूखे और नंगे होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते। जब छात्रों को पेट भर रोटी नहीं मिलती तो सभी कालेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना लागू करने का क्या लाभ है? अतः सर्वप्रथम हमें देश के नवयुवकों और विशेषकर छात्रों को समुचित पोषाहार देने की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को देश के युवकों के लिए राष्ट्रीय पोषाहार योजना तैयार करनी चाहिए।

आज देश में 27 लाख भूतपूर्व सैनिकों की समस्या है। जिनको 32 वर्ष की आयु में ही सेना से छटनी कर दी गई है। इसके बाद से ये जवान बेरोजगार हो गये हैं जबकि हमें इस प्रशिक्षित शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें सरकारी फार्मों में काम देना चाहिए या छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देने के कार्य में लगाना चाहिए।

---

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali

कालेजों के छात्र शिक्षकों की निगरानी में सड़कें बनाने तथा अन्य सामाजिक सेवा करने के कार्य करते हैं। लेकिन उनके कार्य की क्षमता का निर्धारण करने की दृष्टि से समय-समय पर कोई कार्य सम्पादन परीक्षा नहीं ली जाती है। अतः मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को उन सभी राज्यों में जहां यह योजना चालू है समय-समय पर किए गए कार्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से जिलास्तर पर समितियां गठित करनी चाहिएं। ऐसे कार्यों की देख-रेख के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। गन्दे और अशोभनीय चल-चित्रों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री **ए० के० राजन** (त्रिचूर) : मैं इस संकल्प के प्रस्तावक का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हमारे देश के युवक बहुत ही अप्रसन्न और असन्तुष्ट हैं। हमारे देश में ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? हमें इस समस्या का गंभीरता से अध्ययन करना होगा। युवकों को प्रवचन देने मात्र से ही यह समस्या हल नहीं होगी। इसे युवक समस्या मान कर भी हल नहीं किया जा सकता। यदि देश के युवक विघटन के कार्यों में लग जायें तो स्थिति अत्यन्त गंभीर और भयावह हो सकती है। यह समस्या देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या का एक अंग मान कर ही इस पर विचार करना होगा; तभी इसका समाधान संभव हो सकता है। इसका हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से गहरा सम्बन्ध है। यह हमारे देश की जनता की आर्थिक परिस्थितियों तथा सांस्कृतिक प्रगति से भी सम्बद्ध है।

यह समस्या भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी है। लेकिन वहां इसका कारगर रूप से समाधान किया गया है। वहां युवक शक्ति का समाज सेवा रूप में उपयोग किया जा रहा है। समाज की सेवा के लिए उन्हें अनुप्रणित किया जाता है क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन यदि हम उन्हें उचित मार्ग दर्शन देने और उनमें उद्देश्य पूर्ति की भावना पैदा करने में असफल रहेंगे तो युवकों में आगे बढ़ने का और राष्ट्र निर्माण का कार्य करने का उत्साह पैदा नहीं होगा। अतः हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर इस मामले पर विचार करना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि युवक भी इसी देश के हैं। युवा शक्ति सम्पूर्ण राष्ट्र की मूल्यवान परिसंपति है।

केरल में साक्षरता की प्रतिशतता सबसे अधिक है। इस राज्य में बेरोजगारी की समस्या विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देश की अर्थ व्यवस्था बनाने अथवा सार्थक शिक्षा नीति कार्यान्वित करने के लिए इस सरकार को अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग से कार्य करना चाहिए। इसे एक ही दल का मामला नहीं बनाना चाहिए। यदि अतीत में कुछ गलतियां की गई हैं तो सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से उनमें सुधार किया जाना चाहिए। हमारे युवकों की बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए कोई सुनिश्चित कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

*डा० **हेनरी आस्टिन** (एरणाकुलम) : युवक समस्या ने विश्व के महान पुरुषों की गहराई से चिंतन करने पर बाध्य किया है। इस सम्बन्ध में मेरे राज्य केरल का उल्लेख किया गया है जहां प्रत्येक तालुका

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

में एक कालेज अवश्य ही है। वर्तमान स्थिति की दुःखद वास्तविकता यह है कि कालेजों से निकलने वाले हजारों छात्र/छात्राएं बेरोजगार हो जाते हैं। यद्यपि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनका यह विश्वास है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। किन्तु साथ ही मैं समझता हूं कि ऐसा समय आ गया है जबकि हमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा बनानी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे युवकों को अपने विचार व्यक्त करने या अपनी कार्य प्रणाली बताने का ही अवसर मिलता है। अतः वे विघटनकारी कार्य करने में अपनी क्षमता नष्ट करते हैं। यदि युवा शक्ति का निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जाये तो ये राष्ट्र की महान संपत्ति बन सकते हैं। युवकों में निर्माण कार्यों में अपनी शक्ति लगाने की प्रवृत्ति होती है। दुर्भाग्यवश सरकारी स्तर या संगठन स्तर के नेतृत्व ने उनकी भावनाओं को नहीं समझा और उनकी शक्ति का निर्माण कार्यों में उपयोग नहीं किया गया। यह पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की ही है। शिक्षा विभाग ने क्या निर्माण कार्य किया है। हालांकि बुनियादी शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है; फिर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। शिक्षा विभाग को एक ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए और सार्थक श्री गणेश करना चाहिए ताकि हम जनशक्ति को बहुमूल्य संपत्ति में परिवर्तित कर सकें, क्योंकि यही युवा शक्ति कठिन से कठिन कार्य सम्पन्न कर सकती है।

केरल राज्य देश के अन्य भागों से 10 या 15 वर्ष आगे है। जो घटना केरल में आज होती है वह देश के अन्य भागों में 10 या 15 वर्ष बाद घटेगी। वहां हमने अनेक प्रयोग या परीक्षण किए हैं। वहां सैकड़ों लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। अतः शिक्षा विभाग की इस समस्या के स्वरूप पर विचार करना चाहिए और इसके हल के लिए ठोस रचनात्मक कार्यक्रम बनाना चाहिए।

हमने केरल में स्वयंसेवी प्रयत्नों से एक लाख मकान बनाए हैं। मैं केवल उदाहरण ही दे रहा हूं। हम बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों को काम में लगाकर ऐसी परियोजनाएं पूरी कर सकते हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। उनको अनेक प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। ऐसी योजनाओं या कार्यों पर अधिक धन व्यय नहीं होगा। अतः मुझे आशा है शिक्षा विभाग इस संबन्ध में पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा।

सभापति महोदय: इस संकल्प पर चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। दो सदस्यों को और समय दिया जा सकता है। आशा है सदन मुझ से सहमत होगा।

***प्रो० पी० जी० मावलंकर** (गांधीनगर) मैं संकल्प के प्रस्तावक तथा संकल्प के उस भाग की जो युवकों के भाग लेने से संबन्धित है, सराहना करता हूं। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सरकारी एजेंसियों के माध्यम से संभव हो सकता है? क्या राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में युवकों एवं युवतियों के भाग लेने का काम सरकार को सौंपा जा सकता है? सरकार की भूमिका निश्चय ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जैसे विकासशील देश में सरकार को काफी धन व्यय करना पड़ेगा, जबकि शिक्षा मंत्रालय के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है।

हमें इस संबन्ध में सब कुछ सरकार के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए अन्यथा अनजाने में ही हमारे ऊपर एकाधिकारी सरकार आ बैठेगी।

*मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Marathi.

हमारे शिक्षा संस्थानों, स्कूलों, कालेजों आदि में असंतोष की भावना का कारण है कि युवक स्वयं को सर्वथा उपेक्षित समझने लगे हैं। अनेकों युवक शहरों और गांवों में, अपनी प्रतिभा को बेकार कर रहे हैं। यह किसका दोष है? उनका नहीं। यह उनके बुजुर्गों और नेताओं का दोष है। हमें उनका योगदान एन०सी०सी० और एन०एस०एस० आदि में लेना चाहिए। उनमें देश भक्ति की भावना भरनी चाहिए। यदि यह सब स्वतः किया जाता है तो श्री देव का संकल्प एक बड़ी सीमा तक स्वयं लागू हो जाएगा।

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded) : The schools and colleges are not producing good students. One education system is very old and outdated. It needs a thorough change. It is necessary to educate the educationists first, unless it is done country cannot make progress. A feeling affection towards the country should be filled in the minds of youth.

There is large scale unemployment in the country. Thousads of youth want work but they do not have any work. Right to work should be included in the constitution.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं प्रस्तावक को संकल्प के उद्देश्य के लिए बधाई देता हूं। वस्तुतः उन्होंने युवकों की समस्या की ओर देश का ध्यान खींचा है। लेकिन कई सदस्यों ने इस बारे में कानून बनाने को कहा है। यह भी कहा गया है कि यह व्यवहारिक नहीं है। यह भी बताया गया है कि यदि अनिवार्यता का तत्व लागू किया गया तो युवकों के लिए यह काम नीरस हो जाएगा। अतः हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा।

युवकों की समस्या पर एकांगी ढंग से विचार नहीं किया जा सकता। यदि समाज में ही असंतोष व्याप्त है तो युवक कैसे संतुष्ट रह सकते हैं। यह सही ही कहा गया है कि समूची समस्या का समाधान सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में करना होगा।

कई सदस्यों ने बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। अतः युवकों को नौकरी देने से पूर्व प्रादेशिक सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए या कारखानों, सिंचाई परियोजनाओं आदि पर काम करना चाहिए। क्या प्रस्तावक या सरकार इस बात की गारन्टी दे सकती है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें रोजगार अवश्य मिल जाएगा। कोई भी यह गारन्टी नहीं दे सकता। और ऐसी हालत में और अधिक असंतोष फैलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में युवा लोगों को राष्ट्रनिर्माण में लगाने से जब वे पहले ही से परिपक्व हो चुके हैं और जब कि यह उन पर ऊपर से थोपा गया काम हो, भागीदारी की भावना पैदा नहीं होगी। अतः सभी पहलुओं पर कोठारी आयोग ने तथा कई शिक्षा आयोगों ने विचार किया और विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार विमर्श करते हुए सदन ने 1968 में राष्टीय शिक्षा नीति अपनाई।

राष्टीय शिक्षा नीति ने कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा पर बल दिया। अतः युवकों को स्नातक बनने के बाद या स्नातक बनने से पूर्व यह अनिवार्य करने के पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे छात्र कार्य अनुभव तथा सामाजिक कार्य में भाग ले सकें। इसी कारण शिक्षा के नए पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव विषय को अनिवार्यतः जोड़ा गया है तथा कुछ इस प्रकार के संगठन भी बनाए गये हैं ताकि छात्र सामुहिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों में भाग ले सकें।

राष्टीय सेवा योजना का उल्लेख किया गया है। राष्टीय सेवा योजना के अतिरिक्त हमने राष्टीय कैडेट कोर भी बनाया है जो नेतृत्व में, कामरेडशिप में प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों और कालेजों में योजना मोर्चा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परि-

योजनाएं शुरू की हैं और कालेजों से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बदलने के लिए कहा है ताकि शिक्षा प्रणाली को ग्रामोन्मुख बनाया जाए। तब छात्र राष्ट्रीय कार्यों में योगदान देंगे और योगदान अनिवार्य नहीं होगा जैसा कि प्रस्तावक ने कहा है, बल्कि शिक्षा प्रक्रिया का एक अंग होगा। इसी प्रकार स्कूल स्तर पर स्काउट, गाइड तथा जूनियर रेड क्रास की व्यवस्था है।

मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना चलाने वालों को सुझाव दिया है कि यह योजना स्कूल स्तर पर भी शुरू की जाए। लेकिन हमने नोट किया है कि बहुत कम बच्चे स्कूलों में जाते हैं। वस्तुतः समस्या उन्हें कार्य अनुभव देने की नहीं है, समस्या उन्हें शिक्षा देने की है। उनकी समस्या अनौपचारिक शिक्षा देने से हल हो सकती है। यह सरकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर अधिक बल दे रही है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जा रही है। राज्य शिक्षा मंत्रियों की बैठक इस महीने की 10 वीं और 11वीं तारीख को हो रही है और उनकी सहायता से हम समस्या पर व्यापक रूप से विचार कर सकेंगे।

सरकार की सतर्कता और स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों, बच्चों तथा युवकों के भाग लेने के मामले में सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्तावक से संकल्प वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। सरकार समस्या से अवगत है और इस गंभीर समस्या के हल के लिए ठोस कार्यवाही की जा रही है।

श्री पी० के० देव: हमारे देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति जनशक्ति, विशेषकर युवा शक्ति है और यदि इसको निर्माणात्मक कार्यों में लगाया जाए तो काफी अच्छे परिणाम हो सकते हैं। सरकार समस्या से अवगत है। हालांकि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में रखा गया है; केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है और मैं भावी शिक्षा नीति तथा युवा शक्ति के उपयोग को ध्यान में रखूंगा।

मंत्री महोदय के आश्वासनों के परिणामस्वरूप मैं संकल्प वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 1 और 8 तथा 2 और 9 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amentment Nos. 1 and 8 and 2 and 9 were put and negatived.

संशोधन संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 सभा की अनुमति से वापिस लिए गये।

Amendment Nos. 3, 4, 5, 6 and 7 were by leave withdrawn.

श्री पी० के० देव : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The resolution was, by leave withdrawn.

संविधान में संशोधन करने के बारें में संकल्प

RESOLUTION RE: CHANGES IN CONSTITUTION.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकिल) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"यह सभा छठी लोक सभा के चुनावों के बाद देश में नई राजनीतिक स्थिति और देश के समक्ष उपस्थित सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य को दृष्टि में रखते हुए

सरकार से अनुरोध करती है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की उद्देश्यपूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने, मूल अधिकारों के अध्याय से सम्पत्ति के अधिकारों को निकालने और काम करने, साक्षर बनने एवम् राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने तथा अल्पसंख्यकों --धार्मिक एवं भाषायी हरिजनों, आदिमजातियों और हमारी जनसंख्या के अन्य दलित वर्गों को दी गई गारंटियों को और व्यापक बनाने के लिये भारत के संविधान का संशोधन करने के लिए तुरन्त पग उठाये जायें।"

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अपना भाषण अगले समय चालू रखें। सभा 6 अगस्त, 1977 के 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 6 अगस्त, 1977/15 श्रावण, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, August 6, 1977/ Sravana 15, 1899 (Saka).

MGIPRRND—Sec. I.D—13LSS/77—8-12-77—200